ISSN (Print) : 3048-6327

Shodh Garima
शोध गरिमा

Year-2, Vol.-1 (Jan. to March-2025)

A Peer-Reviewed & Refereed International Multidisciplinary Research Journal

Frequency - Quarterly

Administrative & Editorial Board

ISSN (Prit) : 3048-6327

Shodh Garima

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multidisciplinary Research Journal

Year : 2 **Vol. - 1** **(Jan. to March, 2025)**

EDITORIAL BOARD

Prof. (Dr.) Ratan Kumari Verma
Jagat Tarn Girl's Degree College, Prayagraj
Mob.: 9415050933
Email : drratankmverma.jtdc@gmail.com
Institutional Email : ratankmverma@jtgdc.ac.in

Prof. Hitendra Kumar Mishra
Professor, Dept. of Hindi
North-Eastern Hill University
Shillong-793022
Mob.: 9436594338
Email : hiten.hindi@gmail.com
Institutional Email : hkmishra@nehu.ac.in

Dr. Jamuna Bini
Asst. Professor, Dept. of Hindi
Rajiv Gandhi University, Roho Hills
Daimukh, Arunachal Pradesh
Mob.: 9436044427
Email : jamunabini@gmail.com
Institutional Email : jamuna.bini@rgu.ac.in

Dr. Akta Kumari
Asst. Professor, Dept. of Hindi
Kazi Nazrul University
Aasansol (North) District Bardwan
West Bengal
Mob.: 8084450160
Email : ekta2k8@gmail.com
Institutional Email : akta.kumari@knu.ac.in

Dr. Uma Kumari Shah
Asst. Professor
Dept. of Media & Communication Studies
Chaudhary Banshilal University
Bhimani (Haryana)
Mob.: 8340336167
Institutional Email : uma.mghv@cblu.edu.in

International Editorial Board Members

1. **Prof. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich**
Dean of Faculty of Foreign Languages
Doctor of Philosophy (Phd)
Associate Professor
Fergana State University
Fergana, Uzbekistan
Institutional Email : m.mamajonov@pf. fdu.uz
https://fdu.uz/site/sahifa/2864f5cb9c 6906184be1041e508b1bcadd666d5170 a4bfce
Telegram: +998903031330

2. **Prof. Elham Hossain**
Senior Faculty Member
Department of English
Green Uiversity of Bangladesh
Bangladesh
Profile Link : elham@eng.green.edu.bd
Institutional Email : https://elhamhossain.com

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob.: 9532481205
e-mail : shodhgarima@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha
Mob.: 9807520344

Publisher Information

Publishing Body
G.H. Publication

Address
121, Shaharabag, Prayagraj (U.P.)–211003

Editor in Chief
Prof. (Dr.) Ratan Kumari Verma
Jagat Tarn Girl's Degree College, Prayagraj
Mob.: 9415050933
Email : ratankmverma@jtgdc.ac.in

जर्नल के विषय में

''शोध गरिमा'' जर्नल प्रकाशित करने का उद्देश्य

प्रत्येक काल में शोध पत्र-पत्रिकाओं का समाज हित में अपना अमूल्य योगदान रहा है। वर्तमान समय में भी बहुत-सी शोध पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इसी श्रृंखला में 'शोध गरिमा' जर्नल प्रकाशित किये जाने का विनम्र प्रयास है।

यह शोध जर्नल अन्य शोध जर्नल से इस मामले में भिन्न होगा कि इसमें उन विषयों को शोध का केन्द्र बिन्दु बनाया जायेगा, जो विषय अभी तक अध्ययन का मुख्य विषय नहीं बन पाये हैं, अपितु बनने की दिशा में प्रयासरत हैं। जिसमें विशेष रूप से दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किन्नर, समाज के हाशिये पर पड़ा कोई वर्ग, व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य निर्धन वर्ग, किसान, केवट, मछुआरा, श्रमिक, महिला वर्ग इत्यादि के विषय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, यथार्थवादी दृष्टिकोण से अध्ययन, विश्लेषण, नये-से-नये तथ्यों का अन्वेषण, उनके आधार पर समाज की मुख्य धारा में मुख्य स्थान दिलाने का प्रयास है। इन सभी बिन्दुओं से जुड़े हुए विभिन्न विषय के विद्वानों, शोधार्थियों के शोध-अभिलेखों को प्रकाशित कर अकादमिक जगत् में योगदान करना है। इसके माध्यम से विद्वानों को अपना शोध-आलेख प्रकाशित करवाने में सुविधा होगी। 'शोध गरिमा' जर्नल को ऐसे नवीन अन्वेषण से युक्त शोध-आलेख को प्रकाशित कर अपना योगदान करने में गर्व की अनुभूति होगी। हम भी संवेदना के संवाहक बन सकेंगे और मानवता के कल्याण में हमारा भी योगदान हो सकेगा।

मुख्य सम्पादक

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in Vol.-1 (January to March), Vol.-2 (Apr. to June), Vol.-3 (July to Sept.), Vol.-4 (Oct. to Dec.)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध-गरिमा', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहराराबाग, प्रयागराज से प्रकाशित एवं युनिवर्सल ग्राफिक्स, 6बी/4बी/9ए, बेलीरोड, न्यू कटरा, प्रयागराज से मुद्रित
(Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : shodhgarima@gmail.com, website : www.shodhgarima.com

जर्नल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज रहेगा।

G.H. PUBLICATION
121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

ADVISORY BOARD

- Dr. Damodar Khadse
  Sahitya Akademi Purskarit, Hindi, MGIHU, Vardha
- Prof. Sadanand Shahi
  HOD (Hindi), BHU, Varanasi
- Prof. Anita Gopesh
  Zoology, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. S.P. Shukla
  Hindi, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Dr. Dhananjay Chopra
  Course-co-ordinator Media Study Centre, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. Ram Gopal Singh
  Hindi, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, Gujarat
- Prof. Dayashankar
  Hindi, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Anand, Gujarat
- Dr. S.B. Pateel
  Principal, Arts and Commerce College, Akkalkuwa, Maharashtra
- Dr. Sanjay Tiwari
  Principal, Navyug Arts and Commerce College, Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur, M.P.
- Prof. Manju Sharma
  Hindi, Delhi University, Delhi
- Prof. Sandeep Kumar Singh
  Dean School of Arts, Humanitiesa and Social Science, CSJM University, Kanpur, U.P.
- Dr. Santosh Khanna
  Chief Editior, Mahila Vidhi Bharti Journal, Delhi
- Dr. Monika Devi
  State Planning Institute Lucknow, U.P.
- Prof. (Dr.) Sunil Kumar
  H.O.D. (Hindi & Bhasha-Sankay), Guru Nanak Dev University, Amritsar (P.B.)

SUB-EDITORS BOARD

- Dr. Shamenaz Bano
  English, *R.T.D.C., Prayagraj*
- Dr. Kulwant Singh
  Senior Scientist, Bhabha Parmanu Anusandhan Kendra, Tromby, Mumbai
- Dr. Manish Vaghela
  Hindi, Dr. VRGM College, Porbandar, Bhakt Kavi Narshingh Mehta University, Junagarh, Gujarat
- Dr. Amar Kant Kumar
  HOD Hindi, MLSM College, Darbhanga, Bihar
- Dr. Amit Kumar Dubey
  Principal, Shri RST College of Education, Magadh University, Bodhgaya, Bihar
- Prof. D.B. Singh
  Physics, Dr. Shakuntla Mishra National Rehabilitation University, Lucknow, U.P.
- Dr. Keerti Kumar Singh
  History, M.G. College, Lucknow University, Lucknow, U.P.
- Dr. Ramakant
  History, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. Arvind Kumar Verma
  Sociology, R.G.P.G. College, Akbarpur, Dr. RML Awadh University, Ayodhya, U.P.
- Prof. Dhruv Bhushan Singh
  SHSGPG College Chandauli, MGKVP, Varanasi, U.P.
- Dr. Vineeta Singh
  Principal, Ganga Memorial Girl's PG College, Dr. RML Awadh University, Ayodhya, U.P.
- Prof. Vishwanath Verma
  History, HPG College, MGKVP, Varanasi, U.P.
- Dr. Rajesh Sharma
  Associate Professor (Political Scince), Eklavya University, Damoh, M.P.
- Dr. Durga Mahobiya
  Assistant Professor (Geography), Eklavya University, Damoh, M.P.

Peer-Reviewed Board

- Dr. Chunduri Kameshwari
  Hindi, *Bhavan's Vivekananda College Sainikpuri Secunderabad, Telangana, Ormanice University, Hyderabad*
- Dr. Alka Yadav
  Hindi, *PNS College, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh*
- Dr. Mukti Sharma
  Hindi, *Mattan Degree College, Kashmir University, Jammu & Kashmir*
- Dr. Sangeeta Kumari Pasi
  Hindi, *Caton University, Paan Bazar, Guwahati, Assam*
- Dr. Neeta Agrawal
  Writer, *Nohal, Hanumangarh, Rajasthan*
- Dr. Smriti Anand
  Hindi, *J.D. Womens College, Pataliputra University, Patna, Bihar*
- Dr. Vishwamauli
  Hindi, *B.H.U., Varanasi, U.P.*
- Dr. Sanghsen Singh
  Political Science, *SPM P.G. College, Allahabad University, Prayagraj, U.P.*
- Dr. Rakesh Singh
  Geography, *CSNPG College Hardoi, Lucknow University, U.P.*
- Dr. Sarvesh Kumar Singh
  Economics, *G.G.D.C., Sewapuri, MGKVP, Varanasi, U.P.*
- Dr. Vikash Chand Verma
  Hindi, *TNPG College Tanda, Ambedkar Nagar, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Mr. Santosh Kumar
  English, *BNKB, P.G. College Akbarpur, Ambedkar Nagar, Dr. RML University, Ayodhya, U.P.*
- Dr. Shivam Singh
  English, *TNPG College Tanda, Ambedkar Nagar, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Dr. Sandeep Kumar Verma
  Psychology, *KS Saket PG College, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Dr. Gopal Krishna Singh
  Mathematics, *UPRTOU, Prayagraj, U.P.*
- Dr. Arvind Kumar Yadav
  Hindi, *Jammu Central University, Jammu & Kashmir*
- Dr. Asha Rani
  Hindi, *Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur, M.P.*

- Dr. Amanpreet Kaur Kang
  Music (Vocal)*, G.G.S. Khalsa College for Women Jhar Sahib Ludhiyana, Punjab University, Chandigarh*
- Dr. Anita Singh
  Hindi, *Pondicherry University, Punducherry*
- Dr. Sainaba Gldar
  Hindi, *Jawahar Lal Nehru Rajkeeya Mahvidyalaya, Portbliar, Andman and Nicobar Islands*

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III - खण्ड 4
PART III – Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on eivdence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificatesa issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education/ Physical Education/Commerce/ Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	8	8

© ***Publishers***

Registration Fee	:	**Rs. 1500.00**
Single Copy (Individual)	:	**Rs. 250.00**
Annual Subscription (4 Issues)	:	**Rs. 1000.00**
Life Time Member Fee (Individual)	:	**Rs. 5000.00**
Life Time Member Fee (Institution)	:	**Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of :

G.H. Publication

State Bank of India
Bahadurganj, Prayagraj-3
A/c. 42202333697
IFSC : SBIN 0050274

Or

Phone Pay (M.) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. 394302010996632
IFSC : UBIN 0530271

(1) आप दोनों में से किसी पर भी शुल्क का भुगतान करने के बाद उसका स्क्रीन शॉर्ट मोबाइल नं.: 9532481205 पर अवश्य भेजें, जिससे आपके शुल्क भुगतान का सत्यापन हो सके।
(2) किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी हेतु आप मो.: 9532481205 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

Please Research Paper will be sent in our
E-mail : shodhgarima@gmail.com
&
Our Watsapp No.: 9532481205

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक-समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें–

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003 (उ.प्र.)

दूरभाष : 0532-2563028 मो.: 9532481205

E-mail : ghpublication@gmail.com

अनुक्रम

1.	**वेदों का सार्वकालिकत्व एवं साम्प्रतिक न्याय व्यवस्था में अवदान** शकुन्तला शुक्ला	**13-20**
2.	**नाथ सम्प्रदाय का तात्त्विक अध्ययन** डॉ. निर्मला गुप्ता	**21-22**
3.	**रेशम उद्योग में वाराणसी के बुनकरों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन** डॉ. प्रियंका मिश्रा	**23-27**
4.	**विद्यालय में पालक शिक्षक संघ की भूमिका** डॉ. प्रतीक्षा पाण्डेय	**28-30**
5.	**Core Essence of Indian Literature: An Overview** Bhupendra Kumar Patel	**31-37**
6.	**खमाज थाट के रागों में ठुमकती ठुमरी** डॉ. चित्रा चौरसिया	**38-43**
7.	**योगशास्त्रे आहारस्य व्यवस्थापनम्** डॉ. विजय नारायण शुक्लः	**44-51**
8.	**21वीं सदी के हिन्दी दलित कहानियों में महिला सशक्तीकरण एवं रचनात्मक स्वरूप** उपेन्द्र यादव	**52-57**
9.	**1857 की क्रान्ति और झलकारी बाई** डॉ. फ़ैज़ान अहमद	**58-62**
10.	**कृषि आधारित उद्योग से ग्रामीण विकास** अकरम अली एवं डॉ. राकेश सिंह	**63-73**
11.	**लोक-साहित्य : परम्परा और विकास** शिखा वर्मा एवं प्रो. रेखा गुप्ता	**74-79**
12.	**वेदों का पौरुषेयापौरुषेयत्व-विमर्श** गुलशन पाठक	**80-83**
13.	**हिन्दी कविता के विकास में साहित्यिक पत्रिकाओं का योगदान** शशिकान्त वर्मा एवं डॉ. आजेन्द्र प्रताप सिंह	**84-87**
14.	**The Effectiveness of Sacroiliac Joint Manipulation on Hip Joint Range of Motion and Muscles strength in Patients with Sacroiliac Joint Dysfunction** Satish Kumar & Dr. Mahesh Kumar Shou	**88-90**

15.	**भारतीय संस्कृति में वर्णित ज्ञान और विज्ञान के अर्थों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 91** डॉ. अजिता ओझा	91-93
16.	**भक्ति आन्दोलन : युगीन सन्दर्भ** डॉ. के. संगीता	94-99
17.	**काव्य लक्षण विमर्श** डॉ. अतुल कुमार सिंह	100-104
18.	**महादेवी वर्मा की रचनाओं में जन-सामान्य की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति** डॉ. विकास चन्द वर्मा	105-111
19.	**महिलाओं के सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण** डॉ. रीता देवी	112-118
20.	**बन्दूकें और ब्रिटिश एम्पायर का भारत का एक ऐतिहासिक अध्ययन** नरेन्द्र कुमार, डॉ. सोनू सारण एवं डॉ. हरीश कुमार	119-124

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 2nd Jan. 2025 **Paper Accepted : 7th Jan. 2025**

वेदों का सार्वकालिकत्व एवं साम्प्रतिक न्याय व्यवस्था में अवदान

□ शकुन्तला शुक्ला*

शोध-सारांश

वेद सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक ग्रन्थरत्न हैं। शुभ चरित्र के लिये चारित्र्य–ज्ञान आवश्यक है। पुराने और नये–जितने भी वेद–विज्ञाताओं ने वेद के स्वाध्याय या शोध के कार्य किये हैं, उन सब का सुदृढ़ मत है कि मानव जाति के प्राचीनतम धर्म, आचार–विचार, त्याग, तप, कला, विज्ञान, इतिहास, राष्ट्र–संघटन एवं समाज–व्यवस्था, न्याय–व्यवस्था आदि का परिज्ञान प्राप्त करने के लिये एकमात्र साधन वेद हैं। बड़े–बड़े चिन्तनशील आस्तिक जन वेद के विमल विज्ञान पर विमुग्ध हैं। वेद की अलौकिकता पर भारतीय एवं पाश्चात्त्य वेदाध्यायी गण आसक्त हैं। वेद निन्दकों को शास्त्रों में नास्तिक कहा गया है। जब तक इस जगतीतल पर पर्वत और नदियाँ रहेंगी, तब तक मानव–जाति में वेद की महिमा का प्रचार रहेगा। आर्षमतानुयायी वेदानुसन्धाता कहते हैं कि, वेद ज्ञान अनंत और अगाध है। समाज की सुव्यवस्था के लिए वेद ज्ञान का प्रचार–प्रसार आवश्यक है। वेद कहते हैं–समाज की सुव्यवस्था के लिए परस्पर सहायता करना आवश्यक है।

शब्दब्रह्म रूप वेद विश्ववाङ्मय की अमूल्य निधि है। भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम रूप तथा विकास को समझने के लिये वेदों का परिशीलन अपरिहार्य है। **धाता यथापूर्वमकल्पयत्**[1] सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में वेदों का प्राकट्य प्रणव रूप में होता है। कालान्तर में ऋषियों के द्वारा गुरु–शिष्य परम्परा के माध्यम से **मन्त्र–ब्राह्मणात्मक शब्द राशि**[2] के रूप में दृष्टिगोचर होता है। मानव–संस्कृति के इतिहास के ज्ञान के लिए तथा भाषा–विज्ञान की गुत्थियों को सुलझाने के लिए शब्दब्रह्म रूप वेद का अध्ययन आवश्यक है। सृष्टि एवं मानव–जीवन के आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक स्वरूप को पूर्णतया प्रकाशित करने वाली यह वेदविद्या द्वापर युग में महर्षि कृष्ण द्वैपायन (वेदव्यास) द्वारा चार भागों में सुगमतया बोध हेतु विभाजित की जाती है, जिसे हम ब्रह्मसम्प्रदाय से सम्बद्ध ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में जानते हैं। वेदों को ही आधार मानकर भारतीय दार्शनिक, नीतिज्ञ, धार्मिक तथा सामाजिक ज्ञान–विज्ञान के भव्य–प्रासाद को

©

* शोधछात्रा, वेद विभाग, श्री ला.ब.शा.रा.सं. विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110016

प्रतिभा सम्पन्न पाठकों ने खड़ा किया है। वेदविद्या सार्वकालिक होने के कारण आज भी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बीच अपने ज्ञान–गौरव की अक्षुण्णता का अबाध उद्घोष कर रही है। अतएव शब्दब्रह्म रूप सार्वकालिक वेदज्ञान राशि का अनुशीलन तथा उनके मौलिक सिद्धान्तों का उद्घाटन ज्ञान के संवर्धन के लिए उपादेय है।

सर्वप्रथम ऋक्, यजुः, साम और अथर्ववेद एक शब्दब्रह्म रूप राशि भाव से स्थित थे। कालान्तर में मन्त्रों के याज्ञिक प्रयोग को दृष्टि में रखकर महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने एक ही वेद को चार मन्त्र संहिताओं में विभाजित कर दिया। यथा–

एक एवासीद्यजुर्वेदस्तं चतुर्धाव्यकल्पयत्।
चातुर्होत्रमभूत्तस्मिन्स्तेन यज्ञमकल्पयत्।।[3]

हौत्र कर्म का सम्पादन करने वाले होतृ नामक ऋत्विक के द्वारा पाठ किए जाने वाले मन्त्रों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने ऋग्वेद संहिता के रूप में किया। अध्वर्यव का सम्पादन करने वाले अध्वर्यु नामक ऋत्विक के द्वारा पाठ किये जाने वाले मन्त्रों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन (वेदव्यास) ने यजुर्वेद–संहिता के रूप में किया। औद्गात्र कर्म का संपादन करने वाले उद्गातृ नामक ऋत्विक के द्वारा गाए जाने वाले मन्त्रों का संकलन महर्षि व्यास ने सामवेद संहिता के रूप में किया। ब्रह्म–कर्म का सम्पादन करने वाले मन्त्रों का तथा लौकिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मन्त्रों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने अथर्ववेद संहिता में किया। यथा–

आध्वर्यं यजुर्भिस्तु ऋग्भिर्वै होत्रमेव च ।
औद्गात्रं सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः।।[4]

भगवती श्रुति भी कहती है–

तदाहुः यदृचा हौत्रं क्रियते यजुषा आध्वर्यवं साम्नोद्गीथोऽथकेन। ब्रह्मत्वमित्यनया त्रय्या विधयेति ह ब्रूयात्।।[5]

वेदों में यज्ञविद्या के साथ–साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, सदाचार, ज्ञान–विज्ञान, नीति–वचन, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन से सम्बद्ध सभी विषय समुपलब्ध हैं। वेदों में मानव–संस्कृति के जीवन–दर्शन, आचार–विचार, रहन–सहन, नैतिक एवं सामाजिक चरित्र का प्रतिपादन किया गया है। अतएव भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम रूप तथा मानव जाति का इतिहास समझने के लिए वेदों का अध्ययन अपरिहार्य है।

ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र आदि सभी धर्मग्रन्थों के मूल आधार वेद ही हैं। वेदों की अनन्त महिमा तथा अगाध ज्ञान राशि से सत्समाज को परिचित कराने के पवित्र उद्देश्य से भारत सरकार को इसके अध्ययन–अध्यापन की व्यापक व्यवस्था करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति के अमूल्य निधि वेद के स्वरूप, महत्त्व और साश्वत सिद्धान्त को हृदयङ्गम करना सत्समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र कर्त्तव्य है। धर्मग्रन्थों की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने का अधिकार भारतीय जन–मानस को प्राप्त है। वेदों में सदाचार–मीमांसा, राष्ट्रीयता, राजनीति, गणित, मूर्तिकला, स्थापत्यकला आदि मानव–जीवन के लौकिक एवं पारलौकिक उत्थान के लिये उपयोगी सम्पूर्ण सिद्धान्तों तथा उपदेशों का अद्भुत वर्णन किया गया है। अतएव वेद सार्वकालिक हैं तथा साम्प्रतिक न्याय व्यवस्था 6 में इनका अवदान अत्यन्त उपादेय है।

सृष्टि के पूर्व सृष्टि रचना के उद्देश्य से परब्रह्म परमात्मा ने **एकोऽहं बहुष्यामि** ऐसा सङ्कल्प किया, तब ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी के तप से अव्यक्त परमात्मा वेद वाणी के रूप में व्यक्त हुए। अनन्तर उसी शब्द ब्रह्मात्मक वेदराशि की अव्यक्त शक्ति से सम्पूर्ण चराचर जगत् की उत्पत्ति हुई। संसार के सभी व्यवहार सम्यक् प्रकार से सञ्चालित हैं। इस उद्देश्य से वह वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत के रूप में विभक्त होकर व्यक्त भी हो गया। यथा–

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।।[7]

अर्थात् अनादि, नाश रहित और नित्य

संस्कृत भाषा ब्रह्मा जी से प्रकट हुई। वह आदि में वेदमयी थी, अनन्तर उसी से सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ। उसी से संसार के समस्त व्यवहार प्रारंभ हुए। वेदवाणी सार्वकालिक है, यह सृष्टि के पूर्व में थी तथा सृष्टि के पश्चात भी रहेगी। कभी देवलोक, मृत्युलोक दोनों में और कभी केवल देवलोक में इस वेद वाणी को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो इसे नष्ट करना चाहेगा वह स्वयं नष्ट हो जायेगा। देश–काल परिस्थिति के कारण वेदवाक् का ही आश्रय लेकर मनुष्य के द्वारा अन्यान्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई। जिनकी उत्पत्ति, विनाश का क्रम चलता रहता है।

भाषा के मुख्यतः दो प्रयोजन होते हैं–(क) बोधजनकता और (ख) पुण्यजनकता। प्रथम से वक्ता और श्रोता के समस्त व्यवहार चलते हैं और दूसरे से पुण्य मिलता है, जिससे इस लोक और परलोक में मङ्गल होता है। विश्व में वेदवाणी संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें बोधजनकता और पुण्यजनकता दोनों हैं। यथा–

एकः शब्दः सम्यक्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति।[8]

जो सत्य है अर्थात् सदा रहने वाला है, वही शिव (त्रैलोक्य मङ्गलकारी) है और जो सत्य एवं शिव है, वही सुन्दर है। इसीलिए परमात्मा को सत्यं शिवं सुन्दरम् भी कहा गया है। वेदराशि परब्रह्म परमात्मा की वाङ्मयी मूर्ति होने से शब्द ब्रह्मात्मक है। इसलिये वह सत्यं शिवं सुन्दरम् है।

महाराज मनु के अनुसार वेद सार्वकालिक हैं, तीनों काल में वेदों का उपयोग है और सब वेदों से प्राप्त होता है–

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।[9]

वेद ब्रह्मविद्या के मात्र ग्रन्थ भाग नहीं हैं अपितु स्वयं ब्रह्म हैं। वैदिक भाषा के रहस्य को वही समझ सकते हैं, जिन्हें आर्ष–दृष्टि प्राप्त है। ब्रह्मानुभूति के बिना वेद ब्रह्म का ज्ञान असम्भव है।[10] वेद ईश्वर के निःश्वास हैं–

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्।।[11]

अपौरुषेय वेद से ही सम्पूर्ण चराचरात्मक सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारे ऋषि–महर्षि, आचार्य तथा भारत की पवित्र परम्परा में आस्था रखने वाले विद्वानों ने समवेत रूप से वेद को सनातन, नित्य और अपौरुषेय माना है। वेद का ईश्वरीय ज्ञान के रूप में ऋषियों ने अपनी अन्तर्दृष्टि से प्रत्यक्ष दर्शन किया[12] तदनन्तर इसे मानव–जीवन के कल्याणार्थ प्रकट किया। वेद ईश्वर का संविधान है। वेद राशि से शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकता है। वेद की सार्वकालिकता स्वतः सिद्ध हैल क्योंकि वेद में इस लोक को सुखमय तथा परलोक को कल्याणमय बनाने की दृष्टि से मानव–मात्र के लिए आचार विचार के पालन का विधान किया गया है तथा आध्यात्मिक साधना के बाधक अनेक निन्दित कर्मों से दूर रहने का निर्देश भी दिया है। अक्षैर्मा दीव्यः[13] अर्थात् जुआ मत खेलो, **मा हिंसीः पुरुषान्पशूश्च**[14] अर्थात् मनुष्य और पशुओं की हिंसा मत करो। वर्तमान न्याय व्यवस्था मे इन मन्त्रों का अवदान अभिनन्दनीय है।[15]

वैदिक सूक्तिवाङ्मय में अनेक नीति–उपदेश वर्णित हैं। सूक्तियों में उपदिष्ट नीतियों के माध्यम से मानव–जीवन का सर्वविध उन्नयन हो सकता है।[16] वेदज्ञ विद्वान् सेनानायकत्व, राज्य, न्याय प्रतिपादन तथा सर्वविध लोकप्रबन्धन में सक्षम होता है। वेदराशि में कर्त्तव्यों का उपदेश दिया गया है। यथा– **सत्यमेव जयति नानृतम्**[17] अर्थात् सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सार्वभौम तथा सार्वकालिक वेद के उपदेश का अवदान भारतीय न्याय संहिता 2023 में दृष्टिगोचर होता है। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 225 में प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है और या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है तो वह मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा।[18]

वेदाध्ययन करा कर आचार्य शिष्य को शिक्षा देते हैं–सत्य बोलो। धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर दो। सन्तान परम्परा का उच्छेद मत करो। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। आरोग्यादि शरीर की कुशलता से प्रमाद नहीं करना चाहिए। विभूति से प्रमाद नहीं करना चाहिए। पढ़ने–पढ़ाने से प्रमाद नहीं करना चाहिए। देवकर्म और पितृकर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। यथा–

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्।।[19]

इस प्रकार वेद में नीति–उपदेशों की अनन्त सूक्तियाँ हैं। सार्वभौम तथा सार्वकालिक नीतियों के भाण्डागार जीवन की इहलौकिक तथा पारलौकिक भाण्डागार वेद के अनुशीलन से मानव–जीवन की इहलौकिक तथा पारलौकिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। वेद में नैतिक आदर्शों पर विशेष बल दिया गया है। वैदिक संस्कृति में लोभ, छल, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि नैतिक दृष्टि से हेय समझे जाते हैं। वेद में सत्य, दान, दया और आत्मसंयम को नैतिक आदर्श समझा जाता है। **नैतिकता की दृष्टि से कितवसूक्त में वर्णित जुआरी का विलाप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।**[20]

मानवीय सभ्यता और संस्कृति के आदि ग्रन्थ वेद में अधोगामिनी सामाजिक प्रवृत्ति को प्रकट करने वाले कितव जैसे शिक्षाप्रद सूक्त वर्णित हैं। द्यूत क्रीडा एक सामाजिक दुर्व्यसन है। कितव सूक्त में जुआरी की दीन–हीन वैयक्तिक और पारिवारिक दशा का, उसकी मनोदशा का, पराजयजन्य पश्चात्ताप का और सनातन सामाजिक संदेश का बड़ा ही प्रेरक प्रसङ्ग का चित्रण किया गया है। हमारे राष्ट्र में वैदिक युग से जुए का खेल होता रहा है।

कितव (जुआरी) कहता है– चौसर क्रीडास्थल पर बार–बार नाचते हुए सोमरस के पान की भाँति मेरे मन को स्फूर्ति और मादकता से भर देते हैं। परिणामतः वह बार–बार इस दुर्व्यसन के परित्याग का निश्चय करके भी उससे अपने को अलग नहीं कर पाता। चौसर के पासे की ध्वनि को सुनकर वह स्वयं को खेल से पृथक् कर पाने में असमर्थ पाता है। अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करना उसके लिए सहज सम्भव है किन्तु जुए के खेल का परित्याग वह नहीं कर सकता। जब द्यूत का नशा उतर जाता है और वह सामान्य स्थिति में आता है तो उसे अपनी प्राण प्रिया, पति परायणा धर्मपत्नी के अकारण परित्याग के लिए अतिशय अनुताप होता है।

न मा मिमेथ न जिहिडे एषा
शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्।
अक्षस्याहमेकपरस्य
हेतोरनुव्रतामप जायामराधम् ।।[21]

जुए के खेल के कारण आत्मीय जनों में अपनी तिरस्कृत एवं हेय स्थिति पर उसे पश्चात्ताप होता है। सास मेरी भर्त्सना करती है। पत्नी घर में प्रवेश नहीं करने देती। आवश्यकता पड़ने पर धन की याचना करता हूँ तो कोई भी धन नहीं देता। लोग मेरी याचना को तिरस्कृत करते हैं और सोचते हैं कि यह जुआ खेलने के लिए बहाना बनाकर धन की याचना कर रहा है। जैसे वृद्ध अश्व बाजार में किसी कीमत का भी नहीं रह जाता ठीक उसी प्रकार मैंने भी अपना मूल्य बुरी आदतों के कारण खो दिया है।[22] जुआ में पराजित कितव की पत्नी का दूसरे विजेता जुआरी बलपूर्वक संस्पर्श करते हैं और कितव को अपनी पत्नी के अपमान का दृश्य देखना पड़ता है। इस सूक्त में जुआरी की पारिवारिक दीन दशा तथा अधःपतन का मार्मिक वर्णन किया गया है। धनादि भौतिक संसाधनों से रहित जुआरी पारिवारिक जनों द्वारा उपेक्षित हो जाता है।

वह आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रात्रि के समय दूसरे के घरों में चौर्यकर्म करता है। भगवती श्रुति कहती हैं–

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व स्वित्।
ऋणावा बिभ्यद् धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति।।[23]

अन्ततः एक दिन स्त्री अपने परिजनों तथा घर–गृहस्थी की दैनीयता को देखकर जुआरी का हृदय अत्यन्त द्रवित एवं शोक–संतप्त हो जाता है और वह निश्चय करता है कि अब मैं कल सुबह से पुरुषार्थ करूँगा। नीति के पथ पर चल कर परिजनों का तथा अपने जीवन को साधन–सम्पन्न करूँगा।

इस सूक्त में मनुष्य को कर्मण्य जीवन जीने की प्रेरणा दी गयी है। यथार्थतः जुआ, सट्टा, चोरी और लाटरी इत्यादि से धनवान होने की इच्छा मनुष्य को अकर्मण्य तथा पुरुषार्थहीन बना देती है। अनैतिक मार्ग उसके दुर्भाग्य एवं पतन का कारण बनते हैं– **अनैतिकमार्गैः तस्य दुर्भाग्यं पतनं च भवति।**[24] इसीलिए भगवती श्रुति कहती हैं– जुआ मत खेलो, खेती–करो, स्वावलम्बी बनो, अपने श्रम से उपार्जित धन–धान्य को ही सब कुछ मानो। उसी से सुख और संतोष का अनुभव करो। पुरुषार्थ से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जायेगा।[25]

वेदों के पर्यालोचन से परिज्ञात होता है कि नैतिक आचरण से मनुष्य यथाभिलषित कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए सदाचरण के माध्यम से ही उसे उत्कर्ष करना चाहिए। मनुष्य को मन का नियमन करना चाहिए। मन शरीर को अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करता है। शरीर के शिथिल होने पर भी मन का वेग कम नहीं होता। अत्यन्त बलवान होने से मन जल्दी वश में नहीं आता। मनुष्य का समग्र क्रियाकलाप मन की अनुकूलता पर निर्भर है। जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्ण मन को स्वयं अपनी विभूति बतलाते हैं– **इन्द्रियाणां मनश्चास्मि**[26] अर्थात् इन्द्रियों में मैं मन हूँ। सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के ज्ञानों का जनक मन ही है। भगवती श्रुति कहती हैं–

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति।
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।।[27]

निष्कर्ष

वेद सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक ग्रन्थरत्न हैं। शुभ चरित्र के लिये चारित्र्य–ज्ञान आवश्यक है। पुराने और नये–जितने भी वेद–विज्ञाताओं ने वेद के स्वाध्याय या शोध के कार्य किये हैं, उन सबका सुदृढ़ मत है कि मानव जाति के प्राचीनतम धर्म, आचार–विचार, त्याग, तप, कला, विज्ञान, इतिहास, राष्ट्र–संघटन एवं समाज–व्यवस्था, न्याय–व्यवस्था आदि का परिज्ञान प्राप्त करने के लिये एकमात्र साधन वेद हैं। बड़े–बड़े चिन्तनशील आस्तिकजन वेद के विमल विज्ञान पर विमुग्ध हैं। वेद की अलौकिकता पर भारतीय एवं पाश्चात्य वेदाध्यायी गण आसक्त हैं। वेद निन्दकों को शास्त्रों में नास्तिक कहा गया है।[28] जब तक इस जगतीतल पर पर्वत और नदियाँ रहेंगी, तब तक मानव–जाति में वेद की महिमा का प्रचार रहेगा। आर्षमतानुयायी वेदानुसन्धाता कहते हैं कि वेद ज्ञान अनंत और अगाध है।

समाज की सुव्यवस्था के लिए वेद ज्ञान का प्रचार–प्रसार आवश्यक है। वेद कहते हैं–समाज की सुव्यवस्था के लिए परस्पर सहायता करना आवश्यक है। किसी के पास भी धन चिर काल तक स्थिर नहीं रहता। जैसे रथ–चक्र नीचे और ऊपर घूमता रहता है, वैसे ही धन भी कभी किसी के पास रहता है तथा कभी किसी अन्य के पास चला जाता है। इसलिए याचक को अवश्य धन देना चाहिए। जो स्वार्थी हैं, उसका अन्न–धन उत्पन्न करना वृथा है। इस प्रकार का उत्पादन उत्पादक का वध करा देता है। जो धनवान व्यक्ति धन को न तो धर्म कार्यों में लगाता है, न परिजनों और हितैषियों को देता है, जो स्वयं का पेट पालने वाला है वह पापी है। यथा–

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवित केवलादी।।[29]

दाता दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और जरा–मरण शून्य स्थान को जाते हैं। दाता के नाम की मृत्यु नहीं होती, दाता दरिद्र नहीं होते, उन्हें क्लेश व्यथा और दुःख नहीं सताते। उन्हें लोक तथा परलोक के सारे पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। पुण्यवान की उन्नति स्वतः होती है।[30]

ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा और स्मार्ता हैं। ऋषियों ने मन्त्रों को देखा इसीलिए उनका नाम ऋषि पड़ा। सभी ऋषि मानव–हितैषी होते हैं। ऋषियों की उत्कट अभिलाषा रहती है कि हमारी बुद्धि वेद–ज्ञान समर्थ बने। वेद में निन्दक, दुर्बुद्धि, द्वेषी कृपण, ब्राह्मण–द्रोही, मांसभक्षी, हिंसक, अदाता, वंचक, कपटी, असत्यभाषी, आलसी, धूर्त, डकैत, आतंकवादी[31], षड्यंत्रकारी, अनाचारी, दुराचारी, वध, बंधन और चौर्यादि कुत्सित कर्म करने वाले दुर्बुद्धि जनों को पापी एवं कुमार्गी कहा गया है। ब्राह्मण द्वेषी तथा मांस भक्षक को मन्त्र द्रष्टा ऋषि गण अपना शत्रु समझते हैं।[32] मन, वचन एवं कर्म से चराचर का पूजन, सेवन और आराधना यज्ञ है। यज्ञ विश्व का उत्पत्ति स्थान तथा श्रेष्ठतम कर्म है। वैदिक यज्ञ के द्वारा परस्पर हित होता है तथा समाज का सुचारु रूप से संचालन होता है, साथ ही लौकिक और पारलौकिक समृद्धि होती है। जो यज्ञहीन है वह सत्य शून्य है।

आदर्श मानवता के लिये जिन सद्गुणों की आवश्यकता होती है, उनमें अनेक महापुरुषों ने वेद ज्ञानानुमोदित सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य को प्राधान्य दिया है। विलक्षण तेजःशाली ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धन है। देवता सत्य स्वभावी होते हैं। इसलिए देवार्चन करने वाला सर्वथा सत्यवादी होना चाहिए, असत्य पोषक लोग राक्षस होते हैं।[33] एतदर्थ मनुष्य को सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए। षड्यंत्रकारी नहीं। क्योंकि षड्यंत्रकारी व्यक्ति का साक्ष्य अप्रभावी होता है।[34] आदर्श मानवता के लिए सत्यनिष्ठ एवं अहिंसक होना अनिवार्य है। सत्य और असत्य परस्पर प्रतिस्पर्धी हैं। आदर्श मानवता के लिये सद्गुणों की प्राधान्यता है। वेद–कालीन समाज में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के महत्त्व को स्पष्ट किया गया है। सभी धर्म, कर्म, योग, ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति आदि सत्कर्म वेदों में वर्णित हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी इसका सङ्केत किया गया है। सभी ज्ञान–विज्ञान वेद से निःसृत हैं। भविष्य में होने वाले ज्ञान–विज्ञान का उत्स वेद में है–भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति।[35]

रात्रि के अनन्तर ब्रह्म–मुहूर्त में जिस समय सौम्य–वृद्धि होती है, उस समय वेद ध्वनि से ईश्वर के यज्ञ का प्रतिपादन करते हुये वर्षा–ऋतु के आगमन को उत्सव की तरह मनाने का संदेश वेदों ने दिया है। यथा–

ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वन्दतः।
संवत्सरस्य तदहः परिष्ठ यन्मण्डूकाः प्रावृषीणं बभूव।।[36]

वेदों में पर्यावरण की रक्षा पर बल दिया गया है। वायु, जल, ध्वनि, खाद्य, मिट्टी, वन–सम्पदा पशु–पक्षी इत्यादि के संरक्षण की आज्ञा भगवती श्रुति ने दिया। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से ध्वनि प्रदूषण से बचने तथा परस्पर वार्त्ता करते समय धीमा एवं मधुर बोलने का संदेश वेदों ने दिया है।

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।।[37]

भाई–भाई से, बहन–बहन से और परिवार का कोई भी सदस्य एक–दूसरे से द्वेष न करे। परिवार के सभी सदस्य एकव्रती एवं एक मत होकर आपस में शान्ति से भद्र पुरुषों की भाँति मधुरता से संवाद करें। मेरी जीभ से मधुर शब्द निकलें। माता–पिता का भरण–पोषण करना सांप्रतिक न्याय व्यवस्था में भी आवश्यक किया गया है।[38] ईश्वर का पूजन–अर्चन करते समय मूल में मधुरता हो। मेरे क्रिया–कलाप में आवश्यक रूप

से मधुरता रहे तथा मेरे चित्त में मधुरता बनी रहे–

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्।
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि।।[39]

वेदादि शास्त्रों से वर्णित कतिपय तथ्य साम्प्रतिक न्याय व्यवस्था में भी देखे जा सकते हैं। वेदों से विश्व के शासकों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिये।[40] शासकों को प्रजा के हित में अपने पूरे समय का योगदान करना चाहिये। प्रशासक का प्रमुख कर्त्तव्य प्रजा का अनुरञ्जन करना है। शासक को 'राजा' इसलिए कहा जाता था कि वह प्रजा को सुखी और सन्तुष्ट रखता था। जिस व्यक्ति में प्रजा के रञ्जन की भावना न हो, उसे राजनेता नहीं बनना चाहिए।

भारतीय संस्कृति ऐसे उदात्त पुरुषों के चरित्र से परिपूर्ण है, जिन्हें राज्य करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था किन्तु उन्होंने प्रजा का हित करने में अपने को अयोग्य मानते हुये राज्य पद को त्याग दिया। वेद और वेदानुगत साहित्य में देवापि–शान्तनु जैसे महापुरुषों का इतिहास वर्णित है। पिता के स्वर्गवास के पश्चात् प्रजा ने देवापि को राज्य दिया किन्तु देवापि ने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया।

राज्येन छन्दयामासुः प्रजाः स्वर्गं गते गुरौ।[41]

महाराज ऋषिषेण के ज्येष्ठ पुत्र देवापि ने प्रजा से विनम्रतापूर्वक कहा–

न राज्यमहमर्हामि नृपतिर्वोऽस्तु शान्तनुः।[42]

अर्थात् मैं शासन करने के योग्य नहीं हूँ। एतदर्थ हमारे अनुज शान्तनु को ही आप लोग राजपद पर अभिषिक्त कर दें। अन्ततः ज्येष्ठ भाई की आज्ञा और प्रजा की अनुमति से शान्तनु ने राज्य–भार ग्रहण किया और प्रजा के हित में तत्परता से लग गये।

वेदों में सौमनस्य पूर्वक रहने की शिक्षा दी गयी है। हम सब परस्पर एक होकर रहें, परस्पर मिलकर प्रेम से वार्त्तालाप करें। समान मन होकर ज्ञान–विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करें। जैसे–शिष्टजन एकमत होकर ज्ञानार्जन करते हुए परमेश्वर की उपासना करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज के प्रत्येक सदस्य को परस्पर विरोध त्याग कर एकमत होकर व्यवहार करना चाहिए। यथा–

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जनानामुपासते।।[43]

परिवार के सभी सदस्यों की प्रार्थना समान हो। भेद–भाव का परित्याग कर परस्पर मिलकर रहें। अन्तःकरण, मन, चित्त एवं विचार समान हों–

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः
सह चित्रमेषाम्।
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो
हविषा जुहोमि।।[44]

वेदों के सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक संदेशों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में सम्मिलित करना चाहिये। इससे साम्प्रतिक न्याय व्यवस्था में सुधार होगा और दिशाहीन समाज वैदिक नीतियों से शिक्षा ग्रहण कर वैदिक पथ का अनुसरण कर लाभान्वित होगा।

साम्प्रतिक युग में आदर्श गुणों का विश्व समाज में शोचनीय ह्रास हो रहा है। सभी जगह उच्छृंखलता, अनाचार, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। परस्पर विद्वेष तथा कलह, चोरी–डकैती, मार–काट, मुकदमेबाजी, घूसखोरी एवं स्वार्थपरायणता सीमा को पार कर चुके हैं। विद्यार्थियों में गुरुजनों के प्रति अवज्ञा एवं उद्दण्डता स्वभावगत–सी हो गयी है। इस शोचनीय ह्रास की गति अवरुद्ध हो और हम मानव–जीवन के उद्देश्यों की उपलब्धि के लिये प्रयत्नशील हों तथा मनुष्य होकर मनुष्य कहलाने की योग्यता अर्जित करें। इसके लिए आवश्यकता है कि अनादिनिधना भगवती श्रुति के सूक्त मन्त्रों तथा वैदिक आख्यानों का पठन–पाठन और चिन्तन–मनन किया जाय। भारतीय अध्यात्म, धर्म एवं संस्कृति के आधारस्तम्भ पवित्र कीर्ति भगवान् वेद की कृपा से **वेदों का सार्वकालिकत्व एवं साम्प्रतिक न्यायव्यवस्था में अवदान** शीर्षक का अनुसन्धानकार्य विद्यानुरागी

पाठकों तथा शोधार्थियों को लाभान्वित करेगा ऐसा मेरा विश्वास है।

।।शमस्तु।।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कृष्णयजुर्वेद 8/8/48
2. मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् (आप. परि. 31)
3. विष्णुपुराण 3/4/11
4. वायुपुराण
5. श. ब्रा. 11/2/8/7
6. भारतीय न्याय संहिता, 2023, अध्याय–18, पृ. 126
7. महाभारत शान्तिपर्व 231/56
8. पतञ्जलिमहाभाष्य, प्रथम आह्निक
9. अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, निरूक्तम् 7/1/2
10. मनुस्मृति 12/97
11. सामणीयकृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता के भाष्यभूमिका का मङ्गलपद्य
12. ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः (निरुक्त)
13. ऋग्वेद 10/34/13
14. अथर्ववेद 6/2
15. भारतीय न्याय संहिता, अध्याय–2
16. सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च।
    सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति।।
    मनुस्मृति, 12/100
17. मुण्डक. 3/1/6
18. भारतीय न्याय संहिता, 2023, अध्याय–14 धारा 225, पृ. 105–106
19. तैत्तिरीय 01/11/1
20. ऋग्वेद 10/34
21. ऋग्वेद 10/34/2
22. ऋग्वेद 10/34/3
23. ऋग्वेद 10/34/10
24. भारतीय दण्ड संहिता, धारा 13
25. ऋग्वेद 10/34/13
26. श्रीमद्भगवद्गीता 10/22
27. शुक्लयजुर्वेद 34/1
28. मनुस्मृति 2/11
29. ऋग्वेद 10/117/6
30. ऋग्वेद 10/107/8
31. The Bharitya Nyay Sanhita 2023, (Chapter vi, 113, Terroist Act)
32. ऋग्वेद 7/30/7
33. ऋग्वेद 10/37/11
34. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, भाग–2, 2/8
35. मनुस्मृति 12/97
36. ऋग्वेद 7/103/7
37. अथर्ववेद 3/30/3
38. The Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, Chapter- X, 144 Page-55
39. अथर्ववेद 1/34/2
40. The Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, Chapter- X, 144 Page-55
41. बृहद्देवता 7/157
42. बृहद्देवता 8/1
43. ऋग्वेद 10/191/2
44. ऋग्वेद 10/19/3

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 2nd Jan. 2025 **Paper Accepted : 7th Jan. 2025**

नाथ सम्प्रदाय का तात्त्विक अध्ययन

डॉ. निर्मला गुप्ता*

शोध-सारांश

नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ स्वामी, ईश्वर, प्रभु इत्यादि होता है, लेकिन एक सम्प्रदाय के रूप में इसका अर्थ वह अनादिधर्म है जो तीनों लोकों की स्थिति का कारण है। नाथ सम्प्रदाय में जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष माना गया है। इसकी प्राप्ति के लिए गुरुओं ने एक जटिल साधना बतायी है–हठयोग, आसन, प्राणायाम, षट्कर्म, बन्ध, नाणी, मुद्रा, चक्र। इस साधना की प्राप्ति होने पर मनुष्य सिद्ध या योगी कहलाता है।

भारतीय धर्म साधना में नाथ सम्प्रदाय के पथ प्रदर्शक आदिनाथ भगवान शंकर माने गए हैं।[1] भारत के प्रत्येक भू–भाग में नाथों का बोलबाला रहा है। विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर इनके मंदिर अखाड़े, मठ तथा टीले इत्यादि देखने को मिलते हैं। नाथ सम्प्रदाय के लोग कानों में कुण्डल पहने, ऊन लपेटे, घुँघरू बजाते हुए, कहीं लय में बीन लिए हुए मिलते हैं।

शक्ति संगमतंत्र के अनुसार 'ना' का तात्पर्य जो मोक्ष ज्ञान में दक्ष है, ''थ'' का अर्थ है अज्ञान के सामर्थ्य को स्थापित करने वाला। नाथ वह तत्त्व है जो मोक्ष प्राप्त कराता है, नाथ का अनुमोदन करता है अज्ञान का स्थगन करता है।[2]

श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 5 के श्लोक 12 के अनुसार–

''सर्व कर्याणि मनसा संन्यस्थास्ते सुखं वशी।
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वनन कारयन्।''

अर्थात् आत्म संयमी पुरुष सम्पूर्ण कर्मों का सम्यक् रूपेण त्याग करके सुख पूर्वक रहता है।[3]

इस प्रकार नाथ पंथ विशेष रूप से योगियों द्वारा प्रवर्तित है, जिनका मुख्य उद्देश्य है सहजता प्राप्त करना। यह सहजता वीर्य, श्वास तथा विचारों के नियंत्रण द्वारा काया साधना की पूर्णता से प्राप्त होती है।

छठीं शताब्दी ई.पू. से बारहवीं शताब्दी का काल भारतीय संस्कृति में तंत्र साधनाओं का काल था। साधनाएँ इतनी प्रबल एवं व्यापक हो उठीं थीं कि सम्प्रदाय चाहे वे वैदिक हों या अवैदिक, वैष्णव हों या शैव, बौद्ध हों या जैन। वे हठयोगी साधनाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रश्रय देने लगे थे। इसी कारण इस काल को तांत्रिक काल से अभिहित किया गया।[4]

सिद्ध–सिद्धान्त पद्धति नामक धार्मिक ग्रन्थ नाथ सम्प्रदाय को प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया है। इस ग्रन्थ में इस सम्प्रदाय के अनुयायियों से सम्बद्ध आचार संहिता का वर्णन किया गया है।[5]

* असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास, जगत तारन गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, प्रयागराज
Email:nirmalagupta.bhu123@gmail.com Mob.: 7355681441

नाथ पंथ की साधना ''हठयोग'' साधना कहलाती है। डॉ. द्विवेदी का विचार है कि 'हठयोग' का मूल अर्थ यही जान पड़ता है कि कुछ इस प्रकार का अभ्यास किया जाता था कि जिससे हठात् सिद्धि मिल जाने की आशा की जाती थी।[6] साधक कायाशोधन करने के बाद साधना का अधिकारी हो जाता था।

भारतीय धर्म साधना कर्म से प्रभावित होकर लोक स्वभाव के अनुसार अग्रसर हुई। उसी के आधार पर नाथ पंथ की प्रवृत्तियों का ऐसा स्वरूप स्थिर हुआ जिसने मध्य युगीन भावधारा को दूर तक प्रभावित किया।[7] नाथ पंथ की साधना का लक्ष्य है मुक्ति।

नाथ सम्प्रदाय में जीव, पिण्ड अर्थात् शिव रूप का अंश है जो शक्ति से उत्पन्न होता है, यही शक्ति माया को आवृत्त करती है।

नाथ दर्शन में गुरु का स्थान महत्त्वपूर्ण माना गया है क्योंकि योग साधन में गुरू की आवश्यकता होती है। अलवर महाराजा जय सिंह की सहायता से प्रजा के हित में कुँआ खोदा गया, उससे सिद्ध हीरानाथ जी की कृपा से मधुर जल निकला।[8]

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि साधना में पारंगत होने पर व्यक्ति सिद्ध योगी कहलाता था और उसे सहज आनन्द की प्राप्ति होती थी। यही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. नाथ सम्प्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ.–1
2. नाथ और संत साहित्य, डॉ. नागेन्द्र नाथ उपाध्याय, पृ.–3
3. नाथ सम्प्रदाय इतिहास एवं दर्शन, तंवर योगी हुकम सिंह, पृ.–49
4. राजस्थान का नाथ साहित्य, जुनेजा आलेख वेद प्रकाश, पृ.–36 पर शांदिल्य भक्ति सूत्र 2 से उद्धृत।
5. नाथ सम्प्रदाय, डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ.–1
6. वही, पृ.–123
7. नाथ सम्प्रदाय और उसका प्रभाव, डॉ. सोलंकी कोमल सिंह, पृ.–125
8. गोरखबानी, पृ.–9

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 2nd Jan. 2025 **Paper Accepted : 7th Jan. 2025**

रेशम उद्योग में वाराणसी के बुनकरों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन

❑ डॉ. प्रियंका मिश्रा*

शोध-सारांश

रेशम उद्योग के लिए वाराणसी का नाम इतिहास में बहुत प्राचीन समय से जाना जाता है। वाराणसी नगरी में बनारस के रेशम उद्योग का उल्लेख 600 ईसवी पूर्व से मिलता है। यहाँ के रेशम उद्योग की चर्चा 12वीं से 14वीं शताब्दी में अधिक होने लगी। वाराणसी वस्त्र उद्योग पर वहाँ की संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ता है। 20वीं शताब्दी तक बनारसी साड़ियों का खूब नाम होता था। वाराणसी रेशम देश तथा विदेश में निर्मित दोनों रेशमों का आनंद ले रही है, इस परंपरा को बनाए रखने के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए, वाराणसी बुनकरों का नया मुकाम हासिल करने और उसे ऊँचाइयों तक पहुँचने में मदद करने के लिए तत्काल ध्यान देना जरूरी है।

प्रस्तावना

रेशम एक प्रकार का महीन, चमकीला और दृढ़ तंतु रेशा है। जिससे कपड़े बुने जाते हैं। बनारसी रेशम देश तथा विदेश में निर्मित दोनों रेशमों का आनंद ले रही है। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए, बनारसी बुनकरों को नया मुकाम हासिल करने और उसे ऊँचाइयों तक पहुँचाने में मदद करने के लिए तत्काल ध्यान देने की जरूरत है जिससे बनारसी साड़ी तथा रेशम जगत की खूबसूरती और सभ्यता को बचाया जा सके। बनारस अपनी सुंदर रेशमी साड़ियों एवं जरी के लिए प्रसिद्ध है। यह साड़ियों हल्के रंग, पत्ति, फूल, फल, पत्ती आदि द्वारा डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। बनारस की जरी की साड़ी में विशिष्ट बॉर्डर तथा अच्छी तरह का सजा पल्लू होता है। बनारस का कमख्वाब एक पौराणिक प्रधान वस्त्र है, इसमें सोने तथा चाँदी के धागों की सुनहरी बुनावट होती है। शुद्ध रेशम में सोने की कारीगरी को 'ब्रोकेट' कहते हैं जबकि रंग-बिरंगे रेशम में महीन जरी को ''आम रस'' कहते हैं।

वाराणसी में रेशम की बुनाई

रेशम बुनाई वाराणसी में एक विनिर्माण उद्योग है। वाराणसी को बहुत महीन रेशम और बनारसी साड़ियों के उत्पादन के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। वाराणसी जिले में बुनाई आमतौर पर घर के भीतर ही की जाती है। वाराणसी में सबसे अधिक बुनकर मोमिन अन्सारी मुस्लिम हैं। वाराणसी जिले में अंसारी नाम के मुसलमान ये काम करते हैं। जिसका अर्थ अरबी में ''सहायक'' होता है। पीढ़ियों से यह अपने शिल्प को पिता से पुत्र के हाथों से गुजरते हुए रेशम से बुनाई कमरे के आकार के पैर चलित

* असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला पी.जी. कॉलेज, बस्ती

करघे पर करते चले आ रहे हैं।

वाराणसी जिला रेशम की साड़ियों के लिए तथा साड़ियों पर जटिल कढ़ाई, जटिल डिजाइन और जरी अलंकरणों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सोने के तारों से साड़ियों पर कढाई की जाती थी। 2009 में बुनकर संघों और समितियों ने मिलकर बनारस ब्रोकेट और साड़ी के लिए भौगोलिक संकेत (जी.आई.) अधिकार हासिल किया। 2015 तक वाराणसी में लगभग 40,000 बुनकर है।

वाराणसी में लघु उद्योगों की असंगठित प्रकृति को देखते हुए बाल श्रम की उच्च दर है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार 5 या 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उद्योग में काम करना आम है क्योंकि 12 वर्ष की आयु के बच्चे को सिखाने की बजाय उन्हें कम उम्र में सिखाना अधिक कुशल माना जाता है।

रेशम की कीड़ों को पालकर कीड़ों को हर अवस्था से गुजारते हुए अन्तिम अवस्था में रेशम को प्राप्त किया जाता है। दूसरी अवस्था फैक्ट्री प्रक्रिया द्वारा होती है, जिसमें गुजरने के पश्चात् हमें रेशम प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में कोकून को खोलकर रेशम प्राप्त किया जाता है और लच्छियाँ बनाई जाती हैं। जिसमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। रेशम उत्पादन में जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है वो है कीड़ों को पालना; इस प्रक्रिया में रेशम के उत्पादन की यह पहली प्रक्रिया है। उसके पश्चात् फैक्ट्री प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। जिसमें कोकून की छँटाई, धागे को लपेटना आदि प्रक्रियायें की जाती हैं। उसके पश्चात् धागे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। धागा बनने के पश्चात् धागा वस्त्र बुनने के लिये तैयार होता है। वस्त्र बुनने की प्रक्रिया के पश्चात् हमें रेशम के वस्त्र प्राप्त होते हैं। उन सिल्क के वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा के पश्चात् वस्त्र सुन्दर व आकर्षक हो जाते हैं।

सिल्क के प्रकार

सिल्क दो प्रकार का होता है– (1) उत्पादित रेशम, (2) स्वनिर्मित रेशम।

(1) उत्पादित रेशम–यह वह रेशम होता है जिसमें कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और इससे प्राप्त धागा स्वच्छ, उज्ज्वल, चमकदार और श्वेत होता है। इस प्रकार के सिल्क का रेशा रचना में चिकना, चमकदार तथा अलौकिक वैभव से परिपूर्ण होता है। लम्बे रेशों से उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनते हैं।

(2) स्वनिर्मित रेशम–इसमें कीड़े ओक के पत्ते खाते हैं। जिसमें टेनन की अधिक मात्रा रहती है। अतः मुँह से निकलने वाला पदार्थ भी भूरा रहता है। जिससे सुखने पर धागा भी भूरा ही होता है। स्वनिर्मित धागे मोटे, कड़े, रुखड़े तथा टेढ़े-मेढ़े आकृति के होते हैं। इससे दो प्रकार के सिल्क प्राप्त होते हैं। (1) मूँगा सिल्क, (2) अरडी सिल्क। अरडी सिल्क की अपेक्षा मूँगा सिल्क अच्छा होता है।

सिल्क की विशेषताएँ

उच्च कीमत को छोड़कर रेशम सबसे अधिक प्रचलित वस्त्र है क्योंकि इसमें विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं। यह अन्य प्राकृति तन्तुओं की अपेक्षा नर्म, टिकाऊ, लोचमय और वनज में हल्के होते हैं, साथ ही गर्म भी होते हैं और नाजुक व प्रतिस्कंकी वस्त्र होते हैं। रासायनिक संगठन रेशम के तन्तुओं में CHON पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में होते हैं। रेशम में अमीनो और कार्बक्सिल समूह होता है। **अणुवीक्षणीय रचना**—कोकून द्वारा लपेटे गये रेशे को अणुवीक्षणीय सूत से यह छड़ के समान दोहरा धागा दिखाई देता है। तन्तु की सतह में धारियों या दरार वाली रचना होती है। यह धारियाँ गोंद या सेरिलिन की होती हैं। जो तन्तु को आपस में जकड़े होती हैं। **रंग**—कच्चे रेशम का कोकीन चमकदार पीला होता है। **संगठन**—यह भी प्रोटीन तन्तु है जो कि ऊन के प्रोटीन के समान होता है। इसका रासायनिक सूत्र CHNO है जिसमें कार्बन के 15 अणु, हाइड्रोजन के 23 अणु नाइट्रेजन के 5 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। कच्चे रेशम के तन्तु में 66 प्रतिशत फाइब्राइन, 22 प्रतिशत सेरीरिन, 11प्रतिशत पानी, 1 प्रतिशत तेल, रंग, पदार्थ एवं अशुद्धियाँ होती हैं।

मजबूती—रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक तन्तु होता है। रेशम की टीनोसिटी शुष्क स्थिति में 3.5 से 5.0 ग्राम डेनियर होती है। गीली अवस्था में थोड़ी कम हो जाती है। नायलोन से पहले केवल रेशम ही एक ऐसा प्राकृतिक मजबूत रेशा था जिसे पैराशूट बनाने हेतु उपयोग

में लाया जाता था। इसकी लम्बाई 1000 गज (0.9 किमी) या 3500 से 4500 फीट तक होती है। रेशम तन्तु दो प्रकार का होता है। लघु आकारीय व दीर्घ आकारीय।

रेशम की उत्पत्ति

रेशम कोकून और जाले लिए निर्माण सामग्री के रूप में जाना जाता है। रेशम पशु फाइवर है। जिसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। यह उद्योग निःसंदेह चीन में शुरू हुआ था। 1982 में खुदाई के दौरान जियांग्लिंग (हुर्वई प्रांत) के पास मशान में तीसरी शताब्दी के कब्रों से ब्रोकेट, धुंध और कढ़ाई के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए। मुख्य रेशम उत्पादन में गीट वंश की उपलब्धि मानी जाती है। केसो एक अत्यंत महीन रेशम है जो एक छोटी सुई के साथ एक शटल पर बुनी जाती है। रेशम बुनने की तकनीक का श्रेय मध्य एशिया में सोग्डियंस को जाता है।

पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 140BC में रेशम की खेती के साथ-साथ रेशम चीन से भारत तक फैला था। दूसरी शताब्दी तक भारत अपने कच्चे रेशम को बाहर तक पहुँचा रहा था। कुछ सदियों बाद जापान ने भी संपन्न रेशम का विकास किया। यूरोप में कई शताब्दियों तक रेशम संस्कृति का विकास हुआ। जापान नई तकनीकी की खोज कर रेशम उत्पाद का दुनिया को कच्चे रेशम की आपूर्ति करने लगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जब दूसरे देश हौजरी के वस्त्र बनाने में लगे और रेशम को बहुत कम कर दिया। रेशम एक महत्त्वपूर्ण और महँगी लक्जरी सामग्री है और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैण्ड का एक महत्त्वपूर्ण उत्पादन बना हुआ है।

उद्योग

क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुँचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। यहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ-लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ-लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है। जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएँ छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बाँधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुँचती है।

द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं।

उद्योग का सम्बन्ध आर्थिक गतिविधि से है। जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

सैय्यद यासमीन (2013)—''भारतीय सेरीकल्चर उद्योग इसका महत्त्व, समस्या और संभावनाएँ के लेखक हैं सैयद यासमीन रेशम एक अत्यधिक कीमत वाली कृषि वस्तु कपड़ा फाइबर के कुल दृश्य उत्पादन का लगभग 0.2प्रतिशत है। इस शोध में यह बताया गया है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम तसर, मूँगा और सपोर्ट की सभी किस्मों का उत्पादन करता है। हालाँकि भारतीय रेशम उद्योग दुनिया में प्रमुख स्थान रखता है लेकिन इसका उत्पादन कुल विश्व उत्पादन का केवल 15 प्रतिशत है और 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन चीन द्वारा किया जाता है। जापानी तकनीकी और सहयोग के साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों के कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ रहा हे। इस दौर में रेशम के विपणन और प्रसंस्करण में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। इस दिशा में भारत अपना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेशम की बिक्री की उम्मीद कर रहा है। साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में विकासशील रणनीति के मद्देनजर इस पर चर्चा की आवश्यकता है।

जी सावित्री एवं अन्य (2013)—''आर्थिक

अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर उद्योग'' जी सावित्री, पी सुदामा और पी मिर्जा रेशम जीवन का एक तरीका है और भारत में रेशम के बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अविभाज्य हिस्सा है। यह भारत में एक प्राचीन उद्योग है। भारत में 6.38 प्रतिशत 588 गाँव में लगभग 7.52% गाँव में लोगों को रोजगार देने के लिए सेरी कल्चर का प्रयास किया जाता है। यह रोजगार 945631 परिवारों के लिए आजीविका प्रदान करता है। इस पत्र में ग्रामीण विकास के लिए भारतीय सेरीकल्चर उद्योगों के सतत् विकास के लिए महत्त्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है।

संतोष कुमार (2017)—''एंप्लाइज जनरेशन और इंग्लिश में स्नातक की पढ़ाई, रानियां ब्लॉक चौहटन भारत में करता है।'' दीवानगंज सेरीकल्चर एक पर्यावरण के अनुकूलन कृषि आधारित श्रमदान और व्यावसायिक रुप से आकर्षक आर्थिक गतिविधि है, जो कुटीर और छोटे स्तर के क्षेत्रों के अंतर्गत आती है।

रुबिया बुखारी एवं अन्य (2019)—''महिला और भारतीय सेरीकल्बर उद्योग किसी भी एक राष्ट्र के विकास के लिए महिलाएँ एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में महिलाओं में कुल आबादी का 48.88प्रतिशत शामिल है। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों की अधिकांश भारतीय महिलाएँ गाँव में निवास करती हैं। हमारे देश की ग्रामीण इलाके की अधिकांश भारतीय महिलाएँ सेरीकल्चर के कुटीर उद्योगों में कार्य कर रही हैं। इस उद्योग से भारतीय महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। यह एक कृषि उद्योग होने के कारण बेरोजगार ग्रामीण महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करता है। यह उद्योग जहाँ अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है, वहीं गरीबी उन्मूलन में भी सहायता प्रदान करता है। यह उद्योग जहाँ अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है वहीं गरीबी उन्मूलन में भी सहायता प्रदान करता है एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है।

सरीनिवास एवं छिरियाना (2014)—''शहतूत की पत्ती और कोकून के उत्पादन से उपज अंतराल पर अध्ययन'', किसान स्तर पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में किया गया है। इस अध्ययन में शहतूत की पत्तियों के उत्पादन, खेतों का आकार, समूह तथा कोकून की स्थिति का अध्ययन किया गया है। सेरीकल्चर में उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेरीकल्चर के नए तरीकों को अपनाने के महत्त्व पर शिक्षित करने का प्रयास किया गया है।

असलम एम.एवं अन्य (2019)—''ड्रोन घाटी के क्षेत्र बादल में गंभीर जलवायु विकास के कार्यक्रम का एक अध्ययन'' भारत में सेरीकल्चर प्राचीन मूल का है। जो इस नये युग की शुरुआत से पहले ट्रेडिंग था। वर्तमान में उत्तराखंड सहित देश के कई हिस्सों में सेरीकल्चर अच्छी तरह से कृषि आधारित कुटीर उद्योग स्थापित है। साथ ही अभी भी 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 40 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। आज भी देश में किसान शहतूत की खेती करने में संकोच करते हैं। चावल, गन्ना, दाल आदि में स्पर्धा करते हैं किंतु अगर किसान चाहे तो कम पूँजी में सेरीकल्चर को कृषि आधारित व्यवसाय को अपनाकर कम लागत में अधिक कमाई कर सकता है। इस क्षेत्र में परिवार का हर व्यक्ति अपना सहयोग देकर आय का उत्तर साधन बना सकता है। यह पत्र उत्तरांचल के दून घाटी में समग्रता पर चर्चा करता है।

डॉ. आर. अनिष (2011)—''ग्लोबल स्केलेरोसिस में भारतीय उद्योग'' भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम मूँगा और शहतूत की सभी किस्मों का उत्पादन करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

(1) रेशम उत्पादन की स्थिति का अध्ययन करना।

(2) रेशम विपणन की वस्तु स्थिति का अध्ययन।

(3) रेशम कीट की रेशम उद्योग संबंधित अपेक्षित गुणवत्ता का अध्ययन करना।

(4) रेशम उत्पादित को उत्पादन स्थान तक पहुँचाने की व्यवस्था की विशेषता का अध्ययन करना।

(5) वाराणसी में उत्पादित रेशम की गुणवत्ता के कारणों का अध्ययन।

(6) रेशम उत्पादन की अनुभूत परिस्थितियों का अध्ययन।

सारांश

शोध पत्र को वाराणसी जनपद से इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पर रेशम उद्योग से संबंधित कीटों को पालना, रेशम उत्पादन करना तथा रेशमी वस्त्रों का निर्माण करना यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य है जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। औद्योगीकरण होने के कारण व नई तकनीकी मशीन युग के प्रयोग से हथकरघा उद्योग प्रभावित हुआ है। इसी संदर्भ में रेशम उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन के लिए यह शोध किया जा रहा है। शोधकार्य के लिए वाराणसी जनपद के 360 पुरुष एवम् 380 महिलाओं पर प्रश्नावली को भरवाया गया। जिसमें से सही एवम् पूर्ण रूप से कथनों का उत्तर देने वाले 160 पुरुष एवम् 160 महिलाओं के उत्तरो को अर्थात् कुल 320 महिला एवं पुरुषों के उत्तरों को प्रदत्त शोधपत्रों में सम्मिलित किया गया है।

किसी भी अनुसंधानकार्य में तथ्यों को एकत्रित करने के लिए उपयुक्त प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसके बिना किसी भी समस्या के संतोष जनक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके अभाव में सम्पूर्ण अनुसंधान कार्य निरर्थक हो जाता है। इसलिए अनुसंधान कार्य में प्रतिदर्श की परम आवश्यकता होती है।

जब हम समग्र में Total Population (जिनके संबंध में हम अध्ययन करना चाहते हैं) का कुछ प्रतिनिधित्व तत्त्वों के द्वारा लेकर उपयुक्त विधियों के माध्यम से कर लेते हैं। तब तत्त्वों के समूह को प्रतिदर्श कहते हैं। और इसकी संपूर्ण इकाई को समग्र (Population) कहते हैं। किसी भी स्थिति में सम्पूर्ण Population का मापन प्रायः संभव नहीं होता है। इसलिए उसमें से ऐसे एक समूह का चयन किया जाता है, जो उसका प्रतिनिधित्व कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रुबिया बुखारी एवं हिमप्रीत कौर (2019), भारतीय रेशम उद्योग की पृष्ठभूमि, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की चुनौतियाँ, वॉ., 8 नं. 5
2. सावित्री, पी सुजाथम्मा एवं पी. नीरजा (2013), सतत् ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रेशम उद्योग। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनोमिक्स, कॉमर्स एंड रिसर्च, वॉ. 3, इश्यू 2, पृ. 73-78
3. आर.एफ. ओगुनले एवं ओ. जोनसन (2012), रेशम कीट के तीन उपभेदों में उत्पादन गुण का प्रदर्शन, निर्धारण और तुलना, वॉ0 35, इश्यू 5, पृ. 76-80
4. आसिफ इश्तियाक, फौजिया हैदर, मी. हलालउद्दीन एवं उम्माई हबीबा (2013), बांग्लादेशी रेशम उद्योग की दुर्दशा का अनुभवजन्य जाँच, मलेशियन जर्नल ऑफ सोसाइटी एंड स्पेश, इश्यू 2, पृ. 9-16
5. ए.एच. जिंगड़े, के. विजयन, पी. सोम सुंदरम एवं सी.के. कांबले (2010), हेटेरोजायोसिटी के निहितार्थ की समीक्षा, जर्मप्लाज्म जैव-विविधता एवं रेशम कीट के संरक्षण पर अंतर्ग्रहण, जर्नल ऑफ इंसेक्ट साइंस, वॉ. 11, आर्टिकल 8

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal **ISSN (Print) : 3048-6327**
Paper Recieved : 2nd Jan. 2025 **Paper Accepted : 7th Jan. 2025**

विद्यालय में पालक शिक्षक संघ की भूमिका

▫ डॉ. प्रतीक्षा पाण्डेय*

शोध-सारांश

आजादी के बाद से ही भारत पूर्ण साक्षरता के लिये प्रयासरत् रहा है तथा शिक्षा को अनिवार्य रूप से निःशुल्क बनाने के लिए इसे संवैधानिक प्रावधानों में स्थान दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों की धारा 45 में राज्य को निर्देशित किया गया कि 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने का दायित्व राज्य का होगा। स्वतंत्रता के छः दशक बाद भी जब प्राथमिक शिक्षा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकी तब 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करते हुये संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 (ए) जोड़ा गया है।

शिक्षा मानव–जीवन की आधारशिला है। शिक्षा के पथ पर ही चलकर व्यक्ति सत्य की मंजिल पर पहुँचता है। शिक्षा का महत्त्व निर्विवाद है। शिक्षा के महत्त्व को हितोपदेश में इस प्रकार से रेखांकित किया गया है–

माता शत्रुः पिता बैरी, येन बालो न पठितः।
सभामध्ये न शोभन्ते, हंसमध्ये बको यथा।।

अर्थात् वह माता शत्रु है और पिता बैरी है जो अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखता है, क्योंकि वह बालक विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाता, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभा प्राप्त नहीं करता। जन्म के समय बालक बगुले के समान ही होता है, लेकिन माता–पिता और शिक्षक मिलकर उसे शिक्षा के द्वारा हंस बनाते हैं। शिक्षा ग्रहण करने हेतु विद्यालय भेजना अपना धर्म समझते हैं। शिक्षा का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक–दमक दिखाते हैं, जबकि शिक्षा अंतःकरण को उज्ज्वल व निर्मल बनाती है।

भारतीय ऋषि अशिक्षा को मृत्यु तुल्य मानते हैं। शिक्षा वैदिक काल से ही प्रकाश की भाँति है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए विद्वानों ने शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है। व्यक्ति की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती है। उसे वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्त्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है, जो समाज, देश और विश्व के

* बी.एड. विभाग, अ.प्र.सिं.वि.वि., रीवा (म.प्र.)

लिए हितकर होता है। शिक्षा केवल वही नहीं जो बालक को स्कूल में मिलती है, बल्कि शिक्षा का कार्यक्रम जीवनभर चलता रहता है। मनुष्य अपने विभिन्न अनुभव से अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है, वह हर किसी परिस्थिति और हर किसी मनुष्य से कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा से व्यक्ति में आत्मनिर्भरता, आत्मिक ऊर्जा और अपने अस्तित्त्व का एहसास हो। शिक्षा के इसी महत्त्व को स्वीकार कर पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। यू.एन.डी.पी. की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 3 करोड़ 50 लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं, जिसमें से दो तिहाई लड़कियाँ हैं।

आजादी के बाद से ही भारत पूर्ण साक्षरता के लिए प्रयासरत् रहा है तथा शिक्षा को अनिवार्य रूप से सुलभ और निःशुल्क बनाने के लिए इसे संवैधारिन प्रावधानों में स्थान दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों की धारा 45 में राज्य को निर्देशित किया गया है– 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने का दायित्व राज्य का होगा। स्वतंत्रता के छः दशक बाद भी जब प्राथमिक शिक्षा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकी तब 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा 6–14 वर्ग आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करते हुये संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 (ए) जोड़ा गया है।

बच्चों के समग्र शैक्षक विकास के गुणात्मक सुधार हेतु मध्यप्रदेश राज्य में भी मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 एवं 2003 प्रकाशित किया गया है। जिसके अनुच्छेद 12 में यह प्रावधान है, कि प्रत्येक ऐसे विद्यालय में जो प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करा रहे हों, ''पालक–शिक्षक संघ'' का गठन किया जायेगा। जो विद्यालय प्रबंध के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। वर्तमान में इसे ''विद्यालय प्रबंधन समिति'' के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कर्त्तव्य विद्यालयों के समग्र शैक्षिक विकास हेतु समस्त प्रयास करना है। विगत 11 वर्षों से संचालित सर्वशिक्षा अभियान एवं अनेक प्रोत्साहन योजनाओं के बावजूद भी वर्तमान में कई बच्चे शाला से बाहर हैं।

स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा की दिशा और दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाओं/आयोगों/समितियों/कार्यक्रमों/अभियान द्वारा भरसक प्रयास किये गये हैं। इन सभी प्रयासों में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है, जिसको मूर्त रूप देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गयी। विद्यालय शुल्क को सांकेतिक बनाकर (एक रुपये प्रतिमाह) लगभग निःशुल्क बना दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि आर्थिक समस्याओं के कारण माता–पिता अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित न कर दें। शिक्षा को हर किसी तक गाँव–गाँव और बच्चे–बच्चे तक सहज और सुलभ कराने कि लिए समय–समय पर अनेक कार्यक्रम जैसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (1988), न्यूनतम अधिगम स्तर (1989) और पारम्परिक शिक्षा (1979) सहित अनेक योजनाएँ चलाई गईं।

आजादी के बाद सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर शिक्षण संस्थाओं, शिक्षकों की संख्या तथा विद्यालयों में नामांकन में प्रभावी रूप से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जनसंख्या में इससे अधिक तेजी से वृद्धि होने कारण यह अप्रभावी रही है।

पालक शिक्षक संघ का गठन

बच्चों के समक्ष शैक्षिक विकास के गुणात्मक सुधार हेतु मध्यप्रदेश राज्य में भी मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002 एवं 2003 प्रकाशित किया गया है। जिसके अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पालक शिक्षक संघ का गठन किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक ऐसे स्कूल में, जो प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करा रहे हों ''पालक शिक्षक संघ'' गठित किया जावेगा। पालक–शिक्षक संघ स्कूल के प्रबंध के

लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। स्कूल में नामांकित प्रत्येक बालक के माता तथा पिता या संरक्षक तथा स्कूल में पदस्थ समस्त शिक्षक, ''पालक–शिक्षक संघ'' के सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। स्कूल का प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधान अध्यापक, पालक–शिक्षक संघ का पद में सचिव होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संघ के सदस्यों में से निर्वाचित किये जाते हैं। प्रधान अध्यापक, शैक्षणिक सत्र के प्रथम मास में पालक शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन करता है।

पालक शिक्षक संघ के कर्त्तव्य

''पालक शिक्षक संघ द्वारा अधिनियम की धारा 12 में उपबंधित कर्त्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्त्तव्यों का भी पालन होगा–

(1) समस्त बालकों के सीखने के स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समस्त प्रयास करेगा।

(2) साक्षरता कार्यक्रम की शैक्षणिक गति–विधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जनशिक्षा योजना तैयार करना।

(3) ग्राम शिक्षा रजिस्टर/वार्ड शिक्षा रजिस्टर को प्रतिवर्ष अद्यतन करना और कमियों एवं रिक्तता को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रणनीति को कार्यान्वित करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गर्ग, मृदुला (2002), कक्षा में बच्चों की सहभागिता कैसे बढ़ाएँ, प्राइमरी शिक्षक, नई दिल्ली
2. डॉ. रामशकल पाण्डेय, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक
3. त्यागी, गुरूसदन दास (2002), भारत में शिक्षा का विकास, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

SHODH-GARIMA YEAR 2024 Vol. 1 PRAYAGRAJ

Paper Recieved : 15th Feb. 2025 **Paper Accepted : 20th Feb. 2025**

Core Essence of Indian Literature: An Overview

Bhupendra Kumar Patel*

ABSTRACT

Leucorrhoea is a abhorent condition experienced by many women. Today this isIndian literature, one of the world's oldest and richest literary traditions, embodies the cultural, philosophical, and linguistic diversity of the subcontinent. Rooted in ancient oral traditions, it has evolved through classical, medieval, and modern eras, influencing and being influenced by global literary movements. The core essence of Indian literature lies in its ability to blend mythology, history, spirituality, and human emotions, reflecting the socio-political changes of its time. Ancient Indian texts such as the Vedas, Upanishads, Ramayana, and Mahabharata serve as foundational pillars, offering profound philosophical and ethical insights. Classical Sanskrit literature, including Kalidasa's poetry and Bhartrihari's aphorisms, highlights aesthetic beauty and intellectual depth. The Bhakti and Sufi movements enriched vernacular literature, fostering devotion and inclusivity through poets like Kabir, Mirabai, and Tulsidas. Medieval Persian and Mughal influences contributed to the literary mosaic, seen in works like Abul Fazl's Ain-i-Akbari and Ghalib's ghazals. The colonial era witnessed a transformation in Indian literature, with writers like Rabindranath Tagore, Premchand, and Sarat Chandra Chattopadhyay addressing social issues and nationalism. Post-independence literature, represented by Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, and Arundhati Roy, explores identity, caste, gender, and modernity. Contemporary Indian literature continues to evolve, embracing digital platforms, diasporic narratives, and experimental storytelling while staying rooted in its timeless themes of morality, duty, and self-discovery. This paper explores the dynamic journey of Indian literature, highlighting its adaptability and enduring relevance in shaping cultural consciousness. The synthesis of traditional wisdom and contemporary realities cements Indian literature's place in global literary discourse, making it a vital medium for cultural introspection and dialogue.

***Keywords**–Indian literature, oral tradition, mythology, Bhakti poetry, colonial impact, modern narratives, cultural consciousness, Sanskrit texts, vernacular literature, global influence.)*

* Head, Department of English, Naveen Government College, Nawagarh, District: Janjgir Champa, Chhattisgarh- 495557

I. Introduction

Background and Significance of Indian Literature

Indian literature, one of the world's most ancient and diverse literary traditions, spans across millennia and encompasses various linguistic, cultural, and philosophical influences. Rooted in oral traditions, it has evolved through classical Sanskrit compositions, medieval Bhakti and Sufi poetry, colonial-era social realism, and contemporary global narratives. The essence of Indian literature lies in its ability to reflect the socio-political, spiritual, and cultural transformations of the Indian subcontinent (Thapar, 2004).

India's literary heritage is vast, encompassing sacred texts, epics, poetry, prose, and modern fiction across multiple languages, including Sanskrit, Tamil, Persian, Hindi, Bengali, Urdu, and English. Ancient Indian literature, such as the *Vedas* and *Upanishads*, laid the foundation for philosophical discourse, while later works like *Ramayana* and *Mahabharata* influenced ethics, governance, and storytelling (Pollock, 2006). The Bhakti movement of the medieval period further shaped vernacular literature by making spirituality accessible to the masses through poetry (Hawley, 2015).

Definition and Scope of Indian Literary Traditions

Indian literature is not limited to a single genre or language but is a fusion of diverse voices and narratives that reflect the country's pluralistic identity. It encompasses classical Sanskrit works such as *Kalidasa's* plays, Tamil Sangam poetry, Persian and Urdu ghazals, and modern Indian English literature. It also includes folk traditions, oral storytelling, and contemporary digital literature (Mukherjee, 2010).

Unlike Western literary traditions that often emphasize linear storytelling and individualism, Indian literature frequently incorporates cyclical narratives, collective consciousness, and metaphysical themes. Concepts like *Dharma* (duty), *Karma* (action and consequence), and *Moksha* (liberation) remain central to many Indian literary works (Dasgupta, 2011).

Objectives of the Research Paper

This paper aims to :

1. Analyze the historical evolution of Indian literature from oral traditions to contemporary works.
2. Examine the philosophical and cultural themes that define Indian literary heritage.
3. Explore the impact of colonialism, globalization, and technological advancements on Indian literature.

Methodology and Sources

The research utilizes a multidisciplinary approach, drawing from historical texts, literary analysis, and cultural studies. Primary sources include classical literary works such as *Mahabharata* and *Tulsidas' Ramcharitmanas*, while secondary sources include scholarly works by Sheldon Pollock, A.K. Ramanujan, and Romila Thapar.

Indian literature remains a dynamic and evolving force that continues to shape national and global discourses. Understanding its essence provides insight into India's rich cultural heritage and intellectual traditions.

II. Ancient Foundations of Indian Literature

A. Oral Traditions and Sacred Texts

Indian literature has its origins in oral traditions that date back to the Vedic period (c. 1500 BCE). The *Vedas*, considered the oldest scriptures of Hindu philosophy, were composed in Sanskrit and transmitted orally for centuries before being written down (Witzel, 2003). The four *Vedas—Rigveda, Yajurveda, Samaveda,* and *Atharvaveda*—contain hymns, rituals, and philosophical discussions that influenced later Indian literary and religious thought (Olivelle, 1998).

The *Upanishads*, composed between 800 and 200 BCE, expanded upon Vedic philosophy, introducing metaphysical ideas about *Atman* (soul) and *Brahman* (universal reality). These texts emphasize introspection and self-inquiry, making them foundational to Indian philosophical literature (Radhakrishnan, 1953).

The two great Sanskrit epics, the *Ramayana* (by Valmiki) and the *Mahabharata* (attributed to Vyasa), were initially transmitted orally before being written down between 400 BCE and 400 CE. These epics blend mythology, history, ethics, and political philosophy, shaping Indian cultural and moral values (Hiltebeitel, 2001).

B. Classical Sanskrit Literature

Indian classical literature flourished during the Gupta period (4th–6th century CE), marked by the works of *Kalidasa*, one of India's greatest poets and playwrights. His plays, such as *Shakuntala* and *Meghaduta*, highlight themes of love, nature, and destiny, emphasizing aesthetic beauty through *rasa* (emotional essence) theory (Devy, 1992).

Another key figure, *Bhartrihari*, is known for his philosophical aphorisms, particularly in *Vairagya Shataka* (on renunciation) and *Neeti Shataka* (on ethics). His writings reflect the intersection of literature, philosophy, and morality in ancient India (Ingalls, 1965).

The linguistic advancements in Sanskrit, credited to *Panini* (4th century BCE), led to the formalization of grammatical structures in *Ashtadhyayi*, influencing not just Sanskrit but also linguistic studies worldwide (Cardona, 1997).

C. Tamil Sangam Literature

Parallel to Sanskrit literature, Tamil literature thrived during the Sangam period (300 BCE–300 CE). The *Thirukkural* by Thiruvalluvar is a significant ethical and philosophical treatise that offers wisdom on morality, politics, and love (Zvelebil, 1973). Other Sangam works, such as *Purananuru* and *Akananuru*, provide insights into Tamil culture, war, and social life.

The ancient foundations of Indian literature were deeply rooted in oral traditions, classical Sanskrit works, and regional linguistic diversity. These early texts shaped Indian philosophy, aesthetics, and cultural identity, laying the groundwork for later literary developments.

III. Medieval and Bhakti-Sufi Literary Movements

A. Vernacular and Devotional Literature

The medieval period (12th–17th century) saw a transformation in Indian literature, marked by the rise of vernacular languages and the Bhakti-Sufi movements. These movements sought to make spirituality accessible to the common people by using local languages instead of Sanskrit or Persian (Hawley & Juergensmeyer, 2004).

The Bhakti movement, which originated in South India with saints like *Alvars* and *Nayanars*, later spread across the country. Poets like *Kabir*, *Mirabai*, *Tulsidas*, and *Surdas* composed devotional poetry that emphasized personal devotion (*bhakti*) over ritualistic practices. Kabir's *Dohas* (couplets) challenged religious orthodoxy and promoted a universal spiritual message (Vaudeville, 1993). Tulsidas' *Ramcharitmanas* (16th century), a retelling of the *Ramayana* in Awadhi, became a cornerstone of North Indian Hindu devotion (Lutgendorf, 1991).

Similarly, the Sufi movement, inspired by Islamic mysticism, emphasized love for God and humanity. Poets like *Amir Khusro* (1253–1325) and *Bulleh Shah* (1680–1757) wrote in Persian, Hindi, and Punjabi, blending Islamic and Indian spiritual traditions. Their poetry used metaphors of love and longing to convey divine union, deeply influencing Indian music and literature (Schimmel, 1975).

B. Persian and Mughal Influence on Indian Literature

The Delhi Sultanate and Mughal rule (13th–18th century) introduced Persian as the language of administration and literature. Persian chronicles such as *Ain-i-Akbari* by *Abul Fazl* documented the socio-political landscape of Mughal India (Habib, 1999). The Mughal court also patronized poets like *Faizi* and *Ghalib*, whose works reflected themes of love, existentialism, and divine longing (Russell, 1995).

The emergence of Urdu as a literary language in the 17th century was a significant development. Urdu poetry, particularly the

ghazal form, became a medium of refined expression, with poets like *Mir Taqi Mir* and *Mirza Ghalib* crafting verses on love, loss, and philosophy (Pritchett, 2003).

The Bhakti and Sufi movements democratized Indian literature by bringing spirituality to the masses through local languages. Persian and Urdu literature, enriched by Mughal patronage, contributed to India's multicultural literary fabric. Together, these traditions shaped a literary landscape that was diverse, inclusive, and deeply rooted in both devotion and philosophical inquiry.

IV. Colonial Era and Literary Transformation

A. Impact of British Colonialism on Indian Literature

The advent of British colonial rule in India (1757–1947) brought significant transformations in Indian literature. The introduction of English education and the printing press played a pivotal role in shaping modern Indian literary expression (Mishra, 2000). Western literary forms such as the novel, short story, and essay became prominent, and Indian writers began to use literature as a means of social critique and resistance against colonial rule (Mukherjee, 2010).

The 19th century witnessed a linguistic shift as English, along with regional languages, became a medium for literary creation. Missionary-run printing presses facilitated the publication of Indian literature in multiple languages, making literature more accessible to the masses (Chatterjee, 1993). The *Bengal Renaissance*, led by figures like *Raja Ram Mohan Roy* and *Bankim Chandra Chattopadhyay*, fostered new intellectual and literary movements.

B. Notable Writers and Their Contributions

1. Rabindranath Tagore (1861–1941)

Rabindranath Tagore, India's first Nobel laureate in literature (1913), was a central figure in this literary transformation. His works, such as *Gitanjali* (1910) and *Gora* (1910), reflected deep philosophical insights, nationalism, and humanism (Dutta & Robinson, 1997). Tagore's literature blended Indian tradition with modernist themes, emphasizing spiritual and cultural synthesis.

2. Munshi Premchand (1880–1936)

Munshi Premchand is regarded as the pioneer of Hindi-Urdu social realism. His novels, including *Godaan* (1936) and *Nirmala* (1928), critiqued social evils like caste discrimination, feudal oppression, and gender inequality (Orsini, 2004). His short stories (*Kafan*, *Eidgah*) remain relevant for their portrayal of human suffering and resilience.

3. Sarat Chandra Chattopadhyay (1876–1938)

Sarat Chandra's novels, such as *Devdas* (1917) and *Parineeta* (1914), depicted the struggles of women and the rigid social structures of Indian society (Sen, 2005). His emotionally rich narratives made him one of the most widely read Bengali authors.

The colonial era marked a literary renaissance in India, introducing new genres and broadening the scope of literary themes. Writers used literature as a tool for nationalism, social reform, and personal expression, bridging traditional storytelling with modern sensibilities. This period laid the foundation for contemporary Indian literature, blending indigenous storytelling with global literary currents.

V. Post-Independence and Contemporary Indian Literature

A. Modern Indian Writers and Themes

After India gained independence in 1947, its literary landscape underwent significant transformation. Post-independence literature reflected themes of nation-building, partition trauma, caste and gender struggles, and the changing socio-political landscape. Writers experimented with narrative styles, regional voices gained prominence, and English-language Indian literature flourished (Mehrotra, 2003).

1. Mulk Raj Anand (1905–2004)

Mulk Raj Anand pioneered social realism in Indian English literature. His novel *Untouchable* (1935) exposed caste oppression, while *Coolie* (1936) depicted the struggles of

laborers in colonial India. Anand's literary activism sought to amplify the voices of the marginalized (Cowasjee, 1977).

2. R.K. Narayan (1906–2001)

R.K. Narayan's works, including *Swami and Friends* (1935) and *The Guide* (1958), focused on small-town Indian life. His fictional town of Malgudi provided a nostalgic yet realistic portrayal of India's social dynamics, making his literature timeless (Mukherjee, 2010).

3. Arundhati Roy (b. 1961) and the Globalization of Indian Literature

Arundhati Roy's *The God of Small Things* (1997) brought global recognition to contemporary Indian literature, winning the Booker Prize. Her narrative style, blending personal history with socio-political critique, set a precedent for later writers (Tickell, 2007).

B. Diaspora and Digital Age Literature

Indian literature has transcended national boundaries, with writers like *Salman Rushdie, Jhumpa Lahiri,* and *Amitav Ghosh* exploring themes of migration, identity, and globalization. Rushdie's *Midnight's Children* (1981) introduced magical realism, while Lahiri's *Interpreter of Maladies* (1999) delved into Indian-American experiences (Ghosh, 2013).

In the 21st century, digital platforms, self-publishing, and web-based literature have reshaped storytelling. Blogs, podcasts, and social media have given rise to new literary forms, enabling wider access to literature and diversifying narrative voices (Nayar, 2017).

Post-independence Indian literature reflects the complexities of modernity, identity, and cultural hybridity. It has evolved from nationalist themes to global storytelling, embracing new literary forms and technologies. This era has solidified India's place in the world literary stage, proving its adaptability and creative resilience.

VI. Core Themes and Philosophical Underpinnings

A. Spirituality and Ethical Dilemmas

One of the defining characteristics of Indian literature is its deep engagement with spirituality and ethical dilemmas. Ancient texts like the *Upanishads* and the *Bhagavad Gita* explore metaphysical questions about the self, duty (*dharma*), and liberation (*moksha*) (Radhakrishnan, 1953). These themes persist in later literary works, including *Mahabharata*, where the character of Arjuna struggles with moral ambiguity before battle.

Medieval Bhakti and Sufi poetry also reinforced spiritual introspection and ethical dilemmas, often emphasizing inner devotion over religious orthodoxy. *Kabir's* couplets and *Mirabai's* devotional songs challenge rigid structures, advocating personal spiritual experience as the true path to enlightenment (Hawley, 2015).

B. Social and Political Reflections

Indian literature has always been a mirror of society, reflecting the prevailing political and social structures. Premchand's novels, such as *Godaan* (1936), highlight the struggles of Indian peasants under feudal oppression. Similarly, post-independence literature, such as Arundhati Roy's *The God of Small Things* (1997), critiques caste discrimination and patriarchal oppression (Tickell, 2007).

The rise of Dalit literature, spearheaded by authors like *B.R. Ambedkar*, *Namdeo Dhasal*, and *Omprakash Valmiki*, has brought narratives of caste injustice to the forefront. Valmiki's autobiography *Joothan* (1997) is a seminal work exposing the harsh realities of untouchability in India (Dangle, 1992).

Political upheavals, such as the Partition of India in 1947, also found their expression in literature. Works like *Train to Pakistan* (1956) by *Khushwant Singh* and *Tamas* (1974) by *Bhisham Sahni* provide harrowing accounts of communal violence and forced displacement (Butalia, 1998).

C. Adaptability and Evolution of Indian Literary Traditions

The adaptability of Indian literature is evident in its ability to evolve with time. From Sanskrit and vernacular traditions to English-language literature, Indian storytelling has continuously expanded its themes and forms. The

21st century has seen an explosion of digital literature, graphic novels, and experimental fiction, demonstrating the resilience and innovation of Indian literary traditions (Nayar, 2017).

The core themes of Indian literature—spirituality, ethical dilemmas, social justice, and adaptability—underscore its richness and depth. These themes not only define India's literary heritage but also ensure its continued relevance in a rapidly changing world.

VII. Conclusion

A. Summary of Key Findings

Indian literature, with its vast historical depth and cultural diversity, remains a dynamic and evolving force. From its origins in oral traditions and sacred texts like the *Vedas* and *Upanishads* to the rich classical literature of *Kalidasa* and *Bhartrihari*, Indian storytelling has long been a means of preserving wisdom, spirituality, and ethical discourse (Olivelle, 1998). The medieval period saw the rise of Bhakti and Sufi movements, democratizing literary expression and bringing spiritual messages to the masses in vernacular languages (Hawley, 2015).

The colonial era introduced new literary forms, such as the novel and essay, through writers like *Rabindranath Tagore*, *Premchand*, and *Sarat Chandra Chattopadhyay*, who addressed issues of nationalism, caste, and gender oppression (Mukherjee, 2010). Post-independence, Indian literature continued to diversify, with *Mulk Raj Anand*, *R.K. Narayan*, and later *Arundhati Roy* and *Salman Rushdie* exploring themes of identity, social justice, and globalization (Tickell, 2007). Today, Indian literature has expanded into digital platforms, graphic novels, and diasporic narratives, further broadening its global impact (Nayar, 2017).

B. Contemporary Relevance of Indian Literature

Indian literature remains relevant today as it continues to engage with pressing social and political issues. The rise of Dalit literature, feminist writings, and regional literature highlights voices that were previously marginalized (Dangle, 1992). Modern Indian authors like *Arundhati Roy*, *Amitav Ghosh*, and *Jhumpa Lahiri* bring Indian stories to a global audience, challenging stereotypes and exploring themes of migration, climate change, and human rights (Ghosh, 2016).

Furthermore, digital and self-published literature are making literary expression more accessible, allowing new and diverse voices to emerge. This adaptability ensures that Indian literature remains a vital part of both national and international literary discourses (Nayar, 2017).

C. Future Directions for Research

While much research has been conducted on classical and colonial-era literature, there is a growing need to explore contemporary digital literature, indigenous storytelling traditions, and the intersection of literature and technology in India. Further studies can also focus on comparative literary analysis, examining Indian literature's influence on global literary trends and vice versa.

The core essence of Indian literature lies in its ability to evolve while staying rooted in its rich cultural and philosophical heritage. As Indian society continues to change, its literature will undoubtedly adapt, ensuring its place in the global literary landscape.

References

1. **Butalia, U. (1998).** *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India.* Duke University Press. **pp. 12-35, 120-145.**
2. **Cardona, G. (1997).** *Panini:A Survey of Research.* Motilal Banarsidass. **pp. 45-78.**
3. **Chatterjee, P. (1993).** *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories.* Princeton University Press. **pp. 61-89, 130-150.**
4. **Cowasjee, S. (1977).** *So Many Freedoms:A Study of the Major Fiction of Mulk Raj Anand.* Oxford University Press. **pp. 22-50, 78-102.**
5. **Dangle, A. (1992).** *Poisoned Bread: Translations from Modern Marathi Dalit Literature.* Orient Blackswan. **pp. 5-25, 90-118.**
6. **Dasgupta, S. (2011).**A *History of Indian Philosophy.* Cambridge University Press. **pp. 55-80, 200-235.**

7. **Devy, G. N. (1992).** *After Amnesia: Tradition and Change in Indian Literary Criticism.* Orient Blackswan. **pp. 18-40, 95-120.**
8. **Dutta, K., & Robinson, A. (1997).** *Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man.* Bloomsbury. **pp. 60-98, 250-275.**
9. **Ghosh, A. (2013).** *The Shadow Lines.* Penguin Books. **pp. 120-160.**
10. **Ghosh, A. (2016).** *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable.* University of Chicago Press. **pp. 45-85, 150-185.**
11. **Habib, I. (1999).** *The Agrarian System of Mughal India: 1556-1707.* Oxford University Press. **pp. 75-100, 250-290.**
12. **Hawley, J. S. (2015).**A *Storm of Songs: India and the Idea of the Bhakti Movement.* Harvard University Press. **pp. 33-60, 180-210.**
13. **Hawley, J. S., & Juergensmeyer, M. (2004).** *Songs of the Saints of India.* Oxford University Press. **pp. 15-40, 110-135.**
14. **Hiltebeitel, A. (2001).** *Rethinking the Mahabharata:A Reader's Guide to the Education of the Dharma King.* University of Chicago Press. **pp. 80-115, 200-235.**
15. **Ingalls, D. H. H. (1965).** *An Anthology of Sanskrit Court Poetry: Vidyakara's Subhasitaratnakosa.* Harvard University Press. **pp. 25-55, 170-200.**
16. **Lutgendorf, P. (1991).** *The Life of a Text: Performing the Ramcaritmanas of Tulsidas.* University of California Press. **pp. 45-90, 200-230.**
17. **Mehrotra, A. K. (2003).** *An Illustrated History of Indian Literature in English.* Permanent Black. **pp. 100-135, 300-345.**
18. **Mishra, P. (2000).** *The Romantics:A Novel.* Picador. **pp. 45-80, 175-220.**
19. **Mukherjee, M. (2010).** *The Perishable Empire: Essays on Indian Writing in English.* Oxford University Press. **pp. 30-60, 210-250.**
20. **Nayar, P. (2017).** *The Indian Graphic Novel: Nation, History, and Critique.* Routledge. **pp. 40-80, 175-215.**
21. **Olivelle, P. (1998).** *The Early Upanishads: Annotated Text and Translation.* Oxford University Press. **pp. 10-50, 225-260.**
22. **Orsini, F. (2004).** *The Hindi Public Sphere 1920-1940: Language and Literature in the Age of Nationalism.* Oxford University Press. **pp. 65-95, 150-185.**
23. **Pritchett, F. (2003).** *Nets of Awareness: Urdu Poetry and Its Critics.* University of California Press. **pp. 80-125, 220-260.**
24. **Radhakrishnan, S. (1953).** *The Principal Upanishads.* Harper & Row. **pp. 30-70, 250-280.**
25. **Russell, R. (1995).** *The Pursuit of Urdu Literature:A Select History.* Zed Books. **pp. 55-90, 200-230.**
26. **Schimmel, A. (1975).** *Mystical Dimensions of Islam.* University of North Carolina Press. **pp. 40-85, 170-215.**
27. **Sen, S. (2005).** *Sarat Chandra Chattopadhyay and the Dilemma of the Bengali Middle Class.* Orient Blackswan. **pp. 60-95, 175-220.**
28. **Tickell, A. (2007).** *Arundhati Roy's The God of Small Things:A Routledge Study Guide.* Routledge. **pp. 20-50, 175-215.**
29. **Vaudeville, C. (1993).** *Kabir: Legends and Ananta-das's Kabir Parachai.* Oxford University Press. **pp. 45-75, 180-210.**
30. **Witzel, M. (2003).** "Vedas and Upanishads." In *The Blackwell Companion to Hinduism*, edited by Gavin Flood. Blackwell Publishing. **pp. 50-90, 220-250.**
31. **Zvelebil, K. (1973).** *The Smile of Murugan: On Tamil Literature of South India.* Brill. **pp. 25-60, 200-230.**

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 2nd Jan. 2025 **Paper Accepted : 7th Jan. 2025**

खमाज थाट के रागों में ठुमकती ठुमरी

□ **डॉ. चित्रा चौरसिया***

शोध-सारांश

भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत की विधा ठुमरी जो कि, भाव प्रधान श्रृंगारिक व चंचल प्रकृति की गायकी है। गीत के बोलों के माध्यम से भाव का सुंदर प्रदर्शन ठुमरी गायन में दिखता है। चंचल, चपल, ठुमकती हुई ठुमरी के स्वभाव में भाव के अतिरिक्त भक्ति, करुणा, शांत आदि रसों एवं कोमलता के गुण मिलते हैं। नवाब वाजिद अली एवं उस्ताद सादिक अली खान ठुमरी के आविष्कारक रहे हैं। ठुमरी को दो अंगों से गाया जाता है, गायन के अतिरिक्त नृत्य में लखनवी अंदाज में ठुमरी बजाई व गायी जाती है। ठुमरी के बोल अधिकतर अवधी और भोजपुरी आदि में होते हैं, ईश्वर आराधना, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, प्रेम, विछोह, करुणा, अनुराग, हर्ष, शोक आदि ठुमरी में प्रदर्शित होता है। इन भावों की अभिव्यक्ति रागों के माध्यम से होती है जो कि भावाभिव्यक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रायः ठुमरी अनेकों रागों में गाई जाती है किन्तु खमाज थाट के रागों में ठुमरी गाने की अलग विशेषता है। इस रागों द्वारा ठुमरी गाते समय एक राग से दूसरे रागों के स्वरों को गाने से ठुमरी श्रोताओं को आनंदित करती है। खमाज थाट के अंतर्गत राग खमाज व अन्य राग जैसे तिलक, तिलक कामोद, झिंझोट आदि राग हैं जिनके अंतर्गत अनेकों ठुमरी और दादरा की बंदिश मिलती है। राग खमाज को छोटा राग मानकर इसको अन्य राग से कमतर माना जाता है किंतु यह राग एवं इससे आश्रय राग में ठुमरी सभी प्रकार की मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने में सक्षम है।

मुख्य शब्द– *ठुमरी, खमाज, राग,शैली, पूरब अंग।*

प्रस्तावना

परिवर्तनशीलता तो प्रकृति का नियम है और वह उसके विविध अंगों में प्रायः दिखाई देता है। संगीत तो इसका सबसे प्रबल व प्रत्यक्ष प्रमाण है। निरन्तर प्रगतिशील परम्परा प्रबन्ध, ध्रुपद, ख्याल से होते हुए ठुमरी की ओर आयी। यहाँ परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि एक के समाप्त होने पर दूसरे का उदय। यहाँ एक वस्तु के विद्यमान रहते हुए भी कोई नयी कल्पना करना। हालाँकि ध्रुपद, ख्याल का अपना अस्तित्त्व बना रहा किन्तु अपनी सरसता,

* असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, मो.: 9415798990
c-chaurasia23@gmail-com

सहजता, शब्द माधुर्य गुणों के कारण ठुमरी जनमानस पर छा गई। ठुमरी–मूलतः हिन्दी भाषा का शब्द होने के बाद भी यह अन्य भाषाओं में थोड़े बहुत शब्दान्तर के साथ विद्यमान है। यथा–हिन्दी, पंजाबी, गुजराती में ठुमरी, सिन्धी भाषा में ठुमिरि, मराठी में ठुमरी या दुभि, बंगला भाषा में दुग्रि कहा जाता है किन्तु गेयविधा एक ही है।

ठुमरी की व्याख्या आचार्य वृहस्पति ने **ठुम–ठुमकने** के अर्थ में व री अन्तरंग सखी से अपने हृदयस्थित भावों के उद्घटन के लिए की है। ठुमरी अधिकतर लोक भाषाओं में पायी जाती है अतः री शब्द लोक शब्द भाषा में बाहुल्य रूप से प्रयुक्त होने के कारण सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है।

ठुमरी की उत्पत्ति कौशिक वृत्ति के आधार पर मानी जा सकती है जिसका गुण सूक्ष्म एवं ललित गीतों की रचना था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह अख्तर पिया या सादिक अली खाँ को जो कि वाजिद अली शाह के गुरू भी थे, उन्हें ठुमरी का आविष्कर्ता माना जाता है. किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों के प्रमाण के आधार पर ठुमरी 19वीं शदी के आरम्भ की मानी जाती है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह उपनाम रसरास व किशनगढ़ के महाराज जवान सिंह उपनाम बृजराज तथा नगधर कृत ठुमरियाँ की पुष्टि करते हैं। हॉ यह बात अत्यधिक महत्त्व रखती है कि नवाब वाजिद अली शाह एवं उस्ताद सादिक अली खाँ ठुमरी के विशेष उन्नायक रहे। इन्होंने ठुमरी को प्रचारित, प्रसारित व अनेक प्रयोग व नवीनता लाकर इसको प्रतिष्ठा दिलाई।

ठुमरी गायन ठुमरी शैली में शब्द या पद प्रायः अवधी, भोजपुरी आदि में होते हैं व इनका गायन लोकधुनों पर आधारित कोमल रागों में होता है। अधिक गम्भीर रागों को प्रायः इस शैली में गायन के लिए दूर रखा गया है। काफी, खमाज, सिन्दूरा, पहाड़ी, झिंझोटी आदि राग इसके लिए उपयुक्त माने गये हैं। इस शैली में रागों की शास्त्रीयता से थोड़ा हटकर माधुर्य पूर्ण सरस गायन की भी छूट है किन्तु वो प्रयोग भी कर्ण प्रिय हो। दीपचन्दी, जत, त्रिताल, अद्धा, कहरवा, दादरा आदि तालों में इसका गायन होता है।

ठुमरी दो अंगों से गायी जाती है, पूरब अंग की ठुमरी में दो उपविभाग होते हैं। (1) पूरब अंग, (2) पंजाब अंग।

(1) बोल बनाव की ठुमरी।

(2) बोलबांट की ठुमरी।

उस्ताद सादिक अली खाँ, भैया गनपत राव, जगदीप मिश्र, मौजूद्दीन खाँ, महाराज विन्दादीन व उनके परिवारजन व शिष्य–प्रशिष्यों द्वारा ठुमरी का प्रचार बनारस में हुआ।

कालान्तर में ठुमरी का जैसे–जैसे प्रचार–प्रसार बनारस में होता गया वैसे–वैसे इसमें अन्तर भी आता गया। सर्वप्रथम प्रभाव भाषा पर पड़ा। अवधी, मगही, भोजपुरी बोली प्रधानतः ठुमरी के पद्यों में अपना स्थान लेने लगी। भाषा के साथ–ही –साथ उत्तर प्रदेश व विहार में प्रचलित लोकगीतों का प्रयोग भी इस पर पड़ा। चैती, होली, कजरी, सावन झूला, बिरहा, पूरबी आदि लोकगीतों ने अपने रंग के कुछ छींटे ठुमरी पर डाले। अतः बनारसी ठुमरी मुख्यतः बोलबनाव की व गायन प्रधान हो गई। ठुमरी बनारस के कथक परिवार में मुख्य रूप से अपनायी गयी। यह ठुमरी बनारस में ही नहीं उसके आस–पास के क्षेत्रों एवं बिहार में व धीरे–धीरे सम्पूर्ण भारत में स्वतन्त्र अस्तित्त्व के रूप में फैली।

वर्तमान समय में संगीत में ठुमरी का प्रचलन एवं इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, लगभग प्रत्येक संगीत गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में ठुमरी का गायन–वादन व ठुमरी में नृत्य द्वारा कार्यक्रम का अंत होता है और श्रोता हुआ दर्शक भी अत्यंत उत्सुकता के साथ ठुमरी की प्रतीक्षा करते हैं व कलाकार से आग्रह कर ठुमरी की माधुर्य शैली का आनंद लेते हैं।

ठुमरी की लोकप्रियता के कारण उत्तर भारतीय संगीत के लगभग सभी गान शैलियों जैसे भजन,

गजल, खयाल, सूफी आदि गायन एवं वाद्य वादन में ठुमरी शैली की कुछ झलकियाँ दिखाई देने लगी हैं, यहाँ तक कि फिल्मी संगीत भी इससे अछूता नहीं रहा है।

ठुमरी के गीतों में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों के चित्रण के साथ–साथ इसमें कुछ चटपटापन, प्रेम युक्त विवाद व संवाद, चपलता, चंचलता व टकराव का उल्लेख मिलता है। आध्यात्मिक पक्ष में स्त्री का आराध्य के प्रति प्रेम व कृष्ण का प्रेम एवं उनकी लीलाओं से ठुमरी संबंधित रहती है, इस प्रकार जहाँ ठुमरी में प्रेम, अनुराग, हर्ष, अध्यात्म, शोक, बिरहा, विछोह दिखाई पड़ता है, वहीं इन भावों को अभिव्यक्त करने में राग अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठुमरियों के रस का आनंद राग के स्वरूप पर आधारित है। कोमल एवं संवेदनशील होने के कारण ठुमरी चपल रागों में ज्यादा गाई–बजाई जाती है। विशिष्ट रूप से राग खमाज, भैरवी, काफी, पीलू, जोगिया गारा, तिलक कमोद आदि रागों में ठुमरी गाई व बजाई जाती है इन सभी रागों में खमाज थाट के रागों का विशिष्ट स्थान है। खमाज थाट के अंतर्गत अन्य कई राग हैं जो की ठुमरी शैली में बहुत प्रसिद्ध हैं जैसे राग खमाज, तिलंग, तिलक कामोद, झिंझोटी आदि ऐसे राग हैं जिनमें ठुमरी के लिए विशिष्ट स्वर लगाव का प्रयोग होता है, इसका विवरण इस प्रकार है–

राग खमाज

थाट खमाज

वादी गंधार

संवादी निषाद

जाति षाडव संपूर्ण

गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर,

आरोह में ऋषभ स्वर वर्जित एवं अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग।

ठुमरी गायन के लिए राग खमाज अत्यंत उपयुक्त राग है, इसमें दोनों निषाद का स्वर लगाव बहुत ही कर्ण–प्रिय है, कभी–कभी दोनों निषाद एक साथ भी लगाए जाते हैं. ऋषभ स्वर आरोह में वर्जित है किन्तु सुंदरता के लिए आरोह में प्रयोग किया जाता है, बोल बनाव में भाव प्रकट करने के लिए तीव्र मध्यम एवं अन्य रागों जैसे झिंझोटी का मांझ खमाज,तिलक आदि रागों के स्वरूप की छाया भी दिखाते हैं।

आरोह–नि सा ग म प ध नी सां।

अवरोह–सां नी ध प म ग रेसा।

पकड़–नी ध प, ध प, ग प म ग, प म ग रेसा।

स्वरूप

सा ग म प, म ग रे ग म ग, सारेसा, ग म प, ध नी सां नी सां ध नी प ध सां नी ध प, सा ग म प ध प, सा ग म प ध प, ग म प ध नी (सां) नी ध प, ध प म ग, रे ग म ग सा रे सा।

ठुमरी

स्थाई

कासे कटी सूनी रैन
सजन बिन आवे नहीं चैन

अंतरा

सजन ये मत जानियो
कि तुम बिछड़े नहीं चैन
जैसे जल बिन मछली तड़पे
तड़पत हूँ दिन रैन

राग माँझ खमाज

थाट खमाज

वादी गंधार

संवादी निषाद

जाति षाडव संपूर्ण

गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर।

राग खमाज के मध्यम स्वर को षड्ज मान कर गाने से राग माँझ खमाज का स्वरूप दिखाई देता है। यह राग पहाड़ी राग के अत्यंत निकट का राग है खमाज की तरह दोनों निषाद का प्रयोग इसमें भी होता है। इस राग में धैवत का प्रयोग कम एवं कोमल निषाद का प्रयोग ज्यादा होता है। इसमें धैवत से सीधे मध्यम स्वर पर आते हैं एवं पंचम का वक्र उपयोग इस राग में होता है। मध्य

एवं इस तार सप्तक में इस राग का अधिक विस्तार होता है।

माँझ खमाज

आरोह–सा ग म प ध नी सां।

अवरोह–सां नी ध प म ग, रे ग सा।

पकड़–ग म प ध, ग म ग, प सां नी प म प म ग रे ग सा।

स्वरूप

सा ग म रे म ग (प) म ग, म रे ग म, ग रे ग सा, ग म ध ध नी ध प, प ध नी सां, नी गं रें नी ध गप धसां, नी रें सां नी ध प म ग रे ग रे सा।

ठुमरी

स्थाई– कोयलिया मत कर पुकार
लागे जियरा में कटार

अंतरा–दिन नहीं चैना रात नहीं निंदिया
आजा पिया परदेस सूनी सेजरिया हमार

राग तिलंग

थाट खमाज
वादी गंधार
संवादी निषाद
जाति औडव औडव
गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर।
वर्जित स्वर ऋषभ और धैवत

राग तिलंग खमाज अंग का राग है, जिसमें ऋषभ और धैवत पूर्णतः वर्ज्य है, ग म नी प, म ग म ग सा। यह स्वर समुदाय राग तिलंग की प्रमुख विशेषता है। दोनों निषाद का प्रयोग अत्यंत कर्णप्रिय लगता है। कभी–कभी खमाज की भांति ऋषभ व धैवत स्वर प्रयोग कर मिश्र तिलंग का नाम दे दिया जाता है, इस राग के उत्तरांग में ऋषभ का प्रयोग अत्यंत मधुर लगता है।

तिलंग

आरोह–सा ग म प नी सां।

अवरोह–सां नी प म ग स।

पकड़–ग म नी प म ग, म ग सा।

स्वरूप

सा ग म मप, ग म नी प, नी म प म ग, ग म ग सा, ग म प नी (सां) नी प नी प म ग ग म प म ग, म ग सा।

ठुमरी

स्थाई–अचरा छाड़ों कन्हाई
इतनी विनती सुनो हमारी

अंतरा–गोकुल के हम नारी गवांरी
हमसे करो ना बरजोरी

राग तिलक कामोद

थाट खमाज
वादी रिषभ
संवादी पंचम
जाति औडव संपूर्ण
गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर।
आरोह में गंधार और धैवत स्वर वर्जित है।

राग तिलक कामोद चंचल प्रकृति का मधुर राग है, चंचल प्रकृति होने के कारण इसमें अधिकतर द्रुत खयाल एवं ठुमरी गाई व बजाई जाती है। सां प ध ऽ म ग, सा रे ग सा ऩी प़ ऩी सा रे ग सा। यह स्वर समूह इस राग का प्राण स्वर है जो कि सुनने में अत्यंत मधुर लगता है। इस राग का चलन वक्र है एवं कुछ विद्वान दोनों निषाद का भी प्रयोग करते हैं। ठुमरी गाते समय इस राग को देश और राग सोरठ से बचाना चाहिए, किंतु देश और तिलक कामोद का मिश्रण ठुमरी को और भी आकर्षित बनाता है, कभी–कभी मिश्र तिलक कामोद में कोमल नी का मंद्र सप्तक में प्रयोग राग झिंझोटी के निकट ले आता है।

तिलक कामोद

आरोह–सा रे ग सा, रे म प ध म प, नी सां।

अवरोह–सां प ध म ग सा रे गऽ सा।

पकड़–सां प ध म ग, सारे गऽ सा ऩी प़ ऩी सा रे ग सा।

स्वरूप

सारे ग सा ऩी प़ ऩी सा रे ग सा, ऩी प. ऩी सा रे ग सा, रे म प ध म ग, सा रे प ऽ म ग, सा रे ग (सा) ऩी प़ ऩी सा रे ग सा। रे म प ध म प नी सां सां प ध ऽ म ग, सा रे ग सा ऩी प़ ऩी सा रे ग सा।

ठुमरी

स्थाई– जाग परी मैं तो पिया के जगाए

अंतरा–भोर होत सैयां घर आए

जाग परी मैं तो पिया के जगाए

राग देश

थाट खमाज

जाति औडव संपूर्ण

वादी ऋषभ

संवादी पंचम

गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर।

आरोह में गंधार और धैवत स्वर वर्जित है तथा दोनों निषाद का प्रयोग होता है।

खमाज थाट जन्य राग देश चंचल एवं मधुर राग है, जिसमें द्रुत खयाल एवं उपशास्त्रीय संगीत अधिक गाया एवं बजाया जाता है आरोह में शुद्ध निषाद एवं अवरोह में कमल निषाद का प्रयोग सर्वमान्य है। ध म ग रे ग नी स यह स्वर समूह अत्यंत कर्ण–प्रिय हैं एवं राग देश का पहचान स्वर भी हैं, ठुमरी गाते समय राग देश में कभी–कभी सुंदरता के लिए कोमल गंधार का भी प्रयोग प्रचार में है, इसके अतिरिक्त राग देश को मिश्रित कर ठुमरी गाते हैं, इसमें राग झिंझोटी, तिलक कामोद सोरठ आदि रागों के स्वर समूह को स्पर्श करते हैं जो कि अत्यंत मधुर लगता है। यह राग लोक संगीत के लिए अत्यंत लोकप्रिय राग हैं।

राग देश

आरोह–ऩि सारे म प नी सां।

अवरोह–सां नी ध प, ध म ग रे, ग ऽ ऩि सा।

पकड़–म प धऽ म ग रे गऽ ऩि सा।

स्वरूप

सा ऩि सा म गऽ रे ग ऩीसा, रे म प, धऽ म ग रे, रेनी ध प, ध म ग रे ऩि सा, रे म प नी सां (सां) नी ध प, म प नी ध प, म प नी सां, प नी सां रे मं गं रें गं नी सां, सां रें नी ध प प म ग रे, ग ऩी सा।

ठुमरी

स्थाई– मोरा सैया बुलावे आधी रात को

नदिया बैरन भई

अंतरा–सुन रे मल्हार हूं तेरी चेरी

नैया लगा दे पार नदिया बैरी भई

राग गारा

थाट खमाज

जाति संपूर्ण संपूर्ण

वादी गंधार

संवादी धैवत

गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर

दोनों गंधार एवं दोनों निषाद का प्रयोग

राग गारा चंचल प्रकृति का राग है, जिसमें ठुमरी, दादरा, भजन व धुन आदि का गायन व वादन अधिक प्रचार में है। राग गारा का स्वरुप राग झिंझोटी एवं खमाज के ज्यादा निकट है, विद्वानों के अनुसार पंचम स्वर से राग खमाज गाने से गारा राग उत्पन्न होता है, इस कारण ठुमरी, दादरा इत्यादि गाने वाले गायक व वादक इसे मध्यम व पंचम को षड्ज मानकर इस राग का गायन करते हैं। तीनों सप्तकों में राग गारा का विस्तार स्पष्ट दिखाई देता है।

स्वरूप

सा, रे ऩी सा ऩी ध़ ध़ नी ग, म ग रे ग रे सा सा ग म ग, म प म ग रे ग रे सा, सा ग म प ध नी ध प, ध प म ग रे ग रे सा, ग म ध नी सां नी ध प, म ग प म ग, म ग रे ग रे स।

ठुमरी

स्थाई– ननदिया काहे मारे बोल

अंतरा–एक तो पिया मोसो रूसो

दूजे ननदिया मारे बोल

राग झिंझोटी

थाट खमाज

जाति संपूर्ण संपूर्ण

वादी गंधार

संवादी धैवत

गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर

खमाज थाट से उत्पन्न राग झिंझोटी पूर्वांग प्रधान राग है, जिसका विस्तार तीनों सप्तकों में होता है। राग झिंझोटी का सम प्रकृति राग खमाज,

खंभावती व गारा है, किंतु रागों के चलन,स्वर लगाव एवं अल्पत्व व बहुत्व के आधार पर तीनों राग एक दूसरे से भिन्न हैं। खयाल गायकी में यह राग अत्यंत प्रचलित है एवं ठुमरी गायन व वादन में यह राग अपने सम प्रकृति राग के साथ मिश्रित होकर अत्यंत मधुर व कर्णप्रिय है।

आरोह–सा रे ग म, प ध नी सां।

अवरोह–सां नी ध प, ध म ग रेसा।

पकड़–ध़ सा, रे म ग, रे सा रे सा रे ऩी ध़ प़ ध़ सा।

स्वरूप

सा ऩी ध़ प़ ध़ सा रे म ग, सा रे ऩी ध़ प़ ध सा, रे ग म ग, रे म प ध नी नी ध प, ध प म ग, रे प म ग, रे ग सा रे म गा सा रे ऩी ध़ प़ ध़ सा।

ठुमरी

स्थाई–कौन गली गए श्याम बता दे सखी

अंतरा–गोकुल ढूंढी वृंदावन ढूंढी फिरी
चारों धाम।

ठुमरी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख अंग है जिसमें भावाभिव्यक्ति का माध्यम ठुमरी ही है। छोटे–छोटे स्वर समूह, बोल बनाव के साथ बढ़त एवं मीण खटका , मुर्की ताने व अंत में लग्गी लड़ी का प्रयोग श्रोताओं के ह्रदय को भाव–विभोर करता है। खमाज थाटों के रागों में रचित ठुमरी का गायन जितना सहज होता है उतना कर्णप्रिय भी है, इस राग में अन्य मिलते–जुलते रागों के साथ ठुमरी की बढ़त करना इस राग को और अधिक लोकप्रिय बनाते हैं। उपरोक्त रागों के संक्षिप्त वर्णन विवरण में कई रागें ऐसी हैं, जिनका फिल्मों में भी अधिक प्रयोग रहा है जैसे राग गारा, राग देश, राग तिलक कामोद, झिंझोटी इत्यादि।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ठुमरी और धुन, डॉ. सीमा रानी वालिया
2. ठुमरी परिचय, श्रीमती लीला कारवार
3. अभिनव गीतांजलि, भाग 2, पंडित रामाश्रय झा
4. राग परिचय, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव
5. शोधग्रंथ, डॉ. चित्रा चौरसिया
6. ठुमरी की उत्पत्ति, विकास एवं शैलियाँ, शत्रुघ्न शुक्ला
7. मां सिद्धेश्वरी देवी सविता देवी विभा एस चौहान
8. Raagtarang.com बेगम अख्तर की ठुमरियां
9. Youtube.com, शोभा गुर्टू
10. शोधगंगा

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 20th Feb. 2025
Paper Accepted : 27th Feb. 2025

योगशास्त्रे आहारस्य व्यवस्थापनम्

डॉ. विजय नारायण शुक्लः*

शोध-सारांशः

योगे अपि अस्माकं शरीरस्य स्वभावानुसारं आहारस्य प्रावधानं भवति। एकः एव आहारः एकस्य कृते अनुकूलः अपरस्य कृते हानिकारकः भवितुम् अर्हति, व्यक्तिविशेषस्य भावानुसारम्। भवतः कृते कः प्रकारः आहारः आवश्यकः, कस्य प्रकारस्य आहारस्य परिहारः कर्त्तव्यः इति निर्णयार्थं आयुर्वेदिकवैद्यस्य परामर्शः श्रेयस्करः। अस्माभिः अवश्यमेव अस्माकं आहारस्य विषये ध्यानं दातव्यं, अस्माकं प्राचीनभारतीयग्रन्थाः अपि तथैव वदन्ति।

"वयं यत् खादामः तत् भवेम"।

यस्मिन् आहारे सत्त्वगुणः प्रधानः भवति सः सत्त्विकः आहारः इति कथ्यते। योगः आयुर्वेदः च कथयन्ति यत् सात्विकभोजनस्य सेवनेन मानवजीवनं सात्विकं भवति। योगिक–सात्विकं–आहारवर्गे एता–दृशं भोजनं समावेशितम् अस्ति येन जनस्य शरीरं मनः च शुद्धं, ऊर्जावानं, स्वस्थं, सुखेन च परिपूर्णं भवति। अन्येषु शब्देषु सात्विक आहारः जनं सन्तुलितं स्वस्थं शरीरं, शान्तिं, सामञ्जस्यपूर्णं समन्वयकौशलं, बौद्धिकव्यक्तित्वं च प्रदाति। सात्विक आहारः शान्तं स्पष्टं च मनः प्रतिनिधियति। यथा समानप्रवृत्तियुक्तानि वस्तूनि परस्परं प्रतिबिम्बयन्ति, तथैव सात्विकं योगिकं च भोजनमपि शान्तं भवति, तथैव सात्विकं योगिकं च भोजनं शान्तं (उत्साहरहितं) स्वच्छं (अशुद्धिरहितं) च भवति। सात्विक भोजनं आयुर्वेदस्य प्राचीन–नियमानाम् आधारेण भवति, यत् सरलं पारम्परिकं च पद्धत्या निर्मितं भवति। योगशास्त्रैः साधनाग्रन्थैः च अन्तःकरणं शुद्धं च आत्मनः उन्नयनार्थं केवलं सात्विक आहारं स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थितम् अस्ति। गीतायां कृष्णः सात्विक–राजसी– तामसी–आहारस्य स्पष्टतया उल्लेखं करोति।

व्याख्यायते शरीरमनसबुद्धौ च तस्य प्रभावाः प्रभावानां विषये अपि स्पष्टतया चर्चा कृता अस्ति। आध्यात्मिक प्रगतेः आकांक्षिणः एषः च उपदेशः साधनामार्गे यात्रिकाणां कृते दत्तः। स केवलं सात्विकं आहारं ग्रहीतव्यं तस्य सात्विकं च अन्येभ्यः भावानाम् एकं पुटं दत्त्वा ते आध्यात्मिकचेतनायां अधिकं भवन्ति। सहायतां दातुं समर्थः भवतु। ईश्वरस्य अर्पणम्, यज्ञे पक्त्वा चारुद्रव्यं तत्सदृशं पदार्थं यस्य अदृश्येऽपि तेषां सूक्ष्मसामर्थ्यं सुदृढं अधिकम् अस्ति। उपनिषदेषु उक्तं यत् भोजनं कीदृशम्? तथेति मनः निर्मितं भवति– **अन्नमयं हि सोम्य नः** (छान्दोग्य 6/5/4) अन्नस्य प्रभावः मनसि अनुभूयते इत्यर्थः। अन्नस्य

* प्रवक्ता, श्री सन्तनागपाल संस्कृत महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, छतरपुर, नई दिल्ली–110074

सूक्ष्मतत्त्वात् मनः (अन्तःकरणं) निर्मितं भवति, द्वितीयभागात् वीर्यम्, तृतीयसंख्याभागात् रक्तादिकं भवति, चतुर्थसङ्ख्यायाः स्थूलभागात् मलः भवति। यत् बहिः गच्छति। अतः मनःशुद्ध्यर्थं भोजनं शुद्धं भवेत्। शुद्धं भवितुमर्हति। अन्नशुद्ध्या मनःशुद्धिः भवति–**आहरशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः** (छान्दोग्य 2/26/2)। कुत्र खादसि? तत्रत्यं स्थानम्? वातावरणम्? दृश्यं कस्मिन् च उपविश्य भोजनं खादति? किं तत्पीठमपि शुद्धम्? शुद्धं भवितुमर्हति। कारणं यदा अन्नं आत्मना भक्षितं भवति। ततः शरीरस्य सर्वेभ्यः छिद्रेभ्यः परितः परमाणुः अपि अवशोषयन्ति। अतः तत्रत्यं स्थानम्। वातावरणं कीदृशं भविष्यति? प्राणः तथैव परमाणुः आकर्षयिष्यति तदनुसारेण मनः निर्मितं भविष्यति। भोजनं सज्जीकरोति तस्य भावनाः, विचाराः अपि शुद्धाः सात्त्विकाः भवेयुः।

भोजनात् पूर्वं हस्तौ, उभौ पादौ, मुखौ च– एतानि पञ्च शुद्धानि वा, पवित्रजलेन प्रक्षाल्यताम्। तदनन्तरं पूर्वाभिमुखे वा उत्तराभिमुखे शुद्धासने उपविश्य सर्वाणि आहारपदार्थानि पत्रं पुष्पं फलं **तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि** प्रयतात्मनः।। (गीतायां 9/26)। ईश्वरस्य अर्पणं कृत्वा दक्षिणहस्ते जलं गृहीत्वा **ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना** (गीतायां 4/24) – एतत् श्लोकं पठित्वा ध्यानं कृत्वा केवलं ईश्वरस्य नाम गृहीत्वा एव प्रथमं भोजनस्य कटाक्षं मुखं स्थापयतु। एकं–एकं ग्रासं चर्वाणं समये हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जपं कृत्वा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मनसि द्विवारं पठन् वा प्रियस्य नाम गृहीत्वा वा चर्व्य ग्रसितुम्। अतः द्वात्रिंशत्वारं चर्वणेन अन्नं सुलभं पच्यते आरोग्यकरं च भवति तथा च अल्पमात्राहारेण तृप्तः भवति तस्य रसः अपि उत्तमः भवति तेन सह भोजनमपि भजनं भवति। अन्नभक्षणेन भगन्नंजपेन अन्नहीनता अपि निरामयः भवति।

ये ईर्ष्यालुः, भय–क्रोध–पूर्णा लोलुब्धोऽसि वा किं च ते व्याधिदारिद्रयपीडिताः द्वेषिणः च सन्ति। ते यत् भोजनं खादन्ति। न सम्यक् पच्यते, अजीर्णं जनयति इत्यर्थः। अतः भोजनं कुर्वन् मनः शान्तं सुखं च कुर्यात्। मनसि कार्यं कुर्वन्तु, लोलुपता, आसक्तिादिदोषप्रवृत्तिः मा अनुमन्यताम्। यदि कदापि आगच्छन्ति तर्हि तस्मिन् समये न खादन्तु यतः भवतः वृत्तिः अन्नं प्रभावितं करोति तदनुसारं भवतः अन्तःकरणस्य निर्माणं भवति। इदमपि श्रुतं यत् यदा सैन्यजनाः गावः दुग्धं कुर्वन्ति। ततः दुग्धपूर्वं वत्सं मुञ्चन्ति, तस्य वत्सस्य पृष्ठतः श्वापदं त्यजन्ति। यदा गोः श्वः वत्सस्य अनुसरणं दृष्ट्वा क्रुद्धः भवति। अथ वत्सं आनय बद्ध्वा गावं दुग्धं ततः। किं ते तत् क्षीरं सैनिकेभ्यः पोषयन्ति। यस्मात् ते जनाः उग्राः भवन्ति। दुग्धस्य अपि जीवेषु तथैव प्रभावः भवति। एकदा कश्चित् कश्चित् अश्वान् महिषक्षीरं, केचन अश्वान् च गोक्षीरेण पोषयित्वा परीक्षायै सज्जीकृतवान्। एकस्मिन् दिने सर्वे अश्वाः कुत्रचित् गच्छन्ति स्म। मार्गे नदीजलम् आसीत्। तस्मिन् जले महिषक्षीरा पिबन्तः अश्वाः तद् जलं लङ्घयन्ति स्म गोक्षीरपानाः। तथा वृषभः महिषश्च परस्परं युद्धं कुर्यात्।

अतः महिषः वृषभं हन्ति, परन्तु यदि उभौ शकटं प्रति युग्मितः स्तः। अतः महिषः सूर्ये जिह्वां बहिः स्थापयिष्यति वा। यत्र सूर्ये अपि वृषभः चरति भविष्यति। कारणं महिषक्षीरस्य सात्त्विकशक्तिः नास्ति। यत्र गोक्षीरस्य सात्त्विकशक्तिः। यथा जीवानां प्रवृत्तिः पदार्थेषु प्रभावं करोति। तथैव जीवानां दृष्टेः अपि प्रभावः भवति। किं दुष्टस्य वा बुभुक्षितस्य श्वस्य वा नेत्राणि भोजने पतन्ति? अतः अन्नं अशुद्धं भवति। इदानीं कथं तत् अन्नं शुद्धं यदि तस्य चक्षुः पतति।

अतः तं दृष्ट्वा ईश्वरः आगतः इति प्रसन्नः भवेत् अतः प्रथमं तस्मै किञ्चित् भोजनं दत्त्वा पोषयतु। दत्त्वा स्वयं शेषं शुद्धं भक्षयेत्। अतः दर्शनदोषं दूरीकृत्य तत् अन्नं शुद्धं भवति द्वितीयं वस्तु वत्सं पूर्णं क्षीरं न भोजयन्ति, स्वयं सर्वं क्षीरं दुग्धं कुर्वन्ति। तत् क्षीरं न शुद्धं यतः वत्सस्य अधिकारः तस्मिन् आगच्छति। वत्सं पूर्णं क्षीरं भोजयन्तु ततः परं किं क्षीरं निर्गच्छति? केवलं

रोटिका एव चेत् अपि अतीव पवित्रम् अस्ति।

भोजनं कुर्वतः जनस्य भोजनं सेवमानस्य च भावानाम् अपि अन्नस्य उपरि प्रभावः भवति, यथा–

(1) भोजनं सेवमानः व्यक्तिः तत् खादनात् अधिकं सुखी भविष्यति। तत् भोजनं समं भद्रं मन्तव्यं भविष्यति।

(2) भोजनं सेवमानः महता आनन्देन भोजनं सेवते, परन्तु भोजनं सेवमानस्य स्वार्थभावनाः सन्ति यथा सः अन्नं निःशुल्कं प्राप्तवान्, एतावत् धनं सञ्चितवान्, एतेन मम बलम् इत्यादयः प्राप्यन्ते। अतः तत् भोजनं मध्यमं भवति।

(3) किं भोजनं सेवमानः गृहम् आगतः इति अनुभवति? अतः तस्य मूल्यं भविष्यति वा? मया भोजनं पाकयितव्यं वा। अन्नम् इत्यादीनि सेवितव्या भविष्यति तथा च भोजनं खादने अपि स्वार्थः अस्ति वा। तदा तत् भोजनं दुर्गुणं भविष्यति। अस्मिन् विषये गीतायां सिद्धान्ततः उक्तम्–सर्वभूतहिते रताः (गीतायाम् 5/25–12/4)। **सर्वभूतानां हिताय कस्य चिन्ता अधिका भविष्यति इति भावः। तस्य पदार्थः, क्रियाकलापाः इत्यादयः समानरूपेण पवित्राः भवेयुः भोजनस्य अन्ते आचमनस्य अनन्तरं एतेषां श्लोकानां पाठः करणीयः–**

अन्नाद्भवन्ति भूतानि परजन्यदन्नसंभवः।
यज्ञाद्भवति परजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः।।
कर्म ब्रह्मोद्भं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मैसर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठम्।।[1]

अथ अन्नपाचनाय **अहं वैश्वानरो भूत्वा** इति श्लोकं पठन् मध्यमाङ्गुल्या नाभिकं शनैः शनैः परिभ्रमयेत्। सम्बन्ध– प्रथमयज्ञपूजाभोजनेन प्रदर्शितं श्रद्धा अस्मात् अज्ञानेन शास्त्रं त्यजतां स्वाभाविकं निष्ठा रुचिः च परिचियितुं शक्यते, परन्तु मानवव्यापारः, कृषादिकं जीवनयापनार्थं कार्यं करोति वा शास्त्रानुसारं शुभं यज्ञादिकं करोति वा। यज्ञः दर्शयितुं यत् तेषां स्वाभाविकरुचिः कथं परिचयः भवति। तपस्य दानस्य च त्रयः भेदाः इति प्रकरणं आरभ्यताम्।

हरिकृष्णदास गोयनका मतेन–यातयाम् अर्धपक्त्वा। गत्तरसः– रसहीनः। पूतिः–दुर्गन्ध पूतिः च या रात्यधिकं पच्यते इत्यर्थः। उच्छिष्टं च खादित्वा त्यक्त्वा अमेध्या यद् यज्ञयोग्यं न। एतादृशं भोजनं तामसीजनानाम् रोचते। अत्र यतायामस्य अर्थः अल्पपक्वः यतः निर्वीर्यः (सारहीनः आहारः) गात्रशब्देन वर्णितः अस्ति।

अभिनव गुप्तेन मतेन[3]–आहारोपि सत्वादादि– भेदेन त्रिधा श्राद्धवत् (सोमित श्राद्धवत्) तथा यज्ञतापो दाननि। तादुच्यते– अन्नादि तमसप्रियम् इत्यन्तम्। यात यमः यस्य।

सात्त्विकाहारस्य स्वरुपम्– सात्त्विकं भोजनं शरीरशुद्धिकरणं मनसः शान्तिप्रदम्। पक्वं भोजनं त्रयः–चत्वारः होराषु सेवनं चेत् सात्त्विकं मन्यते।

उदाहरणम्– नवीनफलानि, हरितपत्रशाकानि, अन्नं, नवदुग्धं च। सात्त्विक आहारः– सात्त्विक आहारः भारते न केवलं पूजाकाले अपितु सामान्यदिवसेषु अपि जनाः सात्त्विक आहारस्य अनुसरणं वर्धमानाः सन्ति। यतो हि अस्य स्वास्थ्याय अनेकाः लाभाः सन्ति। यदा पूजायाः विषयः आगच्छति तदा जनाः अस्मिन् काले सात्त्विकभोजनं खादन्तु। एतत् भोजनं शुद्धतमं प्राकृतिकं स्वच्छं च अन्नं मन्यते। सात्त्विकभोजने हरितशाकानि, फलानि, मधु, गुडः, साकं धान्यं च प्रचुरमात्रायां भवति। एते शाकाहारी, मरिचादयः च आहाराः सन्ति। अस्मिन् लशुनं, पलाण्डुः च न भवति। ईश्वरं प्रार्थनां कर्तुं जनाः सात्त्विकसंस्कारं कुर्वन्ति। केवलं भोजनं सज्जीकरोतु। परन्तु अधुना भारते केवलं पूजा न केवलं पाठकाले अपितु सामान्यदिनेषु अपि।

सात्त्विकभोजनस्य अनुसरणं अतीव शीघ्रं क्रियते। एतादृशः यतो हि अस्य स्वास्थ्यलाभाः बहवः सन्ति। बृहत्तमं वस्तु अस्ति यत् एतस्य पचनं अतीव सुलभम् अस्ति। अस्मात् किं प्राप्नुमः लाभस्य विषये इति अधिकं ज्ञास्यामः।

सात्त्विकाहारस्य लाभः

रोगप्रतिरोधकशक्तिं वर्धयति–सात्त्विक– भोजनेन रोगप्रतिरोधकशक्तिः वर्धते। यतः अस्मिन् आहारे अधिकतममात्रायां हरित शाकानि,

शाकावदंशः च भवति, येषु बहवः खनिजाः, विटामिनाः च सन्ति। अस्मिन् प्रोटीन्, एण्टीऑक्सिडेण्ट् च सन्ति ये रोगप्रतिरोधकशक्तिं सुदृढां कर्तुं साहाय्यं कुर्वन्ति। अस्माकं शरीरे प्रचुरं ऊर्जां ददाति। आहारविशेषज्ञस्य मते केवलं दश दिवसान् यावत् निरन्तरं भोजनं कृत्वा भवतः शरीरे पूर्वापेक्षया अधिका ऊर्जा भवति।

मस्तिष्कं मनश्च शान्तं भवति एतत् भोजनं खादन् अस्य कारणात् शरीरं मनः अपि स्वस्थं तिष्ठति। यतः अस्मिन् अत्यल्पं तैलं, मरिचादयः च उपयुज्यते। येन उदरं, मस्तिष्कं, मनः च सन्तुलनं करोति।

भारं न्यूनं सहाय्यकम्– सात्त्विक भोजनेन भारं वृद्धि न्यूनीकरणमपि सुलभम् अस्ति। यतः तस्मिन् फलानां, हरित शाकानां, शाकावदंशः च बहुप्रयोगः भवति। एतेषु अत्यल्पाः कैलोरीः दृश्यन्ते। तैलं, मरिचादयः च अपि अत्यल्पं भवति। अस्य कारणात् भारस्य न्यूनीकरणे अपि साहाय्यं करोति।

पाचनं संशोधयन्तु– येषां जनानां पाचनतन्त्रं दुष्टं प्रचलति। ते सात्त्विक आहारस्य सेवनं कुर्वन्तु, अस्मिन् नवीनं भोजनं प्रयुज्यते, आहारस्य यत् किमपि अस्ति तस्मिन् तत्तु उत्तमः परिमाणः भवति। अतः अन्नपचने सहायकं भवति। उदरवेदना, वायुः, कफः च पीडिताः जनाः सात्त्विक आहारं अवश्यं खादन्ति।

त्वचायाः कृते लाभप्रदम्– सत्त्वभोजने साकं धान्यं, ऋतुकाले फलानि शाकानि च सन्ति, एतेषु सर्वेषु वस्तूनि विटामिन–खनिज–सहिताः अनेकैः पोषकद्रव्यैः समृद्धाः सन्ति ये त्वचां प्रकाशयितुं साहाय्यं कुर्वन्ति तस्य सेवनेन शरीरं सम्यक् विषमुक्तं भवति।

पुरातनरोगाणां संभावनां न्यूनीकरोतु।

सात्त्विकः अन्नभोजनेन दीर्घकालीनरोगाणां संभावनाः न्यूनीकरोति। यतः प्रायः वयं पूतिः, तप्तं भोजनं खादामः। यत् दीर्घकालीनरोगाणां मुख्यकारणं भवति। परन्तु सात्त्विक आहारस्य स्थाने तैलस्य मरिचादयः च स्थाने तन्तुयुक्तानि, एण्टीऑक्सिडेण्ट्, पोषकद्रव्याणि च समृद्धानि आहारपदार्थानि सन्ति, ये अस्मान् दीर्घकालीनरोगाणां रक्षणे सहायकाः भवन्ति।

राजसिकाहारः

राजस्वभावस्य जनाः ऊर्जापूर्णाः सन्ति, ते अन्येषां नियन्त्रणं कर्तुं, आधिपत्यं कर्तुं च प्रयतन्ते। बुद्धिदृष्ट्या मध्यमाः स्मृतौ दुर्बलाः च भवन्ति। राजसीगुणयुक्ताः जनाः स्वप्रतिष्ठायाः शासनस्य च महत्त्वं ददति, ते सर्वदा पदं, यशः, शक्तिः, धनं, स्थितिं च प्राप्तुं प्रयतन्ते। राजसीस्वभावस्य जनाः कदापि स्वपदेन धनेन च सन्तुष्टाः न भवन्ति ते सर्वदा अधिकं अन्विषन्ति, यत् किमपि अस्ति तत् दर्शयितुं च शक्नुवन्ति। अपि च ते सर्वदा शारीरिकसुखं, भोजनं, संगीतं, वर्णं, सुगन्धं, मनोरञ्जनं च इत्यादीनां कामानां तृप्तिम् इच्छन्ति, परन्तु एते जनाः एतेषु सर्वेषु विषयेषु अतीव शीघ्रं उद्विग्नाः प्राप्नुवन्ति।

राजस्वभावाः दुर्लभाः कस्यचित् अर्थहीनं किमपि कुर्वन्ति। यत्किमपि कुर्वन्ति तस्य पृष्ठतः सर्वदा कश्चन गुप्तः अभिप्रायः आशा वा भवति, दानस्य स्थाने ते उदारतां दर्शयन्ति। एते सम्बन्धाः न परस्परहिताय, सम्मानाय च, अपितु केवलं तेषां आवश्यकतानां, इच्छानां च पूर्तये एव निर्मिताः भवन्ति। सुप्तकाले अपि तेषां मनसि विचाराः धावन्ति एव येषां कारणात् ते पूर्णनिद्रां प्राप्तुं न शक्नुवन्ति, तेषां स्फूर्तिः न भवति। एतेषां जनानां स्वादयुक्ताः, उष्णं, लवणयुक्तं च भोजनं रोचते। ते प्रतिदिनं काफी, चायः, मद्यं, तम्बाकू इत्यादीनां सेवनं कुर्वन्ति।

राजसी प्रकृतिः षट् प्रकाराः सन्ति–

असुरः– अस्य प्रकृतेः जनाः स्वस्य उप–लब्धिभिः धनेन च अतीव गर्विताः भवन्ति, आत्मनः स्तुतिं कुर्वन्ति, शूराः परन्तु निर्दयाः भवन्ति।

राक्षसः– अस्य प्रकृतेः जनाः क्रूराः, असहिष्णुः, खादन्ति, पिबन्ति, अतिशयेन निद्रां कुर्वन्ति च।

पिशाचः– अस्य प्रकृतेः जनाः अशुद्धाः, कालस्य, भोजनस्य च चिन्तां न कुर्वन्ति, विपरीतलिंगस्य प्रति कामुकाः च भवन्ति।

सर्पः– एतादृशाः स्वभावाः जनाः भीरुः, धूर्ताः, परेभ्यः ईर्ष्यालुः च भवन्ति।

भूतः– एतादृशाः स्वभावाः जनाः लोलुपाः, वञ्चकाः, तेषां विवेकस्य अभावः भवति।

शकुनः– अस्य प्रकृतेः जनाः भावुकाः, अधीराः, क्रूराः भवन्ति, तेषां मनसि अतीव क्षुधा भवति।

एतादृशं भोजनं राजगृहेषु निर्मितम् आसीत्, अतः तत् राजभोजनम् इति उच्यते। अस्मिन् प्रकारे लवणयुक्ताः, स्वादयुक्ताः च आहाराः सन्ति। एतेभ्यः विहाय कटुशुष्कवस्तूनि अपि तस्मिन् समाविष्टानि सन्ति। एतादृशं भोजनं पेयं च जनस्य मस्तिष्कं उत्तेजयति तथा च मानवाय अतिऊर्जां ददाति।

राजसिकाहारस्य स्वरुपः– लशुनं, पलाण्डुः, बहवः मरिचानि, अतिमरिचादि च युक्तं भोजनं राजसीभोजनस्य अन्तर्गतं भवति। अस्मिन् शाकाहारीभोजनमपि अन्तर्भवति। केवलं तत् अशाकाहारं न निषिद्धम्। निषिद्धं अशाकाहारं तामसभोजनं गण्यते। एते आहाराः शरीरं मस्तिष्कं च कार्यं कर्तुं प्रेरयन्ति। एतेषां अतिसेवनेन शरीरे अतिसक्रियता, चञ्चलता, क्रोधः, विचलिताः, अनिद्रा इत्यादयः भवन्ति। स्वादिष्टानि आहारपदार्थानि राजसानि भवन्ति।

उदाहरणम्– मरिचादियुक्तभोजनं,पलाण्डुः, लशुनं, तप्ताः आहाराः च। न केवलं योग्यं प्रकारस्य भोजनं अपितु योग्यसमये योग्यं परिमाणं भोजनं अपि खादितुम् अतीव महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अत्यधिकभोजनेन शरीरे आलस्यं भवति, यदा तु न्यूनमात्रायां खादनेन शरीरे पर्याप्तं पोषकं न प्राप्यते। अधिकतया वयं जानीमः यत् वयं पूर्णाः स्मः, परन्तु स्वादिष्टं भोजनं खादितुम् आग्रहं प्रतिरोधयितुं न शक्नुमः। अन्नस्य सम्यक् परिमाणं चषकेषु वा ग्रामेषु वा निर्धारयितुं न शक्यते, परन्तु यदा वयं स्वशरीरं सम्यक् शृणोमः, यदि वयं तत्र स्मः तर्हि भोजनकाले कदा स्थगितव्यम् इति वयं सम्यक् ज्ञास्यामः। वयं सम्यक् परिमाणं सम्यक् प्रकारस्य भोजनं च खादामः, परन्तु यदि वयं समयेन सह अनियमिताः भवेम तर्हि शरीरस्य समग्रं तन्त्रं स्तब्धं भवति, शरीरस्य स्वाभाविकतायाः च विक्षिप्तः भवति, नित्यं नियमितान्तरेण च भोजनं खादितव्यम् उच्यते यत् अन्नं सज्जीकृत्य खादितस्य मनसः स्थितिः अपि अन्नस्य प्रभावं करोति। क्रुद्धेन भोजने या ऊर्जा निर्मिता भवति, सा प्रेम, सन्तुष्टिः, कृतज्ञता च भावेन निर्मितस्य आहारस्य ऊर्जायाः अपेक्षया अवश्यमेव न्यूना भविष्यति पाकं भोजनं च कुर्वन् शान्तसङ्गीतं श्रवणं वा मन्त्रजपं वा भोजनस्य जीवनशक्तिं धारयितुं साहाय्यं करोति।

तामसी आहारः

एकः तामसः आहारः सिद्धः भवेत्। निद्रां, अचेतनं, मतिभ्रमं जनयति कुरु, उत्साहं वर्धय, एतादृशः आहारः तामसी अशुद्धः तामसतत्त्वपूर्णः आहारः। शरीरं यद् अन्नं प्राप्नोति शरीरे भारः भवति। तामसिकगुणयुक्तानां जनानां अवगमनस्य अभावः भवति, ते आलस्याः, भीरुः, दुर्बलस्मृतिः च भवन्ति। एते जनाः स्वभावतः उदासीनाः, असंवेदनशीलाः च सन्ति। एतादृशानां जनानां परेषां प्रति आदरस्य, सम्मानस्य च अभावः भवति। अशिष्टाः, दुर्बलाः, स्थूलाः, अनैतिकाः, हिंसकाः वा भवन्ति। एते जनाः हठिनः, परितः जनानां प्रति प्रमादः च भवितुम् अर्हन्ति। तामसीजनानाम् शारीरिकरूपेण मानसिकरूपेण वा उन्नतिं कर्तुं अल्पं वा न वा इच्छा भवति, अथवा तदर्थं इच्छाशक्तिः अनुशासनस्य च अभावः भवति।

तामसीजनाः शारीरिक–मानसिक–कार्यं न कुर्वन्ति, सम्भवति चेत्किमपि कार्यं कर्तुं परिहरन्ति। भुक्तं पानं सुप्तं मैथुनं आलस्यं वा कुर्वन्ति, चिन्तयन्ति वा। एते जनाः अनैष्ठिकाः, दुर्व्यवहारस्य शिकाराः, स्वस्वास्थ्यस्य विषये ध्यानं न ददति। तेषु अधिकांशः न किमपि उपक्रमं करोति न च आध्यात्मिकताविषये अवगमने रुचिं लभते। तेषां ईश्वरस्य विषये अल्पः विश्वासः अस्ति वा नास्ति वा। प्रतिशोधप्रकृतिकाः जनाः प्रायः दुःखिताःविषादिताः वा तिष्ठन्ति। मुख्यतया प्रतिशोधप्रकृतेः जनाः स्वार्थात् कस्मैचित् प्रेम्णा पश्यन्ति, अतः ते सम्बन्धेषु अन्येषां लाभं लभन्ते, वञ्चना ग्रहणं विहाय किमपि दातुं न विश्वसन्ति। ते प्रायः स्वकार्यस्य वा स्थितिविषये वा शिकायतुं प्रवृत्ताः भवन्ति, तस्य परिवर्तनार्थं किमपि कार्यं वा उत्साहं वा न दर्शयन्ति। तामसजनाः अतीव निद्रां कुर्वन्ति, प्रायः तेषां जागरणं सुलभं न भवति, प्रायः ते शिथिलाः भवन्ति। एते जनाः अतिभोजनं खादन्ति, मरिचादियुक्ताः, मधुरं, गुरुं, पूतिः, शीतं, च खादन्ति। फास्ट् फूड्, अथवा जंक फूड्, मांसं च

तेषां आहारस्य बृहत् भागं भवन्ति। तामसी प्रकृतिः अपि त्रिविधः अस्ति—

पशवाः— एतादृशाः प्रकृतयः जनाः अल्पबुद्धयः, पशुवत् वर्तन्ते, निद्रा— शारीरिक सुख—निमग्नाः, आज्ञाकारिणः च भवन्ति।

मत्स्याः— अस्य प्रकृतेः जनाः अधीराः, चरित्रपरिवर्तनशीलाः, कायराः, असन्तुष्टाः, अतिशयेन मद्यं च पिबन्ति।

वनस्पतयः— य जनाः अतिशयेन खादन्ति, तेषां शिक्षायां, अन्ये जनाः, स्वपरिवेशे च रुचिः नास्ति।

तामसी आहाराः तानि सन्ति ये शरीरं मनः च जडं कुर्वन्ति। अतिसेवनेन जडता, भ्रमः, विक्षेपः च भवति। रात्रिकालीनस्य अवशिष्ट भोजनं वा पुनः तापितं वा भोजनं, स्निग्धं वा गुरुं वा भोजनं, कृत्रिमसंरक्षकयुक्तं भोजनं च अस्मिन् वर्गे अन्तर्भवति।

उदाहरणम्— शाकाहारी आहारः, रात्रि—कालीनस्य अवशिष्ट भोजनं, मेदः,स्निग्धः, अतिशयेन मधुरः च आहारस्य अत्यधिकं सेवनम्। मांसं, मत्स्यं, अण्डं, मद्यं, अतिशयेन चायं, काफीं,तम्बाकू, अफीम, गांजा, चरस, कोकेन, ब्राउन शर्करा इत्यादयः अस्माकं सन्ति प्राकृतिकं चैतन्यं उत्साहे आनयति। एते पदार्थाः मन्दाः द्रुताः वा भवन्ति वेगेन अस्माकं आयुः धनं च क्षीणं वा विकृतं वा ददातु। ते आर्थिक—सामाजिकवंशानुगत हानिकारकाः भवन्ति। ये जनाः उपर्युक्तानि आहारप्रकारद्वयं स्वभोजने समावेशयन्ति। फलतः अधिकाधिकासाध्यरोगाः ते जीवनपर्यन्तं अस्मिन् रोगे पीडिताः भवन्ति। कटुरसयुक्तः कषायः रात्रिकालीनस्य अवशिष्ट भोजनं च मनसि तामस—घटकं उत्तेजयन्ति। पलाण्डुः च लशुनं इत्यादीनि शाकाहारीभोजनानि तामसिक आहारस्य अन्तर्गतं भवन्ति। भारतीयदर्शनानुसारं बुद्धिः तामसी आहारस्य कारणेन भवति। सा च तामसी शुभाशुभयोः भेदः नास्ति। आगच्छति तामसभोजनं बुद्धिं दूषयति। आयुर्वेदस्य अनुसारं तामसी आहारेन मनः जडः, गुरुः, विक्षिप्तः च भवति। उपनिषदेषु उक्तं यत् यदा आहारः शुद्धः भवति तदा अन्तःकरणं शुद्धं भवति, यदान्तःकरणं शुद्धं भवति तदा तर्कशीलं मनः सम्यक् कार्यं करोति इति।

आहारस्य लाभाः

प्रायः वयं परितः पश्यामः यत् केचन जनाः अतिस्थूलाः सन्ति, केचन अतिशयेन कृशाः दुर्बलाः वा भवन्ति। तथा च बहवः बालकाः अल्पवयसि एव स्थूलतायाः विविधरोगाः आशक्ताः भवन्ति, केचन बालकाः अतिशयेन दुर्बलत्वेन वा कृशत्वेन वा रोगैः पीडिताः भवन्ति। किं वयं कदापि चिन्तितवन्तः यत् एतत् किमर्थं भवति? न तु तादृशाः जनाः बालकाः वा न खादन्ति न पिबन्ति न वा अन्नं न प्राप्नुवन्ति। वस्तुतः एतादृशस्य स्थूलतायाः रोगस्य वा बृहत्तमं कारणं सन्तुलितं आहारं न खादितम् अस्ति। अर्थात् ये पदार्थाः आहारे प्रोटीन्, कार्बोहाइड्रेट्, मेदः, विटामिनः, खनिजलवणं च इत्यादीनि पोषकाणि शरीराय प्रयच्छन्ति तेषां उपयोगः न करणीयः। सन्तुलित आहारं न भवति चेत् न केवलं शारीरिक—मानसिकं च विकासं बाधितं भवति अपितु जनस्य उत्पादकतायां अपि महती न्यूनता भवति। एतादृशे सति स्वस्थशरीरं मनः च प्राप्तुं सन्तुलित आहारः सेवनं करणं बहु महत्त्वपूर्णं भवति तथा च अनेकेषां असाध्यरोगाणां परिहाराय।

वस्तुतः सन्तुलितः आहारः एकः आहारः अस्ति यस्मिन् प्रोटीन्, कार्बोहाइड्रेट्, वसा, विटामिनः, खनिजलवणं, जलं च इत्यादयः सर्वे पोषकाः शारीरिक—आवश्यकतानुसारं समुचितमात्रायां वर्तन्ते सन्तुलित आहारः न केवलं शरीरं स्वस्थं करोति अपितु दीर्घायुः अपि ददाति। जनस्य भारं सन्तुलितं स्थापयितुं अपि च सुस्वास्थ्यं स्थापयितुं बहु सहायकं भवति। तस्य प्रयोगात् शरीरे रोगाः प्रतिरक्षाक्षमता विकसिता भवति। सन्तुलित आहारस्य कृते महत्त्वपूर्णं यत् धान्यानि, सूपाः, हरितशाकानि, फलानि, दुग्धजन्यपदार्थानि, अण्डानि, मांसं, मत्स्यं, मेदः, ऋतुकाले उपलब्धाः फलानि, शाकानि च इत्यादीनां सर्वेषां खाद्यसमूहानां पर्याप्तमात्रायां सेवनं करणीयम् सामान्यतया भोजनं तदा एवं सन्तुलितं मन्यते यदा तस्मात् शरीरेण प्रतिदिनं प्राप्यमाणायाः सम्पूर्णशक्तिः पञ्चाशततः षष्ठी प्रतिशतं कार्बोहाइड्रेट्, दसतः पञ्चदश प्रतिशतं प्रोटीनद्वारेण, विंशतितः त्रिंशत

प्रतिशतं च वसाद्वारेण आगच्छति सर्वेषां ध्यानं दातव्यं यत् सन्तुलित आहारस्य कृते अतिमात्रायां भोजनं सर्वथा आवश्यकं नास्ति। अतिभोजनं गम्भीररोगाणां स्थूलतायाः च कारणं सर्वदा भवति। वस्तुतः प्रत्येकस्य जनस्य शारीरिक आवश्यकता, आयुः, लिंगं च अवलम्ब्य सन्तुलितं आहारस्य आवश्यकता भवति। यथा यः व्यक्तिः बहु शारीरिकं कार्य करोति सः स्वस्य आहारस्य अधिकं कार्बोहाइड्रेट् सेवनीयः। बालकानां शारीरिकवृद्ध्यर्थं प्रोटीनम् अत्यावश्यकम्। तथैव स्त्रियाः अपि लौहस्य, कैल्शियमस्य च आवश्यकता भवति। अतः शरीरस्य आवश्यकतानुसारं वयसः अनुरूपं सन्तुलितं आहारं ग्रहीतुं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। यदि वयं सन्तुलित आहारस्य पोषकद्रव्याणां विषये वदामः तर्हि अस्मिन् विद्यमानाः प्रोटीनाः मांसपेशिनां सुदृढीकरणे सहायकाः भवन्ति। शरीरस्य समग्रविकासाय अपि आवश्यकम् अस्ति। यदि प्रोटीन उपलब्धं नास्ति तर्हि गठिया, हृदयरोगः, इत्यादयः समस्याः, अनेकाः रोगाः भवितुं शक्नुवन्ति। प्रोटीनप्राप्यर्थं मांसं, अण्डं, समुद्रभोजनं, दुग्धं, दधिं, शुष्कफलं च खादितव्यं ये प्रोटीनस्य उत्तमाः स्रोताः सन्ति। कार्बोहाइड्रेट् सेवनेन शरीरे ऊर्जा प्राप्यते। अनेकरोगाणां निवारणे सहायकं भवति। अस्य मुख्याः स्रोताः सन्ति साकं, धान्यं, ताण्डुलं, दालम्, फलानि, आलू, कदलीफलम्। सन्तुलित आहारस्य अनेके लाभाः सन्ति। एतेन जनस्य शरीरे तानि सर्वाणि पोषकाणि प्राप्यन्ते ये तस्य स्वस्थः, सुस्थः च भवितुं आवश्यकाः सन्ति। सन्तुलितः आहारः अनेकेषां रोगानाम् संक्रमणानां च निवारणे सहायकः भवति। तस्मिन् विद्यमानाः पोषकाः रोगैः सह युद्धाय बलं ददति। मनुष्याणां मानसिकक्षमतां स्मृतिशक्तिं च वर्धयति। वयसः, ऊर्ध्वतायाः च अनुरूपं शरीरस्य भारं सम्यक् स्थापयितुं अपि सन्तुलितः आहारः अतीव सहायकः भवति। न्यूनभोजनेन कुपोषणस्य शिकारः भवति, अधिकभोजनेन तु स्थूलतादयः रोगाः गृहं भवन्ति। एतादृशे सति सन्तुलितः आहारः एतान् सर्वान् विकारान् दूरीकर्तुं कार्यं करोति। स्वस्थः सन्तुलितः च आहारः मधुमेहः, कर्करोगः, हृदयरोगः इत्यादीनां गम्भीराणां रोगानाम् विकासं निवारयितुं शक्नोति। उच्चरक्तचापस्य चिकित्सायाम् अपि सहायकं भवति। संतुलित आहारेण शरीरे तन्तुः, विटामिन–सी, विटामिन–ई, बीटा कैरोटीन्, मेलेनियम इत्यादीनि एण्टीऑक्सिडेण्ट् च प्राप्यन्ते। तस्मिन् फ्लेवोन्, पॉलीफेनोल् इत्यादीनि पादपरसायनानि अपि सन्ति। एण्टीऑक्सिडेण्ट्, पॉलीफेनोल् च शरीरस्य विभिन्न– प्रकारस्य क्षतितः अनेकरोगाणां च रक्षणं ददति। सन्तुलित आहारस्य पोषकद्रव्याणां विषये वदन् तस्मिन् समाविष्टं प्रोटीनं मांसपेशीनां सुदृढीकरणाय अपि च शरीरस्य समग्र विकासाय अत्यावश्यकम् अस्ति यदि प्रोटीन उपलब्धं नास्ति तर्हि गठिया, हृदयरोगः, गण्डा इत्यादयः बहवः रोगाः भवितुम् अर्हन्ति। प्रोटीनप्राप्त्यर्थं मांसं, अण्डं, समुद्रभोजनं, दुग्धं, दधिं, शुष्कफलं च खादितव्यं। ये प्रोटीनस्य उत्तमाः स्रोताः सन्ति। कार्बोहाइड्रेट् सेवनेन शरीरे ऊर्जा प्राप्यते। अनेकरोगाणां निवारणे सहायकं भवति। अस्य मुख्याः स्रोताः सन्ति साकं, ध ाान्यं, तण्डुलं, दालम्, फलानि, आलू, कदलीफलम्। सन्तुलित–आहारे समाविष्टानि विटामिन–खनिज –द्रव्याणि वयं नूतन फलेभ्यः शाकेभ्यः च प्राप्नुमः। आयोडीन, लौहं, कैल्शियम, पोटेशियमं च महत्त्वपूर्णाः खनिजाः सन्ति। अनेन शरीरे रक्ताभावः दूरीकृत्य अस्थिः दृढाः भवन्ति। सन्तुलित आहारस्य तन्तुः अपि महत्त्वपूर्णः अस्ति। तन्तुयुक्तं आहारं सेवनं पाचनतन्त्राय अतीव लाभप्रदं भवति। चिकित्साविज्ञानस्य अनुसारं प्रौढः प्रतिदिनं प्रायः पञ्चविंशति तः त्रिंशत ग्रामपर्यन्तं तन्तुं सेवितुं अर्हति। सन्तुलित आहारस्य कृते सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं वस्तुं भोजनेन सह समुचितमात्रायां जलं पिवितुं शक्यते। न्यूनजलपानेन शरीरे बहवः रोगाः भवन्ति। अतः स्वस्य जलयुक्तं भवितुं प्रतिदिनं न्यूनातिन्यूनं अष्टतः दशपर्यन्तं चसकः जलं पिवितुं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सन्तुलितं आहारं गृह्णन् मनसि धारयतु यत् प्रतिदिनं पञ्चग्रामात् न्यूनं लवणं (प्रायः एकचमसस्य तुल्यम्) केवलं आयोडीनयुक्तं लवणं च सेवनीयम्। वस्तुतः प्रत्येकस्य जनस्य शरीरस्य संरचना भिन्ना भवति। अतः प्रत्येकस्य शरीरस्य पोषणस्य आवश्यकता समाना नास्ति। अतः एकस्य व्यक्तिस्य कृते सन्तुलितः

आहारः अन्यस्य कृते न्यूनाधिकं पोषकं सिद्धं कर्तुं शक्नोति। सन्तुलितं आहारं प्रभावितं कुर्वन्ति अनेके कारकाः सन्ति। अतः जनस्य आयुः, लिङ्ग, शारीरिकक्षमता, जीवनशैली च किम् इति विषये सर्वदा ध्यानं दातुं आवश्यकता वर्तते। कीदृशे जलवायुः निवसति? एतेषां प्रश्नानाम् आधारेण सन्तुलितः आहारः निर्धारयितुं शक्यते। यथा बालप्रौढानां सन्तुलित्तभोजने भेदः भवितुम् अर्हति, तथैव स्त्रियाः पुरुषाणां च सन्तुलित आहारस्य भेदः भवितुम् अर्हति।

सन्तुलित आहारस्य सेवनेन स्वस्थस्य सक्रियस्य च जीवनशैल्याः आधारः भवति। एतेन दीर्घकालीनस्वास्थ्यसमस्यानां हानिः न्यूनीकरोति। तदतिरिक्तं देशे मानवसंसाधनविकासाय अपि अतीव महत्त्वपूर्णम् अस्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् स्वस्थराष्ट्रस्य निर्माणं केवलं स्वस्थसमाजेन एव कर्तुं शक्यते। एतदर्थं न केवलं एकस्य व्यक्तेः अपितु समग्रस्य समाजस्य आहारस्य पोषणस्य च विषये विशेषं ध्यानं दातव्यम्। एतादृशे परिस्थितौ सद्यः एव प्रारब्धःय, आहरक्रान्तिः (Good Food & Good Thoughts), अभियानं न केवलं बालकान्, युवानः, वृद्धाः, महिलाः च कुपोषणात् गम्भीररोगेभ्यः च उद्धारयिष्यति अपितु उन्नतसमाजस्य निर्माणे अपि अतीव सहायकः सिद्धः भविष्यति तथा च एकं श्रेष्ठं राष्ट्रम्।

स्वास्थ्य सम्बन्धी हानिः

तामसीभोजनं, मांसं, मद्यं च मानसिकस्वास्थ्यस्य कृते नकारात्मकं भवति। प्रभावः भवतु अशाकाहारिणां मृत्योः दरः अधिकः भवति। हृदयं, फुफ्फुसं, यकृत् च इत्येतयोः उपरि तामसी आहारः दुष्प्रभावाः भवन्ति, येन शरीरे अनेकाः प्रकाराः रोगाः भवन्ति। धूम्रपानस्य कारणेन कर्करोगः, मेदः अत्यधिकं सेवनं च रक्तचापं वर्धयति तथा च हृदयघातः भवति।

डॉ. कोवान् स्वस्य पुस्तके नवजीवने लिखितम् अस्ति यत् यौनसम्बन्धेन कामः सृजति। दूषितं भोजनं मुख्यकारणम् अस्ति। तत् बालकान् कल्पयन् भोजने अण्डानि, मांसानि, मरिचानि, मसालाः, मिष्ठान्नानि, अचाराः, कदाचित् मद्यं च दत्तं भवति, तत् च कामुकतया क्रियते। उद्धारः भवितुं असम्भवः विचारः। यदि पञ्च वा दश वर्षाणि वा आकाशे वृद्धानां देवदूतानां अपि एतत् भोजनं दातव्यम्। तदा तस्मिन् अपि व्यभिचारस्य इच्छा उत्पद्यतेय मानवबालस्य पुरतः पितृदुष्टाचारसहस्राणि यस्य तत्र किं वक्तव्यं ते बीजरूपेण एव विद्यन्ते।

वैज्ञानिकानुसन्धानम्

ब्रिटेन देशस्य म्यान्चेस्टर मेडिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट् इत्यस्य वैज्ञानिकाः अस्मिन् विषये गम्भीरं शोधं कृत्वा निष्कर्षं गतवन्तः यत् आहारस्य मनुष्याणां, पशूनां च प्रकृतौ, गुणैः, प्रकृतौ च महत् प्रभावः भवति अस्य कृते बहवः परीक्षणाः कृताः, येषु एकः मूषकेषु आसीकि। मूषकः स्वाभाविकतया शान्तस्वभावः, न कस्यचित् युद्धं करोति न आक्रमयति। प्रयोग–शालायां पालिताः केचन मूषकाः बहिः निष्कासिताः तथा च सामान्यभोजनं दातुं स्थाने मरिचमसालामां–समादकद्रव्यैः निर्मितं भोजनं दत्तम्। तस्य खादनात् पूर्वं मूषकाः अतीव शान्ताः आसन्, परन्तु कतिपयेषु होराषु अनन्तरं ते अशिष्टाः, आक्रामकाः च अभवन्। यदा ते पुनः पिञ्जरे मुक्ताः अभवन् तदा ते परस्परं युद्धं कर्तुं आरब्धवन्तः, रक्ता च अभवन्। तदनन्तरं तेभ्यः एव मूषकेभ्यः द्वितीयवारं सरलं, शुद्धं च भोजनं दत्तम्। अस्मिन् अपि पूर्वप्रभावः अद्यापि आसीत्, परन्तु मूषकाः तुल्यकालिकरूपेण शान्ताः आसन्। अनेकवारं एतादृशं आहारं स्वीकृत्य सः स्वस्य मूलस्थितौ पुनः आगन्तुं समर्थः अभवत्। एतादृशानां शतशः प्रयोगानां माध्यमेन वैज्ञैनिकाः एतत् निष्कर्षं प्राप्तुं समर्थाः अभवन् यत् आहारः न केवलं शरीरस्य पोषणं करोति अपितु मानवस्य मनः अपि प्रभावस्य वर्तते इति।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गीता 3 / 14–15
2. गीता 15 / 14
3. गीता–17 / 10

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 27th Feb. 2025
Paper Accepted : 2nd March 2025

21वीं सदी के हिन्दी दलित कहानियों में महिला सशक्तिकरण एवं रचनात्मक स्वरूप

□ उपेन्द्र यादव*

शोध-सारांश

21वीं सदी के हिन्दी दलित कहानियों में महिला सशक्तिकरण और रचनात्मक स्वरुप एक महत्त्वपूर्ण और उभरता हुआ विषय बनकर सामने आया है। इस समय में दलित महिला लेखिकाओं ने अपनी कहानियों के माध्यम से दलित समुदाय की महिलाओं के संघर्ष, अधिकार, और उनके जीवन की जटिलताओं को उजागर किया है। इन कहानियों में दलित महिलाओं की आंतरिक शक्ति, उनके आत्मनिर्भर बनने की इच्छा और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध को प्रमुखता से दर्शाया गया है।

महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए, इन कहानियों में महिलाओं के व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को पुनः पारिभाषित किया गया है। वे न केवल सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देती हैं, बल्कि अपने अस्तित्व को पुनः रचनात्मक रुप से आकार देती हैं। इन कहानियों में पुरुष वर्चस्व और जातिवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज सुनाई देती है, जो यह दिखाती है कि दलित महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं।

रचनात्मक स्वरुप की बात करें तो दलित महिला लेखिकाओं ने साहित्यिक भाषा रुप और शैली में नवाचार किया है। वे अपने अनुभवों और संघर्षों को अपनी लेखनी में बयाँ करती हैं, जिससे दलित समाज के जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। उनकी कहानियों में न केवल सामाजिक संरचनाओं की आलोचना होती है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भी महत्त्वपूर्ण बात होती है।

कुल मिलाकर, 21वीं सदी के दलित कहानियाँ महिलाओं के संघर्ष, सशक्तिकरणऔर रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुकी हैं। इन कहानियों में दलित महिलाओं का आत्मविश्वास और उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव की झलक दिखाई देती है।

बीज शब्द- *सामाजिक संघर्ष और प्रतिरोध, नैतिकता और न्याय, प्राकृतिक और सांस्कृतिक संदर्भ, अधिकारों के लिए आंदोलन, समाज में जागरुकता बढ़ाने के लिए संघर्ष...*

* शोधार्थी (हिन्दी-विभाग), जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
Email : upendrayadav276139@gmail.com

21वीं सदी के हिन्दी दलित कहानियों में महिला सशक्तिकरण का विषय काफी महत्त्वपूर्ण है। यह एक ऐसा विषय है जिसने दलित साहित्य को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। दलित महिलाएँ सदियों से उत्पीड़न, शोषण और अत्याचार का सामना करती रही हैं। लेकिन आज वे अपनी आवाज उठा रही हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। दलित कहानियाँ इसी संघर्ष को बयाँ करती हैं।

दलित कहानियों में महिला सशक्तीकरण के कुछ प्रमुख बिंदु

सामाजिक बंधनों को तोड़ना-दलित महिलाएं पारंपरिक बंधनों को तोड़कर अपनी पहचान बना रही हैं। वे घर से निकलकर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं और सामाजिक कार्यों में भाग ले रही हैं।

हिंसा के खिलाफ लड़ाई-दलित महिलाएं घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं के खिलाफ खुलकर लड़ रही हैं। वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं और कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।

समाज में बदलाव लाना दलित महिलाएं समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। वे जातिवाद, लिंग भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरुकता फैला रही हैं।

रचनात्मक अभिव्यक्ति दलित महिलाएँ अपनी कहानियों, कविताओं और लेखन के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं और समाज को जागरुक कर रही हैं।

दलित कहानियों में महिला सशक्तीकरण का रचनात्मक स्वरूप

चरित्र—दलित कहानियों में महिलाएँ मजबूत और निर्भीक चरित्रों के रुप में उभरती हैं। वे अपनी समस्याओं का सामना डटकर करती हैं और कभी हार नहीं मानती हैं।

कथावस्तु—कहानियों की कथावस्तु दलित महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। इनमें शिक्षा, रोजगार, विवाह, परिवार और सामाजिक जीवन जैसी विभिन्न समस्याओं को उठाया जाता है।

भाषा—दलित कहानियों में भाषा का प्रयोग बहुत ही प्रभावशील होता है। लेखक अपनी भावनाओं को सरल और सहज भाषा में व्यक्त करते हैं।

शैली—दलित कहानियों की शैली यथार्थवादी होती है। लेखक दलित महिलाओं के जीवन की कठिनाइयों को बिना किसी छिपाव के बयान करते हैं।

21वीं सदी के हिन्दी दलित कहानियाँ दलित महिलाओं की आवाज हैं। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि दलित महिलाएँ कितनी मजबूत और निर्भीक हैं। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और समाज में बदलाव लाना चाहती हैं। दलित कहानियाँ हमें दलित महिलाओं के संघर्ष से प्रेरित करती हैं और हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- दलित कहानियों में महिला सशक्तीकरण का विषय न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी प्रासंगिक है।
- दलित महिलाओं की कहानियों को मुख्यधारा के साहित्य में जगह मिलनी चाहिए।
- दलित महिलाओं को अपनी रचनात्मक क्षमता को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- आप किस दलित लेखिका या कहानी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं?

यह उत्तर निम्नलिखित विषयों को शामिल करता है—

- दलित कहानियों में महिला सशक्तिकरण का महत्त्व
- दलित महिलाओं के संघर्ष
- दलित कहानियों का रचनात्मक स्वरुप
- दलित महिलाओं की उपलब्धियाँ
- भविष्य की संभावनाएँ

दलित महिलाओं की स्थिति

दलित महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें समाज में दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है।एक तो जातिवाद के कारण और दूसरा लिंग भेदभाव के कारण।

1. आर्थिक और सामाजिक असामनता—दलित महिलाएँ अक्सर निम्न आर्थिक स्थिति में होती हैं और उन्हें समाज में सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वे अधिकांश समय असमान कार्यों में लगी रहती हैं, जैसे कि सफाई, मैन्युअल श्रम और घरेलू कार्य। यह काम अक्सर असम्मानित होते हैं और इनका मूल्य कम समझा जाता है।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य—दलित महिलाओं की

शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच भी बहुत सीमित होती है। वे गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में रहने के कारण शिक्षा के अवसरों से वंचित रहती हैं, जिसके परिणामस्वरुप उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर और भी निचला हो जाता है।

3. सुरक्षा और हिंसा—दलित महिलाएँ यौन हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न और अन्य प्रकार के शोषण का शिकार होती हैं। उनका उत्पीड़न अक्सर जातिवाद और लिंग भेदभाव दोनों के कारण होता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक शोषण बढ़ जाता है।

4. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व—दलित महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की भागीदारी में भी कमी होती है। उनके लिए नेतृत्व के अवसर सीमित होते हैं और उन्हें अपनी आवाज उठाने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हालाँकि, दलित महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ और सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी चुनौतियाँ बाकी हैं।

दलित महिलाओं का संघर्ष

दलित महिलाओं का संघर्ष कई स्तरों पर होता है, क्योंकि उन्हें दोहरी हाशियाकृत स्थिति का सामना करना पड़ता है, एक तो जातिवाद और दूसरा लिंग भेदभाव। यह संघर्ष उनके रोजमर्रा के जीवन में गहरे असर डालता है और उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करता है।

1. जातिवाद और लिंग भेदभाव—दलित महिलाएँ अपने जाति और लिंग के कारण दमन, शोषण और भेदभाव का शिकार होती हैं। जातिवाद की जड़ें समाज में गहरी हैं और जब इसमें लिंग भेदभाव भी जुड़ता है, तो यह उनके जीवन को और भी कठिन बना देता है। उन्हें न केवल आर्थिक रुप से कमजोर समझा जाता है, बल्कि उन्हें सामाजिक दृष्टि से भी नीचा और असम्मानित माना जाता है।

2. शिक्षा का अभाव—दलित महिलाओं के लिए शिक्षा एक बड़ा संघर्ष है। उनके लिए स्कूल जाने का अवसर अक्सर सीमित होता है और अगर वे जाती भी हैं, तो उन्हें असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण से वंचित रखता है।

3. आर्थिक शोषण—दलित महिलाएँ आमतौर पर सफाई, मजदूरी और अन्य असमान कामों में लगाई जाती हैं, जिनमें उन्हें न्यूनतम वेतन या कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। यह आर्थिक शोषण का एक प्रमुख रुप है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

4. सुरक्षा और हिंसा—दलित महिलाएँ यौन हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न, और मानसिक शोषण का शिकार होती हैं। उन्हें अक्सर उत्पीड़न और अन्याय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास न्याय प्राप्त करने के लिए साधन और संसाधन नहीं होते।

5. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व—दलित महिलाएँ समाज में नेतृत्व के अवसरों से वंचित होती हैं। उनके लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की दिशा में अवसर सीमित होते हैं। उनका संघर्ष इन अवसरों के लिए भी होता है, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें।

6. सामाजिक आंदोलन और परिवर्तन—हालाँकि दलित महिलाएँ कड़ी चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन वे सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा भी रही हैं। उदाहरण के लिए, बी.आर. अंबेडकर द्वारा दिए गए आह्वान से प्रेरित होकर कई दलित महिलाओं ने शिक्षा, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। इसके साथ ही, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठन भी उनकी मदद करते हैं।

संघर्ष की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम

सामाजिक न्याय और अधिकार कई राज्य सरकारें और संगठन दलित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि आरक्षण, महिला सुरक्षा कानून और शिक्षा योजनाएँ।

दलित महिला नेतृत्व—कुछ दलित महिलाएँ अब राजनीति, समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। फिर भी, दलित महिलाओं के संघर्ष को सशक्त बनाने के लिए समाज और सरकार को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

दलित कहानियों की रचनात्मक स्वरूप

दलित कहानियों का रचनात्मक स्वरुप भारतीय साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये

समाज के सबसे हाशिए पर स्थित लोगों की आवाज़ को प्रदर्शित करती हैं। दलित साहित्य, खासकर कहानियाँ, न केवल समाज में फैले जातिवाद, असमानता और उत्पीड़न को उजागर करती हैं, बल्कि यह संघर्ष, साहस और न्याय की उम्मीद को भी सामने लाती हैं। इन कहानियों का रचनात्मक स्वरुप इन खास तत्त्वों से बना होता है।

1. वास्तविकता और संवेदनशीलता

दलित कहानियाँ अक्सर समाज की कड़ी और वास्तविक परिस्थितियों को चित्रित करती हैं। ये कहानियाँ दलित वर्ग के शोषण, गरीबी और सामाजिक भेदभाव की जटिलताओं को बिना किसी संकोच के दिखाती हैं। रचनाकार इन पात्रों की पीड़ा, संघर्ष और असमानताओं को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं, जो पाठक को भीतर तक झकझोर देती है।

2. आत्मकथा और अनुभव

दलित साहित्य में कई रचनाएँ आत्मकथात्मक होती हैं, जिनमें लेखक अपने व्यक्तिगत दुःखों, संघर्षों और असमानताओं का बयान करते हैं। यह एक रचनात्मक रुप होता है, जो वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है और यह दलित समाज की व्यक्तिगत और सामूहिक कहानी को सामने लाता है। ऐसे साहित्य में लेखक खुद को दलित समाज के हिस्से के रुप में प्रस्तुत करता है और अपने अनुभवों के माध्यम से समाज के अन्य वर्गों को जागरुक करता है।

3. लोककला और मुहावरे

दलित साहित्य में लोककला और मुहावरों का उपयोग अक्सर किया जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो सरल, सजीव और सच्चाई से भरी होती है। यह भाषा और मुहावरे दलित समुदाय के अनुभवों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। खासकर, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले दलितों की भाषाएँ और परंपराएँ इन कहानियों में स्पष्ट रुप से दिखती हैं।

4. सामाजिक संघर्ष और प्रतिरोध

दलित कहानियाँ सामाजिक भेदभाव, जातिवाद और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर भी बनाती हैं। इन कहानियों में दलित पात्र अपनी अस्मिता, समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। यह साहित्य उनके संघर्ष का न केवल बयान करता है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और सशक्तिकरण को भी प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, डॉ. अंबेडकर और उनके सिद्धांतों का प्रभाव भी दलित कहानियों में दिखता है।

5. नारीवाद और महिला सशक्तिकरण

दलित कहानियों में अक्सर महिला पात्रों के संघर्ष को केंद्रित किया जाता है, जो कि समाज में दोगुना उत्पीड़ना झेल रही होती हैं- एक तो जातिवाद के कारण और दूसरा लिंग भेदभाव के कारण। दलित महिलाओं की स्थितियों और उनके प्रतिरोध को उभारने के लिए रचनाकार महिला पात्रों का गहन चित्रण करते हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण की बात भी सामने आती है।

6. नैतिकता और न्याय

इन कहानियों में एक गहरी नैतिक चेतना होती है। रचनाकार समाज के अन्याय पूर्ण तंत्र के खिलाफ न्याय की बात करते हैं और यह दिखाते हैं कि सही और गलत के बीच भेद करना कितना महत्त्वपूर्ण है। दलित कहानियाँ न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष, सम्मान और समानता की आवश्यकता को प्रमुखता से प्रस्तुत करती हैं।

7. प्राकृतिक और सांस्कृतिक संदर्भ

दलित कहानियाँ अक्सर ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक संदर्भों में गहरी होती हैं। इन कहानियों में सामाजिक जीवन, रीति-रिवाज और परंपराओं का चित्रण किया जाता है, जो समाज की जड़ों को दर्शाता है।

प्रमुख दलित रचनाकार और उनके योगदान

शंकर पाटिलः उनकी कहानियाँ दलित जीवन की कष्टपूर्ण स्थितियों को उद्घाटित करती हैं। वे न केवल जातिवाद की आलोचना करते हैं, बल्कि दलितो के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में भी काम करते हैं।

यशपाल—उनकी कहानियाँ सामाजिक असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे मानवीय संघर्षों को और गहराई से पेश करते हैं।

सोमनाथ वर्मा—उनकी रचनाएँ दलित समुदाय के जीवन की सच्चाई और संघर्ष को अभिव्यक्त करती हैं और उन्होंने दलित साहित्य को एक नई दिशा दी।

दलित कहानियाँ न केवल एक समुदाय के अनुभवों और संघर्षों को व्यक्त करती हैं, बल्कि वे समाज के कड़वे सत्य को सामने लाकर सामाजिक बदलाव की

दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं। इन रचनाओं का रचनात्मक स्वरुप एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनकर उभरता है, जो निरंतर समाज में असमानता और भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है।

दलित महिलाओं की उपलब्धियाँ

दलित महिलाओं ने कई वर्षों तक समाज में उपेक्षाएँ, उत्पीड़न और असमानता का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। उनका संघर्ष और साहस आज भी समाज में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ दी गई हैं, जो दलित महिलाओं ने अपने संघर्षों और प्रयासों के माध्यम से हासिल की हैं-

1. शिक्षा में योगदान

दलित महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण हासिल की है। वे अब पहले से कहीं अधिक स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश पा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मेहनत और संघर्ष के कारण कई दलित महिलाएँ उच्च शिक्षा हासिल करने में सफल हुई हैं और अब वे समाज के अन्य वर्गों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर, दलित महिलाओं ने अपने बच्चों को भी शिक्षित करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं।

2. राजनीतिक सशक्तिकरण

दलित महिलाओं ने राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने समाज में अपनी आवाज को उठाने और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया है।

कांची किन्नर इस राजनीतिक नेता ने अपनी पहचान बनाई और दलित महिला आंदोलन को दिशा दी।

मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने दलित समुदाय की सत्ता में भागीदारी बढ़ाई और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई योजनाएँ बनाईं। उनका उदाहरण दलित महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई और सत्ता तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया।

3. सामाजिक न्याय और समानता

दलित महिलाओं ने समाजिक न्याय और समानता के लिए कई संघर्ष किए हैं।

स्मिता पाटिल जैसी महिला कार्यकर्त्ता और अभिनेत्री ने जातिवाद और महिलाओं के अधिकारों पर अपनी आवाज़ उठाई।

वे समाजिक आंदोलनों का हिस्सा रही हैं, जिनका उद्देश्य दलितों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में समानता लाना था।

4. साहित्य और कला में योगदान

दलित महिलाएँ साहित्य, कला और अन्य सांस्कृति क्षेत्रों में भी अपने हुनर और दृष्टिकोण को उजागर कर रही हैं।

बेबे कौर और अम्बिका सरोहा जैसी दलित कवियित्रियाँ और लेखिकाएँ अपने साहित्य के माध्यम से दलित महिलाओं के अनुभवों और संघर्षों को सामने लाती हैं।

दलित महिलाओं के दृष्टिकोण से लिखी गई कविताएँ और कहानियाँ समाज में जागरुकता फैलाती हैं और उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती हैं।

5. स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण

दलित महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं तक अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रुप में काम कर दलित महिलाओं ने न केवल अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की, बल्कि दूसरों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरुक किया।

उन्होंने अपनी समुदायों में परिवार नियोजन, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरुकता बढ़ाई है, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

6. सामाजिक आंदोलन और दलित महिला अधिकार दलित महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए कई बड़े सामाजिक आदोलनों का नेतृत्व किया है।

दलित पैंथर आंदोलन और आंदोलन की झलक जैसी घटनाओं में दलित महिलाओं ने सक्रिय रुप से भाग लिया और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

इन आंदोलनों ने जातिवाद और लिंग भेदभाव को चुनौती दी और दलित महिलाओं को एकजुट करने का कार्य किया।

कहानियों में दलित महिलाओं की संभावनाएँ

कहानियों में दलित महिलाओं की संभावनाएँ बहुत गहरी और प्रभावशाली हैं, क्योंकि ये न केवल उनके

संघर्षों को उजागर करती हैं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक प्रेरक शक्ति के रुप में भी उभरती हैं। दलित महिलाओं की कहानियाँ उन संभावनाओं को प्रस्तुत करती हैं जो उत्पीड़न, भेदभाव और समाज में उनके स्थान को चुनौती देती हैं, और साथ ही यह दिखाती हैं कि किस तरह वे इन चुनौतियों को पार कर सकती हैं और अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकती हैं।

1. आत्मसशक्तिकरण और स्वतंत्रता

दलित महिलाओं की कहानियाँ आत्मसशक्तिकरण की संभावनाओं को उजागर करती हैं। जब ये महिलाएँ अपनी परिस्थितियों से लड़कर सफलता की ओर बढ़ती हैं, तो न केवल खुद को, बल्कि अपने समुदाय को भी सशक्त बनाती हैं। कई कहानियाँ उस प्रक्रिया को दर्शाती हैं, जिसमें दलित महिलाएँ अपनी आवाज को पहचानती हैं और समाज में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं। उदाहरण के रुप में, दलित महिला पात्रों का संघर्ष शिक्षा, परिवार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अस्मिता के लिए देखा जाता है। इन कहानियों में दिखाया जाता है कि किस तरह एक महिला अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकती है, चाहे वह संघर्ष के रुप में हो या फिर एक नई पहचान के रुप में।

2. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान

दलित महिलाओं की कहानियाँ उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी प्रस्तुत करती हैं। यह उन महिलाओं की संभावना को दर्शाती हैं, जो अपने जातीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को गर्व से अपनाती हैं और उसे समाज के सामने लाती हैं। दलित महिलाओं की कहानियाँ उन सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को चुनौती देती हैं जो उन्हें हाशिये पर रखते हैं, और साथ ही यह भी दिखाती हैं कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए उसे एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकती हैं।

3. साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान

कहानियों में दलित महिलाओं की संभावनाएँ साहित्य, कला और अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी खुलती हैं। दलित महिलाओं के दृष्टिकोण से लिखी गई कहानियाँ नए विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करती हैं, जो समाज के अन्य वर्गों के लिए शिक्षाप्रद हो सकती हैं। ये कहानियाँ समाज में बदलाव लाने की दिशा में साहित्य और कला के माध्यम से जागरुकता पैदा करती हैं।

उदाहरण—कई दलित लेखिकाओं ने अपने अनुभवों को साहित्य के रुप में प्रस्तुत किया है, जिससे दलित महिलाओं की आवाज़ को व्यापक मंच मिला है। उनके लेखन के द्वारा दलित महिलाओं की मानसिकता, संघर्ष और सामूहिक पहचान का चित्रण किया गया है।

4. महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व

दलित महिलाओं की कहानियाँ महिला सशक्तिकरण के नए आयामों को भी प्रस्तुत करती हैं। इन कहानियों में महिलाएँ केवल शोषण और उत्पीड़न का शिकार नहीं होतीं, बल्कि वे इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए रास्ते भी खोजती हैं। ये कहानियाँ यह दिखाती हैं कि दलित महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए न केवल व्यक्तिगत रुप से संघर्ष करती हैं, बल्कि वे समाज में नेतृत्व भी करती हैं। वे अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करती हैं और अपने समुदाय के भीतर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं।

5. नारीवाद और समता का संघर्ष

दलित महिलाओं की कहानियाँ न केवल जातिवाद और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की गाथाएँ होती हैं, बल्कि ये नारीवाद और लैंगिक समानता की भी संभावना प्रस्तुत करती हैं। इन कहानियों में लिंग भेदभाव, घरेलू हिंसा और पुरुष प्रधान समाज की सख्त परंपराओं के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाती हैं। यह दर्शाता है कि कैसे दलित महिलाएँ इन सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं और समानता, स्वतंत्रता और न्याय की ओर बढ़ सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. कालीचरण 'स्नेही', दलित दुनियाँ (2009)
2. सुशीला टाकभौरे, संघर्ष
3. जय प्रकाश कर्दम, तलाश
4. शरण कुमार लिंबाले, छुआछूत (2008)
5. डॉ. एन.सिंह, यातना की परछाइयाँ
6. अजय नवरिया, पटकथा तथा अन्य कहानियाँ

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 27th Feb. 2025 **Paper Accepted : 2nd March 2025**

1857 की क्रान्ति और झलकारी बाई

❑ डॉ. फ़ैज़ान अहमद

शोध-सारांश

झलकारी बाई एक प्रसिद्ध महिला स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थीं, जिन्होंने 1857 ई. की क्रान्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दलित जाति के एक निर्धन परिवार की महिला होने के बावजूद झलकारी बाई ने सामाजिक मानदण्डों को चुनौती दी और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 1857 ई. के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेज़ी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर उन्होंने बहुत सूझ–बूझ और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा धारण कर स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। झलकारी बाई ने जनरल ह्यूरोज़ और उसकी सेना को तब तक युद्ध में उलझाए रखा, जब तक कि रानी लक्ष्मीबाई उनकी पहुँच से दूर नहीं चली गईं। इस युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुईं। भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में उनका अमूल्य योगदान रहा है।

मुख्य शब्द– *प्रारम्भिक जीवन, प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में भूमिका, शहादत, इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा, सम्मान।*

प्रस्तावना

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में प्रथम चरण में 1600 ई. से लेकर 1756 ई. तक व्यापार और वाणिज्य का विस्तार किया, द्वितीय चरण में 1757 ई. से 1857 ई. तक औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार और इसके बाद अन्तिम चरण में साम्राज्य की प्रशासनिक सुदृढ़ता का कार्य किया। द्वितीय चरण में औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार के लिए लार्ड वेलेजली ने 'सहायक सन्धि' और लार्ड डलहौज़ी ने 'हड़प नीति' रूपी औज़ार का सहारा लिया। इसका उद्देश्य भारतीय रियासतों को धीरे–धीरे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना था। डलहौज़ी की 'हड़प नीति' का सभी भारतीय राजाओं ने विरोध किया और उसके प्रति व्याकुलता भी प्रकट की।

तत्कालीन झाँसी रियासत के राजा गंगाधर राव की 1853 ई. में मृत्यु हो गई। उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। अतः उन्होंने दामोदर गंगाधर राव नामक एक बच्चे को गोद ले रखा था। लार्ड डलहौज़ी ने राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और 'हड़प नीति' के तहत झाँसी का

* प्रोफ़ेसर (राजनीति विज्ञान) एवं कार्यवाहक प्राचार्य, जी.बी.पन्त (पी.जी.) कॉलेज, कछला, बदायूँ (उ.प्र.)
e-mail-gbpantdegreecollege@gmail.com, Mob.- 9412368300

ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत विलय कर लिया। इस फ़ैसले को बदलवाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी का दरवाज़ा खटखटाया, बार–बार अपीलें कीं, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। अन्त में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का मार्ग अपनाया। 25 मार्च, 1858 ई. को झाँसी का युद्ध प्रारम्भ हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को बहुत कड़ी टक्कर दी। उन पर काबू पाना अंग्रेज़ों के लिए वास्तव में बहुत दुरूह कार्य साबित हुआ।

1857 ई. के भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों ने अपनी–अपनी आहुति दी। ऐसे ही आहुति देने वालों में झाँसी की एक दलित और सामान्य परिवार की वीरांगना झलकारी बाई भी थीं, जिनके साहस, संघर्ष और बलिदान की चर्चा किए बिना 1857 ई. की क्रान्ति की व्याख्या अधूरी मानी जाएगी।

प्रारम्भिक जीवन

झलकारी बाई का जन्म 22 नवम्बर 1830 ई. को झाँसी के पास के भोजला गाँव में एक निर्धन कोरी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। उनके पिता एक बहादुर सैनिक तथा कुशल तीरंदाज थे। झलकारी बाई अपने माँ–बाप की इकलौती सन्तान थीं। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थीं, तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता ने उन्हें बड़े प्यार से पाला था और उन्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा दी थी। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने स्वयं को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। उन्हें स्त्रियोचित क्रियाएँ कभी भी आकर्षित नहीं कर सकीं।

झलकारी बाई घर के काम के अलावा पशुओं का रख–रखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थीं। एक बार जंगल में उनकी मुठभेड़ एक बाघ से हो गई। बाघ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए उन्होंने बहादुरी से बाघ का सामना किया और उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार डाला। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गाँव के एक व्यवसायी पर हमला किया तब झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मज़बूर कर दिया। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गाँव वालों ने उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन कोरी भी बहुत बहादुर थे और पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोहा मानती थी।

एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी बाई गाँव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झाँसी के क़िले में गईं। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देख कर अवाक् रह गईं, क्योंकि झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थीं। दोनों के रूप में अलौकिक समानता थी। अन्य महिलाओं से झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुईं। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को झाँसी की सुरक्षा के लिए गठित महिला सैनिक दस्ते 'दुर्गा दल' में सम्मिलित कर लिया। शीघ्र ही अपनी योग्यता और स्वामिभक्ति के बल पर झलकारी बाई 'दुर्गा दल' की सेनापति बन गईं। डॉ. सी.पी. गुप्ता ने झलकारी बाई की वीरता एवं स्वामिभक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि, "इस दलित **वीरांगना ने वह करिश्मा कर दिखाया जो इतिहास में अन्य कोई सामान्य नागरिक नहीं कर सका था। कोरी परिवार में जन्मी इस दलित बेटी के लिए जहाँ यह एक राश्ट्र भक्ति प्रदर्शित करने का सुअवसर था, वहीं रानी का अहोभाग्य था कि उन्हें झलकारी बाई जैसी तेज़–तर्रार, दूरदर्शी और समर्पित महिला प्राप्त हुई।**"[1] झलकारी बाई ने पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से रानी एवं झाँसी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में भूमिका

ब्रिटिश गवर्नर जनरल लार्ड डलहौज़ी की राज्य हड़पने की नीति के चलते ब्रिटिशों ने निःसन्तान राजा गंगाधर राव को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। ब्रिटिशों के इस कृत्य से रानी लक्ष्मीबाई की सारी सेना, उनके सेनानायक और झाँसी के लोग रानी के पक्ष में लामबन्द हो गए और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ़ हथियार उठाने का संकल्प लिया। 25 मार्च, 1858 ई. को अंग्रेज़ों ने झाँसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने क़िले के भीतर से अपनी सेना का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। झाँसी के क़िले को बार–बार अंग्रेज़ों की तोपों से क्षति होती थी, किन्तु वहाँ लगे हुए कामगार राष्ट्र भक्त उसकी बहुत जल्दी मरम्मत कर देते थे। तभी अंग्रेज़ जनरल ह्यूरोज़ अपनी दूरबीन से देखकर आश्चर्यचकित होते हुए कहता है कि, **''ओह! स्त्रियाँ तोप चला रही हैं। हैं मर्दानी वर्दी में, मगर पहचानी जा सकती हैं। कुछ रसद बाँट रही हैं, कुछ टूटी हुई दीवारों और बुर्जों के कंगूरों की मरम्मत में मदद दे रही हैं। इतनी तरतीब से, इतनी तेज़ी से हिन्दुस्तानियों को काम करते आज देखा है।''**[2] ब्रिटिश सेना का एक अन्य सेनापति स्टुअर्ट भी अपनी दूरबीन से देखकर कहता है कि **''जनरल! ये सब नेपोलियन हो गए हैं क्या?''**[3] रानी लक्ष्मीबाई और उनके सेनापतियों ने इस दौरान अंग्रेज़ों द्वारा किए गए कई हमलों को नाकाम कर दिया। झलकारी बाई ने इस युद्ध में झाँसी के क़िले के उन्नाव दरवाज़े पर वीरता पूर्वक युद्ध किया।

रानी लक्ष्मीबाई के सेनानायकों में से राव दूल्हाजू ने उन्हें धोखा दिया। उसने क़िले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। उसकी इस ग़द्दारी के कारण ब्रिटिश सैनिक 3 अप्रैल, 1858 ई. को झाँसी के क़िले में घुस आए। रानी और उसके सैनिकों ने वीरतापूर्वक ब्रिटिश सैनिकों का मुक़ाबला किया। रानी जीते जी अंग्रेज़ों के हाथों में पड़ना नहीं चाहती थीं। अतः उन्होंने जौहर करने का निर्णय लिया। परन्तु झलकारी बाई एवं अन्य वफ़ादार सरदारों के कहने पर उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बाँधकर घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झाँसी से दूर निकल गईं।

झलकारी बाई के पति पूरन कोरी, प्रधान तोपची गुलाम ग़ौस ख़ाँ, ख़ुदाबख़्श ख़ाँ आदि वीर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। रानी के 'दुर्गा दल' की महिला सैनिकों में से कु. जूही, कु. काशीबाई, कु. मोतीबाई, कु. सुन्दर बाई आदि क़िले की इस लड़ाई में बलिवेदी पर न्यौछावर हो गईं। झलकारी बाई ने अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के बजाय अंग्रेज़ों से युद्ध करने की योजना बनाई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वेश–भूषा धारण कर स्वयं युद्ध का मोर्चा सँभाला और एक रणचण्डी की भाँति कोहराम मचाने लगीं। उन्होंने जनरल ह्यूरोज़ और उसकी सेना को तब तक उलझाए रखा, जब तक कि रानी लक्ष्मीबाई उनकी पहुँच से दूर नहीं चली गईं। झलकारी बाई ने इस युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए।

ग़द्दार राव दूल्हाजू ने झलकारी बाई को पहचान लिया। उसने यह भेद अंग्रेज़ों को बता दिया। तोप के गोले से घायल हो जाने के कारण वह वीरगति को प्राप्त हुईं। झलकारी बाई के शौर्य एवं अदम्य साहस को देखकर एक अंग्रेज़ सैन्य अधिकारी ने कहा कि **''मुझे यह औरत पागल दिखाई पड़ती है।''**[4] इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जनरल ह्यूरोज़ ने कहा था कि **''यदि भारत की एक प्रतिशत स्त्रियाँ भी ऐसी पागल हो जाएँ, तो हमारा भारत में टिकना मुश्किल हो जाएगा।''**[5] इस प्रकार झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की वेश–भूषा धारण कर उन्हें झाँसी से बाहर निकल जाने में सहायता प्रदान की, ताकि रानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतन्त्रता के युद्ध को जारी रख सकें।

शहादत

झलकारी बाई की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों

में मत भिन्नता है। जहाँ कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ब्रिटिश सेना द्वारा झलकारी बाई को बन्दी बनाने के उपरान्त फाँसी दे दी गई थी, वहीं कुछ ने लिखा है कि, मातृभूमि की रक्षा के लिए ब्रिटिश सैनिकों से युद्ध करते हुए 4 अप्रैल, 1858 ई. को झलकारी बाई ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कुछ स्थानों पर अंग्रेज़ों द्वारा झलकारी बाई को तोप से उड़ा देने का भी उल्लेख किया गया है। कुछ भी हो, यह दालित वीरांगना देश के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की यज्ञ वेदी में हँसते–हँसते अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए अमर हो गई। आज भी झाँसी के आस–पास झलकारी बाई लोगों की ज़ुबान पर राज करती हैं। वहाँ एक लोकगीत प्रचलित है–

''मचा झाँसी में घमासान,
चहुँ ओर मची किलकारी थी।
अंग्रेज़ों से लोहा लेने,
रण में कूदी झलकारी थी।।''[6]

सम्मान

मुख्य धारा के इतिहासकारों द्वारा भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में झलकारी बाई के योगदान की घोर उपेक्षा की गई है। कुछ इतिहासकारों ने उल्लेख भी किया है तो संक्षिप्त रूप में। लेकिन आधुनिक लेखकों ने उन्हें गुमनामी से उबारा है। हिन्दी के प्रसिद्ध जनकवि **बिहारी लाल हरित** ने 'वीरांगना झलकारी' काव्य की रचना की, जिसमें उन्होंने झलकारी बाई की बहादुरी को निम्न प्रकार पंक्तिबद्ध किया है–

''लक्ष्मीबाई का रूप धार,
झलकारी खड्.ग संवार चली।
वीरांगना निर्भय लश्कर में,
शस्त्र अस्त्र तन धार चली।।''[7]

वृंदावन लाल वर्मा ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'झाँसी की रानी' में झलकारी बाई की वीरता और राष्ट्रप्रेम की भावना को महिमा मण्डित किया है।

राष्ट्रकवि **मैथिलीशरण गुप्त** ने झलकारी बाई की बहादुरी को निम्न प्रकार पंक्तिबद्ध किया है–

''आकर रण में ललकारी थी,
वह झाँसी की झलकारी थी,
गोरों को लड़ना सिखा गई,
रानी बन जौहर दिखा गई,
है इतिहास में झलक रही,
वह भारत की ही नारी थी।''[8]

डॉ. इसहाक़ 'तबीब' ने झलकारी बाई की वीरता, शौर्य, साहस और देशप्रेम की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि–

''की गोरों ने जब मक्कारी,
झलकी तब रण में झलकारी,
देखे सब ने जौहर उसके,
निर्भयता से वह ललकारी।''[9]

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल **श्री माता प्रसाद** ने 'झलकारी बाई की जीवनी' की रचना की है। **चोखेलाल वर्मा** ने उनके जीवन पर एक वृहद् काव्य लिखा है। इसके अतिरिक्त **मोहनदास नैमिशराय** ने उनकी जीवनी को पुस्तकाकार किया है और **भवानी भांकर विशारद** ने उनके जीवन परिचय को लिपिबद्ध किया है।

झलकारी बाई के सम्मान में भारत सरकार ने 2001 ई. में चार रुपये का डाक टिकट जारी किया है। उनकी एक प्रतिमा और स्मारक अजमेर (राजस्थान) में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है, साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक महिला चिकित्सालय भी खोला गया है। झाँसी में उन्हें समर्पित एक स्मारक है और कई संस्थानों और संगठनों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर में 'वीरांगना झलकारी बाई शासकीय कन्या महाविद्यालय' स्थापित कर झलकारी बाई के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। 1857 की क्रान्ति में झलकारी बाई की भूमिका एवं योगदान को रेखांकित करते हुए प्रोफ़ेसर बद्री नारायण ने लिखा है कि, **''लक्ष्मीबाई बन कर वे ब्रिटिश सैनिकों को धोखा देती रहीं। वे बहुत वीरता से लड़ीं। कोई उन्हें पहचान नहीं पाया कि वे**

लक्ष्मीबाई नहीं हैं। उनकी प्रेरणा का असर हम आज भी देख सकते हैं। वे दलित समाज की चेतना और गर्व की प्रतीक हैं।''10 इसके अतिरिक्त झलकारी बाई की जीवनी को एन.सी.ई. आर.टी. की पुस्तकों में भी जगह दी गई है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि झलकारी बाई एक महान् वीरांगना तथा स्वतन्त्रता प्रेमी महिला क्रान्तिकारी थीं। 1857 ई. के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेज़ी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर उन्होंने बड़ी सूझ–बूझ, स्वामिभक्ति और वीरता का परिचय दिया था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा धारण कर स्वयं युद्ध का मोर्चा संभाला। झलकारी बाई ने जनरल ह्यूरोज़ और उसकी सेना को तब तक युद्ध में उलझाए रखा, जब तक रानी लक्ष्मीबाई उनकी पहुँच से दूर नहीं चली गईं। झाँसी के क़िले की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। बुन्देलखण्ड की लोकगाथाओं और लोकगीतों में आज भी उनकी वीरगाथा सुनी जा सकती है। उन्हें उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में माना जाता है। निःसन्देह झलकारी बाई की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों, विशेषकर महिलाओं को प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी पुस्तकों, फ़िल्मों और साहित्य सहित लोक संस्कृति में भी अमर हो गई है। भारत के प्रथम स्ततन्त्रता संग्राम में उनका अमूल्य योगदान रहा है। हम सभी भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. सी.पी. गुप्ता– www.ijcrt.org (International Journal of Creative Research Thoughts), पृष्ठ 3981, खण्ड 9, अंक 1, जनवरी 2021 ई.
2. वही, पृष्ठ 3980
3. वही, पृष्ठ 3980
4. डॉ. धर्मेन्द्र नाथ स्वतन्त्रता के ज्योतिपुंज, पृष्ठ 47, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण 2011 ई.
5. वही, पृष्ठ 47
6. डॉ. सी.पी. गुप्ता– www.ijcrt.org (International Journal of Creative Research Thoughts), पृष्ठ 3982, खण्ड 9, अंक 1, जनवरी 2021 ई0
7. https://hi.m.wikipedia.org, पृष्ठ 03, दिनांक 27/09/2024 से उद्धृत
8. वही, पृष्ठ 03
9. डॉ, इसहाक़ 'तबीब', स्वर संधि विचार, पृष्ठ 03, अबीहा पब्लिकेशन्स, बदायूँ, संस्करण 2024 ई0।
10. https://www.bbc.com, पृष्ठ 04, दिनांक 27/09/2024 से उद्धृत

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 27th Feb. 2025
Paper Accepted : 2nd March 2025

कृषि आधारित उद्योग से ग्रामीण विकास

❑ अकरम अली*
❑ डॉ. राकेश सिंह**

शोध-सारांश

यह शोध पत्र भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद पर आधारित है जो कि कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण विकास की संभावनाओं की जाँच करता है अपनी उपजाऊ भूमि और गन्ना, गेहूँ और चावल जैसी फसलों के बड़े उत्पादन के साथ, लखीमपुर खीरी में एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था है, फिर भी आय सृजन, रोजगार स्थिरता और बुनियादी ढाँचे के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कृषि आधारित उद्योग– जैसे कि चीनी प्रसंस्करण, तेल निष्कर्षण और डेयरी– कच्चे उत्पादों में मूल्य जोड़कर और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करके इन मुद्दों को हल करने के लिए व्यवहार्य समाधान के रूप में उभरे हैं। यह अध्ययन आय बढ़ाने, पलायन को कम करने और सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में इन उद्योगों की भूमिका की जाँच करता है। मिश्रित–पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, स्थानीय किसानों, उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र और प्रकाशित किये गये, जिसे सरकारी और आर्थिक रिपोर्टों सहित माध्यमिक स्रोतों द्वारा उपयोग किया है।

परिणाम बताते हैं कि कृषि आधारित उद्योग रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और बुनियादी ढाँचे में निवेशकों बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सुधार जीवन स्तर को बढ़ाते हैं, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाते हैं और ग्रामीण आबादी को बनाए रखने को प्रोत्साहित करते हैं। हालाँकि, सीमित तकनीकी अपनाने, अपर्याप्त वित्तीय सहायता और प्रतिबंधित बाजार पहुँच जैसी चुनौतियाँ ग्रामीण विकास में बाधा डालती हैं। यह शोधपत्र ऋण पहुँच, सहकारिता, कौशल विकास कार्यक्रमों और बुनियादी ढाँचे में निवेश का समर्थन करने के लिए नीतियों की सिफारिश करता है। यह केस स्टडी दर्शाती है कि कैसे कृषि आधारित उद्योग नीति और बुनियादी ढाँचे द्वारा प्रभावी रूप से समर्थित होने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं

* शोधार्थी (भूगोल–विभाग), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
** असिस्टेण्ट प्रोफेसर (भूगोल–विभाग), सी.एस.एन. पी.जी. कॉलेज, हरदोई (उ.प्र.)

को बदल सकते हैं, जो पूरे भारत में इसी तरह के क्षेत्रों के लिए एक मॉडल पेश करता है।

मुख्य शब्द–*सतत् विकास, मौसमी बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी विकास।*

प्रस्तावना

कृषि लंबे समय से भारत में ग्रामीण अर्थ व्यवस्थाओं की रीढ़ रही है, जो ग्रामीण आबादी के अधिकांश लोगों को आजीविका प्रदान करती है हालाँकि, कृषि उत्पादकता के उच्च स्तर के बावजूद, कई ग्रामीण क्षेत्र गरीबी, मौसमी बेरोजगारी, कम आय और बुनियादी ढाँचे की कमी जैसी लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए, ग्रामीण विकास एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है, जिसके लिए पारंपरिक कृषि से परे अभिनव दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में, कृषि को उद्योग के साथ एकीकृत करना इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक आशा जनकरणनीति के रूप में उभरा है, जो कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाने, स्थिर रोजगार सृजित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के मार्ग प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला, लखीमपुर खीरी ग्रामीण विकास में कृषि–आधारित उद्योगों की क्षमता की जाँच करने के लिए एक उदाहरण स्वरूप अध्ययन के रूप में प्रस्तुत है। अपनी उपजाऊ भूमि और गन्ना, गेहूँ, चावल और दालों जैसी फसलों की उच्च पैदावार के लिए जाना जाता है। लखीमपुर खीरी की अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। जिले में पहले से ही चीनी और तेल मिलों सहित कुछ कृषि–आधारित उद्योग हैं, लेकिन अधिकांश उत्पाद अभी भी बिना प्रसंस्कृत ही बेचे जाते हैं, जिससे किसानों की आय और आर्थिक विकास सीमित हो जाता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कृषि–आधारित उद्योग किस तरह से रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर, किसानों की आय में वृद्धि करके और बुनियादी ढाँचे में सुधार को प्रोत्साहित करता है, जो लखीमपुर खीरी में ग्रामीण विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। द्वितीयक डेटा स्रोत जैसे–विभिन्न शोध पत्र–पत्रिकाएँ, पुस्तकें, जर्नल, विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और सामाजिक–आर्थिक आँकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से, यह शोधपत्र इन उद्योगों के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और सतत्विकास के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगा। लखीमपुर खीरी पर ध्यान केंद्रित करके, यह शोध पूरे भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को ऊपर उठाने के लिए कृषि–आधारित उद्योगों की व्यापक क्षमता पर प्रकाश डालता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- लखीमपुर खीरी में कृषि और संबंधित उद्योगों की वर्तमान स्थिति की जाँच करना।
- ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका का विश्लेषण करना।
- जिले की आबादी पर इन उद्योगों के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आंकलन करना।
- कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीति प्रस्तावित करना।

अध्ययन क्षेत्र

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी इस अध्ययन का केंद्र बिंदु है। भारत–नेपाल सीमा पर तराई क्षेत्र में स्थित यह जिला अपनी उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और व्यापक कृषि गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 7,680

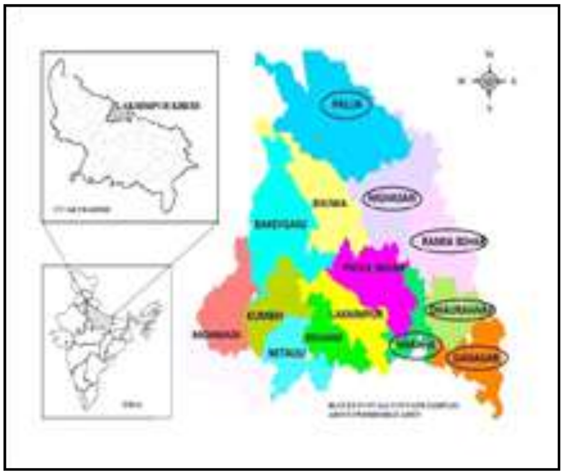

वर्गकिलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाला यह जिला मुख्य रूप से ग्रामीण है, जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। प्रमुख फसलों में गन्ना, गेहूँ, चावल और दालें शामिल हैं, जिनमें गन्ना प्रमुख नकदी फसल है।

लखीमपुर खीरी में बड़ी संख्या में चीनी मिलें, तेल मिलें और छोटे पैमाने की डेयरी सहकारी समितियाँ हैं, जो इसे ग्रामीण विकास पर कृषि–आधारित उद्योगों के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक आदर्श क्षेत्र बनाती हैं। हालाँकि, अपनी कृषि क्षमता के बावजूद, जिले को सीमित बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी की कमी और कम बाजार पहुँच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं। यह अध्ययन इस बात की जाँच करता है कि कृषि–आधारित उद्योगों का विस्तार इस ग्रामीण जिले में सामाजिक–आर्थिक विकास को कैसे आगे बढ़ा सकता है।

साहित्य समीक्षा

- **ए. सिंह और आर. कुमार, (2021) "ग्रामीण विकास पर कृषि उद्योगों का प्रभाव"**–यह अध्ययन इस बात की जाँच करता है कि कृ षि उद्योग किस तरह ग्रामीण रोजगार और आय के स्तर को बढ़ाते हैं। यह पाया गया है कि कृषि को उद्योग के साथ एकीकृत करने से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम हो सकती है और पलायन भी कम हो सकता है।
- **पी. शर्मा, (2020) "कृषि में मूल्य संवर्धनः टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मार्ग"**– शर्मा ग्रामीण विकास में मूल्य–संवर्धित कृषि उत्पादों की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं तथा इस बात पर बल देते हैं कि कैसे लघु प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित कर सकती हैं तथा किसानों की आय बढ़ा सकती हैं।
- **वी. देसाई, (2019) "भारत में ग्रामीण विकास उत्प्रेरक के रूप में कृषि–आधारित उद्योग"**– देसाई के शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आगे और पीछे के संबंध बनाकर, सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), (2022) "उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों पर वार्षिक रिपोर्ट"**– नाबार्ड की रिपोर्ट कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति और चुनौतियों पर आँकड़े उपलब्ध कराती है, तथा इन उद्योगों को समर्थन देने के लिए ऋण सुविधाओं, बुनियादी ढाँचे और बाजार पहुँच की आवश्यकता पर जोर देती है।
- **एस. कौर और एल. मेहता, (2018) "भारत में ग्रामीण रोजगार और कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ"**– इस शोधपत्र में ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में छोटी कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के महत्त्व पर चर्चा की गई है। इसमें सुझाव दिया गया है कि ये इकाइयाँ ग्रामीण आय में सुधार कर सकती हैं और शहरी नौकरियों पर निर्भरता कम कर सकती हैं।
- **आर. चटर्जी, (2016) "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगः ग्रामीण परिवर्तन के लिए एक**

उपकरण"–चटर्जी ने खाद्य प्रसंस्करण को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में महत्त्व दिया है जो कच्चे माल में महत्त्वपूर्ण मूल्य जोड़ सकता है। शोध पत्र में पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बेहतर मूल्य प्राप्ति और बाजार स्थिरता की ओर ले जाता है।

- **जे. पटेल, (2021) "कृषि विविधीकरण और ग्रामीण विकास"**– इस अध्ययन में तर्क दिया गया है कि कृषि–उद्योगों में विविधता लाने से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक खेती पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। यह दर्शाता है कि कैसे विविध आय स्रोत आर्थिक स्थिरता और स्थिरता बनाते हैं।

आँकड़ा स्रोत और शोध विधि तंत्र

यह अध्ययन लखीमपुर खीरी में कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण विकास की संभावनाओं का विश्लेषण करने के लिए द्वितीयक आँकड़ा पर निर्भर करता है। मुख्य आँकड़ा स्रोतों में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग की सरकारी रिपोर्टें शामिल हैं, जो जिले में कृषि उत्पादन, रोजगार सांख्यिकी और आय स्तरों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) की रिपोर्टों से अतिरिक्त डेटा एकत्र किया गया, विशेष रूप से कृषि–औद्योगिक प्रवृत्तियों और ग्रामीण ऋण सुविधाओं के संबंध में। जनसांख्यिकी, साक्षरता दर और बुनियादी ढाँचे के विकास का मूल्यांकन करने के लिए भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण से सामाजिक–आर्थिक डेटा प्राप्त किए गए।

विधि तंत्र के रूप में मिश्रित–विधि दृष्टिकोण का उपयोग किया गया, जिसमें द्वितीयक आँकड़ों के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिले की कृषि उत्पादकता और आर्थिक क्षमता का आंकलन करने के लिए फसल की पैदावार, रोजगार दरों और आय के स्तर पर सांख्यिकीय आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। लखीमपुर खीरी में चीनी और तेल मिलों, डेयरी सहकारी समितियों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित मौजूदा कृषि–उद्योगों के कामकाज पर रिपोर्टों से गुणात्मक अंतर्दृष्टि प्राप्त की गई। तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग यह आंकलन करने के लिए किया गया कि ये उद्योग रोजगार सृजन, आय वृद्धि और बुनियादी ढाँचे के निवेश के माध्यम से ग्रामीण विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर लखीमपुर खीरी में सतत् विकास के उत्प्रेरक के रूप में कृषि–आधारित उद्योगों को मजबूत करने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करने के लिए निष्कर्षों को संश्लेषित किया गया।

केस स्टडी लखीमपुर खीरी जनपद

भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित लखीमपुर खीरी मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं। भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाने वाला, जिले की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु गन्ना, गेहूँ, चावल और विभिन्न दालों की खेती के लिए अनुकूल है, जिससे कृषि स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन जाती है। उच्च कृषि उत्पादन के बावजूद, लखीमपुर खीरी को सीमित आय के अवसरों, मौसमी बेरोजगारी और मूल्य वर्धित उद्योगों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में, जिले में कई कृषि–आधारित उद्योग हैं, जिनमें चीनी मिलें, तेल मिलें, धान मिलें, आटा मिलें और डेयरी सहकारी समितियाँ शामिल हैं, जो स्थानीय श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को रोजगार देती हैं। गन्ना प्रसंस्करण, विशेष रूप से, एक प्रमुख औद्योगिक गतिविधि है, क्योंकि जिले में कई चीनी मिलें हैं जो कच्चे उत्पाद को परिष्कृत चीनी में बदल देती हैं। जबकि इन उद्योगों ने रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद की है, कृषि उद्योग के आधार को और विकसित करने और विविधता लाने की महत्त्वपूर्ण

संभावना बनी हुई है। अन्य फसलों के लिए छोटे पैमाने की प्रसंस्करण इकाइयाँ, साथ ही खाद्य पैकेजिंग और जैव ईंधन उत्पादन, कम उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र हैं जो ग्रामीण विकास में योगदान दे सकते हैं।

लखीमपुर खीरी का केस स्टडी दर्शाता है कि कैसे कृषि आधारित उद्योगों में सुनियोजित निवेश स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे सकता है, बुनियादी ढाँचे में सुधार कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है और पलायन को कम कर सकता है। कृषि के भीतर बढ़ा हुआ औद्योगीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, जिससे यह भारत के समान जिलों के लिए एक मॉडल बन सकता है।

ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका

कृषि आधारित उद्योग कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करके, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करके और बुनियादी ढाँचे के विकास को प्रोत्साहित करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में, जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था पर हावी है, ये उद्योग कई लाभ प्रदान करते हैं जो आर्थिक और सामाजिक दोनों चुनौतियों का समाधान करते हैं।

- **रोजगार सृजन**– कृषि आधारित उद्योग खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में कुशल पदों से लेकर सामग्री हैंडलिंग और रसद में अकुशल कार्यों तक, रोजगार के कई अवसर पैदा करते हैं। ये नौकरियाँ मौसमी बेरोजगारी को कम करती हैं और ग्रामीण आबादी के लिए आय स्थिरता प्रदान करती हैं, जिससे परिवारों को पूरे साल आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
- **आय में वृद्धि**–कच्चे कृषि उत्पादों को संसाधित करके, ये उद्योग मूल्य संवर्धन करते हैं और किसानों को अप्रसंस्कृत उपज को बेचकर अधिक कमाई करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, लखीमपुर खीरी की चीनी मिलें गन्ने को चीनी और संबंधित उत्पादों में परिवर्तित करके उस पर अधिक लाभ प्राप्त करती हैं, जिससे किसानों और स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं की आय में वृद्धि होती है।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास**–कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से सड़कों, भंडारण सुविधाओं और विश्वसनीय बिजली सहित बेहतर बुनियादी ढाँचे की माँग बढ़ती है। इन सुधारों से उद्योग और व्यापक समुदाय दोनों को लाभ होता है, जिससे परिवहन और भंडारण अधिक कुशल बनते हैं और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- **प्रवास में कमी**–स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर होने से निवासियों के काम की तलाश में शहरी क्षेत्रों में जाने की संभावना कम हो जाती है। इससे न केवल ग्रामीण कार्यबल को बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि सामुदायिक संबंध और पारिवारिक स्थिरता भी मजबूत होती है, जो सतत् ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक कारक हैं।
- **महिलाओं और युवाओं का सशक्तीकरण**–कृषि आधारित उद्योग अक्सर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हैं, जो अन्यथा पारंपरिक कृषि कार्य से वंचित रह जाते हैं। लखीमपुर खीरी में, डेयरी सहकारी समितियाँ और लघु प्रसंस्करण इकाइयाँ इन समूहों के लिए अवसर प्रदान करती हैं, जिससे आर्थिक समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
- **बाजार स्थिरीकरण**–कृषि आधारित उद्योग कच्चे कृषि उत्पादों की स्थिर माँग पैदा करके स्थानीय बाजारों को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लखीमपुर खीरी की चीनी मिलें गन्ने की लगातार खरीदार के रूप में काम करती हैं, किसानों को बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव से बचाती हैं और

उन्हें अपने उत्पादन और आय की बेहतर योजना बनाने में सक्षम बनाती हैं। यह स्थिरता किसानों की बाजार के झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में मदद करती है, जिससे उनका आर्थिक लचीलापन बढ़ता है।

- **कौशल विकास और तकनीकी उन्नति**–कृषि आधारित उद्योग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीक और प्रशिक्षण के अवसर पेश करते हैं। प्रसंस्करण इकाइयों और सहकारी समितियों की स्थापना करके, उद्योग आधुनिक उपकरण, अभ्यास और कौशल लाते हैं जो किसानों और श्रमिकों के पास अन्यथा नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में, श्रमिक गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग और उपकरण संचालन से संबंधित कौशल सीखते हैं, जो उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।
- **स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा**–ये उद्योग छोटे पैमाने के व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करके स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। लखीमपुर खीरी में गुड़ (गन्ने से), सरसों का तेल और डेयरी उत्पादों जैसे उत्पादों के लिए छोटी प्रसंस्करण इकाइयाँ उभरी हैं, जो स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाती हैं। ये छोटे व्यवसाय न केवल आय बढ़ाते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था में विविधता भी लाते हैं, जिससे पारंपरिक खेती पर निर्भरता कम होती है।
- **संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ**–कुछ कृषि–आधारित उद्योग ऊर्जा या अन्य उत्पादों के लिए कृषि अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करके ग्रामीण संधारणीयता में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, गन्ने से निकलने वाले उप–उत्पाद, जैसे खोई, का उपयोग जैव ईंधन या कागज उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे अपशिष्ट कम होता है, बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम होती है और स्थानीय कच्चेमाल का अधिक पर्यावरण के अनुकूल उपयोग होता है, जिससे संधारणीयता को बढ़ावा मिलता है।
- **बेहतर मूल्य प्राप्ति और बाजार तक पहुँच**–कृषि आधारित उद्योग किसानों को बिचौलियों से दूर रखते हुए सीधे बाजारों तक पहुँच प्रदान कर सकते हैं और आय में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थानीय किसानों से सीधे सब्जियाँ, अनाज या डेयरी उत्पाद प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उचित मूल्य सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्कृत और पैकेज्ड उत्पादों की आयु लंबी होती है, जिससे उत्पादकों को दूर के बाजारों तक पहुँचने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- **बेहतर स्वास्थ्य और पोषण**–जिन क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग डेयरी उत्पाद, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या प्रसंस्कृत अनाज का उत्पादन करते हैं, वहाँ स्थानीय समुदाय के भीतर पौष्टिक उत्पादों की उपलब्धता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, लखीमपुर खीरी में डेयरी सहकारी समितियाँ दूध और दूध उत्पादों को उपलब्ध कराने में मदद करती हैं, जिससे स्थानीय पोषण मानकों में सुधार होता है। पौष्टिक, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तक यह पहुँच ग्रामीण आबादी के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देती है।
- **ग्रामीण संस्थाओं को मजबूत बनाना**–कृषि आधारित उद्योग अक्सर सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे स्थानीय संस्थाओं को मजबूती मिलती है जो विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। सहकारी समितियाँ संसाधनों को एकत्रित करने, जोखिमों को साझा करने और मुनाफे तक समान पहुँच को बढ़ावा देने

में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण संस्थाओं का यह समर्थन एक मजबूत सामुदायिक नेटवर्क को बढ़ावा देता है, जिससे किसानों और छोटे पैमाने के उत्पादकों को संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में सशक्त बनाया जाता है।

- **जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन**– पारंपरिक फसल बिक्री से परे आय स्रोतों में विविधता लाकर, कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण समुदायों को जलवायु–संबंधी जोखिमों के प्रति अधिक लचीला बनने में मदद करते हैं। सूखे या बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में, स्थिर, उद्योग–संबंधी आय तक पहुँच होने से किसानों को कठिन मौसमों का सामना करने में मदद मिलती है और एकल फसलों पर उनकी निर्भरता कम होती है।

कृषि आधारित उद्योगों के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

लखीमपुर खीरी में कृषि आधारित उद्योगों की शुरूआत और विकास ने महत्त्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किए हैं, जिससे इस ग्रामीण जिले में जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक स्थिरता में योगदान मिला है। प्रभाव के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं–

- **आय के स्तर में वृद्धि**–चीनी मिलों, तेल निष्कर्षण इकाइयों और डेयरी सहकारी समितियों जैसे कृषि–आधारित उद्योगों ने किसानों की उपज का मूल्य बढ़ाकर उनके लिए आय के अवसरों को बढ़ाया है। कच्ची फसलों को तैयार या अर्ध–तैयार उत्पादों में परिवर्तित करके, किसान पारंपरिक बाजारों की तुलना में अधिक कमाते हैं, जिससे घरेलू आय बढ़ती है और गरीबी का स्तर कम होता है।
- **रोजगार सृजन और गरीबी में कमी**– प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना ने स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा किए हैं। ये उद्योग कुशल और अकुशल दोनों तरह के मजदूरों को रोजगार देते हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है और ग्रामीण परिवारों को स्थिर आय मिलती है। रोजगार पैदा करके, ये उद्योग जिले में गरीबी को कम करने और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **बेहतर जीवन स्तर**– उच्च आय और अधिक रोजगार के अवसरों के साथ, लखीमपुर खीरी में ग्रामीण परिवार बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं का खर्च उठा सकते हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। परिवार अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश कर सकते हैं, जिससे गरीबी का चक्र टूट जाता है।
- **उन्नत बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ**–कृषि आधारित उद्योग सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और भंडारण सुविधाओं सहित बुनियादी ढाँचे में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। बेहतर बुनियादी ढाँचा न केवल औद्योगिक गतिविधियों का समर्थन करता है, बल्कि आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करके स्थानीय आबादी को भी लाभान्वित करता है, जिससे जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
- **महिला एवं युवा सशक्तीकरण**–कई कृषि–आधारित उद्योग विशेष रूप से महिलाओं और युवा लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिनके पास पारंपरिक कृषि में सीमित अवसर हो सकते हैं। यह रोजगार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, घरेलू आय बढ़ाता है, और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है जिससे एक अधिक न्याय संगत सामुदायिक संरचना बनती है।
- **स्वास्थ्य और पोषण में सुधार**–प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, जैसे डेयरी उत्पादों तक पहुँच

में वृद्धि, स्थानीय आबादी के बीच पोषण को बढ़ाती है। बेहतर आय का मतलब यह भी है कि परिवार स्वस्थ भोजन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक चीजें खरीद सकते हैं जो बेहतर समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं।

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और पलायन में कमी आई**–स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध होने से, कृषि आधारित उद्योग शहरी क्षेत्रों में पलायन की आवश्यकता को कम करने में मदद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल को बनाए रखने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और परिवार एकजुट रहते हैं, जिससे सामुदायिक स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है।
- **कौशल विकास और ज्ञान हस्तांतरण**– कृषि आधारित उद्योगों में काम करने से स्थानीय निवासियों को खाद्य प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और व्यवसाय प्रबंधन सहित नई तकनीकों और कौशलों से परिचित कराया जाता है। इस तरह के कौशल विकास से अधिक कुशल कार्यबल को बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता में सुधार होता है और आर्थिक विकास की संभावना बढ़ती है।
- **सामाजिक सामंजस्य और सामुदायिक विकास**–कृषि आधारित उद्योगों की सफलता में अक्सर सहकारी समितियों या सामुदायिक समूहों के माध्यम से सामूहिक प्रयास शामिल होते हैं, जिससे सामाजिक नेटवर्क मजबूत होते हैं। यह सहयोगी मॉडल न केवल आर्थिक लाभों को अधिक समान रूप से वितरित करता है, बल्कि मजबूत समुदायों का निर्माण भी करता है, क्योंकि व्यक्ति साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करते हैं।
- **बाजार और जलवायु झटकों के खिलाफ लचीलापन**–कृषि आधारित उद्योग आय स्रोतों में विविधता लाकर और अकेले फसल की बिक्री पर निर्भरता को कम करके आर्थिक लचीलेपन की एक परत जोड़ते हैं। जब किसानों को प्रसंस्कृत उत्पादों से अतिरिक्त आय होती है, तो वे फसल की कीमतों में उतार–चढ़ाव या प्रतिकूल मौसम की घटनाओं का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं।

चुनौतियाँ

कृषि आधारित उद्योगों से लखीमपुर खीरी में ग्रामीण विकास के लिए बहुत अधिक संभावनाएँ रखती हैं, किन्तु इसी के साथ कुछ चुनौतियाँ उनके विकास और सामाजिक–आर्थिक प्रभाव की प्राप्ति में बाधा डालती हैं। प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं–

- **ऋण और वित्त तक सीमित पहुँच**–छोटे और मध्यम आकार के कृषि–उद्योग अक्सर प्रारंभिक निवेश, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं। कई स्थानीय उद्यमियों और किसानों के पास किफायती ऋण तक पहुँच नहीं है, जो मूल्य–वर्धित प्रसंस्करण सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा**–खराब बुनियादी ढांचा–जैसे कि सड़क, बिजली, भंडारण और सिंचाई सुविधाएँ–कृषि आधारित उद्योगों की दक्षता और लाभ प्रदता को काफी प्रभावित करती हैं। लखीमपुर खीरी में, लगातार बिजली की कमी, अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क और सीमित कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ लागत बढ़ाती हैं और प्रतिस्पर्धा को कम करती हैं।
- **कम प्रौद्योगिकी अपनाना**–कई किसान और छोटे व्यवसाय अभी भी पारंपरिक प्रथाओं पर निर्भर हैं, आधुनिक कृषि और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता या पहुँच की कमी है। यह उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्यवर्धित प्रक्रियाओं की दक्षता

को सीमित करता है, जिससे स्थानीय उद्योगों के लिए बड़े, अधिक तकनीकी रूप से उन्नत खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है।

- **बाजार तक पहुँच और प्रतिस्पर्धा**—ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को अक्सर सीमित वितरण चैनलों और खराब कनेक्टिविटी के कारण व्यापक बाजारों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें बड़ी, अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे स्थानीय उत्पादकों के लिए स्थिर बाजार और उचित मूल्य हासिल करना चुनौती पूर्ण हो जाता है।
- **गुणवत्ता मानक और प्रमाणन**—गुणवत्ता मानकों को पूरा करना और प्रमाणन प्राप्त करना बड़े बाजारों तक पहुँचने के लिए महत्त्वपूर्ण है, खासकर प्रसंस्कृत और पैकेज्ड उत्पादों के लिए। हालाँकि, लखीमपुर खीरी में छोटे कृषि—उद्योगों के पास इन मानकों को पूरा करने के लिए ज्ञान और संसाधनों की कमी हो सकती है, जिससे उत्पादों को प्रभावी ढंग से बाजार में लाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएँ**—अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाएँ परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग के दौरान नुकसान का कारण बनती हैं, खासकर डेयरी और फलों जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए। आपूर्ति श्रृंखला के भीतर उचित बुनियादी ढाँचे और समन्वय की कमी से कटाई के बाद होने वाले नुकसान बढ़ जाते हैं और लाभ प्रदता कम हो जाती है।
- **श्रम की कमी और कौशल अंतराल**—जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, कृषि—आधारित उद्योग अभी भी कुशल श्रमिकों की कमी से जूझ रहे हैं। कई श्रमिकों में आधुनिक प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और कौशल की कमी है, जिससे उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता सीमित हो जाती है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ और संसाधन प्रबंधन**—कृषि आधारित उद्योग, विशेष रूप से सीमित जल और भूमि संसाधनों वाले क्षेत्रों में, यदि उनका स्थायी प्रबंधन न किया जाए तो वे पर्यावरणीय समस्याओं में योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, गन्ना प्रसंस्करण के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे उद्योग और समुदाय दोनों प्रभावित होते हैं।
- **नीति और विनियामक बाधाएँ**—जटिल विनियमन, अस्पष्ट नीतियाँ और नौकरशाही की देरी उद्यमियों को कृषि—आधारित उद्योगों की स्थापना और विस्तार करने से हतोत्साहित कर सकती हैं। कई छोटे व्यवसाय मालिकों को कर संरचनाओं, श्रम कानूनों और अनुपालन आवश्यकताओं को समझने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके संचालन को जटिल बनाता है।
- **जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव**—किसानों और ग्रामीण उद्यमियों में अक्सर कृषि—आधारित उद्योगों की स्थापना में शामिल लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की कमी होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान सीमित हैं, जिससे संभावित उद्यमियों के लिए उद्योग के अवसरों का लाभ उठाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार—चढ़ाव**—कच्चे कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार—चढ़ाव के कारण प्रसंस्करण इकाइयों के लिए स्थिर लाभ और टिकाऊ संचालन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जब फसल की कीमतें गिरती हैं, तो किसानों और प्रसंस्करण

कर्त्ताओं दोनों को आय का नुकसान होता है, जिससे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की व्यवहार्यता प्रभावित होती है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों, स्थानीय व्यवसायों और सामुदायिक संगठनों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। बुनियादी ढाँचे में निवेश करके, वित्त तक पहुँच प्रदान करके, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देकर और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके, कृषि–आधारित उद्योग इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और लखीमपुर खीरी में सतत् ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं।

सुझाव

- लघु कृषि उद्योगों के लिए किफायती ऋण और वित्त पोषण तक पहुँच बढ़ाना।
- सड़क, बिजली और भंडारण सुविधाओं सहित ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार करें।
- किसानों और प्रसंस्करण कर्ताओं के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना।
- स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचाने में सहायता के लिए बाजार संपर्क स्थापित करना।
- गुणवत्ता प्रमाणन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और मानकों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना।
- फसल–उपरांत होने वाली हानियों को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करें।
- श्रम की कमी और कौशल अंतराल को दूर करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करें।
- पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करें।
- छोटे कृषि–व्यवसायों को समर्थन देने के लिए विनियामक आवश्यकताओं को सरल बनाया जाए।
- कृषि आधारित उद्योगों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ और प्रशिक्षण प्रदान करें।
- कृषि उत्पाद की कीमतों को स्थिर करने और अस्थिरता को कम करने के लिए नीतियों को लागू करना।
- उद्योगों को जलवायु जोखिमों से बचाने के लिए जलवायु अनुकूलन रणनीति विकसित करना।

निष्कर्ष

कृषि आधारित उद्योग लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जहाँ कृषि प्राथमिक आर्थिक गतिविधि बनी हुई है। स्थानीय उपज में मूल्य जोड़कर, ये उद्योग आय के स्तर को बढ़ा सकते हैं, विविध रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। स्थानीय प्रसंस्करण और बाजार विस्तार के माध्यम से, वे किसानों की आय बढ़ाते हैं और कच्ची फसल की बिक्री पर निर्भरता कम करते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक लचीली बनती है। हालाँकि, कृषि आधारित उद्योगों की पूरी क्षमता को विकसित करने के लिए, सीमित बुनियादी ढाँचे, अपर्याप्त वित्तपोषण और तकनीकी पहुँच की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।

यह अध्ययन दर्शाता है कि सरकारी सहायता, बुनियादी ढाँचे में निवेश और कौशल विकास से जुड़े समन्वित प्रयास कृषि आधारित उद्योगों को टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बना सकते हैं। बाजार तक पहुँच को मजबूत करके, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करके और स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करके, लखीमपुर खीरी पूरे भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। अंततः, कृषि को उद्योग के साथ

एकीकृत करने से ग्रामीण क्षेत्रों को बदलने, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से समावेशी बनाने और दीर्घकालिक सामाजिक–आर्थिक प्रगति को सक्षम करने की इसमें क्षमता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, ए. और कुमार, आर. (2021) :"ग्रामीण विकास पर कृषि उद्योगों का प्रभाव", जर्नल ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स, 12(3),पृ. 56–68।
2. शर्मा, पी. (2020), "कृषि में मूल्य संवर्धनः सतत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मार्ग", कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, 15(4), पृ. 213–230.
3. देसाई, वी. (2019), "भारत में ग्रामीण विकास उत्प्रेरक के रूप में कृषि–आधारित उद्योग", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 18(1),पृ. 45–59.
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), (2022), उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों पर वार्षिक रिपोर्ट, नाबार्ड प्रकाशन, मुंबई
5. कौर, एस., और मेहता, एल. (2018), "भारत में ग्रामीण रोजगार और कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ, इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 7(2), पृ. 102–115.
6. राव, टी., (2017), "ग्रामीण आर्थिक विकास में कृषि व्यवसाय की भूमिका", जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एँड रूरल डेवलपमेंट, 14(3), पृ. 98–112.
7. चटर्जी, आर., (2016), "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगः ग्रामीण परिवर्तन के लिए एक उपकरण", कृषि परिवर्तन जर्नल, 6(2), पृ. 150–164.
8. पटेल, जे. (2021), "कृषि विविधीकरण और ग्रामीण विकास", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल स्टडीज, 10(5), पृ. 72–89.
9. गुप्ता, एन. और वर्मा, एच., (2020), "ग्रामीण भारत में कृषि–आधारित उद्योगों का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव" सामाजिक और आर्थिक अध्ययन, 15(3),पृ. 200–215.
10. https://agcensus.in कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, (2020), कृषि जनगणना
11. भारत की जनगणना। (2011), जिला जनगणना पुस्तिका : लखीमपुर खीरी, भारत के महापंजीयक का कार्यालय।
12. उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण। (2022)। सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों पर वार्षिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार
13. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ), (2019), कृषि परिवारों की स्थिति का आंकलन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
14. खाद्य और कृषिसंगठन(एफएओ), (2019), खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में कृषि–उद्योगों की भूमिका, एफ ए ओ प्रकाशन, रोम
15. शुक्ला, आर., औरमिश्रा, पी., (2019),"भारत में ग्रामीण विकास पर बुनियादी ढांचे का प्रभाव", जर्नल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एँड रूरल स्टडीज, 8(1), पृ. 45–63.

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 4th March 2025 **Paper Accepted : 10th March 2025**

लोक-साहित्य : परम्परा और विकास

❑ शिखा वर्मा*
❑ प्रो. रेखा गुप्ता**

शोध-सारांश

मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक दौर से ही लोक-साहित्य जुड़ा हुआ है। लोक शब्द की उत्पत्ति और परंपरा के विषय में जानने के लिए प्राचीन काल से आज तक उपलब्ध साहित्यिक सामग्रियों पर दृष्टिपात किया जाना आवश्यक है। संसार के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में लोक शब्द का प्रयोग लोगों के अर्थ में मिलता है। उपनिषदों में भी लोक शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर मिलता है। लोक शब्द का प्रयोग महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता, रामचरित मानस आदि महान ग्रंथों में सहज रुप में उपलब्ध है। पाणिनि, वररुचि और पतंजलि इत्यादि वैयूकरणों ने भी लोक शब्द का प्रयोग किया है। आधुनिक काल में लोक और जन दोनों का ही अर्थ प्रजा के लिए है।

लोक साहित्य के विषय में कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी भारत में प्रशासनिक कार्यवश आए थे, यहाँ उनकी रुचि भारत की सांस्कृतिक संपदा के अध्ययन के प्रति निरंतर बढ़ती रही, यहाँ के अनेक मेलों, त्यौहारों आदि के रीति रिवाजों के प्रति वे आकर्षित हुए। उन्होंने अपने अध्ययन द्वारा प्राप्त जानकारी को लिपिबद्ध किया। इस प्रकार भारत में लोक-वार्त्ता, लोक-साहित्य के अध्ययन का सूत्रपात हुआ।

लोक-साहित्य, लोकवार्त्ता एक महत्तवपूर्ण अंग है तथा लोक-गीत, लोक-कथाएं, लोक-गाथाएँ, कथा गीत, धर्म गाथाएँ, लोक-नाट्य, नौटंकी, रासलीला आदि लोक-साहित्य से संबद्ध विषय है। लोक-साहित्य लिखित व मौखिक दोनों रुपों में उपलब्ध होता है। प्राचीन काल में यह मौखिक ही रहा है, परंतु अब शिक्षा एवं छपाई के प्रचार-प्रसार के कारण लोक साहित्य के रुप में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। इसके अतिरिक्त लोक-साहित्य के संकलन एवं संग्रह तथा शोध में प्रगति होने के फलस्वरुप बहुत-सा लोक-साहित्य लिपिबद्ध किया जा रहा है।

मौखिक होने के कारण प्राचीन काल का लोक-साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका जबकि बाद का जो लोक-साहित्य है वह क्रमबद्ध रुप में मिलता है। इस क्षेत्र में पश्चिम देशों ने बहुत

* शोधार्थी (हिन्दी-विभाग), अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ; सहयुक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ मोबाइल नंबर-9161932945

** प्रभारी (हिन्दी-विभाग), अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ; सहयुक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और इसके बाद अपने देशों के विद्वान इस ओर आकर्षित हुए। जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय, शरद चंद्र राय, रामनरेश त्रिपाठी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर सत्येन्द्र का नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है। लोक साहित्य के विषय में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मुख्य शब्द—*लोव-साहित्य, मानव सभ्यता, प्रज्ञा, सांस्कृतिक संपदा, लोक-वार्ता आदि।*

लोक-साहित्य : परंपरा और विकास

मानव की प्रारंभिक बर्बरावस्था से आज की सुभ्यावस्था तक की विकास यात्रा में मनुष्य की भावाभिव्यक्ति एवं विचाराभिव्यक्ति हेतु अनेक भाषाओं का क्रमशः प्राकट्य हुआ। इन सभी भाषाओं में न्यूनाधिक रुप में साहित्य सर्जना भी हुई। परंतु अनेक भाषाओं के साहित्य का आज कई लोगों को ज्ञान भी नहीं है पर 'लोक-साहित्य' संज्ञा से अभिहित किया जाने वाला साहित्य आज भी सर्वसाधारण द्वारा पूर्ववत् समदृत है। इस साहित्य की जीवंत और युग सापेक्ष शक्ति कराल काल की विध्वंसक विभूति को भी पराभूत कर अद्यावधि सर्वसाधारण के आह्लादन के साथ ही उसमें विकट विषमताओं तथा सामाजिक विडंबनाओं का सामना करने की भावना संचरित कर रही है। युग विशेष में संवेग प्रसृत होने वाली भावना या धारणा एवं प्रचुर परिणाम में तद् विषयक सृजित होने वाले साहित्य (यथा भक्तिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य, डिंगल का वीरगाथात्मक साहित्य) की भाँति लोक-साहित्य ने कभी भी एकांगी दृष्टिकोण नहीं अपनाया सर्वत्र और सभी कलों में सभी प्रकार के विचारों एवं तथ्यों का वर्णन कर लोक-साहित्यकारों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। कुछ विद्वानों के अनुसार लोक-साहित्य यान्त्रिकता के प्रसार के फलस्वरुप लुप्तप्राय होता जा रहा है। नहीं, वस्तु स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है।

लोक-साहित्य की परंपरा कदाचित् उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मनुष्य जाति। अब तो यह माना जाता है कि भाषा का उद्गम संगीतात्मक था। बाद को धीरे-धीरे गद्य-भाषा और संगीत ये दो पृथक् महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं के रुप में विकसित हुए।

किंतु लोक-गीतों, लोक-कथाओं तथा लोकोक्तियों आदि की परंपरा सनातन में मौखिक रही। फलस्वरुप इन क्षेत्रों की प्राचीन सामग्री सुरक्षित नहीं रह सकी। लिपिबद्ध किए जाने के कारण नागरिक साहित्य की परंपरा तो प्रत्येक देश में क्रमबद्ध रुप में मिलती है, किंतु लोक-साहित्य की नहीं।

यूरोप और अमेरिका में 19वीं शताब्दी में लोक भाषा और लोक साहित्य के महत्व और अध्ययन की ओर विद्वानों का ध्यान गया था और इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। अपने देश में इस क्षेत्र की ओर वर्तमान शताब्दी में विद्वान आकर्षित हुए।

इस कालयजी साहित्य के परिवर्तन धर्मा प्रकृति ने युगानुरुप आवश्यक परिवर्तनों को स्वीकार कर अपने अक्षुण्ण अस्तित्व को सदैव बनाए रखा है और भविष्य में भी बनाए रखेगा। लोक-साहित्य के अध्ययन के पूर्व तथाकथित लोक को समझना आवश्यक है।

भारत में आर्य भाषओं का आदिरुप हमें संस्कृत भाषा में मिलता है। लोक-शब्द भी हमें संस्कृत में शुद्ध तत्सम रुप में मिलता है। ब्युत्पत्ति के अनुसार 'लोक' शब्द लोक-दर्शने धातु में 'द्य' प्रत्यय लगाने से व्युत्पन्न है। संस्कृत में इस धातु से देखने से भाव का अर्थ-बोध होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर 'लोक' का शब्दिक अर्थ 'देखने' वाला होता है। जिसका लल्कार में अन्य पुरुष एकवचन का रुप 'लोकते' होता है। इस प्रकार वह समस्त जनसमुदाय जो इस कार्य को करता है 'लोक' कहलाएगा। 'लोक' शब्द अत्यंत प्राचीन है। साधारण जनता के अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर किया गया है। ऋग्वेद में लोक के लिए 'जन' का भी प्रयोग उपलब्ध होता है।

वैदिक ऋषि कहता है कि विश्वामित्र के द्वारा उच्चारित यह ब्रह्मा मंत्र भारत की रक्षा करता है।

य इमें सेदसी उभे अहमिन्द्रमतुष्टवं।
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मोदं भारतम् जन॥

ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त में 'लोक-शब्द का

व्यवहार जीव तथा स्थान दोनों अर्थों में किया गया है। यथा–

नाभ्यासीदंतरिक्ष शीष्णोद्यौः समवर्तत।
पद्भ्रायां भूमिर्दिदशः श्रोत्रात्तथा लोका अकल्पयनः

भगवद्गीता में 'लोक' तथा 'लोक-संग्रह' आदि अनेक शब्दों का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया गया है। भगवान् श्री कृष्ण ने 'लोक-संग्रह' पर बड़ा बल दिया है। वे अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं–

कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि।।

कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ लोक-संग्रह का अर्थ साधारण जनता का आचरण-व्यवहार तथा आदर्श है।

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'लोक' के संबंध में अपने विचार को प्रकट करते हुए लिखा है कि लोक का अर्थ जन-पद या 'ग्राम्य' में नहीं है बल्कि नगरों और गाँवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं है। ये लोग नगर में परिष्कृत रुचि सम्पन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिर सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएँ आवश्यक होती है, उनको उत्पन्न करते हैं।

डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के मत के अनुसार 'लोक' की परिभाषा निम्नलिखित है- 'आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथाकथित, अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को 'लोक' कहते हैं। जिनका आचार-विचार एवं जीवन परंपरायुक्त नियमों से नियंत्रित होता है।

इससे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि जो लोग संस्कृत तथा परिष्कृत लोंगों के प्रभाव से बाहर रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान हैं उन्हें 'लोक' की संज्ञा प्राप्त है। इन्हीं लोगों के साहित्य को लोक-साहित्य कहा जाता है। वह साहित्य प्रायः मौखिक होता है तथा परंपरागत रुप से चला आता है।

लोक-साहित्य शब्द दो शब्दों के योग से गठित हुआ है 'लोक' और 'साहित्य' इसका अभिप्राय यह लिया जा सकता है कि लोक का साहित्य अथवा लोक जीवन में प्रयुक्त साहित्य, जिसका सृजन स्वयं लोक द्वारा हुआ हो। इस प्रकार लोक द्वारा सृजित और प्रयुक्त साहित्य, लोक-साहित्य हुआ। इससे यह भी ध्वनित होता है कि जिस साहित्य की अवस्थिति लोक-चित्त में होती है, वही लोक साहित्य कहलाता है। लोक-साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, वह जीवन से घनिष्ठ रुपेण संबंधित है, अतः लोक साहित्य कभी लोक-वार्त्ताओं के अन्य अंगों से पृथक् नहीं। विविध लोकगीत तथा विविध लोक-कहानियाँ कुछ अनुष्ठानों से संबंधित रहती हैं। जैसे विशेष व्रतों पर गीत और कहानियाँ अनिवार्यत कही जाती हैं। उन व्रतों पर भित्ति चित्र भी बनाए जाते हैं। मिट्टी की गौर भी रखकर पूजी जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, कुछ चीजें द्वार के पास रखकर कूटी भी जाती हैं और कूटते हुए गीत भी गाए जाते हैं। इस प्रकार साहित्य लोक कला (चित्र-मूर्ति) लोकानुष्ठान (पूजन-अर्घ्य) आदि के साथ चलता है। लोक-साहित्य लोकवार्त्ता का एक अंग माना जा सकता है।

लोक-वार्त्ता अंग्रेजी के 'फोकलोर' (Folklore)शब्द का पयार्यवाची है। हिंदी में इसके प्रचार का अधिकांश श्रेय भी कृष्णानंद गुप्त एवं डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल को है। जिस प्रकार 'फोक' का हिंदी पर्याय 'लोक' कहीं अधिक विशदार्थी है, उसी भाँति 'लोक-वार्त्ता' शब्द 'फोकलोर' से अधिक विस्तृत भावों को वहन करता है।

लोर (lore) शब्द एग्लो सेक्सन से निकला है और इसका अर्थ होता है वह जो सीखा जाए। इस प्रकार फोकलोर का शाब्दिक अर्थ असंस्कृत लोगों का ज्ञान है।

बोटकिन ने लोक-वार्त्ता के विषय में कहा है– "folklore is not something for away and long ago-but real and living among us"

(लोक-वार्त्ता अत्यधिक दूर और अत्यंत प्राचीन कोई वस्तु नहीं है, वह तो हमारे मध्य सत्य और जीवित है।)

गांधी जी के शब्दों में– "folklore is the literature of the people but is belongs to an order of things that is passing away if it has not already done so."

(लोक-वार्त्ता लोगों का साहित्य है पर वह लुप्त

होती हुई सामग्री यदि अब तक नष्ट न हो चुकी हो, से संबंधित है।)

लोक-साहित्य लोक-वार्त्ता का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का गद्य एवं

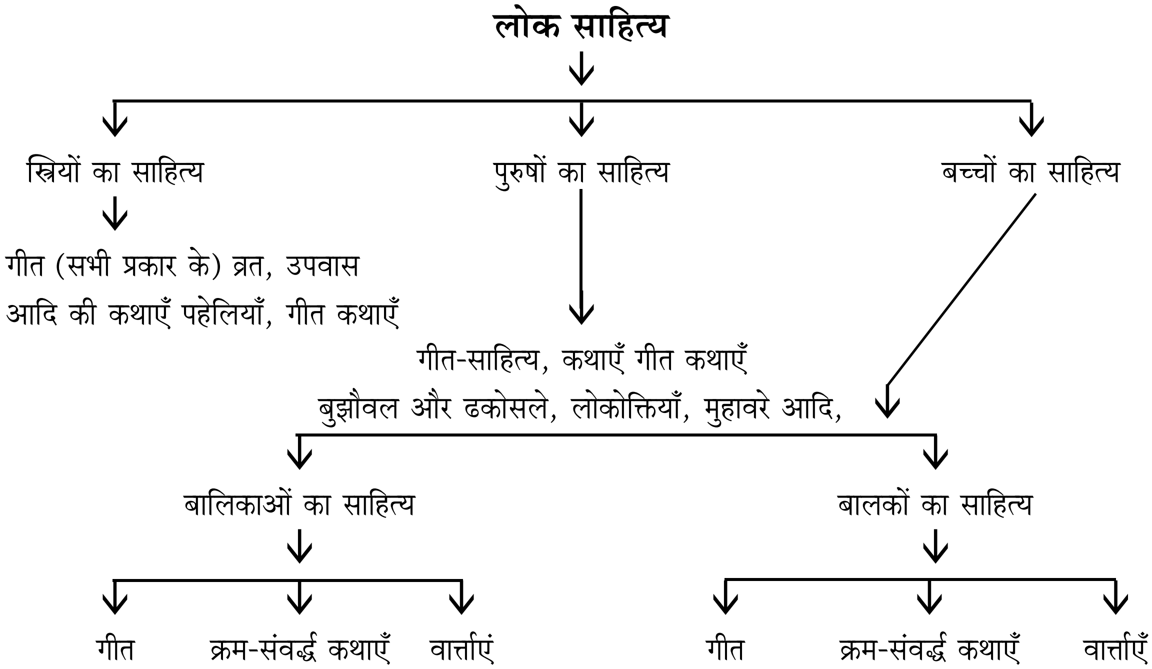

पद्य वाङ्‌मय आता है। निम्न रुप में हम इसका विस्तार प्रस्तुत कर सकते हैं–

पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार स्थूल रुप से समाज दो वर्गों में विभक्त है- एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। इसी निम्न वर्ग में सर्व सामान्य जनता की संस्कृति, परंपरागत विश्वास, किवदंतियाँ, आचार-विचार, गीत, कथाएँ, कहावतें, नृत्यादि मिलते हैं। सभ्य जातियों में उपलब्ध होने वाले असभ्य जन के इन्हीं विश्वासों, रुढ़ियों, भ्रमों, श्रद्धा-भावनाओं, कथाओं, गीतों, कहावतों आदि को देखकर कदाचित् डब्ल्यू जे. थामस ने सन् 1846 ईंसवी में प्रथम बार 'फोकलोर' शब्द का प्रयोग किया।

संक्षेप में लोक-साहित्य किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित नहीं होता। उसके पीछे परंपरा होती है, जिसका संबंध समाज से भिन्न नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति सामूहिक है। व्यक्तिव से रहित समान रुप में समाज की आत्मा को व्यक्त करने वाली मौखिक अभिव्यक्तियों लोक साहित्य की श्रेणी में आती हैं।

भारतवर्ष में इस कार्य की लहर लोक वार्त्ता के समग्र अंशों को छूते हुए एकायक नहीं आई। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब अंग्रेजों ने शासकीय बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में सँभाली तब लोक-मानस के अध्ययन की आवश्यकतावश अंग्रेजी विद्वानों ने अपनी दृष्टि दौड़ाई। शेर, चीतों, जंगली जातियों, विशिष्ट प्रथाओं और भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का यह देश उन्हें कम आश्चर्यजनक नहीं लगा। फलस्वरुप भारतीय लोक-साहित्य के अध्ययन और संकलन की नींव पड़ी।

ऐतिहासिक काल में लोक-कथाओं के प्रसार का सबसे बड़ा केंद्र भारत था फिर भी उनके प्रसार के कुछ और केंद्र भी थे।

(1) यों तो कर्नल जेम्स टॉड के एनल्स एंड एष्टीक्विरीज ऑफ राजस्थान (1829 ईस्वीं) से भारतवर्ष में लोक-वार्त्ता संकलन का श्रीगणेश मानना चाहिए, किंतु उसमें वार्त्ता तत्त्व की अपेक्षा इतिहास की सामग्री का बाहुल्य है, अतः सी. ई. गोव्हर की पुस्तक 'फोक सांग्ज ऑफ सदर्न इंडिया' (सन् 1982) को प्राथमिकता दिया जाना अनुचित न होगा, जोकि कदाचित् भारत में लोक-गीतों का प्रथम संग्रह है।

(2) हिंदी में छपित लोक-साहित्य पर प्रकाश डालने

के पूर्व अन्य प्रांतीय भाषाओं पर किए गए कार्य जिनमें गुजराती, बंगला, मराठी, पंजाबी विशेष रुप से प्रमुख हैं, इनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

जे. ऐबट ने सन् 1884 ईसवी में पंजाबी लोकगीतों तथा लोक-कथाओं के संबंध में अपना एक लेख प्रकाशित किया। पंजाब वीर प्रसू भूमि रही है। अतः वहाँ वीरों की अनेक गाथाएँ प्रचलित हैं। ऐबट ने इन्हीं वीरों की चर्चा अपने लेख में की है।

बिहार के श्री शरच्चंद्र राय का कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। वास्तव में श्री राय लोक-साहित्य शास्त्री (फोकलोरिस्ट) नहीं प्रत्युत मानव विज्ञान शास्त्री (एंथ्रोपालोजिस्ट) थे। इन्होंने बिहार के मुंडा, उराँव, संथाल, बिरहोर आदि आदिम जातियों का अत्यंत विद्वतापूर्ण तथा गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। वे रांची में रहते थे और वहीं से 'मैन इन इंडिया' नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसमें इन आदिम जातियों के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेख छपते थे। इनकी सबसे प्रथम पुस्तक 'दि मुंडाज एंड देयर कंट्री' है जो सन् 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें बिहार की मुंडा जाति के लोगों की सामाजिक व्यवस्था का सुंदर विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही अनेक मुंडा लोकगीत भी इसमें दिए गए हैं। उड़ीसा के पर्वतों में निवास करने वाले भुइयाँ जाति के लोगों के विषय में लिखी गई दि हिल्स भुइयाज आव ओरिस का प्रकाशन सन् 1936 ईसवी में हुआ। 'खारीज' नामक पुस्तक की रचना सन् 1937 ईस्वी में की गई। इसमें खारी लोगों की 37 लोकगीत तथा 55 पहेलियाँ दी गई हैं। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि शरच्चंद्र राय का यह कार्य सर्वथा मौलिक है। यह बिहार में ही नहीं प्रत्युत भारत में भी मानव विज्ञान शास्त्र के अग्रणी आचार्य थे। लोक-साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक विद्वानों ने इनकी कृतियों से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त किया है।

लोक-साहित्य संकलन के संबंध में जो परिस्थितियाँ अन्य भारतीय भाषाओं के समक्ष थीं। वे ही हिंदी के सामने रहीं। बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में सरस्वती मासिक से प्रोत्साहन पाकर श्री मन्नत द्विवेदी के प्रयत्नों से 'सरवरिया' नामक गोरखपुर जिले के गीतों का एक छोटा सा संग्रह सन् 1913 ईसवी में प्रकाशित हुआ।

हिंदी में इस कार्य का क्रमबद्ध प्रारंभ पंडित रामनरेश त्रिपाठी के ग्राम गीतों के संकलन और प्रकाशन से हुआ। हिंदी प्रदेश के किसी एक भाषा ब्रजभाषा के लोक-साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन डॉ. सत्येन्द्र ने उपस्थित किया था। इसके बाद तो इस क्षेत्र के कार्य में काफी प्रगति हुई।

लोक-साहित्य संबंधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले (दिशा दर्शक) हिंदी में केवल डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखित पृथिवी पुत्र और डॉक्टर सत्येंद्र लिखित ब्रज लोक-साहित्य का अध्ययन-दो ही ग्रंथ हैं। यों राहुल सांकृत्यायन के कतिपय फुटकर लेखों में मार्गदर्शन की अधिकांश सामग्री मिलती है। यह दिशा ऐसी है कि जिसके प्रति सबसे कम ध्यान दिया गया। इसका मुख्य कारण मूल साहित्य के संकलन का अभाव है। जो काम पश्चिम में ग्रिम ने किया, वही हमारे यहाँ डॉक्टर वासुदेव शरण और डॉक्टर सत्येन्द्र ने किया है। यह मानना अत्युक्ति पूर्ण न होगा।

फुटकर प्रयत्नों के अंतर्गत मासिक, साप्ताहिक और त्रैमासिक में छपने वाले लेख हैं, जिनमें अधिकतर अभी भी 'आह' और 'वाह' की ध्वनि मिल जाती है। यद्यपि इन छुटपल्ले प्रयत्नों में सार कम है। तथापि प्रचारात्मक दृष्टि से इस बहाने लोक-साहित्य संकलन का आंदोलन आगे ही बढ़ता है। अधिकांश लेख छपित सामग्री पर ही लिखे जा रहे हैं। मासिकों और त्रैमासिकों में प्रकाशित होने वाला साहित्य अवश्य उत्तम कोटि का होता है। ऐसी पत्रिकाओं में 'नया समाज', 'हंस', 'विक्रम', 'कल्पना', 'राष्ट्रभारती' नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, हिंदुस्तानी एकेडमी पत्रिका, आलोचना आदि उल्लेखनीय हैं।

आज से 20 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंबई में एक प्रस्ताव द्वारा प्रांतीय भाषाएँ और उसके साहित्य की सुरक्षा के लिए संकेत किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन में समय-समय पर प्रस्तावों द्वारा इस ओर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति प्रकट की और नाम के लिए दो-तीन संग्रहों का प्रकाशन करके काम रोक दिया। यह परंपरा अपनी गति में तेजी नहीं पकड़ सकी। साधनों के अभाव में प्रामाणिकता की कमी भी बहुत कुछ बनी रही।

कुछ संग्रहों को छोड़कर शेष ग्रंथ या तो किसी छोटी-मोटी संस्था द्वारा प्रकाशित हुए अथवा फिर व्यक्तिगत प्रयत्नों का परिणाम बने। अतएव निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि हमारा लोक-साहित्य संकलन कहाँ तक प्रमाणित है। अब तक के समस्त प्रयत्न भारत जैसे विशाल देश के लिए अत्यंत ही मामूली है। निःसंदेह व्यक्तिगत और सामूहिक श्रम का कार्य करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक संकटों का निवारण प्रथम वस्तु है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजस्थानी लोक-साहित्य का सैद्धांतिक विवेचन, डॉ. सोहनदास चारण, राजस्थान साहित्य मंदिर, जोधपुर पृष्ठ संख्या-1
2. लोक-साहित्य के विविध आयाम, डॉक्टर परवीन निजाम अंसारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ संख्या-2
3. भारतीय लोक-साहित्य, श्याम परमार, बम्बई, राजकमल प्रकाशन, मुंबई, संख्या पृष्ठ 13-23
4. लोक-साहित्य और संस्कृति, डॉ. दिनेश्वर प्रसाद, लोक-साहित्य प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ ंख्या 62
5. लोक-संस्कृति की रुपरेखा डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या- 3-28
6. ब्रज लोक-साहित्य का अध्ययन, डॉ. सत्येंद्र, साहित्य रत्न भंडार, आगरा, पृष्ठ संख्या-5,20-21
7. लोक-साहित्य की भूमिका (भूमिका लेखक डॉ धीरेंद्र वर्मा), डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय, साहित्य भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1957 ईस्वी, पृष्ठ संख्या-7-28, 28-52
8. लोक-साहित्य विज्ञान, डॉ. सत्येंद्र, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर, पृष्ठ संख्या, 13-14

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 4th March 2025 **Paper Accepted : 10th March 2025**

वेदों का पौरुषेयापौरुषेयत्व-विमर्श

□ **गुलशन पाठक***

शोध-सारांश

भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ वेद एवं उसमें समाहित ज्ञानराशि का अध्ययन–अध्यापन अनादिकाल से हो रहा है, वेद अनादिकाल से स्वतः प्रादुर्भूत हैं या ईश्वरप्रणीत हैं? यह प्रश्न विचारणीय हैं। भारतीय ज्ञानपरम्परा के अनुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं, वह अनादि, नित्य एवं अपौरुषेय हैं। इसके विपरीत पश्चिमी विचारकों एवं उनका अनुकरण करने वाले अन्य विचारकों में वेद के स्वरूप के विषय में मतभेद है। पाश्चात्य मतावलबियों की दृष्टि में वेद ऋषियों के द्वारा ईसा से 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व लिखा गया है। रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि ग्रंथों की भाँति वेद ऋषियों द्वारा रचित है, एतदर्थ वेद अन्य ग्रंथों की भाँति ही पौरुषेय एवं अनित्य है। इसी प्रकार भारतीय दर्शनकार वेदों को नित्य तो मानते हैं किन्तु वेद के कृर्त्तत्व के विषय में एकमत नहीं हैं। प्रस्तुत शोधलेख में वेद की अपौरुषेयता एवं नित्यता का शास्त्रीय विचार किया गया है।

त्रिकालाबाधित, सत्तासम्पन्न, परोक्ष ज्ञान के निधान,सर्वविध विचारों के भण्डार, लोक तथा परलोक के लाभों से भरपूर अलौकिक ज्ञानराशि को वेद कहते हैं। प्रत्यक्षानुमान और उपमान आदि साधनों द्वारा जो उपाय नहीं जाना जा सके, वह उपाय वेद से जाना जा सकता है–

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते।
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता।।[1]

वेद परमेश्वर का दूसरा स्वरूप 'शब्दब्रह्म' है, वेद का जो विधि–प्रधान भाग है,वह 'ब्राह्मण' नाम से ही सर्वत्र व्यवहृत है **'ब्रह्मण इदं ब्राह्मणम्'** इस व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के कारण ही उत्तरभाग की 'ब्राह्मण' संज्ञा का स्वारस्य सिद्ध होता है।

वेदादिशास्त्रों के अध्ययन से विदित होता है कि ऋषियों ने अपने आध्यात्मिक सामर्थ्य एवं दैवी प्रतिभा से मंत्रों का दर्शन किया। ऋषि वैदिक मन्त्रों के कर्त्ता नहीं अपितु द्रष्टा थे–**'ऋषयो मंत्रद्रष्टारः। न तु कर्तारः।'**[2]

आचार्य चरण यास्क ने निरुक्त में ऋषि शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है– **'ऋषिर्दर्शनात्'**।[3] 'ऋषि शब्द 'दृश' धातु से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ देखना अथवा, साक्षात्कार करना' है अतः वेदमंत्रों के साक्षात्कारकर्त्ता को ऋषि कहते हैं। इसी कारण आचार्य यास्क कहते हैं–

'साक्षात्कृत–धर्माण ऋषयो बभूवुः'[4]

* अनुसंधात्री (वेद–विभाग), श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–16

शतपथ ब्राह्मण में भी ऋषि शब्द को इसी प्रकार पारिभाषित किया गया है–**'श्रमेण तपसा अरिषन्त, तस्माद ऋषयः'**[5] । यहाँ 'रिष्' धातु का अर्थ है तप करना। स्पष्ट है कि जिन्होंने तपस्यारत होकर मन्त्रों का साक्षात्कार किया वे ऋषि हैं। आचार्य शौनक ने बृहदेवता में इस सन्दर्भ में लिखा है कि जो ऋषि नहीं है,उसे मंत्र का साक्षात्कार नहीं हो सकता–**'न प्रत्यक्षमनृषेरस्ति मन्त्रम्'** ।[6]

अतएव स्पष्ट है कि वेद वह पवित्र ज्ञानराशि है, जिसका साक्षात्कार तपःपूत वशिष्ठादि ऋषियों ने अपने तपोबल से सृष्टि के आरम्भ में किया था।

श्रुति स्वयं अपनी अपौरुषेयता का प्रमाण देती है– **पुरुषसूक्त**[7] के अनुसार देवताओं ने यज्ञ पुरुष का ध्यान करते हुए मानसिक यज्ञ किया। परमात्मा द्वारा इसी सर्वहुत सृष्टियाग से ऋचाएँ, साम, यजु एवं छन्द (अथर्व) उत्पन्न हुए–

तस्माद्यज्ञात सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तमादजायत।।[8]

ऋग्वेद के ज्ञानसूक्त में वर्णित है कि सृष्टि के आरम्भ में तपःपूत ऋषियों के अन्तःकरण में पद एवं पदार्थ के संबन्ध से प्राप्त होने वाली वेदवाणी का प्रवेश होता है–

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्
तमन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् ।[9]

स्पष्ट है कि वेदवाणी पूर्व में ही विद्यमान थी, उसने ऋषियों के अन्तःकरण में प्रविष्ट किया एवं मनुष्यों द्वारा पुनः उसे ढूढा गया। प्रलयावस्था में भी वेदवाणी का विनाश नहीं होता। अतः वेद नित्य एवं अपौरुषेय हैं। अथर्ववेद के अनुसार भी सबके आधारभूत उस परमात्मा से ऋचाएँ उत्पन्न हुईं, उसी से यजुर्वेद प्रादुर्भूत हुआ एवं सामवेद उसके लोम (रोम) हैं और आङ्गिरस (अथर्ववेद) उसका मुख है–

यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन्।
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्।।[10]

वेदों की अपौरुषेयता का प्रतिपादन करते हुए ब्राह्मणश्रुति भी अनेक उद्धरण प्रस्तुत करती है, यथा– शतपथब्राह्मण श्रुति में चारों वेदों को परमेश्वर को निःश्वास बताया गया है, वेद ईश्वर के निःश्वाश हैं–

'अरे महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः।'[11]

बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार परम्कारुणिक परमेश्वर के निःश्वाश ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं–

'एतस्य वा महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः।'[12]

आचार्य सायण ने भी अपने वेद भाष्य के आदि में **'यस्य निःश्वसितं वेदाः'** कहते हुए वेदों को परमेश्वर के निःश्वास के रूप में स्वीकार किया है। अतः स्पष्ट है कि उस सर्वज्ञ परमेश्वर के निःश्वाशरूप वेद स्वतः ही प्रादुर्भूत हुए द्यश्वेताश्वतरोपनिषद् के अनुसार परमेश्वर सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ब्रह्मा को पैदा करते हैं और वेदों को प्रदान करते हैं– **'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।'**[13]

मुण्डकोपनिषद् में भी वेद को ईश्वरीय ज्ञान बताया गया है–

'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ, दिशः, श्रोत्रे वाग्विवृत्ताश्च वेदाः।'[14]

उस परमात्मा का मस्तक अग्नि है, सूर्य और चन्द्र उसके नेत्र हैं, दिशाएँ उसके कान हैं एवं वेद उसकी वाणी है– वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए ऐतरेय ब्राह्मण श्रुति कहती है– **'प्रजापतिर्वा इमान् वेदानसृजत'** अर्थात् प्रजापति ने प्रजा के कल्याणार्थ वेदों का सृजन किया– इसका वर्णन महाभारत के शान्तिपर्व में भी प्राप्त होता है–

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।।[15]

अर्थात् जिसमें से सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई ऐसी अनादि एवं नित्य वेद–विद्या का स्रष्टा स्वयं परमात्मा है। ब्रह्मा ने यज्ञ की सिद्धि हेतु अग्नि, वायु आदित्य के माध्यम से सनातन वेदों को प्रकट किया–

अग्निवायुरविभयस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्।।[16]

वैदिक साहित्य एवं अन्य प्राचीन संस्कृत साहित्य वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानते हैं।

यद्यपि भारतीय षड्दर्शनकारों में वेद के कर्तृत्व के विषय में मतभेद दिखाई देते हैं किन्तु सभी भारतीय दार्शनिकों ने वेदों की नित्यता को समवेत स्वर में स्वीकार किया है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त और मीमांसा ये षड्दर्शन हैं जिनका प्रणयन क्रमशः गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, वेद–व्यास और जैमिनी नामक ऋषियों ने किया। इन दर्शनों में वेदों का महत्त्व स्पष्टतया व्याख्यायित है। न्यायदर्शन वेदों को ईश्वरप्रणीत मानता है। उदारणार्थ–न्यायसूत्रकार महर्षि गौतम का सूत्र है– **मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्त–प्रामाण्यात्।'**[17]

आप्त प्रामाण्य होने के कारण ही वेद प्रामाण्य है। यहाँ 'आप्त' का अर्थ है– **यथार्थ उपदेष्टा सर्वज्ञ परमात्मा।** सृष्टि के आदि में परमात्मा ही एकमात्र आप्त था जिसने सर्वप्रथम यथार्थ–वाक्य वेद को ऋषियों के तपःपूत अन्तःकरण में प्रकाशित किया। न्यायदर्शन में शब्द को अनित्य एवं वेद को ईश्वर की बुद्धिपूर्वक कृति माना गया है। न्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन की व्याख्या के अनुसार वेदाध्ययन की परम्परा अनादिकाल से अनवरत् चली आ रही है, अतः वेद नित्य हैं और वेद का साक्षात्कर्त्ता भी नित्य एवं सर्वज्ञ परमात्मा ही है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणादमुनि ने **'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्'** इस सूत्र के द्वारा वेदों का प्रामाण्य स्वीकार किया है। आप्त पुरुष का वचन होने के कारण आम्नाय अर्थात् वेद प्रामाणिक है। सर्वज्ञ परमेश्वर ही आप्त पुरुष है, वही वेद का आदि वक्ता है उसके प्रामाण्य के कारण वेद प्रामाण्य है। निष्कर्षतः न्याय–वैशेषिक दर्शन वेद को नित्य एवं पौरुषेय मानते हैं सांख्यसिद्धांत के अनुसार वेद नित्य,अपौरुषेय एवं स्वतः प्रमाण है। सांख्यसूत्र में कपिलमुनि ने वेदों को ईश्वर की रचना के रूप में स्वीकार करने का सर्वथा निषेध किया है–

'न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्।'[18]

अर्थात् वेद पौरुषेय नहीं हैं क्योंकि उनको बनाने वाला कोई पुरुष नहीं है, अनित्य होने के कारण पुरुष वेदरचना नहीं कर सकता। अग्रिम सूत्र में पुनः वेदों की पौरुषेयता का खंडन करते हुए कहते हैं– **'न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्'**[19] अर्थात् अविद्याग्रस्त होने के कारण सर्वज्ञानमय वेद की रचना करने में असमर्थ है। योगदर्शनकार महर्षि पतंजलि वेद की नित्यता प्रमाणित करते हुए कहते हैं–

''स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्''[20]

अर्थात् नित्य एवं कालातीत सर्वज्ञ परमात्मा हमारे सभी पूर्वजों अथवा गुरुओं का भी गुरु है उसी ने सर्वप्रथम आद्य ऋषियों के अन्तःकरण में वेदज्ञान को प्रकाशित किया और ऋषियों ने उस ईश्वरीय ज्ञान को गुरुशिष्य परम्परा से सर्वत्र प्रकाशित किया। इस प्रकार वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् एवं काल की सीमा से परे परमेश्वर ही सबका आदि गुरु एवं ज्ञान का आदि स्त्रोत है।

वेदान्त दर्शन में अपौरुषेयवाद को स्वीकार किया गया है। वेदान्त दर्शन के प्रणेता महर्षि बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र के आरम्भ में ही वेद को शास्त्रों का मूल कहा है– **'शास्त्रयोनित्वात्'**[21], **अतएव च नित्यत्वम्'**[22] इस सूत्र के माध्यम से वेदांतसूत्रकार ने वेद की नित्यता का प्रतिपादन किया है।

मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी मुनि ने अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए शब्द, अर्थ एवं शब्दार्थ का सम्बन्ध इन तीनों की नित्यता की स्थापना की है। उनके अनुसार यदि शब्द नित्य है तो नित्यशब्दराशि के रूप में विद्यमान वेद भी नित्य है। वेद किसी की रचना नहीं है, अतः उसमें किसी दोष की संभावना नहीं की जा सकती। मीमांसकों के अनुसार वेद को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हैं। क्योंकि वह स्वतः प्रामाण्य है–

'यदा स्वतः प्रमाणत्वं तदाऽन्यन्नेव मृग्यते'।[23]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मीमांसक स्पष्ट रूप से वेद को नित्य, अपौरुषेय एवं स्वतः प्रमाण मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग समस्त भारतीय दर्शन वेद को नित्य, अपौरुषेय एवं ईश्वरोक्त स्वीकार करते हैं।

निष्कर्ष

'वेदा वा एते,अनन्ता वै वेदाः'[24] श्रुति के इस सिद्धान्त के अनुसार वेद अनंत एवं नित्य ज्ञानराशि हैं। भारतीय दर्शन एवं समस्त भारतीय संस्कृत साहित्य में वेद को नित्य एवं अपौरुषेय स्वीकार किया गया है। **'वाचा विरुप नित्यया'**,[25] **'ब्रह्म स्वयंभू'**[26], **'अतएव च नित्यत्वम्'**[27] इत्यादि वाक्यों द्वारा वेद की नित्यता एवं अपौरुषेयता प्रतिपादित की गयी है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर वैदिक साहित्य में भी वेद की नित्यता स्वीकृत है। भाषाशास्त्र के आद्यपण्डित महर्षि यास्क भी कहते हैं कि– **'नियतानुपूर्व्या नियतवाचो युक्तयः'** अर्थात् शब्द नित्य है, उसका क्रम नित्य है तथा उच्चारण–पद्धति भी नित्य है, इसीलिए वेद का अर्थ भी नित्य है। नित्य वेदवाणी का निर्माणकर्त्ता भी नित्य है क्योंकि नित्य की उत्पत्ति अनित्य से नहीं हो सकती। वर्तमान युग के वैज्ञानिकों ने भी शब्द का नित्यत्व स्वीकार किया है। वेद ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है एवं उसके विपरीत कर्म अधर्म है। वेद साक्षात् नारायण का स्वरूप है–

वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः।
वेदो नरायणः साक्षात् स्वयंभुरिति शुश्रुम।।[28]

वेद की नित्यता एवं अपौरुषेयता विषयक समग्र चिन्तन जो मंत्रद्रष्टा ऋषियों द्वारा किया गया है, उसका सारतत्त्व इस शोधपत्र में समाहित करने का मैंने प्रयत्न किया है। मुझे आशा है कि **'वेद का अपौरुषेयत्व'** विषयक यह शोधपत्र वेदज्ञान–पिपासु पाठकों एवं शोधार्थियों को लाभान्वित करेगा। **बलं विष्णोः प्रावर्धताम्।।**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋ.भा.भू.सायाणीया
2. निरुक्त–7.3
3. निरुक्त–1.6
4. निरुक्त–1.6
5. शतपथ ब्राह्मण–6.1.1.1
6. बृहद्देवता–8.129
7. ऋक्–10.90.09, यजु–31.7, अथर्व–19.6.13
8. शु.यजु–31.7
9. ऋग्वेद–10.71.3
10. अथर्ववेद–10.7.20
11. शतपथ ब्राह्मण–14.5.4.10
12. बृहदारण्यकोपनिषद्–4.5.11
13. श्वेताश्वतरोपनिषद्–6.18
14. मुण्डकोपनिषद्–2.1.4
15. महाभारत–12.224.55
16. मनुस्मृति–1.23
17. न्यायसूत्र–2.1.68
18. वैशेषिक सूत्र– 5.46
19. सांख्यसूत्र–5.47
20. पतंजलयोगसूत्र–1.26
21. ब्रह्मसूत्र–1.1.2
22. ब्रह्मसूत्र–1.3.29
23. मीमांसासूत्र–1.1.5
24. तै.ब्रा. 3.10.11.4
25. ऋग्वेद–8.75.6
26. तै. आ. 2.9
27. ब्रह्मसूत्र 1.3.29
28. श्रीमद्भागवत्–6.1.40

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 4th March 2025
Paper Accepted : 10th March 2025

हिन्दी कविता के विकास में साहित्यिक पत्रिकाओं का योगदान

□ शशिकान्त वर्मा*
□ डॉ. आजेन्द्र प्रताप सिंह**

शोध-सारांश

हिन्दी कविता के विकास में साहित्यिक पत्रिकाओं का विशेष महत्त्व है। साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रसार व उनकी पहुँच आम व्यक्ति के जीवन में हमेशा से है। उदाहरण के लिए, भारतेन्दुयुगीन पत्रिका 'कवि वचन सुधा' से लेकर बालकृष्णभट्ट की 'हिन्दी प्रदीप' हो, सभी में साहित्यगत विषय छपते रहे हैं। आगे जाकर द्विवेदी युग में 'सरस्वती' पत्रिका ने एक ओर साहित्यिक में भाषा–शैली की शुद्धता तथा दूसरी ओर साहित्यिक व राष्ट्रीय चेतना का स्वर मजबूत किया। छायावाद की प्रमुख पत्रिकाओं में 'इन्दु' से लेकर 'माधुरी', 'सुधा', 'हंस' इत्यादि साहित्यिक प्रसार में आग्रणी रहीं। बल्कि आधुनिक युग से लेकर वर्तमान समय में भी हिन्दी साहित्यिक पत्रिकाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इनके मासिक अंक व विशेष अंकों में प्रायः नाटक, कहानी, निबन्ध, जनशताब्दी वर्ष, आलेख, साक्षात्कार तथा कविताएँ छपती रही हैं। अतः आज इन पत्रिकाओं की आम जन में साहित्य को जीवन्त बनाये रखने की भूमिका व साहित्य में इनके योगदान को लेकर विशेष शोध व समीक्षा की आवश्यकता है।

हिन्दी कविता के प्रसार में पत्रिकाओं की विशेष भूमिका रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्रिकाओं का प्रसार क्षेत्र ज्यादा व्यापक होता है और यह अपनी रोचकता से सभी वर्गों तक आसानी से पहुँच बनाती हैं। चूँकि हिंदी साहित्य जहाँ विषयगत पुस्तकों में सिमटा न रहे, उसके प्रभाव स्वरूप ये पत्रिकाएँ अपने विशेष अंकों के माध्यम से जन–सामान्य तक हिन्दी साहित्य की समझ विकसित करती हैं, ताकि साहित्य का आम–व्यक्ति के जीवन से जुड़ाव बना रहे।

अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो ये पत्रिकाएँ ही रहीं; जिन्होंने जहाँ नव लेखकों को साहित्य में मौका दिया, वहीं कई छोटे–बड़े आंदोलनों (साहित्यिक) की अग्रणी बनीं। इन्होंने अपने प्रकाशन अंकों से कविता के विकास में विशेष भूमिका निभाई। जहाँ तक पत्रिकाओं के प्रारंभ का सवाल

* शोधार्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय
** असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी विभाग, फीरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय

है; तो वास्तविक रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को इसका श्रेय दिया जा सकता है। इनकी पत्रिकाओं में प्रमुखतः 'कविवचन सुधा', हरिश्चन्द्र मैगजीन, हरिश्चंद्रिका, बाल बोधिनी आदि हैं। इनकी पत्रिकाओं में भारतेंदुयुगीन कवियों की कविता छपती रहती थी, जो लोगों तक पहुँची। भारतेंदु का प्रभाव उस समय की कविता की भाषा–शैली पर भी पड़ा। ''भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिन्दी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने 'काल चक्र' नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि 'हिन्दी नई चाल में ढली, सन् 1873 ई.।''[1] वहीं 'बाल बोधिनी' महिलाओं पर केंद्रित हिन्दी की पहली पत्रिका मानी जाती है। जो उस समय महिला जीवन के मुख्य विषयों पर केंद्रित थी। जैसे– अशिक्षा, गैर बराबरी, असमानता तथा उनके शारीरिक बदलाव पर बात करती है। जो इस पत्रिका में छपने वाली कविताओं में दिखाई पड़ता है। ''बाल–विवाह के प्रति भी नाराजगी दिखाती है और जिसे स्त्री के खराब स्वास्थ्य का प्रमुख कारण मानती है। लवनी नदी में नहाने को बेपर्दगी से जोड़ती है और धर्म के नाम पर पर इस बपर्दगी को शिक्षा के अभाव का कारण बताती है।''[2]

वहीं पं. बालकृष्ण भट्ट ने 'हिन्दी प्रदीप' पत्रिका का प्रकाशन किया। जो व्यंग्य और विनोद के भाव को लेकर; कई गंभीर विषय को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मुद्दों को आसानी से पाठकों तक पहुँचाती थी। जिसमें कविताओं में व्यंग्य और तीक्ष्ण तेवर से पाठकों के हृदय पर आघात करती नज़र आती है। 'हिंदी प्रदीप' द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को कराते रहे। पं. प्रतापनारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिन्दी गद्य साहित्य में वही काम किया है, जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडीसन ओर स्टील ने किया था।[3] फिर आगे जाकर बद्रीनारायण उपध्याय ने 1881 ई. में आनन्द कादिम्बिनी' निकाली, जिसने अपने समय के साहित्य के प्रसार में योगदान दिया।

सबसे बढ़कर हिन्दी साहित्य को दिशा देने वाली पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन 1900 ई. में हुआ। 1903 ई. में इसके संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सँभाला। द्विवेदी जी ने जहाँ एक ओर भाषा–शैली की स्वच्छता तथा दूसरी ओर साहित्य और राष्ट्रीय चेतना का स्वर मजबूत किया।

''आचार्य द्विवेदी जी ने पिछले पैंतीस–चालीस वर्षों के सतत् परिश्रम से खड़ी बोली के गद्य और पद्य की एक पक्की व्यवस्था की और दोनों प्रणालियों द्वारा पूर्व और पश्चिम की 'पुरातन और नूतन स्थायी और अस्थायी, ज्ञान सम्पत्ति, सम्पूर्ण हिन्दी भाषा–भाषी' प्रांत में मुक्त हस्त से वितरित की, जिनके लिए हम उनके ऋणी है।[4] अर्थात् कविताओं में भी यही सजगता उस समय के लेखकों ने भी दिखाई। भाषा–शैली की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया।

फिर आगे जाकर छायावाद काल में पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक हुआ। इस समय की पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली कविताओं में मुख्यतः वैयक्तिकता, सौन्दर्य और प्रेम, रहस्यवाद, मानवतावाद, प्रकृति चिंतन के साथ–साथ राष्ट्रीय भावना की कविताएँ भी लिखी गईं। इस समय की प्रमुख पत्रिकाओं में चाँद प्रभा, माधुरी, सुधा, हंस, स्त्री दर्पण, मर्यादा, शारदा, मतवाला थी। वहीं सरस्वती, मर्यादा और स्त्री दर्पण का प्रकाशन पहले की भाँति होता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1909 ई. में जयशंकर प्रसाद ने 'इंदु' पत्रिका निकाली। सामान्यतः छायावाद का आरंभ इसी पत्रिका से माना जाता है। वहीं चाँद (प्रयाग) का प्रकाशन 1920, में साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। किन्तु 1923, में रामरख सहगल और चंडीप्रसाद (हृदयेश) के संपादन में इसका प्रकाशन हुआ (मासिक रूप में) इसके मुख्यतः नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को लेखन में अवसर दिया गया तथा नारी केंद्रित कविताओं पर ध्यान दिया गया। 'प्रभा' (कानपुर) बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के संपादन

में इसमें सभी साहित्य की विधाओं के साथ कविता पर विशेष जोर दिया गया। साहित्य में 'माधुरी' का प्रकाशन 1922 ई. में आरंभ हुआ। इसने लोगों के बीच अपनी पकड़ बना ली तथा इसमें छपने वाली कविताओं और साहित्यिक रचनाओं को लोगों द्वारा रोचकता से पढ़ा जाता था।

'सुधा' का संपादन श्री नंददुलारे लाल भार्गव व पं. रूपनारायण पाण्डेय ने किया। बाद में 'निराला' के इसके संपादन कार्य से जुड़ने के बाद इसका साहित्यिक स्वरूप ही बदल गया। इसने तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन, अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा को केन्द्र बनाकर कविताओं को छापना शुरू किया। 'मतवाला' 1923 ई. में कलकत्ता से निकला पर इसके मुख्य संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे। पर इनके साथ ही शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव और निराला भी थे। हम कह सकते हैं कि उस समय हिन्दी का यह पहला हास्य–व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक था। इसमें सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया साथ ही, कई बड़े कवि जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कई कविताएँ 'जूही की कली, सरोज स्मृति, आदि को इसमें स्थान दिया गया। वहीं शिवपूजन सहाय के संपादकत्व में प्रकाशित जागरण इस काल का दूसरा प्रमुख साहित्यिक साप्ताहिक था। यह छायावाद का पक्षकाल था। वहीं आगे चलकर प्रेमचंद 'जागरण' व 'हंस' से जुड़े। 1936 ई. में वे हंस से जुड़े। हंस का उद्देश्य उस समय की परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय आंदोलनों व समाज सुधार के साथ कविताओं के विषयों में प्रमुखता दी गई। लोगों को उत्साह व मनोरंजन के साथ आंदोलनों के विचारों व रणनीतियों से परिचय कराया। 'हंस' में जो भी कविता छपती वह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बनी व आज भी हंस लोगों में चर्चित पत्रिका है।[5]

फिर आगे जाकर स्वतंत्रता के बाद हिन्दी की प्रमुख पत्रिकाओं में 1950 ई. में धर्मवीर भारती की 'धर्मयुग' निकली। जो अपने समय की प्रतिष्ठित पत्रिका थी। जिसमें नवलेखकों को स्थान दिया तथा मुख सामग्री में कहानी, कविता, लेख इत्यादि छापे जो सामाजिक सजगता तथा जन–प्रसार में सहायक थे। 'पूजा गीत' कविता, धर्मवीर भारती की धर्मयुग में छपी। जो अपने प्रभाव में ओज व उम्मीद की किरण तलाशती दिखाई देती है।[6] 1951ई. में 'आलोचना' त्रैमासिक पत्रिका छापी; जिसमें उस समय के साहित्य में जहाँ एक ओर विकास की बात की तो समाज में व्याप्त विषमता को लेकर भी कविताओं में स्थान दिया। 'नयी कविता', अर्द्धवार्षिक, जगदीश गुप्त व रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में निकली। 1955 ई. में 'ज्ञानोदय' मासिक पत्रिका कन्हैय्या लाल मिश्र के संपादन में निकली। 'आजकल' 1945 से अनवरत् प्रकाशित पत्रिका रही। 'आजकल' पत्रिका ने जहाँ एक ओर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मुद्दों को उठाया, साथ ही नवीन लेखकों को भी लेखन का अवसर दिया। 'आजकल' पत्रिका के विशेष अंकों के साथ साहित्यकारों का परिचय व उनकी रचनाओं को कई साहित्यिक विधाओं के साथ कविता इत्यादि के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। उदाहरण के लिए विशेष अंकों में 'महादेवी वर्मा का रचना संसार' स्मरण लेख छपा।[7] जो महादेवी जी के सम्पूर्ण साहित्य को समेटे हुए है।

इस प्रकार हमने देखा कि पत्रिकाओं ने साहित्य के प्रसार व कविता के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इन पत्रिकाओं के अंकों में प्रायः निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास अंश, जनशताब्दी वर्ष, आलेख, साक्षात्कार तथा कविताएँ/गीत इत्यादि को शामिल किया जाता रहा है। अर्थात् आधुनिक समय में जहाँ लोगों के पास समय का अभाव है। ऐसे में पत्रिकाएँ लोगों तक साहित्य की पहुँच बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शुक्ल, आचार्य रामचंद्र (2022), 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', नई दिल्लीः प्रभात पेपर बैक्स (प्रभात

प्रकाशन), पृष्ठ सं. 391—392)
2. संजीव कुमार, बसुधा डालमिया (2014), 'बाल बोधिनी' नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन पृ. 82
3. शुक्ल, आचार्य रामचंद्र (2022), 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', नई दिल्ली, प्रभात पेपर बैकस (प्रभात प्रकाशन), पृष्ठ सं. 397—398
4. बाजपेयी, नंद दुलारे, 'हिन्दी साहित्य :'बीसवीं शताब्दी', लखनऊ, इण्डियन बुक डिपो (1945), पृष्ठ सं. 1
5. डॉ. नगेन्द्र (2022), 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', नई दिल्ली, मयूर बुक्स, पृष्ठ सं. 587—590
6. धर्मयुग पत्रिका, 28 अक्टूबर, 1951 ई. पृष्ठ 22
7. आजकल पत्रिका, मार्च 2024, पृष्ठ सं. 16—20

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 15th March 2025 Paper Accepted : 20th March 2025

The Effectiveness of Sacroiliac Joint Manipulation on Hip Joint Range of Motion and Muscles strength in Patients with Sacroiliac Joint Dysfunction

Satish Kumar*
Dr. Mahesh Kumar Shou**

ABSTRACT

Sacroiliac joint (SIJ) dysfunction is a common cause of musculoskeletal pain, leading to restricted hip joint range of motion (ROM) and muscle weakness. SIJ manipulation is frequently used in clinical practice, but its direct impact on hip joint function remains unclear. This study aims to evaluate the effectiveness of SIJ manipulation in improving hip ROM and muscle strength in patients with SIJ dysfunction.A pre-post experimental design was conducted, assessing changes in hip ROM and muscle strength following SIJ manipulation. Results indicate a significant improvement in hip joint mobility and muscle strength post-manipulation, supporting its use as an effective intervention in rehabilitation programs.

Keywords**–***Sacroiliac Joint Dysfunction, Manipulation, Hip Range of Motion, Muscle Strength, Rehabilitation.*

1. Introduction

Sacroiliac joint (SIJ) dysfunction is a common musculoskeletal disorder causing pain and mobility restrictions, often leading to altered biomechanics of the hip joint. Limited hip ROM and decreased muscle strength can affect movement patterns, increasing the risk of compensatory injuries. Manual therapy, including SIJ manipulation, is widely used, but there is limited research on its direct effects on hip function. This study investigates the role of SIJ manipulation in improving hip ROM and muscle strength in patients with SIJ dysfunction.

2. Methodology

2.1 Study Design and Participants

A pre-post experimental study was conducted with patients diagnosed with SIJ dysfunction. Participants were selected based on inclusion criteria, including restricted hip ROM, SIJ pain, and functional limitations.

2.2 Intervention

SIJ manipulation was performed by a trained physiotherapist using standard mobilization techniques. Each session lasted 15-20 minutes, and assessments were conducted pre- and post-intervention.

* RESERACH SCHOLAR, SHRI JJT UNIVERSITY,JHUNJHUNU
** RESEARCH GUIDE,SHRI JJT UNIVERSITY,JHUNJHUNU

2.3 Outcome Measures

- **Hip ROM:** Measured using a goniometer in flexion, extension, abduction, and adduction.
- **Muscle Strength:** Assessed using manual muscle testing (MMT) for hip flexors, extensors, abductors, and adductors.

2.4 Data Analysis

Pre- and post-intervention data were compared using paired t-tests to assess statistical significance.

3. Results

Following SIJ manipulation, participants showed a significant increase in hip ROM across all measured planes ($p<0.05$). Additionally, muscle strength improved in all tested muscle groups, with the greatest gains observed in hip abductors and extensors.

Table 1 : Pre and Post-Intervention Measurements of Hip ROM and Muscle Strength

Outcome Measure	Pre-Intervention (Mean±SD)	Post-Intervention (Mean±SD)	p-value
Hip Flexion (°)	85.2 ± 5.3	95.6 ± 4.8	<0.05
Hip Extension (°)	15.6 ± 2.4	20.1 ± 2.9	<0.05
Hip Abduction (°)	38.4 ± 3.5	45.2 ± 3.9	<0.05
Hip Adduction (°)	20.1 ± 3.1	24.7 ± 2.8	<0.05
Muscle Strength (MMT Score)	3.4 ± 0.6	4.2 ± 0.5	<0.05

Table 2 : Changes in Functional Outcomes Post-Intervention

Functional Test	Pre-Intervention Score (Mean±SD)	Post-Intervention Score (Mean±SD)	p-value
Timed Up and Go (sec)	12.3 ± 2.1	9.8 ± 1.9	<0.05
6-Min Walk Test (meters)	280 ± 25	320 ± 28	<0.05
Single Leg Stance (sec)	8.5 ± 2.4	12.7 ± 2.9	<0.05

Table 3 : Pain Reduction After SIJ Manipulation

Pain Scale (VAS)	Pre-Intervention (Mean±SD)	Post-Intervention (Mean±SD)	p-value
Resting Pain	6.5 ± 1.2	3.2 ± 1.0	<0.05
Movement Pain	7.8 ± 1.5	4.1 ± 1.3	<0.05

4. Discussion

The findings suggest that SIJ manipulation positively influences hip biomechanics, improving mobility and muscle function. Functional tests demonstrated enhanced movement efficiency, and pain scores significantly decreased, reinforcing the clinical benefits of SIJ manipulation. This supports its inclusion in rehabilitation protocols for patients with SIJ dysfunction. Future research should explore long-term effects and comparative efficacy with other physiotherapy techniques.

5. Conclusion

SIJ manipulation effectively enhances hip ROM, muscle strength, functional mobility, and pain relief in patients with SIJ dysfunction. It should be considered a valuable intervention in physiotherapy practice to restore function and reduce discomfort.

6. References

1. Cohen SP, Raja SN. "Pathogenesis, diagnosis, and treatment of sacroiliac joint pain." *Anesthesiology*. 2007;107(3):551-6.
2. Arab AM, Salavati M, Ebrahimi I, Ebrahim Mousavi M. "Effects of resistance training of pelvic muscles on sacroiliac joint pain, hip ROM, and strength." *J Bodyw Mov Ther.* 2011;15(3):301-8.
3. Masaracchio M, Kirker K, States R. "The effectiveness of manual therapy in improving hip and lumbar ROM in individuals with SIJ

dysfunction:A systematic review." *Phys Ther Sport.* 2019;38:68-75.

4. Visser LH, Nijssen PG, Tijssen CC, van Middendorp JJ. "Sciatica-like symptoms and sacroiliac joint dysfunction:A retrospective study." *Pain Pract.* 2013;13(7):512-8.
5. DePalma MJ, Ketchum JM, Saullo TR. "Etiology of chronic lower back pain in patients referred to a spine center:A prospective study." *Pain Med.* 2011;12(6):815-25.
6. Stuge B, Holm I, Vøllestad N. "Evaluation of treatment strategies for pelvic girdle pain:A randomized clinical trial." *Spine (Phila Pa 1976).* 2004;29(4):351-9.
7. Mooney V, Pozos R, Vleeming A, Gulick J, Swenski D. "Exercise treatment for sacroiliac pain: Biomechanical and clinical perspectives." *Am J Phys Med Rehabil.* 2001;80(6):425-32.

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal **ISSN (Print) : 3048-6327**

Paper Recieved : 10th March 2025 **Paper Accepted : 20th March 2025**

भारतीय संस्कृति में वर्णित ज्ञान और विज्ञान के अर्थों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अजिता ओझा*

शोध-सारांश

भारतीय संस्कृति में वैदिक साहित्य ज्ञान का सबसे पुराना स्रोत है। इसमें निस्संदेह वैज्ञानिक ज्ञान के बीज मौजूद हैं। इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि भारतीय ज्ञान संग्रह, भाषा विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन, धर्म, इतिहास, कला, पुरातत्त्व, वास्तुकला, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि, बागवानी, ब्रह्माण्ड विज्ञान, पारिस्थितिकी, वैमानिकी, नेविगेशन आदि जैसे प्राकृतिक विज्ञानों का एक विशाल भण्डार है।

वैसे तो भारतीय संस्कृति में ज्ञान शब्द सामान्य रूप से जानने मात्र का बोधक है और विज्ञान आदि उसी के विशेष हैं, किन्तु जहाँ ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान आदि की श्रेणी में ज्ञान शब्द आये, वहाँ उसको भी पृथक्ता दिखाने के लिए विशेष अर्थ ही मानना पड़ेगा। इस प्रकार के उक्त विशेष अर्थ का आधार स्वयं भगवद्गीता[1] में ही स्पष्ट है–

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।
अविभक्तं त्रिभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्।।

अर्थात्, भिन्न–भिन्न प्रकार के विभक्त, सब भूतों में, जिस प्रक्रिया में, एक ही अविनाशी तत्त्व को देखा जाय, वही सत्त्वगुण का कार्य है और उसे ज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की विवेचना करते हुए, अमरकोशकार[2] ने इसका अर्थ लिखा है कि–

मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः।

अर्थात् मोक्ष के सम्बन्ध में जो विचार किया जाय, उस विचार और बुद्धि को ज्ञान कहते हैं, और इसके अतिरिक्त शिल्प या शास्त्र के विषय की बुद्धि को विज्ञान कहते हैं।

एक को अनेक रूप देना ही शिल्प है। जैसे, एक ही सुवर्ण के बहुत से आभूषण बना देना या एक ही मृत्तिका से घट, पात्र आदि अनेक रूप देना, एक ही लकड़ी से कुर्सी, मेज, तख्त आदि बहुत से पदार्थ बना देना से यही तो शिल्प है।

अर्थात् शिल्प में विज्ञान शब्द की प्रवृत्ति ही हुई है। किन्तु, दार्शनिक भाषा में इनका अर्थ और ही प्रकार का किया जाता है। भगवद्गीता[3] में दो–तीन जगह साथ–साथ इन दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है।

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञाततव्यमविशिष्यते।।

(अध्याय 7)

* सहायक आचार्य, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

भगवान् कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुझे विज्ञान–सहित वह ज्ञान विशेष रूप से बता देता हूँ, जिसके जान लेने पर कुछ भी जानने की बात बाकी नहीं रह जाती।

इदं तु ते गुप्ततमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्येसेऽशुभात्।।
(गीता 2/1)

अर्थात् अब मैं तुमको अत्यन्त गुप्त विज्ञान, सहित ज्ञान का उपदेश करूँगा, क्योंकि तुम योग्य पात्र हो। गुणों में दोष खोजने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। इन ज्ञान–विज्ञान को जानकर तुम शोक–मोहादि अंशुभ प्रसंग से विमुक्त हो जाओगे इत्यादि।[4]

इन स्थानों में ज्ञान और विज्ञान या विज्ञान–सहित ज्ञान के उपदेश का विषय बताया गया है। यहाँ शिल्प या विज्ञान का कोई प्रसंग नहीं है, आत्मा या ईश्वर के सम्बन्ध की ही चर्चा है। इसलिए विज्ञान शब्द का भी उसके अनुकूल ही अर्थ करना पड़ेगा। श्रीमद्भगवद्गीता की ज्ञानेश्वरी टीका[5] में श्रीज्ञानदेवजी ने ऐसी ही व्याख्या की है–

तीरलग्ना तरिणीव कुण्ठीभवति शेमुषी।
परावृत्तपदो दूराद्विचारश्चोपसर्पति।।
तर्कोऽपि नैवोत्सहते यत्र तज्ज्ञानमुर्जन।
प्रपंचोऽन्यतु विज्ञानमज्ञानं तत्र सत्यधीः।।

अर्थात्, तीर से बँधी हुई नाव की तरह जहाँ बुद्धि आगे न बढ़कर कुण्ठित हो जाती है। विचार भी अपने पैर पीछे हटाता हुआ जहाँ से दूर हट जाता है और तर्क भी जहाँ जाने का उत्साह नहीं करता, वह ज्ञान है, और उससे भिन्न उसका बनाया हुआ यह प्रपंच। विज्ञान और प्रपंच को सत्य समझ लेना है अज्ञान। बुद्धि मोक्ष के उपयोगी मानी गई है। अन्यत्र पुराणों में जो इसका विवेचन मिलता है, उसमें विज्ञान शब्द के उक्त अर्थ का भी आधार मिल जाता है। श्रीमद्भागवत[6] के एकादश स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय के निम्नांकित श्लोकों देखें–

नवैकादश पंच त्रीन् भावात् भूतेषु येन वै।
ईक्षेतथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्।।
(11/12/14)

एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यंत्।
स्थित्युत्पत्तिलयान् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मनाम्।।
(11/11/15)

अर्थात् जगत् के अनन्त पदार्थों का नौ, ग्यारह, पाँच और तीन के रूप में वर्गीकरण करना (जैसे न्याय वैशेषिक में नौ द्रव्य, बौद्ध दर्शन के पंच स्कन्ध, सांख्य में तीन गुण, जैनदर्शन में पंचास्तिकाय, प्रत्यभिज्ञा दर्शन में प्रकृति–पुरुष के ऊपर के ग्यारह मूल तत्त्व आदि के रूप में वर्गीकरण किया गया है।) और अंत में सबसे एक ही मूल तत्त्व को अनुगत देखना–यह प्रक्रिया ज्ञान कहलाती है। इसे ही विज्ञान भी कहते हैं। किन्तु, इस प्रकार से नहीं, उसमें प्रक्रिया का भेद हो जाता है कि एक से ही सब पदार्थों की उत्पत्ति, उसी में स्थिति और अंत में उसी में सबका लय देखा जाय, उस प्रक्रिया को विज्ञान समझना। कूर्मपुराण[7] के उत्तर खण्ड के 15वें अध्याय में भी इन शब्दों का यही विवरण किया गया है कि जिस विद्या के द्वारा एक ही महेश्वर भगवान् को सर्वव्यापक देखा जाय, वह विद्या ज्ञान कहलाती है और उसके विस्तार द्वारा चौदह विद्याओं से भिन्न–भिन्न तत्त्व देखे जाये, उसे विज्ञान कहते हैं। विद्यावाचस्पति ने श्रीमद्भगवद्गीता[8] के विज्ञान भाष्य में विज्ञान के लक्षण को इस प्रकार प्रस्तुत किया–

''एक ही तत्त्व से अनन्त पदार्थों का विस्तार हुआ, इस प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं अर्थात् एकता को अनेकता के रूप में विभक्त देखना विज्ञान है।''

भारतीय दार्शनिकों शंकराचार्य[9] आदि आचार्यों ने विज्ञान को यथा **''आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः''** अर्थात् अवगमन या प्रत्यक्ष–सदृश दृढ़ ज्ञान वही अवगम या निश्चयात्मक ज्ञान ही है। इस प्रकार विज्ञान और दर्शन शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। दर्शन ही हमारे विज्ञान हैं और वे ही धर्म के मूल हैं। धर्मशास्त्र प्रवक्ताओं ने भी इसीलिए विषयों को ग्रन्थों में स्थान दिया है। अन्यान्य देशों में धर्म

और विज्ञान प्रायः परस्पर विरूद्ध माने जाते हैं। उनके धर्म–ग्रन्थों में तो यहाँ तक मिलता है कि शैतान की प्रेरणा से आदम ने ज्ञान–वृक्ष के फल खा लिए, इसलिए वह वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया। ऐसी कथाएँ बताती हैं कि मनुष्य को ज्ञान की ओर बढ़ने से धार्मिक ग्रंथ सदा मना करते हैं किन्तु भारतीय संस्कृति में मनु ने स्पष्ट घोषणा की है कि जैसे–जैसे मनुष्य ज्ञान में अग्रसर होता जाता है, वैसे–वैसे उसकी ज्ञान में रुचि बढ़ती जाती है, वही दृढ़ धार्मिक हो सकता है। धर्मोपदेश को जो मनुष्य तर्कबल से भी समझ लेता है, वही धर्म का पूर्ण विज्ञाता होता है। हमारे वैज्ञानिकों या दार्शनिकों का धार्मिकों के साथ संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। धर्मशास्त्रकार मनु[10] ने प्रथम अध्याय व 12वें अध्याय में दोनों जगह दार्शनिक विवेचना किया है। मनु कहते हैं–

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञान रागद्वेषौ रजः स्मृतम्।
एतद्वयाप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः।।

वस्तु का यथार्थ ज्ञान (वस्तु को यथार्थ रूप से जानना अथवा वस्तु परमात्मा–आत्मा को जानना) सत्व गुण का, प्रतिकूल ज्ञान (अर्थात् वस्तु को न जानना) तमोगुण और राग–द्वेष (किसी से प्रेम या शत्रुता की मानसिकता रूपी कार्य) रजोगुण का लक्षण है। सभी प्राणियों का शरीर इन तीन गुणों का आश्रित है। एक अन्य श्लोक में मनु[11] कहते हैं–

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणों वशः।
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः।।

अर्थात् अज्ञों (वेदशास्त्र, के कुछ अंश पढ़े हुए) से सम्पूर्ण ग्रन्थ पढ़े लोग श्रेष्ठ हैं, (केवल) ग्रंथ पढ़ने वाले से धारण करने वाला पढ़े हुए सम्पूर्ण ग्रन्थ के अर्थों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं और उन (ज्ञानियों) से श्रेष्ठ निष्काम कर्म वाले होते हैं। याज्ञवल्क्य[12] ने भी दार्शनिक विवेचना करते हुए कहा है कि–

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।
सम्यक्सङ्कल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्।।

अर्थात् वेद–धर्मशास्त्र, सज्जनों के आचरण, अपने के अनुकूल (उत्तम) कार्य तथा विवेकपूर्ण संकल्प से उत्पन्न हुई इच्छा ये सब धर्म का मूल कहे गये हैं। याज्ञवल्क्य[13] कहते हैं, कि **अध्यात्मज्ञानेषु निपुणतमो धर्मशास्त्रज्ञा एकोऽपि वा यं ब्रूते सोऽपि धर्मः** अर्थात् अध्यात्म ज्ञान में निपुणतश्च एक ही व्यक्ति जो कुछ कहता है वह धर्म होता है। हमारे इतिहास में धर्म और विज्ञान को प्रायः परस्पर विरूद्ध नहीं माना गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची एवं टिप्पणी

1. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।
   अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।।
   –भगवद्गीता।
2. मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः– अमरकोश।
3. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः।
   यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञाततव्यमविशिष्यते।।
   –भवगद्गीता, अध्याय–7
4. इदं तु ते तुप्ततमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।
   ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाव्वा मोक्ष्येसेऽशुभात्।।
   –गीता 9/1
5. श्रीमद्भगवद्गीता की ज्ञानेश्वरी टीका।
6. श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय का श्लोक–
   नवैकादश पंची त्रीन् भावात् भूतेषु येन वै।
   ईक्षेतथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्।।
   –19/12/14
   एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्।
   स्थित्युत्पत्तिलयान् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मनाम्।।
   –19/11/15
7. कर्मपुराण के उत्तर खण्ड के 15वें अध्याय।
8. विद्यावाचस्पति, श्रीमद्भगवद्गीता का विज्ञान भाष्य। मधूसूदनजी ओझा, विद्यावाचस्पतिः 3, 260
9. डी.पी. चट्टोपाध्याय, ह्वाट इज लिविंग एण्ड ह्वाट इज डेड इन इण्डियन फिलासफी।
10. मनुस्मृति, 12.26
11. वही, 12.103
12. याज्ञवल्क्यस्मृति, 1.7
13. वही, 1.9
. चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्त्रैविद्यमेववा।
  सा ब्रूते यं स धर्मः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तम्।।

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal **ISSN (Print) : 3048-6327**

Paper Recieved : 4th March 2025 **Paper Accepted : 10th March 2025**

भक्ति आन्दोलन : युगीन सन्दर्भ

डॉ. के. संगीता*

शोध-सारांश

भक्ति आंदोलन 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच शुरु हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देना था। सामाजिक-धार्मिक सुधार ने भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन के मिश्रित प्रभावों को जन्म दिया। भक्ति की अवधारणा हिंदू धर्म से उत्पन्न हुई और यह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से संबंधित है। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण भक्ति आंदोलन उभरा। कवि और संत मानेजाने वाले दो समूहों ने भक्ति आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संत कवि नयनार और अलवार के नाम से जाने जाते थे। नयनार भगवान शिव के भक्त थे, अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। 8वीं शताब्दी के हिंदू धार्मिक सुधारक और विद्वान आदिशंकराचार्य ने पूरे भारत में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दक्षिण के अलवार तथ नयनार संतों द्वारा आरंभ भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में 12वीं शताब्दी में रामानंद लाए। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था-हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। निष्कषर्तः भक्ति आंदोलन से हिंदू-मुस्लिम सभ्यताओं का सम्पर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भक्तिमार्गी संतों ने समता का प्रचार किया और सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किये।

मध्यकालीन भक्ति आंदोलन अपने समय का एक महान सांस्कृतिक आंदोलन था। 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक अनवरत् प्रवाहित भक्तिधारा भारत वर्ष में जिस समय आंदोलन का रुप प्राप्त करती हैं, वह भारतीय समाज के लिए जड़ता, ठहराव किंतु विस्फोट का काल रहा हैं। किंतु उसकी जड़ें सदियों पूर्व भारतीय संस्कारों, रीतियों, नीतियों एवं मूल्यों में व्याप्त हैं। वैदिक काल से लेकर 14वीं सदी तक भारतीय मनीषा ने सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में न जाने कितने उतार-चढ़ाव का सामना किया। समय-समय पर समाज की नियामक शक्तियाँ परिवर्तित होती रहीं, जिनका सुनिश्चित परिणाम धर्म का आध्यात्मिक आंदोलन के रुप में प्रतिष्ठित होना था।

भक्ति आंदोलन एक ही ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण भाव पर बल देता है। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन में पहली बार राष्ट्र की कोटि-कोटि साधारण जनता ही

* सहायक प्राध्यापिका, पाठ्यक्रम समिति अध्यक्ष, हिंदी विभाग, आर्ट्स कालेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (तेलंगाना), मो.नं. 9392428593, ई-मेल : sangeetavyas@rediffmail.com

शिरकत नहीं करती बल्कि समग्र राष्ट्र की शिराओं में इस आंदोलन की ऊर्जा स्पंदित होती ह। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी इस आंदोलन के कारण एक हो जाते हैं। एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। सभी मिलजुल कर भक्ति के एक ऐसे विराट् नद की सृष्टि करते हैं, उसे प्रवाहमान बनाते हैं, जिसमें अवगाहन कर राष्ट्र के कोटि-कोटि साधारण जन सदियों से तप्त अपनी छाती शीतल करते हैं, अपनी आध्यात्मिक तृषा बुझाते हैं। आत्मसम्मान के साथ जिंदा रहने की शक्ति पाते हैं। एक नया आत्मविश्वास पाते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एक धार्मिक-सांस्कृति आंदोलन के रुप में सामने आता हैं। इस आंदोलन ने भारत में विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों के उदय को नया बल प्रदान किया। राष्ट्रीय भाषाओं औश्र उनके साहित्य की अभिवृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया। भक्ति आंदोलन ने न केवल विभिन्न धर्मों वाले जन-समुदायों की एक सुसंबद्ध भारतीय संस्कृति के विकास में मदद की बल्कि सामंती दमन और उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष चलाने का मार्ग भी प्रशस्त किया।

भक्ति आंदोलन धार्मिक आवरण में देश के साधारण जन की व्यथा-कथा का आंदोलन बन कर सामने आया। दक्षिण में रामानुज ने तथा उत्तर में उनके शिष्य रामानंद इसे सामने लाए। रामानुज ने ब्राह्मण-अब्राह्मण सभी को यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपनी शिष्य-परंपरा में लिया। रामानंद ने समस्त उत्तर भारत में भ्रमण करते हुए अपने क्रांतिकारी सामाजिक विचारों का प्रचार-प्रसार किया। रामनाम का मंत्र सगुण तथा निर्गुण दोनों ही प्रकार की भक्ति का संवाहक बिना। भक्ति आंदोलन ने साधारण जनता को वर्ग, धर्म, जाति और संप्रदाय की संकीर्णता से मुक्त करते हुए परस्पर मिल-जुल कर रहने की प्रेरणा दी। सामंतवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार किया। ईश्वर के समक्ष सबकी समानता का प्रतिपादन किया। भक्ति आंदोलन ने जाति-प्रथा का विरोध कर बाह्य आडंबरों, कर्म कांड आदि की निंदा तथा भर्त्सना की। वर्गगत, जातिगत भेदभावों तथा धर्म के नाम पर किए जाने वाले उत्पीड़न का दृढ़ विरोध किया। इनसे जन मानस को इतनी परितृप्ति मिली कि भक्ति आंदोलन का आधार व्यापक से व्यापकतर होता चला गया। अपने युग संदर्भों में भक्ति आंदोलन एक क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन तथा जन आंदोलन भी था। डॉ. रामविलास शर्मा ने इस आंदोलन का संबंध लोकजागरण से जोड़ा है, जो बिल्कुल सही है। इस आंदोलन और इससे प्रेरित भक्तिकाल की क्रांतिकारी विषयवस्तु धर्म के आवरण में, धर्म के आचार्यों, संतों और भक्तों की रचनाओं के माध्यम से सामने आई है।

भक्ति के संदर्भ में श्रीमद्भागवत माहात्म्य में संस्कृत में यह श्लोक है–

''उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धि कर्नाटके गता।
क्वचिप्क्वचिंद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता।
तत्र घोरे कले योगात पाखंडे खंडिताक का।
दुर्बलाहं चिरंयाता पुत्राभ्यां सह मन्दताम।
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनैन सरुपिणी जातां युवती,
सम्यक् श्रेष्ठरूपा तु सांप्रतम।''

अर्थात् ''भक्ति का उदय द्रविड देश तमिलनाडु में हुआ। आगे विकास कर्नाटक फिर धीरे-धीरे महाराष्ट्र में हुआ। उसका पतन गुजरात में हुआ फिर वृन्दावन में उसे पुनर्जीवन, उत्कर्ष तथा श्रेष्ठता की प्राप्ति हुई।

हिंदी में प्रसिद्ध है कि–

''भक्ति द्रविड उपजी लाए रामानंद
परगट करी कबीर ने सप्त द्वीप नवखंड''।

इस आधार पर दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है व कबीरदास द्वारा प्रसारित किए जाने के संकेत मिलते हैं। भक्ति आंदोलन के मूल प्रवर्तक दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए किंतु धीरे-धीरे यह आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। बंगाल में इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, जयदेव, उत्तर में रामानंद, कबीर-पंजाब में गुरु नानक तथा कश्मीर में नंदबाबा थे। इस आंदोलन के पथ प्रदर्शक न तो एक वर्ग से थे, न ही उनकी भाषा एक थी और न ही वे सभी समकालीन थे। भक्ति आंदोलन राजाश्रय रहित आंदोलन था। यह एक जन आंदोलन था जिसके द्वार सभी लोगों के लिए खुले हुए थे। ये संत और प्रचारक राजाश्रित नहीं थे। सामान्य जनता ने भक्ति आंदोलन को पूरा-पूरा सहयोग दिया। ये संत आम बोल-चाल की भाषा में अपनी बात काव्य के जरिये कहते थे, जो लोगों को आसानी से समझ आ जाती थी। भक्त संतों द्वारा रचित काव्य कहीं भगवान

के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते, कहीं ईश्वर के अनेक रुपों की कथा सुनाई जाती। समाज में फैली बुराइयों पर कटाक्ष होता, आडम्बरों को नष्ट करने की बात आती और जातिभेद के खिलाफ आवाज उठाई जाती। भक्ति आंदोलन को बढ़ाने का श्रेय दक्षिण के घुमक्कड़ साधुओं को जाता है। इन घुम्मकड़ों में शिव के भक्त नयनार के नाम से जाने जाते हैं। विष्णु के भक्त अलवार के नाम से जाने जाते हैं। इन घुम्मक्कड़ी साधुओं की विशेषता यह थी कि ये गाँव-गाँव जाते और देवी-देवताओं की प्रशंसा में सुंदर काव्य लिखते और उन्हें संगीतबद्ध करते। नयनार और अलवार संतों में अनेक जातियों के लोग शामिल थे। अपने उच्च विचारों एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के कारण ये संत देश में समान रुप से प्रसिद्ध हुए।

कुछ विद्वानों की यह भी मान्यता है कि भक्ति आंदोलन अति प्राचीन है। डॉ. सत्येंद्र ने भक्ति के बीज को प्रागैतिहासिक युग से माना है तथा इसे दक्षिण के वैष्णव भक्तों की देन नहीं मानकर द्रविड़ों की देन माना है। नवीन प्रागैतिहासिक खोजों से भी यह साबित हो गया है कि भक्ति का मूल द्रविड़ों में है और यह दक्षिण के द्रविड़ों में ही नहीं अपितु उनके महान पूर्वज मोहनजोदड़ों और हड़प्पा के द्रविड़ों में भी थे। ये लोग एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इनके देवता शिव थे। डॉ. रामरतन भटनागर ने मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन को पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान का आंदोलन बताया है। डॉ. भण्डारकर का कहना है कि ''वैदिक साहित्य में अवतारवाद की भावना विद्यमान है।'' कठोपनिषद एवं मुक्तिकोपनिषद में भी ईश्वर कृपा को महत्त्व दिया गया है। इसे भक्ति का एक स्वरुप कहा जा सकता है। महाभारत, गीता और भागवत पुराण में भी भक्ति के महत्त्व की जानकारी उपलब्ध होती है। देवर्षि नारद ने भक्ति का लक्षण स्पष्ट करते हुए कहा कि ''ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा ही वास्तविक भक्ति है।'' आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ''श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है।'' डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ''भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम ही भक्ति है।'' तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में नवधा भक्ति का उल्लेख किया जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य भाव, आत्म-निवेदन आदि आते हैं। भगवान की स्तुति करना भक्ति का मुख्य आधार है। यह भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों रुपों में की जा सकती है। मूलतः भक्ति श्रद्धा पर ही निर्भर करती है।

भारत में भक्ति का आरम्भ प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। उपनिषदों में कर्मकाण्ड व यज्ञों का विरोध किया गया है और तत्व चिंतन एवं ज्ञान पर बल दिया गया है। शंकराचार्य ने भी ज्ञान को मोक्ष का मूल आधार बताया। जनसाधारण इसका अनुगामी नहीं बन सका। जनसाधारण ने भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ समझा। भक्ति परंपरा में मूर्ति पूजा का प्रचलन बहुत अधिक हो गया था। 1206 ई. में जब देश में मुस्लिम आधिपत्य कायम हो गया, तब भारतीय धर्म एवं संस्कृति को मुसलमानों के आक्रमण ने बड़ी चुनौती दी। उन्होंने मंदिरों को नष्ट-भ्रष्ट किया तथा मूर्तियों का विध्वंस किया। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार ने अप्रत्यक्ष रुप से भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और विकास में सहयोग अवश्य दिया। भारत में इस्लाम एक नया और प्रबल धर्म था। इस्लाम के अनुयायी अपने धर्म के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा की भावना रखते थे। वे भारतीयों को बलपूर्वक मुसलमान बनाते। ऐसी परिस्थिति में हिंदू धर्म और समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। ऐसे में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई ताकि हिंदू वर्ग इस्लाम की ओर आकर्षित नहीं हो तथा अपने प्राचीन धर्म को अपनाये रहें। हिंदू धर्म को दुर्दशा से बचाने के लिए ही भक्ति आंदोलन का प्रारम्भ हुआ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार-''हिंदुओं में व्याप्त प्रबल असंतोष ही भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का कारण बना।'' डॉ. आर.सी. मजूमदार के शब्दों में- ''इस्लाम के लोकतांत्रिक विचारों ने हिंदुओं की सामाजिक तथा धार्मिक पद्धति को विशेष रुप से प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरुप हिंदू धर्म के उदारवादी विचारों तथा आंदोलनों का प्रादुर्भाव प्रमुख संतों के नेतृत्व में हुआ।''

मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के इतिहास में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति एक महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के मुख्य कारण थे- मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार, इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार, हिंदू धर्म का जटिल स्वरुप, मध्ययुग में मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस, जाति-व्यवस्था की जटिलता,

आश्रय की खोज, समन्वय की भावना, सूफी मत का प्रभाव। दिनकर के शब्दों में-''यह सम्भव है कि भक्ति की सरिता में सूफियों के कारण कुछ और तरंगें उठने लगीं।'' शुक्ल जी ने लिखा है- ''अपने पौरुष से हताश जाति (हिंदू) के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही क्या था?'' भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य धर्म में व्याप्त दोषों को दूर करना तथा दोनों धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करना था। इसका स्वरुप सरल तथा आडम्बर-रहित था। प्राचीन रुढ़िवाद और अंधविश्वासों को इसमें कोई स्थान नहीं था। ईश्वर के प्रति सच्चे हृदय से भक्ति ही इसका मुख्य आधार था। भक्ति आंदोलन में नानक, कबीर तथा अन्य संतों ने अपनी शिक्षाओं में ईश्वर की एकता में विश्वास रखने पर बल दिया था। रामानुज की मान्यता थी कि ''सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करने से मुनष्य जीवन-मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है।'' ईश्वरीय ज्ञान के लिए आत्म-समर्पण की भावना पर बल दिया। गुरु में विश्वास, भाई-चारे की भावना, सगुण तथा निर्गुण उपासना तथा शुभ कर्मों पर बल देते थे। महाभारत में नारायण की उपासना का महत्व दर्शाया गया है। गीता में भी भक्ति पर बल दिया गया है। दक्षिण भारत के संतों ने भी भक्ति-भावना पर बल दिया। यह निर्विवाद सत्य है कि भक्ति आंदोलन प्राचीन है किंतु मध्यकाल में जब हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की जटिलताएँ आ गयीं, कर्मकाण्ड और आडम्बर बढ़ गये, इस्लाम धर्म द्वारा इसे चुनौती मिलने लगी, तब एक नये रुप में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति एवं इसका प्रसार हुआ।

दक्षिण के संतो के लिए श्रेय की बात है कि उनके उपदेश केवल देश के दक्षिण भाग में ही सीमित नहीं रहे अपितु उनका प्रभाव उत्तरी भारत पर भी पड़ा। उत्तरी भारत में शंकराचार्य ने बहुत लम्बे समय तक भ्रमण किया तथा असंख्य हिंदुओं में अपनी संस्कृति एवं धर्म के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की। शंकराचार्य उच्चकोटि के विद्वान व हिंदू धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके उपदेश ''अद्वैत दर्शन'' के नाम से प्रसिद्ध है। उनका विचार था कि ब्रह्म और जगत एक ही है। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन प्राचीन उपनिषदों, विशेषकर ब्रह्मसूत्र पर आधारित है।

शंकराचार्य दार्शनिक ही नहीं उच्चकोटि के सुधारक भी थे। उन्होंने देवों की पूजा से सम्बंधित अनेक बुराइयों को दूर किया और देश के विभिन्न भागों में चार मठ स्थापित किये। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की बहुत सेवा की। उनका सम्पूर्ण जीवन प्रचार-कार्य में व्यतीत हुआ। के.एम.पणिकर ने कहा है कि-''शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों तथा उनके अधीन काम करने वाली छोटी-छोटी संस्थाओं एवं उनके अधिकारियों ने हिंदू धर्म के प्रभाव को शताब्दियों तक भारतवर्ष में जीवित रखा।''

रामानुजाचार्य दक्षिण के वैष्णव आचार्य थे। इन्होंने ईश्वर, जगत तथा जीव को अनादि माना और जगत तथा जीव को ईश्वर पर आश्रित माना। इनका वाद ''विशिष्टाद्वैत'' कहलाता है। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर पर बल दिया। वैष्णव मत के प्रचार-प्रसार में रामानुजाचार्य ने अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया। उनके उपदेशों ने न केवल जनसाधारण को ही प्रभावित किया अपितु बड़े-बड़े शासक भी उनसे प्रभावित होकर वैष्णव मत के अनुयायी बन गये। वे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में विश्वास रखते थे। उन्होंने ज्ञान मार्ग का खण्डन करते हुए भक्ति मार्ग के अनुसरण पर बल दिया। रामानुजाचार्य के व्यक्तित्व तथा पाण्डित्य ने सम्पूर्ण दक्षिण भारत को भक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को एक लोकप्रिय और जनता का आंदोलन बना दिया। पहली बार जनसाधारण के स्तर पर इस आंदोलन को सर्वत्र लोकप्रियता प्राप्त हो सकी। डॉ. युसुफ हुसैन के मतानुसार ''रामानुजाचार्य मध्यकालीन भक्त-संतों के पथ-प्रदर्शक थे। समाज सुधारक की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व है।'' रामानुजाचार्य का कहना था कि एक शूद्र भी ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

महाराष्ट्र में भक्ति की प्रारंभिक डोर सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित ज्ञानदेव और सामाजिक दृष्टि से निम्न नामदेव के हाथ में रही। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। वे दर्जी का काम करते थे। उन्होंने अपने उपदेशों में मूर्तिपूजा तथा कई खोखले रीति-रिवाजों का खण्डन किया। वे जाति-पाँति के भेदभाव तथा अभिमान के विरुद्ध थे। उन्होंने ईश्वर भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन बताया। अपने उपदेशों से नामदेव ने भी जनसाधारण को बहुत

अधिक प्रभावित किया। भक्ति की धारा महाराष्ट्र और कर्नाटक से उत्तर भारत में आई। उत्तर भारत में इसी से कृष्ण-भक्ति और राम-भक्ति के सोपान खुले। वल्लभाचार्य ने ''शुद्धाद्वैतवाद'' के नाम से अपने मत का प्रचार किया। इन्होंने वेदांत की व्याख्या की। इनकी मान्यता थी कि जीव ब्रह्म के समान सत्य है। इन्होंने तत्कालीन समाज में कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। सूरदास इनके अनुयायी थे। वल्लभाचार्य व उनके पुत्र ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें आठों कवि श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करते थे।

जयदेव उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक और सुधारक थे। ये कृष्ण और राधा के अनन्य भक्त थे। इन्होंने गीत-गोविंद की रचना की थी। कृष्ण भक्त संत निम्बार्क अवतारवाद में विश्वास रखते थे। इन्होंने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मानना था कि जीव अज्ञान एवं अविधा के कारण कर्म तथा पुनर्जन्म के चक्कर में फँस जाता है। इससे मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उपाय है, समर्पित भाव से कृष्ण के प्रति श्रद्धा व प्रेम रखते हुए भक्ति करें। भक्ति आंदोलन के महान संतों में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। चैतन्य महाप्रभु ने धर्मग्रंथों का अध्ययन किया। इन्होंने उड़ीसा, दक्षिण भारत, वृन्दावन आदि स्थानों का भ्रमण कर वैष्णव मत का प्रचार किया। इनका कहना था वि- ''हे ईश्वर! मैं आपसे अपनी आत्मा के लिए आपके प्रति थोड़ी सी भक्ति चाहता हूँ।'' डॉ. आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार ''चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा जनमानस के लिए आकर्षक विचारधारा बन गयी।'' चैतन्य ने भक्ति-परंपरा में न केवल पूर्वी भारत को ही अपितु सम्पूर्ण भारत को प्रभावित किया तथा भक्ति की विचारधारा को और भी सरल एवं लोकप्रिय बना दिया। इनके विचार सरल स्पष्ट और मानवतावादी थे। इसी कारण वे एक लोकप्रिय संत बन गये थे। के.एम.पणिकर ने लिखा है ''चैतन्य के इस आंदोलन के कारण संस्कृत भाषा में बहुत सी रचनाएँ रची गयी और भारतीय विचारधारा पर भी इनके आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा।'' उडिपी के माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया और कहा कि जीव तथा जगत ईश्वर से सर्वथा भिन्न होते हुए भी उसी पर आश्रित है।

भक्ति आंदोलन के प्रचार-प्रसार में रामानंद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। डॉ. ताराचंद के अनुसार-''रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर व दक्षिण के बीच एक कड़ी एवं सेतु के समान थे।'' रामानंद ने प्रेम व भक्ति के स्थान पर एक नवीन वैष्णव मत की नींव रखी। इन्होंने मूर्तिपूजा, खोखले रीति-रिवाजों तथा जाति-विभेद का विरोध किया। रामानंद के शिष्य कबीर एक सच्चे समाज सुधारक, साहित्यिक और कवि थे। कबीर ने ईश्वर की एकता पर बल देते हुए मूर्तिपूजा का विरोध किया। जाति-पाँति का खंडन करते हुए भ्रातृ-भाव पर बल दिया। कबीर भक्ति को मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लमानों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया। गुरु नानक ने सिक्ख धर्म का प्रवर्तन किया। श्री अरविंद ने उन्हें क्रांतिकारी विचारक की संज्ञा दी है। संत दादूदयाल निर्गुणवादी संत थे। इनके विचारों को मानने वाले दादूपंथी कहलाते थे। भक्त संतों में समाज सुधारक, धर्म सुधारक, समन्वयकारी, उच्चकोटि के कवि तुलसीदास सच्चे लोकनायक, हिंदू जाति के सही पथ-प्रदर्शक, समन्वयवर्त्ता तथा मुक्तिदाता थे। मध्ययुग में एक युगपुरुष के रुप में तुलसीदास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भक्ति आंदोलन के संतों में रैदास का भी नाम आता है। ये जाति के चमार और कबीर के समकालीन थे। ये निर्गुण उपासना में विश्वास रखते थे। रामानंद के शिष्य थे। इन संतों के अतिरिक्त मीरा बाई का नाम भी भक्ति परंपरा में आता है। ये कृष्ण भक्त थीं। मध्ययुग में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त संतों में मीरा का अति विशिष्ट स्थान है। मीरां के अतिरिक्त सूरदास, तुकाराम, शंकरदेव, सुंदरदास, मलूकदास, धर्मदास, ज्ञानेश्वर के नाम भी आते हैं। निःसंदेह इन भक्त संतो ने तत्कालीन समाज में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, बाह्य आडंबरों, बहुदेववाद, मूर्तिपूजा आदि का खंडन किया तथा जाति-पाँति, ऊँच-नीच, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए भ्रातृ-भाव पर बल दिया और सामाजिक एकता स्थापित करने का यत्न किया।

भक्ति आंदोलन मध्ययुग का एक ऐसा जन-आंदोलन था, जिसने भारतीय समाज को भक्ति और संस्कृति की नयी रोशनी दी। इस आंदोलन ने हिंदू समाज में एक

प्रकार से नए प्राणों का संचार किया। जनसाधारण का नैतिक स्तर ऊँचा उठा तथा लोगों में व्याप्त अंधविश्वास की भावना दूर होने लगी। हिंदू धर्म में जो जटिलताएँ आ गयी थी, वे धीरे-धीरे कम होने लगी। सभी संतो ने जाति-पाँति, वर्ग-भेद और ऊँच-नीच की भावना का खण्डन करते हुए सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। इस भक्ति आंदोलन का समूचे देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव शताब्दियों तक कायम रहा है। डॉ. आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने लिखा है ''यह आंदोलन जन-आंदोलन था और इसने लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। शायद बौद्ध धर्म के पतन के बाद भक्ति आंदोलन जैसा देशव्यापी जन-आंदोलन हमारे देश में दूसरा नहीं हुआ था।''

भक्ति आंदोलन ने समूचे देश में एक नए वातावरण का सृजन किया। इस आंदोलन की सद्भावना की लहर ने देश की समूची जनता के हृदय को स्पर्श किया और सारे देश को उसके कोमल धागे में बाँधने का प्रयास किया। सम्पूर्ण देश में एकता की भावना जाग्रत हो गयी।

निष्कर्षतः भक्ति आंदोलन ने भारत के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। धार्मिक सहनशीलता का प्रादुर्भाव हुआ। सम्पूर्ण मानव जाति से प्यार का मार्ग प्रशस्त हुआ। हिंदु मुस्लिम वैमनस्य दूर हुआ। आपस में प्रेम व भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई। प्रादेशिक साहित्य को प्रोत्साहन मिला; जैसे गुरु नानक ने पंजाबी में, कबीर, तुलसी आदि ने हिंदी में चैतन्य ने बंगाली में, नामदेव ज्ञानदेव ने मराठी भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की जिससे मध्यकालीन साहित्य पर स्वथ प्रभाव पड़ा। तीर्थ स्थानों की वृद्धि हुई भक्तों ने समाधियों पर सुंदर भवन बनपवाए। ये स्थल स्थापत्यकला की अमूल्य निधि हैं। धर्म के नाम पर चल रहे आडम्बरों और अंधविश्वासों पर प्रहार होने लगा। धार्मिक नियम सरल बने। बहुदेववाद का विरोध हुआ। धार्मिक आडंबर का स्थान तर्क ने ले लिया। भक्ति की भावना प्रबल हुई। दलित जातियाँ का उत्थान होने लगा। इस आंदोलन से हिंदू संस्कृति की रक्षा होने लगी। जाति-प्रथा के प्रति लोगों की आस्था कम हो गयी, हिंदू धर्म की वास्तविक आत्मा पुनः जाग्रत हो उठी। हिंदू-मुस्लिम समन्वय भी भक्ति आंदोलन का ही कार्य था। भक्ति संतों नं भारतीयों को सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय भक्ति-परंपरा प्रदान की।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय चिंतन परंपरा—के. दामोदरन
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—रामचन्द्र शुक्ल
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—डॉ. नगेन्द्र
4. संस्कृति के चार अध्याय—डॉ. रामधारी सिंह दिनकर
5. प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन-सत्यकेतु विद्यालंकार
6. प्राचीन भारत का इतिहास—ओमप्रकाश
7. मध्यकालीन भारत का इतिहास—डॉ. आशीर्वाद लाल
8. आधुनिक भारत का इतिहास—डॉ. एम.एस. जैन
9. आधुनिक भारतीय चिंतन—डॉ. वी.पी. वर्मा
10. आधुनिक भारतीय चिंतन—डॉ. वी.एस. नरवणे
11. मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति—डॉ. यूसुफ हुसैन
12. The Foundation of Indian Culture—अरविन्द
13. An Advanced History of India—आर.सी. मजूमदार
14. चिंतामणि—रामचन्द्र शुक्ल
15. हिंदी साहित्य एक अध्ययन—डॉ. रामरतन भटनागर
16. मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का लोकतांत्रिक अध्ययन —डॉ. सत्येन्द्र

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 4th March 2025
Paper Accepted : 10th March 2025

काव्य लक्षण विमर्श

❑ डॉ. अतुल कुमार सिंह*

शोध-सारांश

सद्यः परनिर्वृत्ति प्रयोजनवती काव्य रचना के द्वारा ही आल्हदकारी, आचरण सम्पन्न, कल्याणकारी समाज की संरचना संभव है। काव्य रचना का उद्देश्य केवल सुन्दरम् की प्राप्ति ही नहीं अपितु शिवम् की रक्षा करना भी है। सत्यं शिवम् सुंदरम् की भावना से ओत–प्रोत काव्य का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभव दोष रहित लक्षण प्रस्तुत करना काव्यशास्त्रीय आचार्यों का प्रमुख ध्येय रहा है।

मुख्य शब्द– *मृदुललित पदावली, गूढ शब्दार्थ से हीन, सर्व सुगमता, युक्ति और नृत्य की योजना वाला, आनंद देने वाला, संधियों से युक्त, सहितयोर्भावः साहित्यम्, हृदयाह्लादक।*

काव्य मनुष्य चेतना की महत्तम सृष्टि है। सद्यः परनिर्वृत्ति प्रयोजनवती काव्य रचना के द्वारा ही आह्लादकारी, आचरण सम्पन्न, कल्याणकारी समाज की संरचना संभव है। काव्य रचना का उद्देश्य केवल सुन्दरम् की प्राप्ति ही नहीं अपितु शिवम् की रक्षा करना भी है। ऐसा समाजोपयोगी काव्य क्या है या काव्य किसे कहते हैं। इस विषय पर विचार काव्योत्पत्ति के समय से ही होने लगा था। काव्यशास्त्रीय शब्द में जो कवयन करे वह कवि है तथा कवि कर्म ही काव्य है– **'तस्य कर्म स्मृतं काव्यम्'।**

इस प्रकार साधारणतः काव्य का स्वरूप तो स्पष्ट हो जाता है, परंतु सर्वथा निर्दुष्ट असाधारण काव्य लक्षण देना अत्यंत कष्ट–साध्य है, क्योंकि लक्षण का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभव दोष से मुक्त होना आवश्यक है। सर्वप्रथम अग्निपुराण में काव्य लक्षण पर प्रकाश डालते हुए इष्ट अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली को काव्य माना गया है साथ ही, काव्य को अलंकार तथा गुण से युक्त तथा दोष से मुक्त होना चाहिए–

"संक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।
काव्यं स्फुरदलंकारं गुणवद्दोषवर्जितम्।[1]"

इस दिशा में विचार करने वाले प्रथम आचार्य नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि हैं, जिन्होंने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले लक्षणों का वर्णन इस प्रकार किया है–

"मृदुललितपदाढ्यम् गूढशब्दार्थहीनं,
जनपदसुखबोध्यं युक्तिमन्नृत्ययोज्यम्।
बहुकृतरसमार्गं संधिसंधानयुक्तं स भवति
शुभकाव्यं नाटकप्रेक्षकाणाम्।।[2]"

अर्थात् मृदुललित पदावली, गूढशब्दार्थ से हीन, सर्व सुगमता, युक्ति और नृत्य की योजना

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संस्कृत), टी.एन.पी.जी. कॉलेज, टाण्डा, अम्बेडकर नगर
मो.: 8840013197, ई मेल : atuls7876@gmail.com

वाला, आनंद देने वाला, संधियों से युक्त नाटक दर्शक के लिए शुभ काव्य है। परंतु यह लक्षण स्पष्ट रूप से काव्य का लक्षण नहीं अपितु काव्य कला की प्रशस्ति मात्र है। काव्य लक्षण का वास्तविक विकास आचार्य भामह के काव्य लक्षण **"शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्"**[3] से दृष्टिगत होता है, जहाँ से निर्दुष्ट काव्य लक्षण का मार्ग प्रशस्त होता है। आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य माना है, जब शब्द और अर्थ परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हुए सामने आते हैं, तो शब्दार्थ सन्निधि में काव्य होता है। परंतु यदि शब्द और अर्थ से युक्त रचना को ही काव्य माना जाय तो दर्शन, व्याकरण, प्रहेलिका यहाँ तक कि सामान्य अभिव्यक्ति में भी काव्य का व्यवहार होने लगेगा क्योंकि, शब्द और अर्थ का सहभाव तो इनमें भी होता है। इस प्रकार **'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्'** अतिव्याप्ति दोष से दूषित प्रतीत होता है। आचार्य भामह के 'सहितौ' शब्द की व्याख्या आचार्य कुंतक के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ वक्रोक्तिजीवितम् में प्राप्त होती है–

"साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ।
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः।।"[4]

अर्थात् सौन्दर्य के द्वारा प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए शब्द और अर्थ की अपकर्ष और उत्कर्ष से रहित मनोहर अवस्थिति साहित्य कही जाती है। साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंतक ने **'सहितयोर्भावः साहित्यम्'**[5] कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ शब्द और अर्थ समान रूप से रमणीयता की उत्पत्ति हेतु पग से पग मिलाकर चलें, वह साहित्य है। आचार्य कुंतक के द्वारा प्रदत्त सहितौ शब्द की व्याख्या दृष्टिगत हो जाने के पश्चात् पुनः आचार्य भामह के काव्य लक्षण **'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्'** का अवलोकन करने से आचार्य का भाव स्पष्ट हो जाता है। सहृदयाह्लादक शब्द और अर्थ जब अन्यूनातिरिक्त स्थिति में अवस्थित हों तभी वह काव्य है। इस प्रकार आचार्य भामह का काव्य लक्षण अतिव्याप्ति दोष से मुक्त हो जाता है। भामह के पश्चात् काव्यादर्शकार आचार्य दंडी ने मनोहर सहृदयाह्लादक, इष्टार्थ से युक्त शब्द और अर्थ को काव्य के शरीर के रूप में प्रतिपादित किया है–**'शरीरं तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली'**।[6] आचार्य रुद्रट ने भी **'ननु शब्दर्थौ काव्यम्'**[7] कहकर शब्द और अर्थ को ही काव्य माना है।

काव्य की आत्मा के अनुसंधान का प्रयत्न आचार्य वामन के काव्यालंकार सूत्र से प्रारंभ होता है। आचार्य वामन ने अलंकार को काव्य के लिए आवश्यक माना है– **'काव्यं ग्राहयमलंकारात्'**[8] अर्थात् काव्य अलंकार तत्त्व के कारण ही ग्राह्य होते हैं। गुण और अलंकर से परिष्कृत शब्दार्थ ही काव्य है–**"काव्य शब्दोऽयं गुणालंकारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते"**[9]। इस प्रकार भरतमुनि, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट आदि काव्यशास्त्रियों ने काव्य के बाह्यभूत शरीर को ही काव्य लक्षण के रूप में परिलक्षित किया है परंतु आचार्य वामन ने **"रीतिरात्मा काव्यस्य"**[10] सूत्र के द्वारा काव्य शरीर में प्राणप्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है। जिसके पश्चात् काव्य के शरीर की चिंता न करते हुए काव्यात्मानुसंधान सभी आचार्यों का प्रमुख ध्येय हो गया।

ध्वन्यालोककार आनंदवर्धनाचार्य ने **सहृदयहृदयाहलादक शब्दार्थ**[11] को काव्य का लक्षण स्वीकार करते हुए ध्वनि को काव्य के जीवनधायक तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठापित किया–

"काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्वस्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्त–माहुस्तमन्ये।
केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्।।"[12]

आनंदवर्धनाचार्य ने ध्वनि का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है 'जब अर्थ स्वयम् को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस विशेष काव्य को ध्वनि कहा जाता है'–

"यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः।।"[13]

वक्रोक्तिजीवितकार आचार्य कुंतक ने काव्यलक्षण को अधिक विस्तार देते हुए हृदयादक कवि व्यापार युक्त सुंदर रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ को काव्य माना है–

**"शब्दार्थौ साहितौ वक्रकविव्यापारशालिनी।
बंधे व्यवस्थितौ काव्यं तदविदादकारिणी।।''**[14]

अर्थात् कवि को काव्य रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो विवक्षित अर्थ को स्पष्ट करने में पूर्ण समर्थ होने के साथ सहृदयहृदयाहलादक भी हों। कुंतक ने अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ को काव्य बताते हुए अलंकार को काव्य का सौन्दर्य विधायक तत्त्व ही नहीं अपितु मूल आधार माना है।

आचार्य भामह, आचार्य दण्डी के काव्य शरीर से ऊपर उठकर काव्यात्मा अनुसंधान की जो परम्परा आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य वामन आदि आचार्यों ने प्रशस्त की, आचार्य राजशेखर ने उस काव्य–पुरुष को मूर्तरूप प्रदान किया–

"शब्दर्थौ ते शरीरं, संस्कृतं मुखं, प्राकृतं बाहुः, जघनमपभ्रंशः, पैशाचं पादौ, उरो मिश्रम्। समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी चासि। उक्तिचणं च ते वचो, रस आत्मा, रोमाणि छन्दांसि, प्रश्नोत्तरप्रवकादिकं च वाक्केलिः, अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलंकुर्वन्ति।।"[15]

काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट ने दोष रहित, गुण से युक्त कहीं–कहीं अलंकाररहित शब्द और अर्थ को काव्य माना है–

'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि।'[16]

मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस शब्द और अर्थ के साहित्य को काव्य बताया है, उसी शब्द और अर्थ की स्थिति को और स्पष्ट करते हुए आचार्य मम्मट ने अदोषौ, सगुणौ तथा अनलंकृती पुनः क्वापि विशेषताओं से युक्त शब्दार्थ के साहित्य को काव्य माना है। अर्थात् वे शब्द और अर्थ दोष रहित होने के साथ–ही–साथ माधुर्यादि गुणों से युक्त होने चाहिए तथा साधारण रूप से अलंकार सहित होने चाहिए परंतु कहीं–कहीं रसादि की स्पष्ट प्रतीति होने पर यदि वे अलंकार रहित भी हों तब भी काव्य कहे जा सकते हैं। आचार्य मम्मट ने इन तीन विशेषताओं से युक्त शब्द और अर्थ के समष्टि को काव्य कहा है।

यद्यपि आचार्य मम्मट द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण समग्रता को समाहित किए हुए है फिर भी साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने इस काव्य लक्षण के विशेषण भाग (अदोषौ, सगुणौ तथा अनलंकृती पुनः क्वापि) की तीव्र आलोचना की है। अदोषौ पद की आलोचना करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने अदोषौ पद को अनुचित और व्यर्थ बताया है। आचार्य विश्वनाथ के अभिमत में यदि दोष रहित शब्द और अर्थ ही काव्य है तो **'न्याक्कारो ह्य्यमेव मे यदरयः'** आदि श्लोक विधेयाविमर्श दोष से युक्त होने के कारण काव्य नहीं हो सकते जबकि यह श्लोक उत्तम काव्य माना जाता है। अदोषौ पद की आलोचना करते हुए आचार्य विश्वनाथ दूसरे विकल्प पर विचार करते हुए कहते हैं– **'ननु कश्चिदेवांशो–ऽत्र दुष्टो न पुनः सर्व एवेति चेत्तर्हि यत्रांशे दोषः सो काव्यत्व प्रयोजकः यत्र ध्वनिः स उत्तमकाव्यत्वप्रयोजक इत्यंशाभ्यामुभयत आकृष्यमाणमिदं काव्यमकाव्यं वा किमपि न स्यात्।।'**[17]

अर्थात् यदि श्लोक का एक अंश दूषित हो तो वह अंश अकाव्यत्व का प्रयोजक होगा तथा जिस अंश में दोषरहित ध्वनि है वह उत्तम काव्य का प्रयोजक रहेगा। इस स्थिति में काव्यत्व और अकाव्यत्व के छीना–झपटी में यह न काव्य ही रह सकेगा और न अकाव्य ही और यदि सर्वथा निर्दुष्टता में ही काव्य मना जाय तो ऐसा काव्य असंभव प्राप्य ही होगा क्योंकि– **'एवं काव्यं प्रविरलविषयम् निर्विषयम् वा स्यात्'**[18] संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवि कालिदासादि के रचनाओं में भी दोष दिखाई देता है।

अदोषौ पद की संभावना पर विचार करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि यदि अदोषौ पद का अर्थ **'ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम्'** माना जाय, तो सर्वथा निर्दोष शब्दार्थ काव्य का प्रयोजक नहीं हो

सकेगा। यदि **'सति संभवे ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम्'** माना जाय तो अदोषौ पद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि, कीटानुबिद्ध को रत्न के लक्षण में समाहित नहीं किया जाता –

"कीटानुबिद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता।
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः।।"[19]

इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने अदोषौ पद की आलोचना करते हुए इस पद को व्यर्थ और अनुचित ही बताया है।

अदोषौ पद की ही तरह सगुणौ को भी आचार्य विश्वनाथ ने शब्दार्थौ के विशेषण के रूप में अनुपपन्न माना है, क्योंकि माधुर्यादि गुण शौर्यादि गुणों के समान काव्य के आत्मभूत रस के धर्म होते हैं, शब्दार्थ के नहीं। अतः सगुणौ का शब्दार्थौ के विशेषण के रूप में प्रयोग करना उचित नहीं है।

इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य–प्रकाशकार मम्मट के काव्य लक्षण के तृतीय विशेषण **'अनलंकृती पुनः क्वापि'** की आलोचना करते हुए मम्मटाचार्य द्वारा प्रदत्त अस्फुट अलंकार के उदाहरण का भी खण्डन किया है–

'यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चौत्रक्षपा–
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः
सा चौवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कंठते।।'

मम्मटाचार्य ने प्रस्तुत श्लोक को अस्फुट अलंकार के उदाहरण के रूप में प्रयुक्त किया है, परंतु आचार्य विश्वनाथ ने उत्कंठा का कारण न होने पर भी उत्कंठा रूप कार्य होने से विभावना एवं उत्कंठा अभाव का कारण रहते हुए भी उत्कंठा अभाव रूप कार्य न होने से विशेषोक्ति अलंकार बताया है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने उपरोक्त उदाहरण में **विभावनाविशेषोक्तिमूलकसंदेहसंकर** अलंकार बताया है। चन्द्रालोककार आचार्य जयदेव ने भी अलंकार विहीन काव्य को उष्णतारहित अग्नि के समान माना है –

"अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती।।"[20]

आचार्य विश्वनाथ ने काव्यप्रकाशकार मम्मट के काव्य लक्षण में प्रयुक्त शब्दार्थौ शब्द के तीनों विशेषणों का क्रमशः खंडन करने के पश्चात् रसात्मक वाक्य को काव्य के रूप में प्रतिष्ठापित किया है – **'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्।'**[21] अर्थात् रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस ही आत्मा है। सारभूत होने से जीवनधायक तत्त्व है, उस रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने शब्द और अर्थ के सहभाव के स्थान पर वाक्य का प्रयोग किया है। उनके अनुसार शब्द और अर्थ का सहभाव तो प्रत्येक अभिव्यक्ति में होता है परंतु काव्य तो तभी हो सकता है जब वाक्य रसात्मक हो। आचार्य विश्वनाथ ने **'रस्यते इति रसः'** इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि तथा भावशाबलता के भी आस्वादित होने से रस के अंतर्गत ही इनका भी समावेश कर लिया है।

चंद्रालोककार आचार्य जयदेव ने दोष रहित, अक्षर संहति आदि लक्षणों से युक्त, रीतियों से युक्त, गुणों से विभूषित, अलंकारों और रसों तथा वृत्तियों से युक्त वाणी को काव्य माना है–

"निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषणा।
सालंकाररसानेकवृत्तिर्वाक्काव्यनाम् भाक्।।"[22]

पंडित राजजगन्नाथ ने केवल रमणीयार्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य माना है– **'रमणीयार्थ–प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्'।**[23] इस प्रकार पंडित राजजगन्नाथ ने शब्द और अर्थ की समष्टि या व्यष्टि में काव्यत्व न मानते हुए केवल शब्द में ही काव्य स्वीकार किया है।

इस प्रकार विविध काव्यशास्त्रीय आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण का अवलोकन करने के पश्चात् यह दृष्टिगत होता है कि 'आचार्य भामह, आचार्य दण्डी, आचार्य रुद्रट आदि आचार्यों ने काव्य के भौतिक शरीर शब्दार्थौ के सहभाव को ही काव्य का स्वरूप स्वीकार किया है' जबकि उत्तरवर्ती आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक एवं आचार्य विश्वनाथ ने क्रमशः काव्य के आत्मभूत ध्वनि, वक्रोक्ति तथा रस को काव्य के लक्षण के रूप में समाहित किया है। परंतु आचार्य मम्मट ने काव्य के समग्र

स्वरूप को प्रतिपादित करने का सराहनीय प्रयास किया है। यद्यपि साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के काव्यलक्षण का खंडन किया है, परन्तु सूक्ष्मता से अवलोकन करने के पश्चात् आचार्य विश्वनाथ की आलोचना सारहीन ही प्रतीत होती है।

अदोषौ पद की आलोचना करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने **'एवं काव्यं प्रविरलविषयम् निर्विषयम् वा स्यात्'** कहा है, परंतु काव्यप्रकाशकार के अदोषौ पद रखने का उद्देश्य च्युतसंस्कार आदि प्रबल दोषों के निवारण से है, जो रसानुभूति में बाधक हो, दुःश्रवत्व आदि दोषों से नहीं जो श्रृंगारादि में दोष स्वरूप होते हैं परंतु वीर, वीभत्सादि रसों में गुण स्वरूप हो जाते हैं।

इसी प्रकार सगुणौ पद की आलोचना करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि, गुण शब्दार्थ के नहीं अपितु काव्य के आत्मभूत रस के धर्म होते हैं। यह तथ्य पूर्णतः सत्य है, परंतु काव्यप्रकाशकार ने **'गुणवृत्या पुनस्तेषाम् वृतिः शब्दार्थयोः मता'**[24] लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि गुण आत्मा में शौर्यादि के समान माधुर्यादि गुण काव्य की आत्मभूत रस के ही धर्म हैं, परंतु उपचारतः शब्द और अर्थ में भी उनकी उपस्थिति मानी जा सकती है।

अंततः आचार्य विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश के उदाहरण **'यः कौमारहरः'** में जो **विभावनाविशेषोक्ति मूलकसंदेहसंकर** अलंकार दिखाने का कष्टसाध्य प्रयत्न किया है वह भावमुखेन नहीं अपितु अभावमुखेन है। काव्यप्रकाशकार ने वृत्ति में स्पष्ट करते हुए स्वयं लिखा है–**'सर्वत्र सालंकारौ क्वाचित् तु स्फुटालंकारविरहे अपि न काव्यत्व हानिः'।** अर्थात् सब जगह अलंकार सहित परंतु कहीं–कहीं अलंकार की सत्ता स्पष्ट न होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है।

इस प्रकार आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का समुचित अवलोकन करने के पश्चात् यह दृष्टिगत होता है कि आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया खंडन मिथ्या प्रलाप ही है। काव्यप्रकाश का काव्य लक्षण **'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन–लंकृती पुनः क्वापि'** अन्य लक्षणों की अपेक्षा अधिक समीचीन है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय, भाग/प्रथम अध्याय/श्लोक 6, 7
2. नाट्यशास्त्र/16/129
3. भामह काव्यालंकर/1/16
4. वक्रोक्तिजीवितम्/1/17
5. वक्रोक्तिजीवितम्/1/पृष्ठ–57
6. काव्यादर्श /1/10
7. रूद्रट– काव्यालंकार/2/1
8. काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः /1/1
9. काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः /1/पृष्ठ–4
10. काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः /2/6
11. 'सहृदयहृदयाहलादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्'। ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत
12. ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत 6, काव्यादर्श /1/10
13. ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत 13
14. वक्रोक्तिजीवितम्, 1/7
15. काव्यमीमांसा /3/पृष्ठ–24,25
16. काव्यप्रकाश/1/4
17. साहित्यदर्पण/1/पृष्ठ–52
18. साहित्यदर्पण/1/पृष्ठ–52
19. साहित्यदर्पण/1/पृष्ठ–541
13. ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत, 13
14. वक्रोक्तिजीवितम्, 1/7
15. काव्यमीमांसा /3/पृष्ठ–24,25
16. काव्यप्रकाश/1/4
17. साहित्यदर्पण/1/पृष्ठ–52
18. साहित्यदर्पण/1/पृष्ठ–52
19. साहित्यदर्पण/1/पृष्ठ–54
20. चन्द्रालोक/ 1/8
21. साहित्यदर्पण/ 1/8
22. चन्द्रालोक/ 1/7
23. रसगंगाधर/ 1/1
24. काव्यप्रकाश/8/71

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal **ISSN (Print) : 3048-6327**

Paper Recieved : 10th March 2025 **Paper Accepted : 20th March 2025**

महादेवी वर्मा की रचनाओं में जन-सामान्य की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति

❑ डॉ. विकास चन्द वर्मा*

शोध-सारांश

महादेवी वर्मा की रचनाओं में जहाँ एक ओर प्रेम–विरह और करुणा के भाव हैं वहीं दूसरी ओर जन–सामान्य के दुःख–दर्द, शोषण–उत्पीड़न और संघर्ष की भी अभिव्यक्ति है। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभूतियों को व्यापक मानवता के दुःख और संघर्षों से जोड़ा है। वे स्वीकारती हैं कि मानव जीवन की पीड़ा और संघर्ष आत्मा की परिपक्वता और उन्नति के लिए आवश्यक है। सामाजिक चेतना और नारी स्वाधीनता उनकी रचना धर्मिता का केन्द्रीय विषय रहा है। उनकी रचनाएँ आज भी मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक न्याय की प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है।

मुख्य शब्द– *प्रेम, व्यथा, जिजीविषा, विसंगति, संघर्ष, वंचित व पीड़ित, मानवीय मूल्य, अन्तर्वेदना, नारी अस्मिता, सामाजिक न्याय, सामाजिक चेतना।*

हिन्दी साहित्य संवेदना की अनुपम साधिका महीयसी महादेवी वर्मा (1907–1987) एक प्रसिद्ध कवयित्री, निबन्धकार और रेखाचित्रकार थीं। अज्ञात–प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन के कारण उन्हें ''आधुनिक युग की मीरां'' के नाम से भी जाना जाता है। वे हिन्दी साहित्य में छायावादी काव्यधारा के चार प्रमुख स्तम्भों में से एक मानी जाती हैं। इसमें अन्य तीन जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नन्दन पंत और महाप्राण निराला हैं। उनके रचनात्मक जीवन में सर्वाधिक निकट निराला जी थे। महादेवी जी लगभग चालीस वर्षों तक उनकी कलाई में राखी बाँधती रहीं। निराला जी ने उन्हें 'हिन्दी के विशाल मन्दिर की सरस्वती' की उपाधि से विभूषित किया।

महादेवी वर्मा की रचनाओं में आरम्भ से ही प्रेम, विरह, विस्मय, जिज्ञासा, वेदना, व्यथा, करुणा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। उनके ये भाव निरन्तर प्रौढ़, परिमार्जित और परिष्कृत होते रहे हैं। अस्सी वर्ष की जीवन–यात्रा और दीर्घकालिक रचना–यात्रा में उन्होंने अनेक कालजयी कृतियों की सर्जना की है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएँ– नीहार 1939, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्यगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संधिनी 1965 एवं गद्य रचनाएँ– अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएँ 1945, श्रृंखला की कड़ियाँ 1948, पथ के साथी 1956,

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, टी.एन.पी.जी. कॉलेज, टाण्डा अम्बेडकर नगर
मो.–6394746149, ई–मेल vikaschandverma77@gmail.com

क्षणदा 1956 और मेरा परिवार 1972 हैं।

महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में भावात्मकता और संगीतात्मकता की प्रधानता है और गद्य रचनाओं में वैचारिकता और और तार्किकता की प्रधानता है। उनके गीतों में जहाँ करुणा, पीड़ा, व्यथा, आशा, अज्ञात के प्रति प्रेम और जन–सामान्य के साधना व संघर्ष की अनुभूतियों को अभिव्यक्ति मिली है वहीं उनके निबन्धों एवं रेखाचित्रों में सहयात्रियों, सहयोगियों, जन–सामान्य की जिजीविषा, नारी विमर्श और पशु–पक्षियों के प्रति प्रेम को बड़ी संवेदनात्मकता और यथार्थात्मकता के साथ अभिव्यक्ति मिली है।

महादेवी वर्मा को महात्मा बुद्ध और उनके दार्शनिक सिद्धान्तों से विशेष अनुराग था। महादेवी वर्मा की रचनाओं में करुणा, दुःख और पीड़ा का भाव सार्वभौमिक सत्य के रूप में आद्यान्त विद्यमान रहा है जो बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य के सिद्धान्त के प्रभाव का ही परिणाम है। महादेवी वर्मा के काव्य में दुःख–दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति उनकी निजी न होकर जन–सामान्य की भी है, यह एकान्तिक न होकर वैश्विक सत्य के रूप में उद्घाटित हुई है। दुःख और करुणा मानव के हृदय की मलीनता को दूर कर निर्मलता की भावभूमि पर स्थापित करती है, जहाँ मानव का मानव से भेद समाप्त होता है, ईर्ष्या–द्वेष से रहित होकर सत्य के मार्ग पर प्रतिष्ठित जीवन जीता है। उनकी कविताओं में 'तम' शब्द का प्रयोग एकाधिक बार हुआ है, जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और आन्तरिक विषंगतियों के अन्धकार को दर्शाता है। उनकी रचनाओं का एक उद्देश्य यह भी है कि, सामाजिक एवं आर्थिक विषंगतियाँ समाप्त हों, धार्मिक रूढ़ियों एवं सड़ी–गली परम्पराओं से मुक्त सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो। महादेवी वर्मा का यह दुःखवाद निराशा के गर्त में नहीं डुबाता बल्कि मुक्ति के पथ पर ले जाता है। यही बात कालान्तर में प्रयोगवादी कवि अज्ञेय ने भी कही है कि 'दुःख सबको माँजता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किन्तु जिनको माँजता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे' महादेवी वर्मा की कविताओं में वेदना–संवेदना, दुःख और करूणा विविध रूपों एवं स्तरों पर व्यंजित हुई हैं। उन्होने जीवन की नश्वरता में भी अमरता को खोजा है।

मैं नीर भरी दुःख की बदली
विस्तृत नभ का कोई कोना
मेरा न कभी अपना होना
परिचय इतना इतिहास यही
उमड़ी कल थी मिट आज चली।[1]

इन पक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को **नीर भरी दुःख की बदली** कहा है। उनकी यह निजी पीड़ा नहीं है, बल्कि जन–सामान्य की भी पीड़ा है, यही है जो कुछ समय के लिए आती है एवं कालान्तर में मिटकर चली जाती है। जीवन का यही अनुक्रम जो मानव के अस्त्त्वि को शाश्वत रूप प्रदान करता है।

महादेवी वर्मा हिन्दी साहित्य की अद्वितीय रचनाकार हैं। उनके जैसी लेखिका हिन्दी में अभी अप्राप्य है। वे छायावाद की प्रमुख कवयित्री ही नहीं, महत्त्वपूर्ण गद्यकार, विचारक, चित्रकार, सम्पादक, अनुवादक, शिक्षक और सक्रिय सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता भी रही हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में न केवल वैयक्तिक भावनाओं को, बल्कि समाज के साधारण जन–सामान्य की पीड़ा, दुःख–दर्द, संघर्ष और अन्तर्वेदना को भी बड़ी मुखरता से अभिव्यक्ति दी है। उनका काव्य उनकी गहन संवेदनशीलता, करुणा और मानवीय पीड़ा की मार्मिक अनुभूति का जीवन्त प्रमाण है। उनके काव्य में जो अन्तर्वेदना मुखरित होती है, वह न केवल उनकी आत्मा का प्रतिबिम्ब है, बल्कि समाज में व्याप्त विषमताओं, शोषण और दुःख–दर्द का भी प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने समाज भारतीय समाज में व्याप्त अमीरी–गरीबी, शोषित, वंचित, पीड़ित, छूत–अछूत, नर–नारी की आन्तरिक विषंगतियों का बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन किया और करुणा से द्रवित होकर इस अन्धकारिक व्यवस्था को दूर

करने वाली सजग दृष्टि प्रदान करने की कोशिश की। सामाजिक विषमता और मानवीय मूल्यों की दुर्दशा के लिए उनकी विद्रोही चेतना ईश्वर से भी लड़ती हुई नजर आती है–

मत व्यथित हो फूल!
किसको सुख दिया संसार ने?
स्वार्थमय सबको बनाया
है यहाँ करतार ने।[2]

महादेवी वर्मा ने यहाँ सामान्य जनों को सुन्दर और सुकोमल 'फूल' से प्रतीकित किया है। उनके हृदय में मानव और मानवीय मूल्य की गहरी संवेदना है। यदि विषमतामूलक सृष्टि ईश्वर की अभिव्यक्ति है तो हमारा प्रयास समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सतत् संघर्ष करना है, जहाँ मानव और मानवीय मूल्यों की उन्नति होती रहे। उन्होंने समाज में व्याप्त विषमताओं और शोषण को बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। उनका काव्य सामाजिक न्याय पर बल देता है और समाज में समानता, सहिष्णुता और बन्धुता की स्थापना की वकालत करता है।

करुण रस की देवी महादेवी वर्मा मानवीय संवेदनाओं, जीवन के संघर्षों, विफलताओं, उदासियों, हताशाओं, टुटन–घुटन और उसके एकाकीपन को गहरे अर्थों में समझती थीं। आँसुओं के मूल्य और पीड़ा की वेदना को उन्होंने काव्य में ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति दी कि उसमें मानवता के तत्त्व प्रमुखता से प्रतिविम्बित हो गये। जीवन के सभी पहलुओं को उन्होंने अपनी लेखनी से स्पर्श किया। उनकी जीवनयात्रा और रचनाधर्मिता में न तो कोई विरोधाभास था और न ही किसी प्रकार का आडम्बर, बल्कि उनमें यथार्थवाद के ही दर्शन होते हैं। उन्होंने जिन्दगी से जुड़े सपने और अनुभूतियों को परीलोक की कथा के तौर पर न देखकर यथार्थ की भावभूमि पर आपबीती को ही चित्रित किया है। मानवीय संवेदनाएँ उनके रचना–कर्म की आधार शिलाएँ रही हैं। देश में व्याप्त कुरीतियों, वंचना, बेबसी शोषण और अनाचार के तमस को मिटाने के लिए अपने अन्तर्मन की छटपटाहट को काव्य का विषय बनाया। आम जन–मानस में व्याप्त दुःख–तकलीफों को उन्होने अपनी रचनाओं में जो करुणा का स्वर दिया वह आज भी साहित्यिक जनों का मार्ग दर्शक बना हुआ है–

देखूं खिलती कलियाँ या
प्यासे सूखे अधरों को
तेरी चिर यौवन सुषमा
या जर्जर जीवन देखूँ
तेरे असीम आँगन की
देखूँ जगमग दीवाली
या इस निर्जन कोने के
बुझते दीपक को देखूँ।[3]

महादेवी वर्मा यहाँ खिलती कलियों की अपेक्षा अपने देश की उस विशाल आबादी को प्राथमिकता देती हैं जिनके होंठ अन्न–जल के अभाव में सूखकर मुरझा गये हैं। वे यौवन के सौन्दर्य की अपेक्षा उन बुजुर्गों की चिन्ता करती हैं जो जीवन की अन्तिम अवस्था में पहुँचकर बेबसी–बेचारगी और जर्जरावस्था को जी रहे हैं। वे संसार और समाज के सम्पन्न वर्ग के घरों में जगमगाती दीवाली की रोशनी की अपेक्षा अपने देश एवं समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े शोषित–वंचित वर्ग के घरों में पसरे अन्धेरों को महसूस करना चाहती हैं।

महादेवी वर्मा की रचनाओं में मानवीय करुणा का तत्त्व केन्द्रीय भाव के रूप में विद्यमान है। उनके काव्य में दबे–कुचले, पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। उनका यह करुण भाव केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना के सन्देश के साथ समाज के गरीब, वंचित और शोषित वर्ग की व्यथा को भी प्रकट करती है।

मेरे हँसते अधर नहीं
जग की आँसू लड़ियाँ देखो
मेरे गीले पलक छुओ मत
मुरझायी कलियाँ देखो।[4]

उनकी रचनाएँ समाज के उन वर्गों की पीड़ा को भी सामने लाती हैं, जो प्रायः अनदेखे–अनचीन्हे

रह जाते हैं। इसीलिए उन्होने उक्त कविता में 'मुरझायी कलियों' की ओर इशारा किया है।

महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व उनकी रचनाधर्मिता की तरह ही विशाल और आकाशधर्मी है। महादेवी वर्मा नारीवादी चेतना की अग्रदूत मानी जाती हैं। प्रसिद्ध फ्रांसीसी नारीवादी आन्दोलन की अगुवा सिमोन द बेवॉयर के ''द सेकेंड सेक्स–1949'' के लगभग दो दशक पहले भारत में महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में 'चाँद' पत्रिका में महिलाओं के उत्पीड़न पर प्रभावशाली निबन्धों की एक श्रृंखला निकाली थी। ये निबन्ध 1942 में प्रकाशित उनकी पुस्तक, गद्य रचना ''श्रृंखला की कड़ियाँ'' में संकलित किए गये हैं। उन्होंने अपने काव्य और गद्य रचनाओं में नारी की पीड़ा, उसकी अन्तर्वेदना और संघर्ष को प्रमुखता से स्थान दिया है। उनकी दृष्टि में नारी केवल करुणा और दया की पात्र नहीं है, बल्कि एक जुझारु, सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व की स्वामिनी है जो अपने अस्तित्त्व की पहचान के लिए निरन्तर संघर्षरत है।

तात्कालिक भारतीय समाज में बाल विवाह, बेमेल विवाह, वृद्ध विवाह जैसी कुप्रथाएँ प्रचलित थीं और इन कुप्रथाओं के कारण नारी जीवन अनेक नारकीय समस्याओं से ग्रसित था। इन कुरीतियों के प्रति कहीं भी और किसी भी स्तर पर असंतोष का स्वर न था। पुरुष प्रधान समाज में घर–परिवार पर बड़े–बुजुर्गों का वर्चस्व था। परिवार से सम्बंधित सभी निर्णय वे ही करते थे। उनके द्वारा लिए गये निर्णयों को सभी लोग स्वीकार करते थे। महादेवी वर्मा के पिता गोविन्द प्रसाद वर्मा प्रगतिशील दृष्टिकोण, उदार व्यक्तित्व के धनी और मानवीय मूल्यों की गहरी समझ वाले सामाजिक व्यक्ति थे। वे अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा तक पढ़ाना चाहते थे किन्तु उन्हें अपने पिता व महादेवी के दादा बाबू बाँके बिहारी वर्मा की इच्छा के अनुरूप महज 9 वर्ष की बाल्यावस्था में अबोध कन्या का विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से करना पड़ा।

वैवाहिक जीवन की विसंगतियों और व्यक्तिगत रुचियों के कारण उन्हें विवाह के विरक्ति हो गयी। पारिवारिक संस्कार व मर्यादित व्यवहार के कारण डाक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से उन्हें कोई वैमनस्य नहीं था। सामान्य स्त्री–पुरुष की भाँति उनके सम्बन्ध सदैव मधुर ही रहे। दोनों लोगों के मध्य पत्राचार भी होता रहता था। डाक्टर साहब उनसे मिलने इलाहाबाद भी आते थे। डाक्टर साहब ने महादेवी वर्मा के कहने पर भी उनके आदर और प्रेम के सम्मान में दूसरा विवाह नहीं किया। उम्र भर अद्भुत प्रेम का वैराग्य लिए सन् 1966 में वे चिर निद्रा में सो गये। महादेवी वर्मा जी का जीवन तो एक संन्यासिनीं का जीवन था ही।

महादेवी वर्मा वैवाहिक जीवन में होते हुए भी बैरागी का जीवन जीती रहीं। उन्होंने जितना अपने लिए जिया उससे अधिक सामान्य जनों के लिए जिया। उनका संवेदनशील हृदय नारी समस्या को देखकर विद्रोह कर बैठा। उनके वैवाहिक जीवन के सम्बन्धों का प्रभाव उनकी रचनाओं में झलकता है। नारीत्व, उसकी गरिमा व अस्तित्त्व, करूणा, पीड़ा प्रेम–विरह महादेवी वर्मा का प्रमुख विषय रहा है।

महादेवी वर्मा, अपने रेखाचित्र और संस्मरण श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र एवं स्मृति की रेखाएँ में नारी अस्मिता व विमर्श और नारीत्व बोध व गरीमा के प्रश्न को बड़ी बेबाकी से उठाया है। उनकी दृष्टि में नारी की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि कहीं वह मन्दिर की अधिष्ठात्री देवी है तो कहीं कारागृह की वन्दिनी। ये दोनों अतियां नारी अस्मिता और उसकी गरिमा के खिलाफ है। वे नारी के पुरुष के सहयोगी व सहयात्री के रूप को अभिनन्दन करती हैं। ''श्रृंखला की कड़िया'' स्त्री चेतना का विकास करने वाली एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किताब एवं ऐतिहासिक दस्तावेज है। महादेवी वर्मा अपनी पुस्तक ''श्रृंखला की कड़ियां'' की भूमिका में स्त्रियों को समर्पित करती हुई उसमे लिखती हैं–

जनम से अभिशप्त, जीवन से संतप्त

किन्तु
अक्षय वात्सल्य, वरदानमयी
भारतीय नारी को[5] —महादेवी

''श्रृंखला की कड़ियाँ'' में सामाजिक समस्याओं, विशेषकर अभिशप्त नारी जीवन के जलते प्रश्नों से सम्बन्धित उनके विचारात्मक निबन्ध संकलित हैं। भारतीय समाज में नारी को माँ, पत्नी, बहन या पुत्री किसी भी रूप में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें हीनतर मानकर उनके साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है। महादेवी वर्मा यह समझती हैं कि स्त्रियों का अस्तित्त्व और व्यक्तित्व दोनों घर की चहार दीवारी के भीतर नष्ट होता रहा है। वे पुरुषों की सहयात्री और सहकर्मी होने पर बल देती हैं। इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा, ''हमें न किसी पर जय चाहिए न किसी से पराजय, न किसी पर प्रभुता चाहिए न किसी का प्रभुत्व। केवल वह स्थान, वे स्वत्व चाहिए जिनका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं परन्तु जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग बन नहीं सकेंगी।''[6]

महादेवी वर्मा ने विधवा जीवन की दुर्दशा पर गम्भीरता से विचार करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है, ''यदि दुर्भाग्य से स्त्री के मस्तक का सिन्दूर धुल गया, तब तो उसके लिए संसार ही नष्ट हो गया। यह ऐसा अपराध है जिसके कारण उसे मृत्यु दण्ड से भी भीषणतर दण्ड भोगते हुए तिल–तिल घुल करके जीवन के शेष, युग बन जाने वाले क्षण व्यतीत करने होते हैं।''[7]

इसी तरह वेश्या जीवन की करुण स्थिति पर विचार करते हुए समाज के वीभत्स रूप पर गहरी चोट करती हैं– ''वेश्या को मन तथा शरीर दोनों को नित्य नवीन ही बनाए रहने का अभिशाप मिला है। उनके नारीत्व को दूसरों के मनोरंजन मात्र का ध्येय मिला है तथा उसके जीवन का तितली जैसे कच्चे रंगों से श्रृंगार हुआ है जिसमें मोहकता है, परन्तु स्थायित्व नहीं।''[8] वे समाज के उन पुरुष वर्चस्व वादी वर्ग के प्रति भी क्षोभ प्रकट कर हैं करती हैं जो समाज के नैतिक मानदण्डों के निर्धारणकर्त्ता हैं–''महान दुराचारी पुरुष भी परम सती स्त्री के चरित्र का आलोचक ही नहीं, न्यायकर्त्ता भी बना रहता है।'[9]

वे नारी जीवन की समस्याओं की पहचान करने के साथ उसे मुक्ति का मार्ग भी बताती हैं–''स्त्री के सामने शिक्षा ही वह चाभी है जिससे उसके जीवन की जड़ता का ताला खुलेगा। वे चाहती हैं स्त्री स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय कर्त्तव्य के तहत अन्य स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करें।''[10]

महादेवी वर्मा की रचनाओं में जीवन के प्रति गहरी आस्था है। ''अतीत के चलचित्र'' और ''स्मृति की रेखाएँ'' महादेवी वर्मा के महत्त्वपूर्ण संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। उन्होंने स्मृति के आधार पर अमिट रेखाओं द्वारा जीवन के विविध रूपों का चित्र खींचा है। इनमें गाँव–जवार के वंचित, विपन्न, निर्धन लोगों, बालविधवाओं, विमाताओं पुनर्विवाहिताओं और वृद्ध–विवाह के कारण प्रताड़ितों के कारुणिक चित्र हैं। इनमें केवल नारियों का ही नहीं बल्कि उपेक्षित पुरुष वर्ग का भी चित्र उकेरा गया है।

''अतीत के चलचित्र'' में समाज के दबे, कुचले, वंचित और सर्वहारा वर्ग का चित्रण किया गया है। इसमें स्त्री–पुरुष दोनों के जीवन की त्रासद कथाए हैं। पहले रेखाचित्र में 'रामा' नामक किशोर अपनी विमाता के अत्याचारों से पीड़ित होकर घर छोड़ देता है और दर–दर की ठोकरें खाता है। दूसरे रेखाचित्र में एक बाल विधवा की कथा है। जिसे जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं होता है– ''यह अभागिनी नारी अपने पैरों में मिट्टी से महावर लगाए हुए जैसे किशोरी युवती से वृद्धा होने की साधना करती है।''[11] इसी तरह अन्य रेखाचित्रों में बिंदा नामक निरीह कन्या पर उसकी विमाता के अत्याचारों का वर्णन है। राबिया नामक दीन–हीन मलिन भंगी नारी की कहानी है जो पति–प्रेम में सब कुछ खो देती है। विट्टो नाम की एक बाल–विधवा तथा पुनर्विवाहिता नारी की करुण कथा का

चित्रण है। जिसे दो–दो पितृगृहों में स्थान नहीं मिल पाता है। अलोपी नामक अन्धा व्यक्ति, जो कर्मठ और संघर्षशील भी है, किंतु अपने अन्धत्व के कारण समाज के शोषण चक्र से नहीं बच पाता है। कुंभकार बदलू और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम उनकी करुण कथा है जो जीविका के लिए आजीवन संघर्ष करते हैं। रधिया के गुजर जाने के बाद बदलू अपने जीवन में अकेला रह जाता है। अन्तिम रेखा–चित्र में पहाड़ी प्रदेश की लक्ष्मा की करुण कथा है।

''स्मृति की रेखाएँ'' में महादेवी वर्मा के सात संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। इसमें वृद्ध भक्तिन की स्वामी–भक्ति तथा सौतेली माँ की प्रताड़ना, एक बालिका जो विमाता की प्रताड़ना सहते–सहते अविवाहित रह जाती है और उम्र के अन्तिम पड़ाव पर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाती है। चीनी फेरीवाला बालक के शोषण व अत्याचार की कथा, पर्वतीय प्रदेश के कुली जंगबहादुर तथा उसके अनुज धनिया की कर्मठता का चित्र खींचा है। ठकुरी बाबा जो प्रयाग में कल्पवास करने आते हैं उनकी एक पुत्री है जिसका पालन–पोषण वे स्वयं करते हैं। पुत्री के पालन–पोषण के सम्बन्ध में पूछने पर वह कहते हैं कि–''जब मजदूर माँ अपने बच्चों को लेकर काम करती है, तब पिता के ऐसा करने में लजाने की कौन बात है।''[12]

बरेठिन नामक धोबिन का रेखाचित्र बड़ा मार्मिक है। यह एक पाँच वर्ष की बाल–विधवा की कहानी है जो अनेक विषम परिस्थितियों में तीन विवाह करने पर मजबूर की गई। ऐसी दारुण दशा से मुक्ति पाने के लिए इस अभागिन ने नदी में कूद कर जान दे दी। महादेवी वर्मा ने अपने इस रेखाचित्र के अन्तिम अध्याय में 'गुंगिया' नामक ऐसी बालिका का चित्र खींचा है जो अपने पिता के अत्याचारों को तो सहती ही है साथ–साथ समाज के द्वारा शारीरिक–मानसिक शोषण का भी शिकार होती है। इससे मुक्ति के लिए उसने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया।

सभी स्मृति–चित्रों में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की विविध घटनाओं एवं उनके चरित्र के विभिन्न अंशों को प्रस्तुत किया। उनके रेखाचित्रों में सामान्य जीवन में घटने वाली अनेक घटनाओं का विविध रूप में चित्रण किया है जिससे जन–सामान्य सदैव प्रभावित होता रहा है।

महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व बहुत विशाल है। उनका हृदय जन–सामान्य के साथ–साथ पशु–पक्षियों के प्रति भी संवेदनशील है। 'मेरा परिवार' वर्मा जी का एक हृदयस्पर्शी रेखाचित है। जिसमें वे गौरा गाय, गिल्लू गिलहरी, दुर्मुख खरगोश, नीलू कुत्ता और सोना हिरनी को अपने परिवार का सदस्य समझती हैं। इन निरीह और बेजुबान पशुओं के प्रति उनको भावनात्मक लगाव है और गाय उनको अतिप्रिय थी। उनकी दृष्टि में गौरा पर एक दृष्टि–''पुष्ट लचीले पैर, भरे हुए पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लम्बी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे–छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की ये दो अधखुली पंखुड़ियां जैसे कान लम्बी और अन्तिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूँछ सब कुछ सांचे में ढला हुआ था।''[13] 'मेरा परिवार' रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू निक्की रोजी और रानी के प्रति एक माँ जैसा लगाव रख प्रदर्शित किया है।

महादेवी वर्मा ऐसी रचनाकार हैं जो जीवन के प्रति गहरी आस्था रखती हैं। उन्होंने अपने काव्य में समाज के जन–सामान्यों की पीड़ा, संघर्ष और संवेदना को अभिव्यक्ति प्रदान किया। उनका काव्य उनकी गहन संवेदनशीलता, करुणा और मानवीय पीड़ा की मार्मिक अनुभूति का जीवन्त प्रमाण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. संधिनी, महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1965, पृष्ठ–77
2. यामा, महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद प्रथम संस्करण–1965 पृष्ठ–30

3. यामा, महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद प्रथम संस्करण—1965, पृष्ठ—101—102
4. नीरजा, महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन प्रथम संस्करण—1965 पृष्ठ—33
5. लेखिकाओं की दृष्टि में महादेवी वर्मा सं. चन्द्रा सदायत नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया नई दिल्ली, पृष्ठ—113
6. लेखिकाओं की दृष्टि में महादेवी वर्मा सं. चन्द्रा सदायत नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया नई दिल्ली, पृष्ठ—114—115
7— लेखिकाओं की दृष्टि में महादेवी वर्मा सं. चन्द्रा सदायत नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया नई दिल्ली, पृष्ठ—90
8. लेखिकाओं की दृष्टि में महादेवी वर्मा सं. चन्द्रा सदायत नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया नई दिल्ली, पृष्ठ—90
9. लेखिकाओं की दृष्टि में महादेवी वर्मा सं. चन्द्रा सदायत नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया नई दिल्ली, पृष्ठ—91
10. लेखिकाओं को दृष्टि में महादेवी वर्मा सं. चन्द्रा सदायत नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया नई दिल्ली, पृष्ठ—115
11. महादेवी का ग्रन्थ, (1969) सूर्य प्रकाश दीक्षित, राधाकृष्ण प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली, पृ. 23
12. महादेवी वर्मा, योगराज थानी, भारती साहित्य मन्दिर प्रकाशन —1965, दिल्ली पृष्ठ—146
13. मेरा परिवार महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1986, पृष्ठ—69

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 10th March 2025
Paper Accepted : 20th March 2025

महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. रीता देवी*

शोध-सारांश

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तीकरण में एक महत्त्वपूर्ण साधन साबित हुए हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि की है और सामाजिक परिवर्तन को गति दी है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। यह समूह न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि उनके आत्म सम्मान और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हालाँकि, प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग बढ़ाना होगा ताकि महिलाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे कि संसाधनों की कमी, सामाजिक बाधाएँ और वित्तीय अस्थिरता। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और गैर–सरकारी संगठनों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

महिलाएँ सदैव परिवार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की नींव रही हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी उन्नत, सभ्य एवं प्रगतिशील होगी, समाज उतना ही सशक्त, प्रभावशाली एवं उन्नत होगा। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों के कारण निम्न बनी हुई है, देश की लगभग आधी आबादी होने के बावजूद भी, महिलाओं को अभी भी पुरुषों से तुलनात्मक रूप से बहुत से अधिकारों से वंचित होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण महिलाएँ शिक्षा, रोजगार और गरीबी के अलावा विभिन्न प्रकार के सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों से पीड़ित हैं। स्वयं सहायता समूह व सूक्ष्म वित्त की अवधारणा वर्तमान समय में महिलाओं की निशक्तता को दूर करने की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रणनीति है। महिलाओं के जीवन स्तर के उन्नयन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्तिकरण की नीतियाँ बनाई गईं, परंतु सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयास अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हुए फलतः महिलाओं की स्थिति पूर्ववत्

* प्रवक्ता, विवेकानन्द महाविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)

रही। विश्व बैंक के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि विकासशील देशों में 70–80 प्रतिशत लघु उद्योग महिलाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं। महिलाओं के घर के कार्य की गणना नहीं की जाती है, वे अदृश्य कार्यकर्त्ता होती हैं। महिला सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रमों को वांछित सफलता न मिलने के कारणों का मूल्यांकन करने पर यह तथ्य उभरकर आता है कि महिलाएँ अत्याधिक असंगठित हैं, पर्याप्त ज्ञान व कौशल के अभाव में बदलती हुई अर्थव्यवस्था के साथ वे समायोजन करने में अक्षम हैं। **अमर्त्य सेन** के अनुसार, ''सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण पूरे विश्व में स्त्रियाँ पारिवारिक दायित्वों में व्यस्त होती हैं व परिवार के लिए कार्य करती हैं। महिलाएँ घर के बाहर जो कार्य करती हैं वे निम्न स्तर के होते हैं और उन्हें पुरुषों से कम वेतन प्राप्त होता है। असंगठित होने के कारण ये महिलाएँ विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे कार्य के अधिक घंटे, कम मजदूरी, कार्य को मान्यता प्राप्त न होना आदि के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाती है।'' **रस्किन** के अनुसार, ''विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में लिंग भेद के कारण महिलाएँ कम आय वाले श्रम कार्यों एवं कम कौशल वाले उद्यमों को करती हैं। इसलिए वे निर्धनता के कुचक्र में फँसी रहती हैं।'' परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बहुत कम होती है और सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णय पुरुष ही लेते हैं। पति की आय पर महिलाओं का अधिकार नहीं होता और वे स्वयं जो कमाती हैं वे पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय कर देती हैं। **एम.एस.एम. राव** के अनुसार, ''सामाजिक विकास की अवधारणा आर्थिक विकास की अवधारणा में ही निहित है क्योंकि, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समाज ही सामाजिक रूप से विकसित हो सकता है। समाज में महिलाओं का सामाजिक कुरीतियों के आधार पर शोषित किया जाता है तथा कोई सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त नहीं होता।'' **यू.एन.डी.पी. (1994–1995)** के अनुसार, ''विश्व की 130 करोड़ निर्धन जनसंख्या में 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं जो विभिन्न संसाधनों यथा आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य व सामाजिक अभावों के साथ जीवन–यापन करने के लिये बाध्य हैं।

अतः इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में यह आवश्यक था कि महिलाओं की विशेष आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक ऐसा कार्यक्रम या अनौपचारिक संगठन हो जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं का हल पा सकें तथा जिसका उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता व क्षमता निर्माण कर शक्ति के स्त्रोतों तक पहुँच व नियंत्रण को बढ़ाया जा सके। इन्हीं आवश्यकताओं और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सहायता समूह की अवधारणा का उद्भव हुआ। इस अवधारणा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सूक्ष्म वित्त के द्वारा निर्धन महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।

भारत में महिलाएँ

भारत में महिलाएँ हमेशा काम करती रही हैं लेकिन उनके काम को कम महत्त्व दिया जाता है। अकुशल नौकरी में, एक अशिक्षित महिला अपने पुरुष समकक्ष से आधे से भी कम कमाती है। जब सम्पत्ति विरासत में लेने की बात आती है तो महिलाओं को ही नुकसान होता है, क्योंकि 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ने महिलाओं को सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया था। लेकिन 2005 तक ऐसा नहीं था कि बेटियों को बेटों के समान विरासत की सम्पत्ति का अधिकार देने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार, महिलाएँ केवल 11 प्रतिशत भूमि की मालिक थीं। सांस्कृतिक और सामाजिक नियम अभी भी महिलाओं को पुरुष रिश्तेदारों की मदद के बिना अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने से रोकते हैं। भारत में महिलाओं की आर्थिक मुक्ति के विचार में अक्सर पितृसत्ता द्वारा निर्मित मजबूत सांस्कृतिक बाधाएँ मौजूद हैं। भारत में, उत्पादक रोज़गार गरीबी कम करने की रणनीति और समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए एक

महत्त्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन बाजार शक्तियों के निरंकुश संचालन के परिणाम हमेशा न्यायसंगत नहीं होते हैं खासकर भारत में, जहाँ वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कुछ समूहों को नुकसान होने की संभावना है। महिलाएँ ऐसा ही एक असुरक्षित समूह हैं। प्राचीन काल से ही महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को मान्यता नहीं दी गई है। भारत एक बहुआयामी समाज है जहाँ पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रीय, धार्मिक, और सामाजिक के तरीकों से प्रभावित होती है। आम तौर पर, महिलाएँ घर तक ही सीमित रहती हैं। लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया से भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में कई बदलाव आने की उम्मीद है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित सबसे महत्त्वपूर्ण बदलाव शामिल है।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता, स्वावलंबन, राजनीतिक, सामाजिक एवं कानूनी जागरूकता, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना ही महिला सशक्तिकरण होता है। यह महिलाओं को किसी भी स्थिति का सामना करने और राष्ट्र की विकास गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाता है। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि विकास की प्रक्रिया से जुड़ा एक मुद्दा है, जिसने हाल के दशकों में तेजी पकड़ी है। भारत में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसमर्थन के अलावा, संविधान में प्रावधान हैं और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कई विधायी अधिनियम पारित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण मानव विकास के लिए वैधता और सामाजिक न्याय प्रदान करता है। एक व्यक्ति को 'सशक्त' तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने और स्वयं का निष्पक्ष और अनुचित मूल्यांकन करने की क्षमता रखता है। इसी तरह, महिला सशक्तिकरण पर शोध में भी हम उसी क्षमता की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज की सभी बाधाओं से मुक्त हैं और अपने निर्णय खुद लेती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में उन्हें सभी स्तरों पर आत्मसम्मान देना शामिल है, चाहे वे शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक या मानसिक हों। एक अन्य शब्दों में महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा महिलाओं अधीनता को पार करते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि आत्मनिर्भरता की क्षमता विकसित करना हैं। इसमें जीवन जीने के विकल्प को चुनने, संसाधनों को नियंत्रित करने और परिवार और समुदाय के भीतर पूरा दृढ़ता से भागीदारी की क्षमता शामिल है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को भरसक प्रयासरत् होना और अपने लक्ष्य की दिशा में उनकी प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो, महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ है उन्हें अपना जीवन में निर्णय लेने की पूर्ण में स्वतंत्रता देना या उन्हें समाज में अपना उचित स्थान लेने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना जिससे उन्हें समाज में उचित स्थान मिल सके।

महिलाओं में सशक्तिकरण की कमी के लिए यह निम्न स्थिति एक महत्त्वपूर्ण कारक माना जाता है और इसीलिए उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व है। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं को बचत, ऋण और बीमा प्रदान करना है और इसका उद्देश्य घरेलू आय सुरक्षा में सुधार करना है और बदले में महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करना है। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास

कोष (यूएनआईएफईएम) के अनुसार, महिला सशक्तिकरण शब्द का अर्थ लिंग संबंधों और उन तरीकों के बारे में ज्ञान और समझ प्राप्त करना है जिनसे इन संबंधों को बदला जा सकता है; जिसमें निम्न बातों का ध्यान दिया गया–

- महिलाओं के लिए समान अवसर और लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता और चेतना पैदा करना।
- महिलाओं में आत्म–मूल्यांकन की भावना विकसित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था करना।
- महिलाओं के साथ भेदभाव को रोकना।
- महिलाओं के अधिकार बारे में जागरूकता।
- महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास की योजना बनाना।
- महिलाओं को अपने लिए अनेक विकल्प उत्पन्न करना।
- महिलाओं में प्रबंधन करने की क्षमता उत्पन्न करना।
- प्रगतिशील गतिविधियों को पूरा करने की क्षमता।
- महिलाओं को निर्णय लेने और व्यवस्थित करने की क्षमता।
- महिलाओं की दक्षता और स्वायत्तता पर भी जोर देना है।
- घर, समुदाय और समाज में निर्णय लेने में भागीदारी।

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण न केवल महिलाओं की शक्ति को बढ़ाने पर बल देता है बल्कि महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

भारत में महिला सशक्तिकरण

प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक रूप से एक जैसी नहीं रही है। महिलाओं की परिस्थितियाँ बार–बार बदलती रही हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं के साथ पुरुषों के समान व्यवहार किया जाता था और प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान उनकी शिक्षा का स्तर उच्च था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मैत्रेयी जैसी महिला ऋषियों के उदाहरण मिलते हैं। मध्य युग में जब मुस्लिम शासकों ने भारत पर शासन करना शुरू किया, तो महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई। बाल विवाह से लेकर, देवदासी प्रथा, नगरवधुएँ, सती प्रथा और अन्य भेदभावपूर्ण प्रथाएँ आदि, अब कई अलग–अलग प्रकार की प्रथाएँ शुरू हुई हैं, सामाजिक–राजनीतिक अधिकारों में कमी के परिणामस्वरूप, महिलाएँ पूरी तरह से परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर हो गईं। उन्होंने शिक्षा, नौकरी और अपने निर्णय लेने की क्षमता का अधिकार खो दिया। ब्रिटिश काल के दौरान भी ऐसी ही चीजें हुईं, लेकिन उनके शासन के दौरान पश्चिमी विचारों का भी परिचय हुआ। राम मोहन राय सहित कुछ प्रगतिशील भारतीयों ने महिलाओं के प्रति लगातार पूर्वाग्रह पर सवाल उठाया। उनके दृढ़ प्रयासों की बदौलत अंग्रेज सती प्रथा को समाप्त करने के लिए मजबूर हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे और कई अन्य सामाज सुधारक लोगों ने भी भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया। उदाहरण के लिए, विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अभियान के कारण 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ।

आज भारत के विकास और प्रगति में नारी शक्ति का योगदान अतुलनीय है। इतिहास में महिलाओं की भी विशेष भूमिका रही है, जैसे भारतीय नारीवाद की जननी–सावित्रीबाई फुले– जिन्होंने देश में लड़कियो के लिए पहला स्कूल शुरू करके देश में साक्षरता का नया दीप जलाया, जिससे महिलाएँ आत्मनिर्भर बनीं, ताराबाई शिंदे – जिनकी उत्कृष्ट कृति 'स्त्री–पुरुष तुलना' को पहला आधुनिक नारीवादी पाठ माना जाता है और पंडिता रमाबाई–

को ब्रिटिश भारत के दौरान एक समाज सुधारक के रूप में महिलाओं की मुक्ति के कार्य के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक सेवा के लिए ब्रिटिश राज द्वारा कैसर–ए–हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने महिलाओं की समाज में महत्ता के बारे में सही कहा है कि, ''लोगों को जगाने के लिये महिलाओं का जागृत होना जरूरी है, एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं तो उनके पीछे–पीछे परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।'' देश की आजादी के बाद से महिलाओं की उन्नति को लेकर सरकार की नीति में बदलाव किये गये हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, जब महिला कल्याण के बजाय महिलाओं के विकास पर अधिक जोर देने की नीति अपनाई गई। केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं और कई नीतिगत निर्णय लिए हैं, जो महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में कार्य कर रहा है। महिलाओं के जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी समानता के लिए कार्य जारी है।

स्वयं–सहायता समूह

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नया प्रतिमान है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों की भलाई में वृद्धि करना, संसाधनों और ऋण तक पहुँच प्रदान करना, आत्मविश्वास, आत्म–सम्मान में वृद्धि करना और उनकी साख में वृद्धि करना है। जीवन के सभी पहलुओं में. स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं वाली महिलाओं का एक स्वैच्छिक और स्व–प्रबंधित समूह है, जो आपस में बचत को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होते हैं। एस.एच.जी. का गरीबी उन्मूलन हस्तक्षेप रोजगार प्रदान करने के लिए आर्थिक कार्यक्रम चलाने, गरीबों को सूक्ष्म वित्त सेवाएँ देने के रूप में है ताकि वे खुद को कौशल और व्यावसायिक विविधीकरण से परिचित करा सकें। इसके अलावा, एस.एच.जी.के माध्यम से माइक्रोक्रेडिट द्वारा गरीबी उन्मूलन और महिलाओं की मुक्ति के दृष्टिकोण में लगातार बढ़ती भूमिका निभाने की उम्मीद है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा 'महिलाओं द्वारा, और महिलाओं के लिए' सिद्धांत पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह सामूहिक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समान हितों वाले लोगों के स्वैच्छिक संघ हैं। ऐसे समूह आपसी मदद और लाभ के लिए आयोजित किये जाते हैं। इसका गठन बिना किसी राजनीतिक संबद्धता के लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। उनमें 15–20 महिलाएँ या पुरुष शामिल हो सकते हैं, हालाँकि उनमें आम तौर पर विशेष रूप से महिला सदस्य शामिल होती हैं। भारत में 90 प्रतिशत से अधिक समूह महिलाओं द्वारा बनाये गये हैं। स्वयं सहायता समूह का प्रारंभिक संचालन सदस्यों से बचत एकत्र करने से शुरू होता है। ये समूह सदस्यों में मितव्ययता की आदत विकसित करते हैं। छोटी–छोटी बचत करके बड़ी रकम जुटाई जा सकती है। ये समूह जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देते हैं। इस प्रकार समूह के स्वामित्व वाली कुल धनराशि सदस्यों के बीच ऋण के रूप में वितरित की जाती है। समूहों की पहचान, गठन और पोषण गैर–सरकारी संगठनों, अन्य विकास एजेंसियों या बैंकों द्वारा किया जाता है और प्रवर्तक सदस्यों के बीच बचत की आदत पैदा करते हैं। एक बार जब समूह प्रशिक्षित और मजबूत हो जाते हैं, तो उन्हें आमतौर पर गठन के छह महीने के भीतर, पास के बैंकों से जोड़ दिया जाता है। बैंक समूह की संचित बचत के बढ़ते अनुपात में संपार्श्विक–मुक्त ऋण प्रदान करते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्त्ताओं का चयन, गतिविधि की पहचान, ऋण की इकाई लागत मात्रा, वित्त का प्रबंधन और पुनर्भुगतान की प्रक्रिया जैसी सभी पहल गरीबों द्वारा समूह स्तर पर की जाती हैं। संक्षेप में, स्वयं सहायता समूह को 'लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की एक योजना' के

रूप में कहा जा सकता है। यह सूक्ष्म स्तर पर विकास की प्रक्रिया में वास्तविक लोगों की भागीदारी को दर्शाता है।

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और पारिवारिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न सहित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक शानदार तरीके के रूप में विकसित हुए हैं। वे ज्ञान और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए एक सफल तकनीक के रूप में दिखाया है। इसने उच्च जीवन स्तर, आर्थिक स्थिरता, पोषण और स्वास्थ्य में वृद्धि, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास जैसे चरों के माध्यम से महिलाओं के जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की है। स्वयं सहायता समूहों में शामिल होने के बाद, महिलाएँ अधिक स्वायत्त और आत्मनिर्भर हो जाती हैं, जो उन्हें हर तरह से पुरुषों के बराबर होने में सक्षम बनाती है। भारतीय महिलाओं को उनके संबंधित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म ऋण के द्वारा आर्थिक विकास के अवसर दिए जाते हैं। इससे उन्हें अपने पूरे जीवन में और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद मिलेगी। यह पिछड़े क्षेत्रों में वंचित व्यक्तियों को आगे बढ़ने और बेहतर जीवन स्तर का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। आंतरिक ऋणों ने स्वयं सहायता समूह सदस्यों को अपनी बचत का एक हिस्सा दूसरे सदस्य को हस्तांतरित करके बिना ब्याज के ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। अन्य स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा उत्पन्न सहकर्मी दबाव के कारण, ऋण चुकौती अपेक्षाकृत अधिक है। ऋण राशि का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि भोजन और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना, स्कूली शिक्षा के लिए भुगतान करना और घर, बाइक, उपकरण या मशीन जैसी संपत्ति खरीदना आदि। हालाँकि, संसाधनों की कमी, कौशल की कमी और वित्तीय सीमाओं के कारण 75 प्रतिशत आबादी बेरोजगार है। महिलाओं के पास अब स्वयं सहायता समूहों की बदौलत अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर है। यह एक व्यक्ति के आत्म–मूल्य, संतोष और अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है।

स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण

स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। स्वयं सहायता समूह गरीबी कम करने का प्रयास करता है। यह 'लोगों की योजना' है और जिसका संगठन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। स्वयं सहायता समूह एक स्वैच्छिक समूह है, जो कुछ सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है और इसके अधिकांश सदस्यों की सामाजिक पहचान, विरासत, जाति या पारंपरिक व्यवसाय समान होते हैं वे सब एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं और वे समूह के सदस्यों के लाभ के लिए संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। नौवीं योजना के दौरान महिलाओं को अपनी जरूरतों को स्पष्ट करने और सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जिसमें तेजी से 23वीं प्रगति हुई है क्योंकि इसने पूरे देश में दस लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह को क्रियान्वित किया है। ऋण वितरण और वसूली में लोगों की भागीदारी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तेजी से हुई। औपचारिक ऋण संस्थानों को स्वयं सहायता समूह के द्वारा उधारकर्त्ताओं से जोड़ कर ग्रामीण गरीबों को ऋण सहायता प्रदान किया गया जिससे वे अपनी उपस्थिति शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण के लिए एक साधन के रूप में है। उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पहले से बदलने का प्रयास करता है और एक बार जब सामाजिक–आर्थिक उद्देश्य हासिल हो जाएगा तो

इसका महिलाओं के समग्र विकास पर प्रभाव पड़ेगा। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सशक्ति–करण को सक्षम बनाते है।

स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

- **आर्थिक सशक्तिकरण** : स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लघु ऋण, बचत योजनाओं और उद्यमिता के अवसर प्रदान करते हैं जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं।
- **सामाजिक सशक्तिकरण** : स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, पारिवारिक निर्णय लेने और सामुदायिक कार्यों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- **शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सुधार** : कई स्वयं सहायता समूह महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है।
- **राजनीतिक सशक्तिकरण** : कई स्वयं सहायता समूह महिलाओं को पंचायतों और अन्य निर्णय लेने वाले निकायों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- पिल्लई, जे. के. (1995), महिला और सशक्तिकरण, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पीपी।
- सामंत, आर. के. एड. (2005), स्वयं–सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना–मुद्दे, अवसर और दृष्टिकोण, द वूमेन प्रेस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।
- चव्हाण, जे. वी. और गायकवाड, वी. ए. (2011), 'महिला उद्यमिता में माइक्रोफाइनेंस की भूमिका', गोल्डन रिसर्च थॉट्स।
- बी. सुगुना और जी. संध्या रानी (2007), महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह रणनीतियों और पहल का एक अवलोकन कमल के. मिश्रा और जेनेट ह्यूबर लोरी (ईडीएस), भारतीय महिलाओं पर हालिया अध्ययन, रावत प्रकाशन, जयपुर।
- विनयागमूर्ति ए. (2007), स्वयं–सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण : उत्तरी तमिलनाडु में एक केस स्टडी समाज कल्याण।
- श्रीनिवास राव डी और जयराजू जी. (2012), कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण; रायलसीमा क्षेत्र पर एक अध्ययन ए.पी., दक्षिणी अर्थशास्त्री।

SHODH-GARIMA–YEAR-2, VOL. 1 (Jan. to March, 2025)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 10th March 2025 **Paper Accepted : 20th March 2025**

बन्दूकें और ब्रिटिश एम्पायर का भारत का एक ऐतिहासिक अध्ययन

□ **नरेन्द्र कुमार***
□ **डॉ. सोनू सारण****
□ **डॉ. हरीश कुमार*****

शोध-सारांश

18वीं शताब्दी के मध्य में, उत्तर–पश्चिमी यूरोप और पूर्वी और दक्षिण एशिया के उन्नत क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा, उपभोग की दरें और आर्थिक विकास की संभावना लगभग तुलनीय थी। लेकिन 1800 के आसपास, जिसे विद्वान महान विचलन कहते हैं, पश्चिम की शक्ति और धन ने अचानक और नाटकीय रूप से भारत, चीन और ओटोमन साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया। विशेष रूप से अंग्रेजों ने सांस्कृतिक और नस्लीय श्रेष्ठता के विचारों में अपने बढ़ते साम्राज्य के लिए औचित्य पाया। एडवर्ड सईद से लेकर केनेथ पोमेरेन्ज तक के विद्वानों ने ऐसे सिद्धांतों को बदनाम करने और एशिया में ब्रिटिश विजय को प्रेरित करने और उचित ठहराने में उनके महत्त्व को उजागर करने के लिए बहुत कुछ किया है। एशिया और नई दुनिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद ने ही यूरोप और एशिया के बीच मतभेद को बढ़ावा दिया– जिससे यूरोप को अभूतपूर्व संपदा और बल पूर्वक सुरक्षित बाजारों और संसाधनों तक पहुँच मिली। फिर भी, कुछ विद्वान यूरोपीय वर्चस्व के लिए स्पष्टीकरण की तलाश में 'संस्कृति' के विशाल क्षेत्र में खोजबीन जारी रखते हैं। हाल ही में सबसे प्रभावशाली सिद्धांत (विशेष रूप से आर्थिक इतिहासकार जोएल मोकिर द्वारा प्रचलित) है कि ज्ञानोदय ने ज्ञान और सूक्ष्म आविष्कारों या 'सुधारों'– दोनों को साझा करने की एक अनूठी संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को प्रेरित किया।

मुख्य शब्द– *यूरोपीय उपनिवेशवाद, स्थानीय बंदूक, शक्तिशाली क्वेकर आदि।*

* शोधार्थी, इतिहास विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीवडेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान–333010
** निर्देशिका, इतिहास विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीवडेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान–333010
*** सह–निर्देशक, इतिहास विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीवडेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान–333010

प्रस्तावना

यह विचार कि ज्ञान–साझाकरण एक विशेष रूप से यूरोपीय विशेषता थी, ज्ञानोदय विचारक एडम स्मिथ को आश्चर्यचकित कर सकता था क्योंकि उन्होंने उस समय दुनिया का अवलोकन किया था। साम्राज्य के लिए ब्रिटेन के आक्रामक प्रयास से चिंतित, उन्होंने अनुमान लगाया कि ज्ञान–साझाकरण की सार्वभौमिक क्षमता अंततः उपनिवेशवाद की गलतियों को ठीक कर देगी। एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एँड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस (1776) में यह उल्लेख करते हुए कि दक्षिण एशियाई लोग अमेरिका की खोज से लाभ नहीं उठा रहे थे और यूरोपीय लोगों के हाथों 'हर तरह के अन्याय' का सामना कर रहे थे, स्मिथ इस बात पर आश्वस्त थे कि ज्ञान का आदान–प्रदान और वाणिज्य द्वारा किए गए सुधार अंततः सभी देशों को समान स्तर पर लाएंगे और उन्हें परस्पर सम्मान के लिए बाध्य करेंगे। हम जानते हैं कि इतिहास उस तरह से नहीं हुआ। क्यों नहीं? ज्ञान–साझाकरण ने दुनिया को समान क्यों नहीं बनाया? क्या स्मिथ यह मानने में बहुत उदार या भोला था कि यूरोप से परे इसकी सांस्कृतिक खरीद थी? स्मिथ का भोलापन वास्तव में उनके इस अनुमान में निहित था कि उभरती हुई राजनीतिक असमानताएँ जो उन्होंने देखीं, वे ज्ञान के प्रसार को भी आकार नहीं देंगी। आज के उदार विचारकों की तरह, उन्होंने कल्पना की कि ज्ञान–विनिमय किसी न किसी तरह शक्ति संबंधों की परवाह किए बिना होता है। वास्तव में, 18वीं शताब्दी में, जैसा कि आज है, सत्ता ने हर जगह ज्ञान–साझाकरण को आकार दिया। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में, सैन्य आपूर्ति में लगे सरकारी कार्यालय अक्सर ठेकेदारों को उनके आविष्कारों का पेटेंट कराने से रोकते थे। पेटेंट से अन्य ठेकेदारों तक नवाचार का प्रसार धीमा हो जाता था और इस प्रकार तत्काल आवश्यक आपूर्ति का उत्पादन धीमा हो जाता था। जबकि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार ब्रिटेन के भीतर ज्ञान के आदान–प्रदान को बढ़ावा दिया, इसने विदेशों में इस तरह के साझाकरण को सक्रिय रूप से दबा दिया। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने बौद्धिक संपदा पर ध्यान दिए बिना एशियाई वस्त्रों और मिट्टी के बर्तनों की नकल की, लेकिन वे अपने स्वयं के विनिर्माण के साथ औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के खतरे को कम करने के लिए अपनी सरकार पर भरोसा कर सकते थे। उदाहरण के लिए, 1737 में, अंग्रेजी लोहा निर्माताओं ने अमेरिका में बार–लोहे के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया, उन्हें डर था कि इससे वहाँ लोहे के सामान का निर्माण बढ़ जाएगा और अंग्रेजी लोहे के काम और लोहे के निर्माण बर्बाद हो जाएंगे, जिससे मातृभूमि की आबादी कम हो जाएगी।

1750 में, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अमेरिकी बार–लोहे के शुल्क–मुक्त आयात की अनुमति देने वाले कानून ने अमेरिकी लोहे के निर्माण को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया, स्पष्ट रूप से वहाँ युद्ध मशीन के निर्माण को रोकने के लिए। इस तरह की असमानताओं ने अमेरिका में ब्रिटिश विरोधी भावना को बढ़ावा दिया। भारत में, नए के बजाय पुराने विनिर्माण उद्योगों ने चिंता पैदा की। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने स्थानीय बंदूक निर्माण को दबाने और ब्रिटिश बंदूक निर्माण ज्ञान तक भारतीयों की पहुँच को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसा इस समझ के कारण किया कि हथियार निर्माण औद्योगिक प्रगति के केंद्र में है। इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण एशियाई ब्रिटिश बंदूकों पर निर्भर हो गए, जिससे ब्रिटेन के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला जबकि भारत की औद्योगिक क्षमता कम हो गई। अठारहवीं सदी के ब्रिटेन के लोगों ने युद्ध निर्माण और औद्योगिक विकास के बीच संबंध को समझा, खासकर वेस्ट मिडलैंड्स में। 1752 में एक याचिका में, वेस्ट मिडलैंड्स के शहर बर्मिंघम ने दावा किया कि '20,000 से अधिक लोग', 'उपयोगी विनिर्माण में कार्यरत थे, जो सरकार के लिए बहुत उपयोगी

थे, 1795–96 में, शहर के एक प्रभावशाली और शक्तिशाली क्वेकर बंदूक निर्माता ने अपने चिंतित साथी मित्रों को समझाया कि ऐसा कोई औद्योगिक कार्य नहीं था जो किसी न किसी तरह से युद्ध में योगदान न देता हो। भारतीय संघर्षों में यूरोपीय लोगों की बढ़ती भागीदारी ने माँग को बढ़ा दिया।

अंग्रेजी हथियारों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतों ने भारत में निर्मित किए जा सकने वाले भंडारों के आयात को कम करने का सुझाव दिया। लेकिन ईआईसी के निदेशक मंडल ने भारत में ड्रम और बांसुरी बनाने के परिणामी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी तरह ईआईसी ने बंगाल में सीसा, लोहा, तांबा और टिन खनन को विकसित करने के प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इससे ईआईसी को लाभ और नियंत्रण की हानि होगी। ईआईसी ने कहा कि औद्योगिक विकास की दिशा में कोई भी कदम कॉलोनी को 'मातृभूमि' से और भी अधिक स्वतंत्र बनाना था। इससे 'पड़ोसी शक्तियों को सैन्य भंडार की आपूर्ति करने और उन्हें स्वतंत्रता के नए साधन और धन के नए स्रोत सिखाने' का जोखिम भी था। संक्षेप में, बंगाल में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव 'बहुत ही अव्यावहारिक और हमारी सरकार के सिद्धांतों के विपरीत' थे। निश्चित रूप से, वे बंगाल को 'स्वतंत्र माने जाने वाले' 'बड़े और महत्त्वपूर्ण लाभ' पहुँचा सकते थे। लेकिन निश्चित रूप से बंगाल स्वतंत्र नहीं था यह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। बंगाल के प्राकृतिक संसाधनों और तकनीकी ज्ञान की समृद्धि ईआईसी के दृष्टिकोण से एक खतरा प्रस्तुत करती थी, क्योंकि वे इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकते थे, और इस प्रकार ब्रिटिश राष्ट्रीय हितों को 'भारी नुकसान' पहुँचा सकते थे। एक अधिकारी ने कहा, बंगाली लौह अयस्क के उपयोग से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं हैं। यदि अन्य धातु खदानें खोली जातीं, जो यूरोपीय आयातों की तुलना में सस्ते में अच्छी धातु का उत्पादन करतीं, तो उनकी जिज्ञासा और लोभ उत्तेजित होता और वे कम से कम प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ते। एडम स्मिथ की तरह, यह अधिकारी जानता था कि जिज्ञासा और प्रयोग किसी विशिष्ट यूरोपीय संस्कृति के घटक नहीं थे।

चूँकि हथियारों का निर्माण प्रगति के केंद्र में था, इसलिए अधिकारियों ने पूर्व और पश्चिम के बीच विचलन पैदा करने में मदद की विशेष रूप से औपनिवेशिक अधिकारियों को डर था कि भारतीय ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जिससे बेहतर हथियार–निर्माण हो सकेगा कंपनी के एक अधिकारी ने लिखा, 'धातुओं को गलाने और उन्हें कुछ रूपों में ढालने के तरीके के ज्ञान से लेकर तोप के गोले और गोले ढालने तक का कदम इतना छोटा है कि अगर मूल निवासियों ने एक बार यह कला सीख ली तो वे जल्द ही बाद में इस कला में माहिर हो जाएंगे। इसी तरह ईआईसी के नेतृत्व ने जोर देकर कहा कि फोर्ट विलियम में इसकी गोला–बारूद प्रयोगशालाएँ एक रहस्य बनी रहेंगी, कोई भी भारतीय, अश्वेत या मिश्रित नस्ल का व्यक्ति, या किसी भी देश का कोई भी रोमन कैथोलिक, किसी भी बहाने से प्रयोगशाला या किसी भी सैन्य पत्रिका में प्रवेश नहीं करेगा या पैर नहीं रखेगा, चाहे वह जिज्ञासा से हो या उनमें काम करने के लिए, या उनके पास आकर यह देखने के लिए कि उनमें क्या हो रहा है या क्या है। यह ज्ञान साझा करने की यूरोपीय संस्कृति थी। 1813 में, ईआईसी ने इस डर से फोर्ट विलियम फाउंड्री को बंद करने पर विचार किया कि कहीं ढलाई के बारे में ज्ञान फैल न जाए। इस प्रकार, जबकि ईआईसी के हथियारों की खरीद ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, ईआईसी ने उपमहाद्वीप में धातुकर्म की समान उत्तेजना को रोका और इसका मुकाबला करने के लिए कदम उठाए। ईआईसी के अधिकारियों को यकीन था कि हथियारों का निर्माण औद्योगिक प्रगति के केंद्र में है और उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच अंतर पैदा करने में मदद की। उनके तदर्थ निर्णयों में वैश्विक औद्योगिक

असमानताओं की शुरुआत निहित है। साम्राज्य का उद्देश्य यही था। जैसे–जैसे ब्रिटिश औद्योगिकीकरण ने उड़ान भरी, भारतीय आर्थिक विकास को इसकी सेवा के लिए पुनः उन्मुख किया गया। ब्रिटिश ज्ञान के संपर्क को रोकना और भारतीय विकास को दबाना लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने मौजूदा भारतीय ज्ञान को दबाने और उन रिश्तों को बंद करने का भी प्रयास किया, जिसमें अन्य यूरोपीय भारतीय राज्यों के साथ कौशल और ज्ञान साझा कर सकते थे। यह एक वास्तविक चिंता का विषय था। क्योंकि, ब्रिटिश आक्रमण के सामने, स्वदेशी राजनीति अपनी बंदूक–निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही थी।

1760 के दशक की शुरुआत में, बंगाल के नवाब, मीर कासिम ने मुंगेर के किले में फायरलॉक का निर्माण शुरू किया, जहाँ राजा टोडरमल ने 16वीं शताब्दी में बंदूकें बनाई थीं। 1764 में नवाब की हार के बाद भी निर्माण जारी रहा, लेकिन ईआईसी के हथियार डिपो के रूप में। इसकी तोपों को ब्रिटिश सेना की सबसे अच्छी बंदूकों से बेहतर माना जाता था, खास तौर पर बैरल मेटल और राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त एगेट से बने फ्लिंट में। सदी के दूसरे हिस्से में जब फ्रांस की किस्मत में गिरावट आई, तो फ्रांसीसी भाड़े के सैनिकों ने भारतीय कारखानों को अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की। आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, जो कि मुगलों का गढ़ था, में स्थित सरकारी शस्त्रागार और मैगजीन ने यूरोप के समान मानकों के गोला–बारूद का उत्पादन किया। लखनऊ, पांडिचेरी, हैदराबाद, लाहौर और श्रीरंगपट्टनम की फैक्ट्रियों में मुगलों और अंग्रेजों दोनों को चुनौती देने वाली शक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश बंदूकें बनाई गईं।

अंग्रेजों ने अपने सैन्य समर्थन का लाभ उठाकर नए नवाब को अपनी सेवा में लगे फ्रांसीसी लोगों को बर्खास्त करने के लिए मजबूर किया। ईआईसी ने बंदूक निर्माण में इन देशी प्रगति को रोकने के लिए विद्रोही शक्तियों को बंदूकें बेचीं। 1760 के दशक के उत्तरार्ध में, अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजा–उद–दौला को बार–बार हथियार देने से मना कर दिया और फिर उत्सुकता से देखा कि कैसे उन्होंने फैजाबाद में उनका निर्माण शुरू किया। कैप्टन रिचर्ड स्मिथ ने एक डच मॉडल से तैयार की गई आठ पाउंड की बेहतरीन पीतल की बंदूक और संगीनों के साथ लगभग 1,000 नए माचिस के ताले देखे। अच्छे फायरलॉक धीरे–धीरे बनाए जा रहे थे। दो बंगालियों ने बड़ी तोपों की ढलाई का निर्देश दिया और एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने गाड़ियाँ बनाईं और उन्हें माउंट किया और बोरिंग मशीन का उपयोग करने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित किया। उनके पास एक भट्टी बनाने की योजना भी थी। शुजा की पुनर्जीवित महत्त्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर, अंग्रेजों ने अवध में अधिक नियंत्रण का दावा किया और 1773 में लखनऊ में एक रेजिडेंट की नियुक्ति की। उन्होंने शुजा को 2,000 बंदूकें भी दीं। शुजा की मृत्यु 1775 में हुई और उत्तराधिकार के नाजुक क्षण में, ईआईसी ने अवध के प्रचुर शोरा, बारूद में मुख्य घटक पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तब अंग्रेजों ने अपने सैन्य समर्थन और हथियारों के वादे का लाभ उठाते हुए नए नवाब आसफ–उद–दौला को अपनी सेवा में फ्रांसीसी लोगों को बर्खास्त करने के लिए मजबूर किया। इसके लिए, आसफ को 5,000 ईआईसी बंदूकें मिलीं– जिनकी मरम्मत उनके शस्त्रागार ने उनके खर्च पर की। ईआईसी ने आसफ को उसके क्षेत्र में तैनात कंपनी बटालियनों के लिए 14,000 बंदूकें बेचीं। जल्द ही, आसफ के अपने कुछ सैनिकों को ईआईसी सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया। इन सभी उपायों के साथ, ईआईसी ने अवधी सैन्य–शक्ति और अवधी बंदूक–निर्माण को सह–चुना। आसफ को नई राजधानी लखनऊ में एक शस्त्रागार बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसने ब्रिटिश बंदूकों की तर्ज पर बंदूकें बनाईं और ईआईसी का

एक व्यक्ति कारखाने के अधीक्षक के रूप में काम करता था।

1784 में, एक फ्रांसीसी भाड़े के सैनिक ने मराठा नेता महादजी सिंधिया के लिए वहाँ हथियार खरीदे। 1787 में जब अधीक्षक सेवानिवृत्त हुए, तब तक ई.आई.सी. के पास देश भर में डिपो थे और अब उसे लखनऊ शस्त्रागार या आसफ के सैनिकों की आवश्यकता नहीं थी। इसने अवधी बंदूक निर्माण पर अंतिम रोक लगा दी, आधिकारिक तौर पर यूरोपीय लोगों को देशी शासकों के लिए हथियार बनाने और बेचने पर रोक लगा दी। आसफ हथियारों के प्रति मोहित रहे और उन्होंने एक विशाल व्यक्तिगत संग्रह एकत्र किया। मैसूर ने तकनीकी ज्ञान पर ब्रिटिश मालिकाना नियंत्रण और देशी उद्योग के दमन की एक ही कहानी देखी। 1780 में द्वितीय एँग्लो–मैसूर युद्ध के बाद, ई.आई.सी. हैदर अली के बंदूकें बेचने से सावधान हो गया। हैदर अली ने मैसूर में 20 लौह–गलाने वाली भट्ठियां लगाईं, वास्तव में, टीपू ने फ्रांसीसी बंदूकें लौटा दीं, जो उसे अपनी बंदूकों से कमतर लगीं। उनकी कार्यशालाओं में एक बोरिंग मशीन शामिल थी, जो पानी के पहिये के बजाय बैल की शक्ति से काम करती थी– शिल्प कौशल का एक प्रभावशाली कारनामा।

1799 में अंग्रेजों ने टीपू को पराजित करने और मारने के बाद, उन्होंने उसके कारखानों को बंद कर दिया। कंपनी के हथियार फिर से मैसूर में आने लगे, जहाँ एक नई, ब्रिटिश समर्थक राजशाही का शासन था। टीपू के हथियार यूरोपीय संग्रह–कर्त्ताओं के पुरस्कार बन गए। वूलविच में रॉयल प्रयोगशाला के नियंत्रक विलियम कांग्रेव ने मैसूर के रॉकेटों के साथ प्रयोग किया, जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ प्रभावी ढंग से किया गया था। प्रयोगों ने ब्रिटिश सेना के लिए लोहे की नलियों वाले रॉकेटों के निर्माण को जन्म दिया। भारतीय तकनीकी ज्ञान को ब्रिटेन के औद्योगिक ज्ञान के नेटवर्क में साझा किया गया, भले ही भारतीयों को उन नेटवर्क से बाहर रखा गया था। अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य में ज्ञान नेटवर्क और उद्योग को भी बंद कर दिया। 1785 तक, सिंधिया के पास आगरा क्षेत्र में आयुध कारखाने थे। मराठा सैन्य संस्कृति बर्मिंघम की तरह एक विस्तृत सैन्य अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हुई, जिसमें कुशल धातुकर्मी आसानी से मंदिर के आभूषणों को तोपखाने की तरह बना सकते थे। मराठा कस्बों में, धातुकर्मी पहिएदार बैलगाड़ी या तोपखाने के लिए पुर्जे बना सकते थे। पश्चिमी मिडलैंड्स की तरह, पूरे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को रक्षा अनुबंधों से लाभ हुआ। सिंधिया के पास स्थानीय रूप से बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले फ्लिंटलॉक थे। एक भाड़े के सैनिक ने उन्हें 'बहुत उत्कृष्ट साधारण यूरोपीय हथियारों से कहीं बेहतर' बताया। मराठा छोटे हथियार जलवायु और स्थानीय बारूद के लिए बेहतर अनुकूल थे। मराठा तोपों में लोहे और पीतल के बाहरी हिस्से को एक सरल तरीके से जोड़ा गया था जिससे वे ब्रिटिश संस्करणों की तुलना में हल्के और अधिक टिकाऊ थे। ब्रिटिश सैन्य पर्यवेक्षकों ने बड़ी तोप में इस्तेमाल किए जाने वाले एलिवेटिंग स्क्रू की प्रशंसा की, जो कुछ हद तक अदला–बदली की अनुमति देता था।

निष्कर्ष

1792 में तीसरे एँग्लो–मैसूर युद्ध से सिंधिया ने अधिशेष ब्रिटिश बंदूकें खरीदीं। कीलों और बोल्टों के निर्माण में उपयोग के लिए उन्हें नीलाम करने से पहले निष्प्रयोज्य बंदूकों को नष्ट करने के ब्रिटिश प्रयासों के बावजूद, उन्होंने सेवामुक्त ईआईसी तोपों का पुनर्निर्माण किया। इस परियोजना में शामिल गुप्त तस्करी श्रृंखला में भारतीय और यूरोपीय लोग शामिल थे। मराठों ने अपनी खुद की विनिर्माण क्षमता होने के बावजूद ईआईसी के निंदनीय हथियारों की माँग की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बंदूकों का होना उतना ही आत्मविश्वास का विषय था जितना कि मारक क्षमता का, और ऐसा ही था मराठों की प्रतिष्ठा, फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक बड़े साम्राज्यवादी

युद्ध में उत्तरी अमेरिकी संघर्ष था जिसे सात वर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध 1754 में शुरू हुआ और 1763 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। युद्ध ने ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी अमेरिका में बहुत बड़ा क्षेत्रीय लाभ प्रदान किया, लेकिन बाद की सीमा नीति और युद्ध के खर्चों का भुगतान करने के विवादों ने औपनिवेशिक असंतोष और अंततः अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 फोर्ड, रोजर (2009), ईडन टू आर्मागेडन मध्य पूर्व में प्रथम विश्व युद्ध, लंदन वीडेनफेल्ड और निकोलसन, आइसबैन, पृष्ठ 12

2 हीथकोट, टी. ए. (1995), ब्रिटिश भारत में सेना दक्षिण एशिया में ब्रिटिश भूमि सेना का विकास, 1600–1947, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, एन.डी., पृष्ठ 69

3 होयट, एडविन पी. (1981). गुरिल्ला : कर्नल वॉन लेटो–वोरबेक और जर्मनी का पूर्वी अफ्रीकी साम्राज्य, मैकमिलन पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ 23

4 जेफरी, कीथ (1984), ब्रिटिश सेना और साम्राज्य का संकट, 1918–22. मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, एन.डी., आइरसबीन 0719017173, पृष्ठ 78

5 किंजर, स्टीफन (2003), ऑल द शाह्स मेन एन अमेरिकन कूप एँड द रूट्स ऑफ मिडिल ईस्ट टेरर, लंदन स्टीफन किंजर, जॉन विले एँड संस, पृष्ठ 48

6 मार्श, एफ्रैम (2001), एम्पायर्स ऑफ द सैंड द स्ट्रगल फॉर मास्टरी इन द मिडिल ईस्ट. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. आइरसबीन 0674005414, पृष्ठ 90.

7 मार्श, फ्रांसिस एँड्र्यू (1921), विश्व युद्ध का इतिहास. प्लेन लेबल बुक्स, पृष्ठ 123

8 मिलर, चार्ल्स (1974), बुंडू के लिए लड़ाई : जर्मन पूर्वी अफ्रीका में प्रथम विश्व युद्ध, मैकडोनाल्ड और जेन, पृष्ठ 19

9 पति, बुधेश्वर (1996), भारत और प्रथम विश्व युद्ध, अटलांटिक प्रकाशक और वितरक, पृष्ठ 05.

10 पेरी, फ्रेडरिक विलियम (1988), राष्ट्रमंडल सेनाएँ, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, एन.डी., पृष्ठ 156

Published by :
G.H. Publication
121, Shaharara Bag, Prayagraj-211003
E-mail : ghpublication@gmail.com
www : ghpublication.com
Mob.: 9532481205